हिन्दी रूप रचना

हिन्दी व्याकरण एवं काव्यशास्त्र की अनुपम पाठ्य पुस्तक

200

हिन्दी रूप-रचना

(हिन्दी व्याकरण और काव्यशास्त्र की अनुपम पाठ्य पुस्तक)

भाग १

प्रधान सम्पादक

आचार्य जयेन्द्र त्रिवेदी

सम्पादक

डॉ० उर्वशी सूरती

डॉ० काशीनाथ केलकर

एस० एन० डी० टी० विमेन्स युनिवर्सिटी

बम्बई

की ओर से

लोकभारती प्रकाशन

१५-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-१

लोकभारती प्रकाशन
१५–ए, महात्मा गांधी मार्ग
इलाहाबाद–१ द्वारा प्रकाशित

●

तृतीय संस्करण : १९८८

●

●

नवीन प्रिंटिंग प्रेस
१३४, विवेकानन्द मार्ग
इलाहाबाद-३ द्वारा मुद्रित

मूल्य : २०.००

शुभेच्छा

एस० एन० डी० टी० विमेन्स युनिवर्सिटी अपने कुछ प्रकाशनों के लिए नम्रता-पूर्वक गौरव अनुभव करती है । नित्य परिवर्तनशील जगत् में शैक्षिक परिवेश भी बदलता रहे यह स्वाभाविक है। हमारी युनिवर्सिटी समयोचित शैक्षणिक परिवर्तनों के लिए सुख्यात है। युनिवर्सिटी में विविध विद्या-शाखाएँ हैं। कला संकाय में सामाजिक विज्ञानों के उपरान्त अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, मराठी एवं संस्कृत भाषाओं के पी-एच० डी० स्तर तक अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है। कुछ विदेशी भाषाओं के छोटे-छोटे अभ्यासक्रम भी चल रहे हैं।

भाषा का अध्ययन कई स्तरों पर होता है। जीवन के तमाम स्तर पर विशाल लोक समुदाय को किसी न किसी भाषा का उपयोग करना पड़ता है। विविध शास्त्रों तक विज्ञानों का माध्यम भी भाषा ही है। साहित्य के अध्येता भाषा का एक विशेष स्तरीय उपयोग करते हैं।

हमारी युनिवर्सिटी में राष्ट्र की संपर्क भाषा हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन पिछले चार दशकों से होता आया है। छात्राएँ बड़े उत्साह से हिन्दी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन कर रही हैं । हमारी युनिवर्सिटी अहिन्दी भाषी प्रदेशों में कार्य कर रही है अतएव हिन्दी भाषा सीखने में हमारी कुछ विशिष्ट समस्याएँ हैं। इस दृष्टिकोण से लिखे गये हिन्दी भाषा के आधुनिक व्याकरण-ग्रन्थ की आवश्यकता हमारे अध्यापक लम्बे समय से महसूस करते थे। युनिवर्सिटी की नयी शैक्षिक नीति के अनुसार सब छात्राओं को अब प्रायोगिक काम भी करना पड़ता है इसलिए ऐसे ग्रन्थ की हमें आवश्यकता थी जो हमारे विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति कर सके।

हमें आनन्द है कि युनिवर्सिटी की हिन्दी अभ्यास समिति ने इस आह्वान को स्वीकार कर लिया और समिति के अध्यक्ष आचार्य जयेन्द्र त्रिवेदी एवं उनके सहयोगियों ने मिलकर ग्रन्थ के विभिन्न अध्याय लिखे। हमें इस बात का भी आनन्द है कि इलाहाबाद की सुप्रतिष्ठित प्रकाशन संस्था लोकभारती ने इस ग्रन्थ का युनिवर्सिटी की ओर से प्रकाशन करना योग्य समझा। ये सब हमारी बधाई के पात्र हैं। हमें आशा ही नहीं विश्वास भी है कि यह ग्रन्थ छात्राओं को बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

—कुलपति

एस० एन० डी० टी० विमेन्स युनिवर्सिटी
बम्बई—४०० ०२०

अनुक्रम

व्याकरण

डॉ० सुशीला गुप्ता
डॉ० पी० जयरामन

व्याकरण

F 1,

F 1/2,

व्याकरण की परिभाषा

भाषा का महत्त्व—

मनुष्य के भावों और विचारों के आदान-प्रदान का साधन है भाषा। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है। इसी प्रकार वह दूसरों के भावों और विचारों को भी भाषा के माध्यम से समझ सकता है। इसीलिये कहा गया है, "भाषा मानव-मन और मस्तिष्क का दर्पण है।" मन के भाव और मस्तिष्क के विचार भाषा के द्वारा प्रकट होते हैं। मानव के मन में परिस्थिति के अनुसार न जाने कितने भाव उत्पन्न होते हैं। मानव चिन्तनशील प्राणी है। अतः चिन्तन के द्वारा उसके मस्तिष्क में नाना प्रकार के विचार उद्‌भूत होते हैं। इन भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मानव को नैसर्गिक रूप में प्राप्त कई साधनों में भाषा सबसे महत्त्वपूर्ण है।

मानव संकेतों अथवा इशारों से भी अपने भावों एवं विचारों को प्रकट कर सकता है। जो लोग गूंगे या बहरे होते हैं वे अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने के लिए केवल संकेतों और अलग-अलग शारीरिक चेष्टाओं से काम लेते हैं। लेकिन इनसे पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। आदि-मानव भाषा के अभाव में संकेतों तथा चेष्टाओं से ही अपने भावों को अभिव्यक्त करता था। किन्तु इनसे सहज एवं पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो पाती थी। मानव संस्कृति एवं सभ्यता की दृष्टि से विकास करता गया। इसके साथ ही उसकी वाणी का भी विकास हुआ। तब भाषा ने जन्म लिया। भाषा भी वस्तुतः संकेतों तथा शारीरिक चेष्टाओं का ही विकसित रूप है। अव्यक्त संकेतों और चेष्टाओं से जब पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो पायी तब मानव ने अपने को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का निर्माण किया। मानव प्रगतिशील है और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नित्य-प्रति नयी-नयी वस्तुओं का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया का परिणाम है भाषा।

जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में मानव के मन में तरह-तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। किसी बात या विषय पर सोचते समय उसके मस्तिष्क में कई विचार जन्म लेते हैं। इन सबको केवल इशारों या संकेतों अथवा शारीरिक चेष्टाओं से प्रकट नहीं किया जा सकता। इसी अभाव की पूर्ति के लिए मनुष्य ने भाषा का निर्माण किया और उसका विकास करता गया। नयी-नयी परिस्थितियों तथा अवस्थाओं में भाषा के नये-नये रूप बने व समय-समय पर बदलते रहते हैं। यही कारण है कि भाषा में

परिवर्तन होते रहते हैं । इन परिवर्तनों के कारण भाषा के कई रूप बनते हैं । परिवर्तन की यह प्रक्रिया सहज और धीमी होती है । इस परिवर्तन के मूल में मनुष्य जीवन की परिस्थितियाँ और आवश्यकतायें होती हैं ।

भाषा ध्वनियों से बनती है । भाषा के प्रयोग के प्रमुख आधार कंठ और जीभ हैं । किन्तु भाषा के प्रयोग में मानव के शरीर के सभी अंगों का योगदान रहता है । शरीर के भीतर और बाहर की वायु का भी इसमें महत्त्वपूर्ण स्थान रहता है । किन्तु सुननेवाले की दृष्टि से बोलनेवाले के कंठ और जीभ का प्रमुखतम स्थान है । परन्तु भाषा के निर्माण के प्रमुख आधार ध्वनियाँ हैं और ध्वनियों के निर्माण में वायु का अत्यधिक महत्त्व है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बिना भावों एवं विचारों के अभिव्यक्ति के माध्यमरूप भाषा का निर्माण हो ही नहीं सकता । कहा भी गया है, "यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति" अर्थात् भाव या विचार जब उठते हैं तब वे वाणी द्वारा प्रकट होते हैं । अतः भाषा के निर्माण के संबंध में इस प्रकार कहा जा सकता है

"भाषा एक क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को वाग्यंत्रों से उत्पन्न वर्णात्मक या अक्षरात्मक ध्वनियों की सहायता से प्रकट करता है ।"

संक्षेप में भाषा भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का महत्त्वपूर्ण साधन है । साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि जब भावों एवं विचारों की बहुलता रहती है तब भाषा भी उन सबको प्रकट करने में पूर्णतः समर्थ नहीं होती; यही कारण है कि भाषा का प्रयोग करते समय विभिन्न शारीरिक चेष्टाओं एवं मुद्राओं की सहायता ली जाती है । किन्तु ये सब गौण हैं, भाषा प्रमुख है । भाषा के बिना मनुष्य का सामाजिक-जीवन संभव नहीं है; मानव-मानव में भाषा का व्यवहार न हो तो संबंध नहीं हो सकता, और परस्पर भावों एवं विचारों का विनिमय तथा संप्रेषण भी नहीं हो सकता । अतः मानव संस्कृति तथा सभ्यता के विकास के साथ-साथ भाषा का भी विकास होता रहता है ।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि मानव के जीवन में और उसके विकास में भाषा का कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है ।

भाषा का रूप

पहले संकेत किया गया है कि भाषा वर्णात्मक ध्वनियों से बनती है । किन्तु यह कहना उचित नहीं है कि ध्वनि ही भाषा है । भाषा एक संपूर्ण भाव या विचार को प्रकट करती है । ध्वनि मात्र नाद-संकेत है । मूल ध्वनियाँ नाना प्रकार की होती हैं । ध्वनियों से वर्ण बनते हैं । वर्णों के योग से शब्द बनते हैं । शब्दों के समूह द्वारा वाक्य बनते हैं । वाक्य से ही भाव या विचार संपूर्णतः अभिव्यक्त होते हैं । अतः भाषा का मूलाधार शब्द-समूह या वाक्य होता है । प्रत्यक्ष रूप में हमारे भावों या विचारों का आदान-प्रदान वाक्यों द्वारा ही होता है । कभी-कभी व्यवहार में हम देखते हैं कि एक-दो शब्दों के प्रयोग से भी संपूर्ण अभिव्यक्ति हो जाती है । तब हम उन शब्दों को भी वाक्य ही मानेंगे । जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया और हमने कहा, 'आइये' । यह एक ही शब्द है; फिर भी इससे यह अर्थ या पूर्ण भाव निकलता है, 'दरवाजा खुला है; अन्दर आइये' ।

इस प्रकार संपूर्ण भाव या विचार को प्रकट करनेवाली भाषा का मूलाधार वाक्य है। भाव या विचार भाषा के मूल में रहते हैं। भाषा वाक्य के द्वारा उनको व्यक्त करती है। वाक्य स्वभावतः शब्दों का समूह है।

वाक्य में शब्द होते हैं। शब्द सार्थक होते हैं। निरर्थक शब्दों या ध्वनि-समूह का भाषा में कोई महत्त्व नहीं रहता। किन्तु कभी-कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में आकर सार्थक हो जाते हैं। जैसे 'टन टन' का कोई अर्थ स्वयं नहीं होता। ये केवल ध्वनियाँ हैं। किन्तु जब हम कहते हैं, "घड़ी टन टन आवाज करती है" तब वह सार्थक हो जाता है। इसी प्रकार 'हिन-हिन' ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन 'घोड़ा हिनहिनाता है' कहने पर वह सार्थक हो जाता है। अतः भाषा सार्थक शब्दों का समूह होती है। सार्थक शब्द-समूह से ही भाव या विचार का अर्थ प्रकट होता है। अर्थ की अभिव्यक्ति ही भाषा की प्रमुख क्रिया है। यह भाषा का कथित रूप है। वाणी या ज़बान के द्वारा भाषा का जो प्रयोग होता है वह उसका कथित रूप है या बोलचाल का रूप है।

किन्तु भाषा के इस कथित रूप के अलावा उसका एक और भी रूप है जिसे 'लिखित' कहा जाता है। भाषा का कथित रूप मानव-मानव के बीच भाव या विचार के आदान-प्रदान का साधन है। यह भाषा का प्रत्यक्ष रूप है। बोलचाल के इस माध्यम का प्रयोग लिखित रूप में भी होता है। भाषा के इस लिखित रूप से भाव या विचार दूर-दूर तक पहुँचाये जाते हैं और साथ ही उन्हें भविष्य के लिए भी सुरक्षित किया जाता है। इस लिखित रूप में हर ध्वनि का एक संकेत-चिह्न होता है। इस चिह्न को वर्ण कहा जाता है। भाषा में काम आनेवाली जितनी ध्वनियाँ होती हैं उन सबके अलग-अलग संकेत-चिह्न होते हैं। इन तमाम चिह्नों को कुल मिलाकर वर्णमाला कहा जाता है। इन चिह्नों को हम लिपि कहते हैं। लिपि भाषा के लिखित रूप का साधन है। ध्वनियों को हम केवल सुन पाते हैं; किन्तु ध्वनि-चिह्नों को देख सकते हैं। ध्वनि-चिह्नों या वर्णमाला की सहायता से जो भाषा लिखी जाती है उसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। इस लिखित रूप के कारण भाषा को स्थिरता मिलती है।

भाषा का क्रमिक विकास मिलता है। मनुष्य ने अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने में संकेतों और आंगिक चेष्टाओं को अपूर्ण पाकर भाषा का बोलचाल का रूप या कथित रूप निर्मित किया। इस भाषा ने उसे अधिक सामाजिक बनाया। फिर मनुष्य ने अपने भावों एवं विचारों को दूर-दूर तक पहुँचाने और स्थायित्व प्रदान करने के लिये ध्वनि-चिह्नों या लिपि का निर्माण किया। इससे भाषा का लिखित रूप निर्मित हुआ, भाषा बोली और लिखी जाने लगी। इससे मनुष्य की और व्यापकता सिद्ध हुई।

भाषा वाक्यपरक होती है। वाक्य शब्दों का समूह होता है। शब्द वर्णों या ध्वनियों से बनता है। इस तरह ध्वनि एवं वाक्य भाषा के प्रमुख घटक हैं। इनके समन्वय से अर्थ-द्योतक भाषा भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का साधन बनती है।

व्याकरण क्या है ?

भाषा में तरह-तरह के वाक्यों की सहायता से हम अपने भावों एवं विचारों को भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रकट करते हैं। हर वाक्य में कई शब्द कई रूपों में आते हैं। शब्द के भिन्न-भिन्न रूपों से भावों एवं विचारों की विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्ति होती है। अतः शब्द के कई भेद एवं रूप होते हैं। एक ही शब्द से अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए कई और शब्द बनते हैं। शब्द के रूपभेद से अर्थभेद होता है। शब्द भी कई वर्णों या ध्वनियों के समन्वय से बनता है। इन सबका समाहार है भाषा। भाषा में ध्वनियों या वर्णों के शुद्ध एवं सही समन्वय से शब्दों का निर्माण हो और उन शब्दों का अर्थभेद तथा प्रसंगभेद के अनुसार उचित प्रयोग हो, तभी वांछित अर्थ प्रकट हो सकता है। अतः भाषा के शुद्ध रूप तथा प्रयोग की आवश्यकता होती है। भाषा को जब सही ढंग से बोला या लिखा जाएगा तब भाषा सार्थक होगी। अतः भाषा के हर अंग अर्थात् वर्ण या ध्वनि, शब्द एवं वाक्य के शुद्ध रूप तथा प्रयोग की अत्यन्त आवश्यकता है।

मनुष्य व्यवहार या प्रयोग से ही भाषा के अंगों के विभिन्न रूपों का निर्माण करता है। जब उनका शुद्ध रूप बन जाता है तब उसके लिए या उसे स्थायित्व देने के लिये नियमों का भी वह निर्माण करता है। ध्वनियों का रूप क्या होता है ? ध्वनियों का प्रयोग कैसे हो ? ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं ? ध्वनियों को कैसे जोड़ा जायगा ? ध्वनियों या वर्णों के योग से कैसे शब्द बनते हैं ? शब्दों का अर्थभेद और प्रसंगभेद के अनुसार रूपांतर कैसे होता है ? शब्दों के प्रसंगानुसार कितने भेद होते हैं ? शब्दों का शुद्ध प्रयोग क्या होगा ? शब्द कैसे वाक्य बनाते हैं ? अर्थ, प्रयोग आदि की दृष्टि से वाक्य के कितने रूप एवं भेद हो सकते हैं ? संक्षेप में वर्णों या ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों का शुद्ध रूप क्या है ? उनका शुद्ध प्रयोग कैसे हो सकता है ? इन सब बातों के लिए भाषा का निर्माता मनुष्य नियमों को भी बनाता है। इन्हीं नियमों को **व्याकरण** कहा जाता है। अर्थात् जिस शास्त्र में भाषा के विभिन्न घटकों के शुद्ध रूप तथा प्रयोग के नियमों की चर्चा होती है वह **व्याकरण** है।

व्याकरण का महत्व

पहले हम देखें कि इस शास्त्र का नाम 'व्याकरण' क्यों पड़ा।

'व्याकरण' शब्द बनता है वि+आकरण से। इनका अर्थ है विशेष या शुद्ध आकार प्रदान करना। जिस शास्त्र में भाषा के नाना घटकों के शुद्ध रूपों और प्रयोगों के नियम बनाकर उन्हें शुद्ध आकार प्रदान करने का प्रयास किया जाता है वह शास्त्र 'व्याकरण' है।

एक और शब्द है व्याक्रिया जिसका अर्थ है विशेष क्रिया या विश्लेषण। भाषा के घटकों की शुद्धता एवं स्थायित्व के नियमों का जिस शास्त्र में विश्लेषण किया जाता है। वह व्याकरण है।

व्याकरण शब्द का अर्थ 'अच्छी तरह समझाना' भी है। इस शास्त्र में भाषा के

घटकों के मानक रूपों और प्रयोगों को नियमों के आधार पर अच्छी तरह समझाया जाता है अतः इसे व्याकरण कहा जाता है ।

कुछ भी हो; इतना जरूर है कि व्याकरण भाषा के अधिक मान्य शुद्ध रूपों तथा प्रयोगों के लिए आवश्यक नियमों को प्रस्तुत करता है । मनुष्य जो भाषा बोलता है और लिखता है उसमें विषमता न हो, एक ही वर्ण या शब्द या वाक्य के प्रयोग में व्यक्ति-व्यक्ति में अन्तर न हो, बार-बार प्रयोग में परिवर्तन न आये अर्थात् भाषा के रूपों और प्रयोगों में एकरूपता और स्थिरता हो—इस दृष्टि से व्याकरण के नियम बनाये जाते हैं ।

वास्तव में भाषा का जन्म पहले होता है । जैसे-जैसे भाषा का विकास होता जाता है और भाषा के तरह-तरह के रूप एवं प्रयोग होने लगते हैं, भाषा के उन रूपों और प्रयोगों में एकरूपता लाने तथा उन्हें स्थिरता प्रदान करने के लिए व्याकरण-नियम बनते हैं । भाषा का विकास स्वाभाविक होता है । किन्तु व्याकरण का निर्माण सैद्धान्तिक, शास्त्रीय तथा कृत्रिम होता है । भाषा के स्वाभाविक स्वरूप को व्याकरण के नियमों से व्यवस्था दी जाती है ताकि वह सब जगह और सभी लोगों के बीच एक समान हो और उसमें बार-बार परिवर्तन न आये ।

इसका अर्थ यह नहीं है कि व्याकरण के नियमों को जानने पर ही कोई व्यक्ति भाषा का शुद्ध रूप सीख पायेगा । जिसकी जो मातृभाषा है उसका शुद्ध रूप उसे बचपन से अपने वातावरण में मिलता है । बिना कोई नियम जाने भी वह अपनी भाषा के शुद्ध रूप से परिचित रहता है । यह उसे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों से प्राप्त होता है । हाँ, व्याकरण के नियमों की जानकारी होने से भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी सुनिश्चित होती है । किन्तु प्रचलित भाषा की अपेक्षा अप्रचलित भाषा को सीखने में व्याकरण का महत्त्व अधिक है । क्योंकि अप्रचलित भाषा बोलचाल में नहीं रहती अतः उसके रूपों एवं प्रयोगों को सही और शुद्ध रूप से सीखने के लिए उस भाषा के व्याकरण-नियम अधिक उपयोगी होते हैं ।

प्रचलित या जीवित भाषा का जहाँ तक संबंध है, उसके प्रयोग में असावधानी से या भ्रमवश होनेवाले दोषों से बचने के लिए नियमों का जानना जरूरी है । वैसे नियम प्रचलित भाषा के व्यापक प्रयोग के आधार पर बनाये जाते हैं । शिष्ट समाज में भाषा के जो रूप एवं प्रयोग प्रचलित होते हैं उनके आधार पर उन रूपों और प्रयोगों को नियमबद्ध किया जाता है । अतः हिन्दी जैसी प्रचलित भाषाओं के व्याकरण के अध्यय का लाभ इस बात में है कि हम उन भाषाओं का कभी गलत प्रयोग नहीं करेंगे औ अशुद्ध प्रयोगों से हम बच सकेंगे । व्याकरण से भाषा के रूपों और प्रयोगों में स्थिरत और एकरूपता आयेगी और वे विकृत नहीं होंगे । व्यक्ति-भेद के अनुसार ध्वनियों उच्चारण में विकार आ सकता है । जैसे नमस्कार का उच्चारण नमश्कार या नमष्का के रूप में । इसी प्रकार उप कुलपति का उच्चारण उप् कुल् पति के रूप में होता है कहीं उच्चारण के अनुसार ही कोई उसे लिख भी न दे । 'आपके इच्छानुसार' की जग 'आपकी इच्छानुसार' का प्रयोग होता है जो गलत है । क्योंकि 'इच्छानुसार' क्रिय

विशेषण है जिसका कोई लिंग नहीं होता । किन्तु असावधानी से 'इच्छा' के स्त्रीलिंग होने के कारण 'की इच्छानुसार' लिखने की प्रथा कहीं-कहीं होती है । यह गलत प्रयोग और रूप का उदाहरण है । 'उसने काम किया है'—सही प्रयोग है । पर कुछ लोग गलती से बोलते और लिखते हैं—'उसने काम किया हुआ है ।' व्याकरण के नियम भाषा के रूपों और प्रयोगों में होनेवाली इन अशुद्धियों से हमें अवगत कराते हैं जिससे हम भविष्य में सावधानी बरत सकें । यहीं व्याकरण की महत्ता और उपादेयता है ।

व्याकरण और उसके विभाग

जैसे इसके पहले कहा गया है, भाषा के तीन घटक हैं—ध्वनि या वर्ण, शब्द एवं वाक्य । व्याकरण भाषा का शास्त्र है । अतः इसमें भाषा के इन तीन घटकों पर विचार किया जाता है । भाषा के इन तीन घटकों या अवयवों के शुद्ध रूपों और प्रयोगों पर विचार करनेवाले तीन भाग व्याकरण के होते हैं । इन्हें हम कहेंगे—

(क) वर्ण विचार
(ख) शब्द साधन और
(ग) वाक्य विन्यास

(क) वर्ण विचार—

व्याकरण के इस भाग में वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द बनाने के नियम दिये जाते हैं । ध्वनि एवं वर्ण एकार्थवाची हैं । किन्तु इतना भेद अवश्य किया जा सकता है कि ध्वनि उच्चरित होती है और उस ध्वनि को जब चिह्न के द्वारा लिखा जाता है तब वर्ण कहा जाता है । अतः हम आगे सुविधा के लिये एक ही शब्द 'वर्ण' का प्रयोग करेंगे । 'वर्ण विचार' खंड में ध्वनियों के भेद, उच्चारण की विधियाँ, स्थान भेद आदि तथा वर्ण समन्वय से होनेवाले शब्द-निर्माण इत्यादि पर विचार किया जाता है ।

(ख) शब्द साधन—

वर्णों के मेल से कई प्रकार के शब्द बनते हैं । उन शब्दों में शब्द-संयोग से तथा वाक्य में अर्थ की दृष्टि से स्थानभेद के अनुसार परिवर्तन होते हैं जिन्हें शब्द-रूपान्तर कहा जाता हैं । शब्दों के समन्वय से तरह-तरह के नये-नये शब्द बनाये जाते हैं । शब्दों के निर्माण, शब्द-रूप, शब्दों के रूपांतर, वाक्य में रचना की दृष्टि से शब्दों के प्रकार, अर्थ की दृष्टि से शब्द-भेद आदि पर 'शब्द साधन' खंड में विचार किया जाता है।

(ग) वाक्य विन्यास—

शब्दों से वाक्य बनता है । वाक्य कई प्रकार के होते हैं । वाक्य ही वह घटक है

जिससे पूरा विचार या विधान प्रकट होता है । वाक्य-निर्माण, वाक्य-भेद, वाक्य में शब्दों के परस्पर संबंध और शब्द-क्रम पर 'वाक्य विन्यास' खंड में विचार किया जाता है ।

इन तीनों खंडों अथवा विभागों का समन्वित रूप है व्याकरण, जो भाषा के शुद्ध रूपों और प्रयोजनों के नियम प्रस्तुत करता है ।

वर्ण विचार एवं ध्वनि विचार

ध्वनियों का वर्गीकरण—

जैसे पहले कहा गया है, ध्वनि वर्ण का उच्चरित रूप है । बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनमें कई ध्वनियों का समन्वय रहता है । हर अलग अलग ध्वनि को **वर्ण** कहा जाता है । उसे **मूल ध्वनि** कहा जाता है । उस मूल ध्वनि के और खंड नहीं हो सकते ।

जैसे, पुस्तक—यह एक शब्द है । इसमें तीन ध्वनियाँ हैं पु, स्त, क । किन्तु इन तीन ध्वनियों के और खंड हो सकते हैं; प् + उ, स् + त् + अ, क् + अ । उपर्युक्त तीन ध्वनियाँ मूल नहीं हैं । प् + उ + स् · त् + अ + क् + अ—ये मूल ध्वनियाँ हैं और इनके और खंड नहीं हो सकते ।

इसी तरह 'काम' में का + म ध्वनियाँ हैं; किन्तु क् + आ + म् + अ मूल ध्वनियाँ हैं ।

अ, इ, उ, क्, ख्, च्, ट् आदि मूल ध्वनियाँ हैं । क्योंकि इनके और खंड नहीं हो सकते । इन मूल ध्वनियों से वर्ण बनते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, क, च, ट आदि ।

वर्णमाला

वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है । हिन्दी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं : स्वर, व्यंजन ।

(अ) **स्वर** : स्वर उन ध्वनियों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में वायु फेफड़ों से उठकर बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है । इनके उच्चारण में जीभ या ओठ कहीं स्पर्श नहीं करते । इनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और ये ध्वनियाँ (या वर्ण) व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होती हैं ।

स्वर ग्यारह होती है ।

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ

इनके अलावा दो और स्वर वर्ण हैं : अं, अः

अं—अनुस्वार और

अः—विसर्ग कहलाते हैं ।

इन दोनों वर्णों को कुछ लोग व्यंजनों के साथ जोड़ते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में 'अ' स्वर की आवश्यकता होती है। किन्तु एक प्रमुख अंतर है। व्यंजन में पीछे स्वर आता है और इन दोनों में पहले। साथ ही स्वर वर्ण के उच्चारण की थोड़ी बहुत विशेषतायें इन दोनों में भी रहती हैं।

अ + ं = अं   क् + अ = क

अ + : = अः   च् + अ = च

अं और अः के उच्चारण में हवा का स्वतंत्र प्रवाह रहता है।

(ब) **व्यंजन**—व्यंजन उन ध्वनियों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वतंत्र न होकर स्वरों की सहायता से होता है। इन ध्वनियों के उच्चारण में मुख के अवयवों या भागों का एक दूसरे से स्पर्श होता है। इनके उच्चारण के समय बाहर निकलनेवाली वायु के मार्ग में बाधा पड़ती है और जैसे ही वह बाधा दूर हो जाती है, व्यंजन का उच्चारण होता है।

व्यंजन तैंतीस होते हैं :

क ख ग घ ङ
च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण   } २५
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व – ४
श ष स ह – ४
———
३३

स्वर रहित व्यंजन मूल होता है और उसे हलन्त कहा जहा जाता है। क्योंकि मूल व्यंजन 'क्' 'च्' आदि के साथ नीचे तिरछी रेखा ् लगायी जाती है। इस रेखा को हल् कहते हैं; अतः क्, च् आदि हलन्त कहलाते हैं।

स्वर के भेद

(क) उत्पत्ति के अनुसार स्वर दो प्रकार के होते हैं। यह विभेद उच्चारण काल की दृष्टि से किया जाता है। स्वर के दो प्रकार हैं—ह्रस्व और दीर्घ।

ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये स्वर मूलस्वर होते हैं। अ, इ, उ, ऋ

दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। ये कभी दो सजातीय स्वरों के मेल से और कभी दो विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। इन्हें संधि स्वर कहा जाता है।

सजातीय स्वरों के मेल से बननेवाले दीर्घ स्वर—

आ (अ+अ)
ई (इ+इ)
उ (उ+उ)

विजातीय स्वरों के मेल से बननेवाले दीर्घ स्वर—

ए (अ+इ)
ऐ (आ+ए)
ओ (अ+उ)
औ (आ+ओ)

विजातीय स्वरों के मेल से बननेवाले इन चार दीर्घ स्वरों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है।

(ख) जाति के अनुसार स्वरों के दो भेद होते हैं—

सवर्ण (सजातीय)
असवर्ण (विजातीय)

समान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होनेवाले स्वरों को सवर्ण कहते हैं।

अ, आ
इ, ई
उ, ऊ

जिन स्वरों के स्थान और प्रयत्न एक समान नहीं होते उन्हें असवर्ण कहते हैं।

अ, इ
अ, उ
इ, ऊ

(ग) उत्पत्ति-स्थान के अनुसार भी स्वरों का भेद किया जाता है। उसे व्यंजनों के साथ दिया गया है।

व्यंजन के भेद

(क) व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख में किसी न किसी स्थान पर रोककर निकाली जाती है। उस स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों के कई भेद किये जाते हैं। (इनमें स्वरों को भी स्थान भेद के अनुसार दिखाया गया है)

(i) कंठ्य—कंठ से उच्चारण —क, ख, ग, घ, ङ, ह
(स्वर—अ, आ, अः)

(ii) तालव्य—तालु से उच्चारण —च, छ, ज, झ, ञ, य, श
(स्वर—इ, ई)

(iii) मूर्धन्य — मूर्धा से उच्चारण — ट, ठ, ड, ढ, ण, र, ष
(स्वर — ऋ)

(iv) दन्त्य — ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से उच्चारण — त, थ, द, ध, न, ल, स

(v) ओष्ठ्य — ओठों से उच्चारण — प, फ, ब, भ, म
(स्वर — उ, ऊ)

(vi) अनुनासिक-नासिक्य-मुख और नासिका से उच्चारण—ङ, ञ, ण, न, म
(स्वर — अं)

(vii) कंठ-तालव्य — कंठ और तालु से उच्चारण — (स्वर — ए, ऐ)

(viii) कंठोष्ठ्य — कंठ और ओठों से उच्चारण — (स्वर — ओ, औ)

(ix) दंत्योष्ठ्य — दांतों और ओठों से उच्चारण—व

(ख) वर्णों के उच्चारण की रीति को **प्रयत्न** कहा जाता है। प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के तीन भेद हैं—

स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म

(i) जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय हमारी जीभ मुख के अंदर कहीं न कहीं स्पर्श करती है या ओठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उन्हें **स्पर्श** व्यंजन कहा जाता है। ये हैं—

'क' से लेकर 'म' तक के २५ वर्ण।

(ii) जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर और व्यंजन के उच्चारण के बीच की स्थिति रहती है उन्हें **अंतःस्थ** व्यंजन कहा जाता है। मुख के भीतर के भाग में जीभ का स्पर्श या ओठ का दांत से स्पर्श बहुत कम होता है।

य, र, ल, व

(iii) जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु घर्षण के साथ निकलती है और गरम हो जाती है उन्हें **ऊष्म** व्यंजन कहा जाता है—

श, ष, स, ह

(ग) प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद और हैं—

अल्पप्राण महाप्राण

(i) अल्पप्राण उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण में वायु का कम उपयोग होता है। इनके उच्चारण में अधिक जोर नहीं दिया जाता।

क, ग
च, ज
ट, ड
त, द
प, ब
य, र, ल, व

(सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं)

(ii) महाप्राण उन व्यंजनो को कहा जाता है जिनके उच्चारण में वायु का अधिक उपयोग होता है। इनके उच्चारण में अधिक जोर देना पड़ता है और 'ह' की ध्वनि सुनाई देती है।

ख, घ

छ, झ

ठ, ढ

थ, ध

फ, भ

श, ष, स, ह

(घ) वर्णों के उच्चारण के समय वागिन्द्रिय की स्थिति के आधार पर उनके चार भेद किये जाते हैं। यह विभाजन भी उच्चारण प्रयत्न के अनुसार किया जाता है।

प्रकार	**वागिन्द्रिय की स्थिति**	**वर्ण**
विवृत	खुला	सभी स्वर
ईषत् विवृत	थोड़ा-सा खुला	य, र, ल, व
स्पृष्ट	बंद	'क' से 'म' तक २५ वर्ण
ईषत् स्पृष्ट	थोड़ा-सा बंद	श, ष, स, ह

वागिन्द्रिय की जिस स्थिति का उल्लेख ऊपर किया गया है वह ध्वनि उत्पन्न होने के पहले की स्थिति है। इसे आभ्यंतर अर्थात् 'भीतरी प्रयत्न' कहा जाता है।

(ङ) ध्वनि के उच्चारण की परवर्ती स्थिति के अनुसार वर्णों के दो भेद किये जाते हैं।

(i) कुछ वर्णों के उच्चारण में साँस का उपयोग होता है; उनके उच्चारण में नाद नहीं होता। इन्हें **अघोष वर्ण** कहते हैं।

क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, ष, स और विसर्ग

(ii) जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है अर्थात् साँस नाद के साथ बाहर निकलती है उन वर्णों को **घोष** या **सघोष** वर्ण कहा जाता है।

ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न,

ब, भ, म, य, र, ल, व, ह और सभी स्वर

संयुक्ताक्षर

(i) व्यंजनों के साथ विभिन्न उच्चारणों के लिए स्वर जोड़े जाते हैं। स्वर का रूप व्यंजनों से मिलने पर परिवर्तित हो जाता है। उस परिवर्तित रूप को **मात्रा** कहा जाता है। प्रत्येक स्वर की मात्रा निम्न प्रकार है :

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ औ

ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ

'अ' की कोई मात्रा नहीं होती।

जब अनुस्वार और विसर्ग (अं, अ:) व्यंजनों से जोड़े जाते हैं तब क्रमशः व्यंजनों के ऊपर (कं) और व्यंजन के बाद (क:) आते हैं।

व्यंजनों के साथ जब स्वर की मात्रायें जोड़ी जाती हैं तब बारहखड़ी बनती है (अ की कोई मात्रा नहीं होती; अतः उसे छोड़कर बारह रूप बनते हैं।)

क का कि की कु कू के कै को कौ कं कः

अपवाद : र + उ = रु
र + ऊ = रू

(ii) व्यंजन दो प्रकार से लिखे जाते हैं—(1) खड़ी पाई के साथ (2) खड़ी पाई के बिना।

दो या तीन व्यंजनों को जब जोड़ा जाता है तब संयुक्ताक्षर बनते हैं उस समय पहले व्यंजन की खड़ी पाई हटा दी जाती है। (ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र—खड़ी पाई रहित है। शेष सभी व्यंजन खड़ी पाई के साथ हैं।)

च + च = च्च
म + ब = म्ब
न + त = न्त
त + न = त्न
ल + ल = ल्ल
स + म = स्म

खड़ी पाई रहित व्यंजनों के संयुक्ताक्षर जब बनते हैं तब अक्षरों को ऊपर-नीचे रखा जाता है—

ट + ट = ट्ट
द + द = द्द
ङ + क = ङ्क

इसके लिए अपवाद 'र' है। किसी व्यंजन के पहले 'र' आने पर संयुक्ताक्षर में परवर्ती व्यंजन के ऊपर ˚ (रेफ) लगाया जाता है।

कु + र + सी = कुर्सी
प – र + व = पर्व
क + र + ता = कर्ता

यदि खड़ी पाई वाले व्यंजन के बाद 'र' आता है तो पूर्ववर्ती व्यंजन के नीचे (रेफ) लगाया जाता है—

च + क + र = चक्र
न + म + र = नम्र
प + रा + णी = प्राणी

दूसरे व्यंजनों के नीचे 'र' का रूप ‸ हो जाता है—ष् + द् + र = ष्द्र,

ड+र=ड्र 'क' भी अपवाद है। इसमें खड़ी पाई होने के बावजूद संयुक्ताक्षर में उसे हटाया नहीं जाता। तब 'क' को 'व' कर दिया जाता है।

क+या = क्या
क+त = क्त
क+ल = क्ल

तीन संयुक्ताक्षर ऐसे हैं जिनके दो रूप होते हैं—

क्+ष= क्ष, क्ष
त्+र= त्र, त्र
ज्+ञ= ज्ञ, ज्ञ

किन्तु प्रयोग में केवल क्ष, त्र, ज्ञ ही प्रचलित हैं।

हिन्दी के संयुक्ताक्षरों में दो-तीन से अधिक व्यंजन नहीं होते।

स्वास्थ्य=स्+वा=स्वा
स्+थ्+य=स्थ्य
ज्योत्स्ना=ज्+यो=ज्यो
त्+स्+ना=त्स्ना
सामर्थ्य=र्+थ्+य=र्थ्य
निष्क्रिय=ष्+क्+रि=ष्क्रि

ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ, ह—संयुक्ताक्षर बनते समय ये सातों वर्ण बिना परिवर्तन के रहते हैं। इनके बाद के व्यंजन इनके नीचे जोड़ दिये जाते हैं—

ङ्+क=ङ्क (मयङ्क)
ड्+डी=ड्डी (हड्डी)
ट्+टी=ट्टी (पट्टी)

(प्रयोग में सुविधा के लिए इन संयुक्ताक्षरों को ऊपर नीचे लिखे बिना पूर्ववर्ण को हलन्त बनाकर दूसरे वर्ण को पूरा लिखा जाता है—

मयङ्क, हड्डी, पट्टी, उच्छ्वास)

ङ्, ञ्, ण्, न्, म्—अपने ही वर्ग के व्यंजनों से जोड़े जाते हैं। किन्तु प्रयोग में इनके स्थान पर अनुस्वार की मात्रा आ जाती है।

अङ्कुर=अंकुर ठण्डा=ठंडा दान्त=दांत
पाञ्च=पांच पण्डित=पंडित अम्बा=अंबा

संधि

संधि क्या है ?—

जब एक शब्द दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है तब पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में जो मेल होता है उसे संधि कहा जाता है।

शब्दों का संयोग समास कहलाता है और वर्णों का संयोग संधि। वर्णों की संधि होने पर उन वर्णों का प्राय: रूपान्तर होता है। दो वर्णों का परस्पर मेल हो और इस प्रक्रिया में उन वर्णों में परिवर्तन हो—इसे संधि कहा जाता है।

जैसे, देव + इन्द्र = देवेन्द्र

पूर्वाक्षर 'अ' (व् + अ = व) और परवर्ती अक्षर 'इ' का संयोग हुआ और वे मिलकर 'ए' हो गये। तब देवेन्द्र बना। इस प्रक्रिया का नाम है संधि।

अर्थ की दृष्टि से 'देव' शब्द और 'इन्द्र' शब्द का जो संयोग हुआ है (देवताओं का इन्द्र या देवताओं में इन्द्र) उसे समास कहा जाता है किन्तु 'व' के अंतिम अक्षर 'अ' और 'इ' का संयोग हुआ और इससे दोनों एक दूसरे से जुड़कर 'ए' हुए—इसे संधि कहते हैं। (समास पर आगे विस्तार से 'शब्द साधन' खंड में विचार करेंगे; क्योंकि समास शब्दों के परस्पर जुड़ने की क्रिया है।) संधि वर्णों की होती है।

संधि के भेद

संधि के तीन भेद हैं—

(१) स्वर संधि (२) व्यंजन संधि (४) विसर्ग संधि

(१) स्वर संधि

दो स्वरों के पास-पास आने से उनमें जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं।

राम + अवतार

राम् + अ + अ वतार = रामावतार

राम + ईश्वर

राम् + अ + ई श्वर रामेश्वर

स्वर संधि पाँच प्रकार की है—

(क) दीर्घ संधि (ख) गुण संधि (ग) वृद्धि संधि (घ) यण् संधि
(ङ) अयादि संधि

(क) दीर्घ संधि

इसमें दो सवर्ण स्वरों की संधि होती है। अर्थात् एक ही स्वर के ह्रस्व और दीर्घ रूप एक दूसरे के बाद आयें तो वे दोनों जुड़कर दीर्घ हो जाते हैं। सजातीय ह्रस्व और ह्रस्व स्वर, ह्रस्व और दीर्घ स्वर तथा दीर्घ और दीर्घ स्वर की संधि होती है। तब एक दीर्घ स्वर रहता है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं—

परम + अर्थ = परमार्थ (अ + अ = आ—ह्रस्व और ह्रस्व स्वर की संधि)
हिम + आलय = हिमालय (अ + आ = आ—ह्रस्व और दीर्घ स्वर की संधि)
सती + ईश = सतीश (ई + ई = ई—दीर्घ और दीर्घ स्वर की संधि)
विद्या + अभ्यास = विद्याभ्यास (आ + अ = आ—दीर्घ और ह्रस्व स्वर की संधि)

(ख) गुण संधि—

(i) अ या आ के बाद इ या ई हो तो दोनों की संधि 'ए' के रूप में होती है।

(ii) अ या आ के बाद उ या ऊ हो तो दोनों की संधि 'ओ' के रूप में होती है।

(iii) अ या आ के बाद ऋ हो तो दोनों की संधि 'अर' के रूप में होती है। इसे गुण संधि कहा जाता है।

उदाहरण : (i) देव + इन्द्र = देवेन्द्र (अ + इ = ए)
परम + ईश्वर = परमेश्वर (अ + ई = ए)
महा + इन्द्र = महेन्द्र (आ + इ = ए)
रमा + ईश्वर = रमेश (आ + ई = ए)
(ii) चन्द्र + उदय = चन्द्रोदय (अ + उ = ए)
महा + उत्सव = महोत्सव (आ + उ = ओ)
सागर + ऊर्मि = सागरोर्मि (अ + ऊ = ओ)
महा + ऊर्जा = महोर्जा (आ + ऊ = ओ)
(iii) देव + ऋषि = देवर्षि (अ + ऋ = अर्)
राजा + ऋषि = राजर्षि (आ + ऋ = अर्)

(ग) वृद्धि संधि—

(i) अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों की संधि 'ऐ' के रूप में होती है।

(ii) अ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों की संधि 'औ' के रूप में होती है।

इस संधि को वृद्धि संधि कहा जाता है।

उदाहरण : (i) एक + एक = एकैक (अ + ए = ऐ)
सदा + एव = सदैव (आ + ए = ऐ)
मत + ऐक्य = मतैक्य (अ + ऐ = ऐ)
महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य (आ + ऐ = ऐ)
(ii) जल + ओघ = जलौघ (अ + ओ = औ)
महा + ओषधि = महौषधि (आ + ओ = औ)
परम + औषध = परमौषध (अ + औ = औ)
महा + औदार्य = महौदार्य (आ + औ = औ)

(घ) यण् संधि—

इ, ई, उ, ऊ, या ऋ के बाद कोई विजातीय स्वर हो तो
इ और ई—य् के रूप में,
उ और ऊ—व् के रूप में,
ऋ —र् के रूप में बदल जाता है।

इस संधि को यण् संधि कहा जाता है। (इसमें पूर्ववर्ती इ, ई, उ, ऊ या ऋ का रूपांतर होता है, न कि परवर्ती विजातीय स्वर का।)

उदाहरण : यदि + अपि = यद्यपि (इ + अ = य)
इति + आदि = इत्यादि (इ + आ = या)
प्रति + उपकार = प्रत्युपकार (इ + उ = यु)
सु + आगत = स्वागत (उ + आ = वा)
अनु + एषण = अन्वेषण (उ + ए = वे)
पितृ + आज्ञा = पित्राज्ञा (ऋ + आ = रा)

(ङ) अयादि संधि—

ए, ऐ, ओ या औ के बाद कोई दूसरा स्वर हो तो उनके स्थान पर अय्, आय्, अव् या आव् हो जाता है। इसे अयादि संधि कहा जाता है।

उदाहरण : ने + अन = नयन (ए + अ = अय)
गै + अन = गायन (ऐ + अ = आय)
पो + अन = पवन (ओ + अ = अव)
नौ + इक = नाविक (औ + इ = आवि)

(२) व्यंजन संधि

पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो।
परवर्ती शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो।
इन दोनों की संधि को व्यंजन संधि कहा जाता है।
इस संधि में पूर्ववर्ती व्यंजन का रूपांतर होता है।

उदाहरण :

जगत् + ईश = जगदीश
षट् + आनन = षडानन
उत् + चारण = उच्चारण
भगवत् + भक्ति = भगवद्भक्ति

(३) विसर्ग संधि

पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग (:) हो और
परवर्ती शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो।
इन दोनों की संधि को विसर्ग संधि कहा जाता है।
इस संधि में विसर्ग का रूपान्तर होता है।

उदाहरण :

दु: + उपयोग = दुरुपयोग
नि: + आशा = निराशा
मन: + ताप = मनस्ताप
नि: + चेतन = निश्चेतन

अपवाद —

विसर्ग (:) और क, ख, प या फ की संधि में विसर्ग का रूपान्तर या लोप नहीं होता।

रज: + कण = रज:कण
अध: + पतन = अध:पतन
पुन: + फलित = पुन:फलित

समास

दो या अधिक शब्दों का अर्थ की दृष्टि से जब योग होता है और इस योग से एक स्वतंत्र शब्द बनता है तब उस शब्द को सामासिक या समस्त शब्द और दो या अधिक शब्दों के उस योग को समास कहा जाता है।

पास पास आनेवाले दो वर्णों के योग को **संधि** कहा जाता है।

दो या अधिक शब्दों के योग को **समास** कहा जाता है।

जब शब्दों का योग होता है तब उनमें संधि भी हो सकती है अर्थात् दो शब्दों के योग के समय प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के पहले वर्ण का जो मेल होता है उसे **संधि** कहा जाता है।

जैसे--राम--एक शब्द है।

अवतार--दूसरा शब्द है।

राम का अवतार--इस अर्थ के आधार पर राम और 'अवतार'--इन दो शब्दों का जो योग होता है अर्थात् दोनों शब्द मिलकर 'रामावतार' बनता है उसे **समास** कहते हैं।

किन्तु **राम**+अवतार में 'अ' और 'अ' मिलकर 'आ' हो जाता है। इस **वर्णयोग को स्वर संधि** कहते हैं।

सामासिक शब्द को अर्थ की दृष्टि से अलग-अलग कर दिखाने की क्रिया को **विग्रह** कहा जाता है।

जैसे देश-भक्ति = देश की भक्ति = **देशभक्ति** सामासिक शब्द है।

देश और भक्ति के योग की क्रिया समास है।

देशभक्ति--इस सामासिक शब्द को अर्थ की दृष्टि से अलग कर दिखाया जाता है 'देश की भक्ति' के रूप में या 'देश के प्रति भक्ति' के रूप में। इस प्रकार अलग-अलग कर दिखाने की क्रिया 'विग्रह' है।

अन्य उदाहरण--

इच्छा+अनुसार	= इच्छा के अनुसार	= इच्छानुसार
वन+वास	= वन में वास	= वनवास
गाय+बैल	= गाय और बैल	= गाय-बैल
दश+आनन	= दश आनन जिसके हों वह	= दशानन

समास के चार भेद हैं—

(१) अव्ययी भाव (२) तत्पुरुष (३) द्वन्द्व (४) बहुव्रीहि

(१) **अव्ययी भाव समास** में पहला शब्द प्रधान होता है और सामासिक शब्द पूर्णतः क्रियाविशेषण अव्यय हो जाता है।

(२) **तत्पुरुष समास** में दूसरा शब्द या अंतिम शब्द प्रधान होता है।

(३) **द्वन्द्व समास** में दोनों या सारे शब्द प्रधान होते हैं।

(४) **बहुव्रीहि समास** में कोई शब्द किसी संज्ञा का विशेषण हो जाता है।

उदाहरण—

(१) **अव्ययी भाव**—यथाविधि (विधि के अनुसार)—यहाँ 'यथा' प्रधान है। सामासिक शब्द क्रियाविशेषण है।

आजीवन (जीवन पर्यन्त) (आ = पर्यन्त, तक)—यहाँ आ प्रधान है। सामासिक शब्द क्रियाविशेषण है।

(२) **तत्पुरुष**—सिरदर्द (सिर का दर्द)—यहाँ दूसरा शब्द प्रधान है।
नील गाय (नीली गाय)—यहाँ दूसरा शब्द प्रधान है।

(३) **द्वन्द्व**—आजकल (आज और कल)—यहाँ दोनों शब्द प्रधान हैं।
दाल-रोटी (दाल और रोटी)—यहाँ दोनों शब्द प्रधान हैं।

(४) **बहुव्रीहि**—नीलकंठ (नीला कंठ जिसका हो वह महादेव)—यहाँ कोई शब्द प्रधान नहीं है, परन्तु सामासिक शब्द 'महादेव' का विशेषण है।

शांतचित्त (चित्त जिसका शांत हो वह व्यक्ति)—यहाँ कोई शब्द प्रधान नहीं हैं; परन्तु सामासिक शब्द 'व्यक्ति' का विशेषण है।

(१) अव्ययी भाव समास

इस समास में पहला शब्द प्रधान होता है और इस समास के बाद सामासिक या समस्त शब्द क्रियाविशेषण अव्यय हो जाता है।

यथासंभव
प्रतिदिन
निडर
भरपेट

(२) तत्पुरुष समास

इस समास में दूसरा (या अंतिम) शब्द प्रधान होता है। इसमें पहला शब्द प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है। इस सामासिक शब्द का विग्रह करने पर बीच में कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण कारकों की विभक्तियाँ आती हैं। समास होने पर इन विभक्तियों का लोप हो जाता है।

(i) **दो या अधिक शब्दों का जब तत्पुरुष समास होता है तब उनका विग्रह**

करने पर अलग-अलग शब्द के साथ अलग-अलग कारक विभक्ति लगती है। इस तत्पुरुष को **व्यधिकरण तत्पुरुष** कहा जाता है।

जैसे—राजपुत्र—राजा का पुत्र

राजा का—सम्बन्ध कारक

पुत्र —कर्ता कारक

देशभक्ति—देश की भक्ति

देश की—सम्बन्ध कारक

भक्ति—कर्ता कारक

बाढ़ग्रस्त—बाढ़ से ग्रस्त

बाढ़ से—करण कारक

ग्रस्त—कर्ता कारक

(ii) किन्तु जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर दोनों (सभी) शब्दों के साथ एक ही कारक विभक्ति लगती है उसे **समानाधिकरण कर्मधारय समास** कहा जाता है। इस सामासिक शब्द में पहला और दूसरा शब्द या तो विशेषण-विशेष्य या उपमान-उपमेय होते हैं।

जैसे—**महाराजा**—महान् + राजा

दोनों कर्ता कारक हैं। महान् विशेषण है; राजा विशेष्य है।

अंधविश्वास—अंधा + विश्वास

दोनों कर्ता कारक हैं। अंधा विशेषण है; विश्वास विशेष्य है।

चन्द्रमुख—चन्द्र जैसा मुख

दोनों कर्ता कारक हैं। चन्द्र उपमान है; मुख उपमेय है।

चरणकमल—कमल जैसा चरण

दोनों कर्ता कारक हैं। कमल उपमान है; चरण उपमेय है।

व्यधिकरण तत्पुरुष के छः कारक विभक्तियों के अनुसार छः भेद होते हैं।

कर्म तत्पुरुष	—स्वर्ग को प्राप्त	= स्वर्ग प्राप्त
	जेब को काटनेवाला	= जेबकट
करण तत्पुरुष	—श्रम से साध्य	= श्रमसाध्य
	मोह से अंधा	= मोहांध
संप्रदान तत्पुरुष	—रसोई के लिए घर	= रसोई घर
	आराम के लिए कुरसी	= आराम कुरसी
अपादान तत्पुरुष	—पद से मुक्त	= पदमुक्त
	जन्म से अंधा	= जन्मांध
सम्बन्ध तत्पुरुष	—गृह का स्वामी	= गृहस्वामी
	गणों का पति	= गणपति
अधिकरण तत्पुरुष	—ग्राम में वास	= ग्रामवास
	कवियों में श्रेष्ठ	= कविश्रेष्ठ

इनके अलावा तत्पुरुष समास के और भी भेद हैं जिनमें प्रमुख हैं द्विगु और नञ् समास।

द्विगु समास—जिस तत्पुरुष (कर्मधारय) समास में पहला शब्द संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। इसमें समस्त शब्द समुदाय-बोधक हो जाता है।

तिमाही = ति + माह = 'तीन महीनों का समूह' अर्थवाची।
सप्तपदी = सप्त + पद = 'सात पदों का समूह' अर्थवाची।

नञ् समास—अभाव या निषेध के अर्थ में शब्दों के पहले अ, अन् आदि लगाने से जो तत्पुरुष समास बनता है उसे नञ् तत्पुरुष कहते हैं।

अधर्म (न धर्म), अयोग्य (न योग्य), अनाचार (न आचार), अनहोनी (न होनी), नापसंद (न पसंद), नालायक (न लायक)

(३) द्वंद्व समास

इस समास में दोनों या सभी पद प्रधान होते हैं। इन समस्त पदों का विग्रह करने पर बीच में 'और', 'या' 'अथवा' आदि समुच्चयबोधक अव्यय आते हैं। जब समस्त शब्द बनता है तब इस अव्यय का लोप हो जाता है।

जैसे—आचार-विचार (आचार और विचार)
नाक-कान (नाक और कान)
तन-मन-धन (तन और मन और धन)
मोल-तोल (मोल और तोल)
पाप-पुण्य (पाप या पुण्य)
भला-बुरा (भला या बुरा)
उतार-चढ़ाव (उतार या चढ़ाव)
घट-बढ़ (घटना या बढ़ना)

इन सामासिक शब्दों में दोनों (या सभी) शब्द प्रधान हैं।

(४) बहुव्रीहि समास

इस समास में कोई शब्द प्रधान नहीं होता। समासयुक्त होकर समस्त शब्द किसी संज्ञा का विशेषण हो जाता है।

जैसे—चक्रपाणि —चक्र जिसके पाणि में हो वह विष्णु
स्वरांत —स्वर जिसके अंत में हो वह शब्द
इकतारा —एक तार जिसका हो वह वाद्य
राजीवनयन—राजीव से नयन जिसके हों वह श्रीराम

इन समासों में कोई शब्द प्रधान नहीं है। किन्तु समस्त या सामासिक शब्द किसी न किसी संज्ञा का विशेषण हो गया है।

टिप्पणी—कभी-कभी एक ही सामासिक शब्द कई समासों का उदाहरण बन सकता है। जैसे, सत्यव्रत—सत्य और व्रत—द्वन्द्व

सत्य ही व्रत—कर्मधारय

(समानाधिकरण तत्पुरुष)

सत्य का व्रत—व्यधिकरण तत्पुरुष

सत्य जिसका व्रत है वह व्यक्ति—बहुव्रीहि

तात्पर्य यह है कि अर्थ की दृष्टि से सामासिक शब्द का जैसा विग्रह किया जाता है उसके अनुसार उसका समास माना जाता है।

शब्द-भेद

शब्द की परिभाषा—

एक या एक से अधिक अक्षरों के योग से बनी हुई स्वतन्त्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे—रुपया, वह, पढ़ना, सुन्दर, सामने आदि ।

रुपया शब्द 'रु', 'प' और 'या' अक्षरों के योग से बना और है इससे एक विशिष्ट अर्थ का बोध होता है । इसी प्रकार 'वह', 'पढ़ना', 'सुन्दर', 'पुस्तक' और 'सामने' भी विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं ।

शब्द विचारों के वाहक होते हैं, हम उनके द्वारा अपनी बातें दूसरों तक पहुँचाते हैं । सार्थक ध्वनियाँ ही विचारों का प्रकाशन करती हैं, निरर्थक ध्वनियाँ नहीं । 'रुपया' शब्द से उस विशिष्ट वस्तु का बोध होता है, जिससे हम अपनी आवश्यक वस्तुएँ खरीदते हैं, परन्तु 'कचप' या 'जोटो' के द्वारा हमें किसी विशेष भाव, विचार या वस्तु का बोध नहीं होता, अतः ये निरर्थक ध्वनियाँ हैं । सार्थक ध्वनियाँ ही हमारे विचारों की वाहक होती हैं, अतः वे ही शब्द कहलाती हैं । शब्द के दो भेद—सार्थक और निरर्थक माने जाते हैं, परन्तु निरर्थक शब्द वाक्य में आकर सार्थक रूप ग्रहण करें, तभी हम उन्हें शब्द के रूप में स्वीकार करते हैं, अन्यथा वे शब्द नहीं माने जाते, मात्र ध्वनि रह जाते हैं । उदाहरणार्थ—'सुभाष बहुत चबड़-चबड़ करता है' में 'चबड़-चबड़' यद्यपि निरर्थक ध्वनि है, परन्तु प्रस्तुत वाक्य में इसका बहुत बोलने के अर्थ में प्रयोग हुआ है, अतः यह शब्द है ।

सार्थक ध्वनि स्वतन्त्र रूप में प्रयुक्त होने पर ही शब्द कहलाती है । परतन्त्र ध्वनि को शब्द नहीं, वरन् शब्दांश कहते हैं । शब्द के पूर्व जोड़ा जानेवाला शब्दांश उपसर्ग कहलाता है और शब्द के अन्त में जुड़नेवाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है, जैसे—'अपवित्रता' शब्द में 'अ' उपसर्ग है और ता प्रत्यय है । मुख्य शब्द पवित्र है ।

शब्द-भेद

हिन्दी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतया चार दृष्टियों से किया जाता है :—

(१) व्युत्पत्ति की दृष्टि से ।
(२) अर्थ की दृष्टि से ।

(३) रचना की दृष्टि से।
(४) व्याकरण (प्रयोग) की दृष्टि से।

व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण करने के पूर्व हमारे लिए अन्य दृष्टियों से शब्दों के भेद जान लेना उपयोगी होगा।

(१) व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द-भेद

व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिन्दी भाषा में पाँच प्रकार के शब्द हैं :—
तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशी और संकर।

(१) **तत्सम शब्द**—संस्कृत के शब्द, जो अपने मूल रूप में हिन्दी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे—ऋतु, बुद्धि, ज्ञान, स्वास्थ्य आदि।

तत्सम = तत् + सम। तत् का अर्थ है वह और सम का अर्थ है समान, इस प्रकार तत्सम का अर्थ हुआ—उसके (संस्कृत के) समान। हिन्दी में संस्कृत के अनेक शब्दों को ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लिया गया है।

(२) **तद्भव शब्द**—संस्कृत के वे शब्द, जो उच्चारण के सुविधानुसार बदल-कर (बिगड़कर) हिन्दी में आ गये हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे—कान्हा (कृष्ण), खेत (क्षेत्र), आग (अग्नि), हाथ (हस्त) आदि।

तद्भव = तत् + भव। तत् का अर्थ है वह और भव का अर्थ है उत्पन्न, इस तद्भव का अर्थ हुआ—उससे (संस्कृत से) उत्पन्न। हिन्दी के तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों के ही परिवर्तित या विकृत रूप हैं।

(३) **विदेशी शब्द**—जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से आकर हिन्दी भाषा में मिल गये हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं।

उदाहरण—

अरबी—असर, औरत, इशारा, ईद, मुल्ला आदि।
फारसी—आराम, आसमान, चालाक, दीवार, मजदूर, आदि।
तुर्की—उर्दू, कुली, चाकू, बहादुर, लाश आदि।
चीनी—चाय, लीची आदि।
जापानी—झम्पान, रिक्शा आदि।
अंग्रेजी—कोर्ट, पुलिस, कालेज, लाइब्रेरी, सूटकेस आदि।
पुर्तगाली—आलपीन, गमला, तम्बाकू, पाव (रोटी), बाल्टी आदि।
फ्रांसीसी—अंग्रेज, कूपन, लाम, फ्रांसीसी आदि।
डच—तुरुप, बम आदि।
रूसी—रूबल, जार, वोदका, स्पुतनिक, सोवियत आदि।

(४) **देशी या देशज शब्द**—जो शब्द न तत्सम हैं, न तद्भव हैं और न विदेशी

हैं, वरन् अपने देश में बने और प्रचलित हुए हैं उन्हें देशी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे—लोटा, पगड़ी, पीतल, लकड़ी, पापड़ आदि।

(५) **संकर शब्द**—जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं, उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी, डाकखाना, फिल्मीकरण, बम-वर्षा, टिकट-घर आदि।

(२) अर्थ की दृष्टि से शब्द-भेद

वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द भिन्न-भिन्न प्रसंगों में भिन्न-भिन्न अर्थों का ज्ञान कराते हैं। अर्थों की इसी विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शब्दों के तीन भेद किये गये हैं :—

(१) वाचक (२) लक्षक (३) व्यंजक।

(१) **वाचक शब्द**—बोलचाल में प्रचलित और साधारण अर्थ का बोध करानेवाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे 'आकाश में चिड़िया उड़ती है' वाक्य में 'आकाश' और 'चिड़िया' वाचक शब्द हैं। वाचक शब्द से प्रकट होनेवाला अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है।

(२) **लाक्षणिक शब्द**—बोलचाल में प्रचलित साधारण अर्थ को छोड़कर उससे सम्बन्धित किसी अन्य अर्थ का बोध करानेवाले शब्द लाक्षणिक शब्द कहलाते हैं जैसे 'हमारे यहाँ तो अनेक जयचन्द हैं' वाक्य में जयचन्द शब्द लाक्षणिक शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ है देशद्रोही। लाक्षणिक शब्द से प्रकट होनेवाला अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है।

(३) **व्यंजक शब्द**—वाचक तथा लाक्षणिक शब्दों द्वारा बताये गये अर्थ से भिन्न किसी सांकेतिक या गूढ़ अर्थ का बोध करानेवाले शब्द व्यंजक शब्द कहलाते हैं। जैसे 'पाँच बज गये' वाक्य का अर्थ यह है कि आफिस बन्द हो रहा है और घर जाने का समय हो गया है। व्यंजक शब्द से प्रकट होनेवाला अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है। वास्तव में व्यंग्यार्थ एक शब्द का नहीं, पूरे वाक्य का अभिप्राय होता है।

यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि संदर्भ के अनुसार व्यंग्यार्थ बदलता रहता है। पाँच बज गये वाक्य का अर्थ आफिस बन्द होने के सन्दर्भ में घर जाने के समय के अर्थ में होगा तो परीक्षा-भवन में समय की समाप्ति की ओर संकेत करेगा।

अर्थ की दृष्टि से हिन्दी शब्दों को कई वर्गों में बाँटा जा सकता है—

(१) **एकार्थी शब्द**—एकार्थी शब्द का एक ही अर्थ होता है। जैसे—

भारतवर्ष, चावल, गीत, शत्रु आदि।

(२) **अनेकार्थी शब्द**—अनेकार्थी शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे—'सोना' का एक अर्थ है शयन करना तो दूसरा अर्थ है स्वर्ण। अकाल, (अकाल मृत्यु, अकाल से मृत्यु), उत्तर (बम्बई के उत्तर में, प्रश्न का उत्तर, उत्तर काल), हार (फूलों का हार सेना की हार) आदि ऐसे ही अनेकार्थी शब्द हैं।

(३) **पर्यायवाची शब्द**—एक ही अर्थ का बोध करानेवाले भिन्न-भिन्न शब्द

पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे—जल, नीर, सलिल, वारि आदि शब्द 'पानी' के पर्यायवाची शब्द हैं।

(४) **विपरीतार्थक शब्द**—परस्पर एक दूसरे के विरोधी अर्थ प्रकट करनेवाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे—यश-अपयश, लौकिक-अलौकिक, हिंसा-अहिंसा, भला-बुरा, बड़ा-छोटा आदि।

(५) **समरूप भिन्नार्थक शब्द**—आकार और ध्वनि की दृष्टि से मिलते-जुलते, किन्तु भिन्न-भिन्न अर्थ का बोध करानेवाले शब्द समरूप भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे—कर्म-क्रम, गृह-ग्रह, परदेश-प्रदेश, उपहार-उपाहार आदि।

(६) **पूरे वाक्यांश का अर्थ देनेवाले शब्द**—लम्बी-चौड़ी बात को संक्षिप्त रूप देने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे—प्रजा द्वारा चलाये जानेवाले राज्य को 'प्रजातन्त्र' कहा जाता है।

(७) **ध्वनि-बोधक शब्द**—जीवों द्वारा की जानेवाली ध्वनियों तथा विभिन्न वस्तुओं से उत्पन्न ध्वनियों को ध्वनि-बोधक शब्द कहते हैं। जैसे—'वह दाँत किट-किटाता है' में 'किटकिटाना' ध्वनि-बोधक शब्द है।

उपर्युक्त शब्दों के अतिरिक्त समूहवाची शब्द (सेना, संघ आदि) और युग्म शब्द (घर-घर, गली-गली आदि) भी होते हैं, जिनका हिन्दी में बहुतायत से प्रयोग होता है।

(३) रचना की दृष्टि से शब्द-भेद

रचना अथवा बनावट की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं—

(१) रूढ़ (२) यौगिक (३) योगरूढ़।

(१) **रूढ़ शब्द**—जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सकें, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे—घोड़ा, पानी कुर्सी, घर आदि।

(२) **यौगिक शब्द**—जब किसी रूढ़ शब्द के साथ कोई सार्थक शब्द या शब्दांश जुड़ता है, तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे—पाठशाला, मानवता, सहकारी, हुतात्मा आदि।

(३) **योग रूढ़ शब्द**—जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी वस्तु-विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे—जलद, पंकज, चारपाई, जमादार आदि।

[यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय और समास के द्वारा होती है। उप-सर्ग शब्द के आरम्भ में जोड़े जाते हैं (उपकार में 'उप' उपसर्ग है), प्रत्यय शब्द के बाद में आता है (मित्रता में 'ता' प्रत्यय है) और समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है (राजपुत्र = राजा का पुत्र)।]

(४) व्याकरण (प्रयोग) की दृष्टि से शब्द-भेद

मनुष्य की भावनाएँ अनन्त हैं। हम भिन्न-भिन्न भावनाओं के लिए भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हम वर्षा के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं। प्रस्तुत भावना के लिए हम 'वर्षा' शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर हम यदि वर्षा होने के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहें तो इस भावना के लिए कहेंगे 'हुई'। इस प्रकार दो भावनाओं के लिए हम दो शब्द—'वर्षा और 'हुई'—प्रयोग में लाकर पूरी बात व्यक्त करते हैं, यही वाक्य है। यदि हम अन्य भावनाओं द्वारा वर्षा के होने का समय व्यक्त करना चाहें, तो कहेंगे, "आज वर्षा हुई।" कब ?—प्रश्न के उत्तर में हम 'आज' भावना का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार पूरी बात तीन भावनाओं द्वारा व्यक्त होती है और इन तीनों भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्द 'आज', 'वर्षा' और 'हुई' मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं—'आज वर्षा हुई।'

यदि हम 'हुई' शब्द में परिवर्तन करके किसी और काम का बोध कराना चाहें, तो हमें 'हुई' शब्द के बदले 'होगी' या 'हो रही है' कहना पड़ेगा। शब्दों के रूपान्तर द्वारा ही हम अपनी पूरी बात कह पाते हैं।

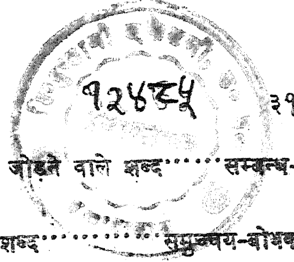
शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए इस शब्द के रूप में जो हेर-फेर किया जाता है, उसे रूपान्तर कहते हैं। हुई, होगी, हो रही है—एक ही शब्द (होना) के रूपान्तर हैं।

शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर अनेक रूप धारण करते हैं, तो पद कहलाते हैं। शब्द जब तक स्वतन्त्र रूप से केवल भावना को प्रदर्शित करते हैं, तभी तक शब्द रहते हैं। जब अनेक भावनाओं को व्यक्त करने वाले अनेक शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं, तो वाक्य में प्रयुक्त होकर वे शब्द 'पद' हो जाते हैं। उदाहरणार्थ 'पुस्तक' शब्द है, परन्तु जब हम इसका प्रयोग वाक्य में करते हैं और कहते हैं, 'पुस्तक लाओ' या पुस्तकों की कीमत बताओ या पुस्तकें पुरानी हैं, तो पुस्तक के ये विभिन्न रूप—पुस्तक पुस्तकों और पुस्तकें—पद हैं। केवल एक भावना को व्यक्त करने वाला शब्द 'पुस्तक' मात्र शब्द है, परन्तु 'पुस्तक लाओ' वाक्य में 'पुस्तक' पद है।

उदाहरणों को देखने से पता लगता है कि समस्त शब्द एक ही रीति से रूपान्तरित नहीं होते और न ही सभी शब्द रूपान्तरिक ही होते हैं। 'पुस्तक' शब्द में परिवर्तन हो सकता है, पर 'यथा' 'सामने' 'हाय !' में परिवर्तन नहीं हो सकता।

वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के आठ भेद होते हैं—

(१) नाम बतानेवाले शब्द··············संज्ञा (पुस्तक, सरिता)
(२) संज्ञा के बदले आनेवाले शब्द···········सर्वनाम (मैं, वह)
(३) संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द···विशेषण (अच्छा, बुरा)
(४) वस्तुओं के सम्बन्ध में विधान करने वाले शब्द······क्रिया (आया, गया)
(५) क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द······क्रिया-विशेषण (अब, तब)



(६) क्रिया से नामार्थक शब्दों का सम्बन्ध जोड़ने वाले शब्द······सम्बन्ध-सूचक (के सामने)

(७) दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द··········समुच्चय-बोधक (और, या)

(८) केवल मनोविकार सूचित करने वाले शब्द··········विस्मयादि-बोधक (अरे ! अहो !)

निम्नलिखित वाक्य में शब्द के आठों भेदों के उदाहरण देखे जा सकते हैं—

अरे ! माननीय अतिथि आ गये और तुम अभी दर्पण के सामने बैठे हो !

अरे !··········विस्मयादि-बोधक (मनोविकार सूचित करता है)

माननीय········विशेषण (अतिथि की विशेषता बताता है)

अतिथि········संज्ञा (नाम सूचित करता है)

आ गये········क्रिया (अतिथि के सम्बन्ध में विधान करता है)

और··········समुच्चय-बोधक (दो वाक्यों को जोड़ता है)

तुम··········सर्वनाम (नाम के बदले आया है)

अभी··········क्रिया-विशेषण ('बैठे हो' क्रिया की विशेषता बताता है)

दर्पण··········संज्ञा (नाम सूचित करता है)

के सामने········सम्बन्ध-सूचक (दर्पण का सम्बन्ध 'बैठे हो' क्रिया से जोड़ता है)

बैठे हो········क्रिया (तुम के सम्बन्ध में विधान करता है)

रूपान्तर के आधार पर उपर्युक्त आठों भेदों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—(१) विकारी (२) अविकारी।

(१) **विकारी**—जिन शब्दों के रूप में विकृति (परिवर्तन) लाई जा सकती है, इन्हें विकारी शब्द कहते हैं; जैसे—लड़की (लड़कियाँ, लड़कियों, लड़के, लड़कों आदि), बच्चा (बच्चे, बच्चों, बच्ची, बच्चियों आदि), चलना (चलता है, चलती है, चलेगा, चलेगी, चल रहा है, चल चुका है आदि) और अच्छा (अच्छी, अच्छे आदि) आदि। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी हैं।

(२) **अविकारी**—जिन शब्दों के रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, इन्हें अधिकारी शब्द कहते हैं। जैसे—किन्तु, तथा, भीतर, अरे ! आदि। क्रिया-विशेषण सम्बन्ध-बोधक, समुच्चय-बोधक और विस्मयादि-बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं।

अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का अर्थ है, जिसका व्यय (परिवर्तन या हेर-फेर) न हो। जो सब लिंगों में एक-सा रहे और सभी विभक्तियों तथा वचनों में जो रूपान्तरित न हो, वह अविकारी शब्द या अव्यय है।

प्रश्न और अभ्यास

१. शब्द किसे कहते हैं ? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

२. शब्द और शब्दांश का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

३. उपसर्ग और प्रत्यय का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

४. अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? उदाहरण देकर समझाइए।

५. तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

६. तत्सम और तद्भव में क्या अन्तर है? उदाहरण देकर समझाइए।

७. रचना या बनावट की दृष्टि से शब्दों के प्रकार लिखिए और उदाहरण देकर उनको स्पष्ट कीजिए।

८. निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए—

पंछी, मूरत, सब, सूत, जीभ, अचरज, आँसू, बात, तीखा, कपूर, भीख, दस, लाज, सोना, चाम, मामा, मीत।

९. निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज और संकर शब्द छाँटकर लिखिए—

शृङ्खला, सत्य, शुष्क, आधा, लोटा, चूहा, प्रिंसिपल, रेल, जिलाधीश, फूलदान, रेलगाड़ी, दुग्ध, औरत, चाय, रुबल।

१०. निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द—छाँटकर लिखिए—

घोड़ा, मेज, जलद, मानवता, उपकार, चारपाई, हुतात्मा, धर्मात्मा, स्वर्गीय, पीताम्बर, त्रिनेत्र, पंकज।

११. शब्द और पद का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

१२. व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के भेद उदाहरण सहित लिखिए।

१३. रूपान्तर किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए।

१४. अविकारी और विकारी में क्या अन्तर है? उदाहरण देकर समझाइए।

१५. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए—

(क) सोना और हार के अनेकार्थी शब्द।
(ख) जल के पर्यायवाची शब्द।
(ग) जय और हिंसा के विपरीतार्थक शब्द।
(घ) प्रसाद-प्रासाद के भिन्न-भिन्न अर्थ।

१६. केवल 'हाँ' या 'नहीं' में उत्तर लिखिए—

(क) रात-भर बिल्ली चूँ-चूँ करती रही। ( )
(ख) 'कृष्ण' तत्सम शब्द है। ( )
(ग) 'राष्ट्रपति' संकर शब्द है। ( )
(घ) सूरज का तत्सम रूप 'सूर्य' है। ( )
(च) 'चश्मा' विदेशी शब्द है। ( )
(छ) हिन्दी में विदेशी शब्द सबसे अधिक चीनी भाषा से लिये गये हैं। ( )
(ज) 'स्नानघर' रूढ़ शब्द है। ( )

(झ) 'पंजाब शेर है' में 'शेर' लक्षक शब्द है। ( )
(ट) 'राकेश' चन्द्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ( )
(ठ) 'आय 'का' व्यय' विपरीतार्थक शब्द है। ( )

१७. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(अ) 'राम और श्याम बैठे हैं' वाक्य में 'और' शब्द दो······को तोड़ता है।

(ब) संज्ञा के बदले आनेवाले शब्द को······कहते हैं।

(स) 'मोहन' शब्द संज्ञा है, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति के······का बोध होता है।

(द) मनोविकार सूचित करने वाले शब्द······कहलाते हैं।

(य) 'अब जाओ' में 'अब' शब्द क्रिया-विशेषण है, क्योंकि यह········ शब्द की विशेषता बतलाता है।

१८. किसी ऐसे वाक्य की रचना कीजिए, जिसमें आठों शब्द-भेद सम्मिलित हों।

१९. निम्नलिखित शब्दों में से विकारी और अविकारी शब्द छाँटिए—

कभी, सीता, बुरा, नीचे, अहा, भी, पुस्तक, वह, अपना और जाओ।

संज्ञा

संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। जिस शब्द से किसी नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। यह नाम किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति (प्राणी) या भाव का हो सकता है। जैसे—

पुस्तक अच्छी है।
दिल्ली भारत की राजधानी है।
सुमित्रा कालेज जाती है।
किसी की **बुराई** मत करो।

उपर्युक्त वाक्यों में 'पुस्तक', 'दिल्ली', 'सुमित्रा' और 'बुराई' क्रमशः वस्तु, स्थान, व्यक्ति और भाव के नाम हैं, अतः ये शब्द संज्ञाएँ हैं।

यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संज्ञा शब्द का प्रयोग वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के लिए नहीं वस्तु क्रमशः वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम के लिए होता है। जो पुस्तक अच्छी है, वह संज्ञा नहीं है, वरन् वस्तु है और उस वस्तु का नाम 'पुस्तक' संज्ञा है।

संज्ञा के भेद

संज्ञा के पाँच भेद हैं—

(१) व्यक्तिवाचक संज्ञा (२) जातिवाचक संज्ञा (३) भाववाचक संज्ञा (४) समूहवाचक संज्ञा (५) द्रव्यवाचक संज्ञा।

(१) **व्यक्तिवाचक संज्ञा**—जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—

सुजाता पढ़ती है।
रामायण का अध्ययन कीजिए।
हिमालय हमारे देश का मस्तक है।
भारत सुन्दर देश है।

उपर्युक्त वाक्यों में 'सुजाता', 'रामायण', 'हिमालय' और 'भारत' शब्द व्यक्ति-वाचक संज्ञाएँ हैं।

सुजाता कहने से केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है, प्रत्येक लड़की को हम सुजाता नहीं कह सकते, असंख्य पुस्तकों में से एक ही पुस्तक का नाम रामायण है, इसी प्रकार हिमालय और भारत क्रमशः एक ही पर्वत और देश के नाम हैं।

देशों व नगरों के नाम, नदियों और समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, पुस्तकों और समाचार-पत्रों के नाम, व्यक्तियों के नाम, दिशाओं, दिनों, महीनों, त्योहारों आदि के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्तर्गत आते हैं।

(२) **जातिवाचक संज्ञा**—जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की बहुत-सी वस्तुओं का (पूरी जाति का) बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—

कक्षा में से **लड़की** को बुलाओ।
तुम किस **देश** के वासी हो?
हमारे देश में कई **पर्वत** हैं।
नदी में बाढ़ आई है।

उपर्युक्त वाक्यों में 'लड़की', 'देश', 'पर्वत' और 'नदी' शब्द जातिवाचक संज्ञाएँ हैं।

यदि हम कक्षा में से लड़की को बुलायें तो कोई भी लड़की आ सकती है, परन्तु यदि हम सुजाता को बुलायें, तो केवल सुजाता ही आयेगी, दूसरी कोई लड़की नहीं। सुजाता केवल एक लड़की का नाम है, इसलिए 'सुजाता' व्यक्तिवाचक संज्ञा है; परन्तु लड़की से पूरी जाति का बोध होता है, अतः 'लड़की' शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार 'देश', 'पर्व' और 'नदी' शब्द पूरी जाति का बोध कराते हैं अतः ये शब्द जातिवाचक संज्ञाएँ हैं।

(३) **भाववाचक संज्ञा**—जिस संज्ञा से किसी गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—

उसकी **सुन्दरता** देखकर हम चकित रह गये।
हमारी **मित्रता** अक्षुण्ण है।
स्मिता की **पढ़ाई** अच्छी चल रही है।
देश के लिए हमारा **यौवन** समर्पित है।

उपर्युक्त वाक्यों में 'सुन्दरता', 'मित्रता', 'पढ़ाई' और 'यौवन' शब्द भाववाचक संज्ञाएँ हैं। 'सुन्दरता' एक गुण है, जिसका ज्ञान इन्द्रियों से नहीं, मन से होता है। इसी प्रकार 'मित्रता', 'पढ़ाई' और 'यौवन' हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, त्वचा से उनका स्पर्श नहीं किया जा सकता और कानों से उन्हें सुना नहीं जा सकता; उनकी केवल मन द्वारा अनुभूति हो सकती है। ऐसे शब्द जिनका बोध इन्द्रियों द्वारा नहीं वरन् मन द्वारा होता है, भाववाचक संज्ञाओं के अन्तर्गत आते हैं।

(४) **समूहवाचक संज्ञा**—जिन संज्ञा से प्राणियों या पदार्थों के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—

संज्ञा

संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। जिस शब्द से किसी नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। यह नाम किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति (प्राणी) या भाव का हो सकता है। जैसे—

पुस्तक अच्छी है।
दिल्ली भारत की राजधानी है।
सुमित्रा कालेज जाती है।
किसी की **बुराई** मत करो।

उपर्युक्त वाक्यों में 'पुस्तक', 'दिल्ली', 'सुमित्रा' और 'बुराई' क्रमश: वस्तु, स्थान, व्यक्ति और भाव के नाम हैं, अत: ये शब्द संज्ञाएँ हैं।

यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संज्ञा शब्द का प्रयोग वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के लिए नहीं वस्तु क्रमश: वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम के लिए होता है। जो पुस्तक अच्छी है, वह संज्ञा नहीं है, वरन् वस्तु है और उस वस्तु का नाम 'पुस्तक' संज्ञा है।

संज्ञा के भेद

संज्ञा के पाँच भेद हैं—

(१) व्यक्तिवाचक संज्ञा (२) जातिवाचक संज्ञा (३) भाववाचक संज्ञा (४) समूहवाचक संज्ञा (५) द्रव्यवाचक संज्ञा।

(१) **व्यक्तिवाचक संज्ञा**—जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—

सुजाता पढ़ती है।
रामायण का अध्ययन कीजिए।
हिमालय हमारे देश का मस्तक है।
भारत सुन्दर देश है।

उपर्युक्त वाक्यों में 'सुजाता', 'रामायण', 'हिमालय' और 'भारत' शब्द व्यक्ति-**वाचक संज्ञाएँ** हैं।

सुजाता कहने से केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है, प्रत्येक लड़की को हम सुजाता नहीं कह सकते, असंख्य पुस्तकों में से एक ही पुस्तक का नाम रामायण है, इसी प्रकार हिमालय और भारत क्रमशः एक ही पर्वत और देश के नाम हैं।

देशों व नगरों के नाम, नदियों और समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, पुस्तकों और समाचार-पत्रों के नाम, व्यक्तियों के नाम, दिशाओं, दिनों, महीनों, त्योहारों आदि के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्तर्गत आते हैं।

(२) **जातिवाचक संज्ञा**—जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की बहुत-सी वस्तुओं का (पूरी जाति का) बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—

कक्षा में से **लड़की** को बुलाओ।
तुम किस **देश** के वासी हो?
हमारे देश में कई **पर्वत** हैं।
नदी में बाढ़ आई है।

उपर्युक्त वाक्यों में 'लड़की', 'देश', 'पर्वत' और 'नदी' शब्द जातिवाचक संज्ञाएँ हैं।

यदि हम कक्षा में से लड़की को बुलायें तो कोई भी लड़की आ सकती है, परन्तु यदि हम सुजाता को बुलायें, तो केवल सुजाता ही आयेगी, दूसरी कोई लड़की नहीं। सुजाता केवल एक लड़की का नाम है, इसलिए 'सुजाता' व्यक्तिवाचक संज्ञा है; परन्तु लड़की से पूरी जाति का बोध होता है, अतः 'लड़की' शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार 'देश', 'पर्व' और 'नदी' शब्द पूरी जाति का बोध कराते हैं अतः ये शब्द जातिवाचक संज्ञाएँ हैं।

(३) **भाववाचक संज्ञा**—जिस संज्ञा से किसी गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—

उसकी **सुन्दरता** देखकर हम चकित रह गये।
हमारी **मित्रता** अक्षुण्ण है।
स्मिता की **पढ़ाई** अच्छी चल रही है।
देश के लिए हमारा **यौवन** सर्मपित है।

उपर्युक्त वाक्यों में 'सुन्दरता', 'मित्रता', 'पढ़ाई' और 'यौवन' शब्द भाववाचक संज्ञाएँ हैं। 'सुन्दरता' एक गुण है, जिसका ज्ञान इन्द्रियों से नहीं, मन से होता है। इसी प्रकार 'मित्रता', 'पढ़ाई' और 'यौवन' हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, त्वचा से उनका स्पर्श नहीं किया जा सकता और कानों से उन्हें सुना नहीं जा सकता; उनकी केवल मन द्वारा अनुभूति हो सकती है। ऐसे शब्द जिनका बोध इन्द्रियों द्वारा नहीं वरन् मन द्वारा होता है, भाववाचक संज्ञाओं के अन्तर्गत आते हैं।

(४) **समूहवाचक संज्ञा**—जिन संज्ञा से प्राणियों या पदार्थों के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—

भीड़ में मत जाइये ।

सेना देश की रक्षा करती है ।

पूरी **कक्षा** उपस्थित है ।

कुटुम्ब के सभी सदस्य बाहर गये हैं ।

उपर्युक्त वाक्यों में भीड़, सेना, कक्षा और कुटुम्ब शब्द समूहवाचक संज्ञाएँ हैं । समूहवाचक संज्ञा एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि समूहों की भी कई जातियाँ होती हैं; परन्तु भीड़, सेना, कक्षा, कुटुम्ब जैसे नाम अलग-अलग वस्तुओं एवं प्राणियों को नहीं दिये जा सकते, इसलिए समूहवाचक संज्ञा को एक अलग भेद माना जाता है । समूहवाचक संज्ञा की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत अनेक पदार्थों या प्राणियों का समूह होते हुए भी इसे अनेक के रूप में नहीं, वरन् एक के रूप में देखते हैं । सेना में अनेक जवान होंगे, परन्तु सेना एक होगी ।

(५) **द्रव्यवाचक संज्ञा**—जिस संज्ञा से किसी द्रव्य, पदार्थ, राशि या ढेर का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं । जैसे—

सोना बहुत महँगा है ।

किसान का लक्ष्य **अन्न** का उत्पादन है ।

गंगा का **जल** निर्मल है ।

बड़े नगरों में **हवा** दूषित हो जाती है ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'सोना', 'अन्न', 'जल' और 'हवा' शब्द द्रव्यवाचक संज्ञाएँ हैं । समूहवाचक संज्ञा की भाँति द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक के ही अन्तर्गत माना जा सकता है; परन्तु द्रव्यवाचक संज्ञा से जिस पदार्थ या राशि का बोध होता है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती इसलिए उसे संज्ञा का एक अलग भेद माना जाता है ।

भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता । बहुवचन में आने पर वे जातिवाचक संज्ञाओं के अर्थ में प्रयुक्त होती हैं । जैसे—

उसकी **चोरी** पकड़ी गई (चोरी—एकवचन : भाववाचक)

उसके घर में कई चोरियाँ हुईं (चोरियाँ—बहुवचन : जातिवाचक)

सेना युद्ध के लिए तत्पर है (सेना—एकवचन : समूहवाचक)

सेनाओं में मुठभेड़ हुई (सेनाओं—बहुवचन : जातिवाचक)

वहाँ **तेल** बिकता है (तेल—एकवचन : द्रव्यवाचक)

वहाँ कई प्रकार के तेल बिकते हैं (तेल—बहुवचन : जातिवाचक)

संज्ञा के विशेष प्रयोग

(१) कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा का एक और विशेष भेद होता है, जिसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं ।

क्रियार्थक संज्ञा—क्रिया से बने जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के समान हो, उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे—

चलने से दूरी कम होगी।

पढ़ना तुम्हारे लिए आवश्यक है।

मेरे लिए **ठहरने** की व्यवस्था कीजिए।

दोनों मित्रों के **मिलने** में कोई बाधा नहीं।

उपर्युक्त वाक्यों में 'चलने', 'पढ़ना', 'ठहरने' और 'मिलने' शब्द क्रियार्थक संज्ञाएँ हैं।

(२) विशेष सन्दर्भों में जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है।

(१) व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में—

जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग विशेष नाम से अनेक व्यक्तियों के लिए अथवा किसी व्यक्ति के गुण या दोष को प्रकट करने के लिए हो, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—

भारत के इतिहास में कई **चन्द्रगुप्त** मिलते हैं।

वह छात्रा कक्षा की **कैकेयी** है।

देश को **परशुराम** की प्रतीक्षा है।

वर्तमान युग में कोई **गाँधी** नहीं मिलता।

उपर्युक्त वाक्यों में 'चन्द्रगुप्त', 'परशुराम' और 'गाँधी' शब्द जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयुक्त हुए हैं।

(२) जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में—

जब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी जाति का नहीं, वरन् किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराये, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—

देवी का प्रसाद बाँट दो।

बापू के आदर्श महान् थे।

वे **पुरी** की यात्रा पर जा रहे हैं।

पंत प्रकृति के उपासक थे।

उपर्युक्त वाक्यों में 'देवी', 'बापू', 'पुरी' और 'पंत' शब्द क्रमशः देवी दुर्गा, महात्मा गाँधी, जगन्नाथ पुरी और सुमित्रानन्दन पंत के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं।

जब किसी अक्षर या शब्द का प्रयोग अक्षर या शब्द के अर्थ में हो, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आता है। जैसे—

'कमल' संज्ञा है।

उनकी **वाह-वाह** हुई।

'च' में 'आ' की मात्रा मिलाने से 'चा' होगा।

उपर्युक्त वाक्यों में कमल, वाह-वाह, 'च', 'आ' और 'चा' व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं।

(३) भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में—

जब भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है, तो वे जातिवाचक संज्ञाएँ कहलाती हैं। जैसे—

भारत के सारे **पहरावे** आकर्षक हैं।

दोनों **सेनाओं** की मुठभेड़ हुई।

यहाँ कई प्रकार के **तेल** बिकते हैं।

उपर्युक्त वाक्य में 'पहरावे', 'सेनाओं' और 'तेल' का प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में हुआ है।

(४) विशेषण और अव्यय का प्रयोग संज्ञा के रूप में—

जिस विशेषण के साथ उनका विशेष्य शब्द नहीं लगा होता, उसका प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है। जैसे—

गरीबों की सहायता करो।

विद्वानों का आदर करो।

उपर्युक्त वाक्यों में 'गरीबों' और 'विद्वानों' शब्द विशेष्य रहित होने के कारण जातिवाचक संज्ञाएँ हैं।

कभी-कभी अव्यय का प्रयोग भी संज्ञा के रूप में होता है—

क्रिया-विशेषण के रूप में—

(१) **हाँ** में **हाँ** मिलाना उसकी आदत है।

(२) उसका **अन्दर-बाहर** एक-सा है।

समुच्चय-बोधक के रूप में—

(१) दिल्ली में उनकी बड़ी **वाह-वाह** हुई।

(२) क्या **हाय-हाय** लगा रखी है।

(३) गाँवों में सूखा पड़ने के कारण **त्राहि-त्राहि** मची है।

भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण

कुछ भाववाचक संज्ञाएँ स्वतंत्र होती हैं, तो कुछ अन्य शब्दों की सहायता से बनती हैं।

स्वतन्त्र भाववाचक संज्ञाएँ—सुख, दुःख, हिंसा, स्नेह, प्रेम आदि।

अन्य शब्दों से मिलकर बनने वाली भाववाचक संज्ञाएँ—

जातिवाचक संज्ञा से—पुरुष से पौरुष, बच्चा से बचपन, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, मनुष्य से मनुष्यता आदि ।

सर्वनाम से—मैं से ममत्व, अहं से अहंकार, अपना से अपनत्व, आप से आपा आदि ।

विशेषण से—बड़ा से बड़प्पन, बुद्धिमान् से बुद्धिमत्ता, अधिक से अधिकता या आधिक्य, सुन्दर से सुन्दरता या सौन्दर्य आदि ।

क्रिया से—मिलना से मेल, रोना से रुलाई, थकना से थकान, जीतना से जीत आदि ।

समूहवाचक संज्ञाओं की सूची

१. पर्वतों की शृंखला ।
२. नक्षत्रों का मंडल ।
३. तारों का पुंज ।
४. फूलों, अंगूरों, कुंजियों का गुच्छा ।
५. केले का घौद ।
६. लताओं का कुंज ।
७. फूलों का दस्ता ।
८. सैनिकों, स्वयंसेवकों का जत्था ।
९. ऊँटों, यात्रियों का काफिला या कारवाँ ।
१०. चोर-डाकुओं, लुटेरों, पाकेटमारों का गिरोह ।
११. यात्रियों, घुड़सवारों, वक्ताओं, टिड्डियों का दल ।
१२. कवियों, लेखकों, गायकों, मूर्खों अथवा विद्वानों की मण्डली ।
१३. अनाजों का ढेर ।
१४. राज्यों, मजदूरों, कर्मचारियों का संघ ।
१५. भेड़ों का झुंड ।
१६. अच्छे उद्देश्यों के लिए अच्छे व्यक्तियों का शिष्टमंडल ।
१७. राजनीतिज्ञों का गुट ।
१८. गायकों की मण्डली ।

प्रश्न और अभ्यास

१. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते है ? उदाहरण देकर समझाइए ।

२. किस दशा में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है ? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए ।

३. भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं ? उदाहरण देकर समझाइए ।

४. समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं की परिभाषा सोदाहरण लिखिए ।

५. क्रियार्थक संज्ञा के पाँच उदाहरण दीजिए ।

६. निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएँ छाँटिए—

सुख, मोहन, तेल, सेना, सुजाता, लड़का, हवा, पुस्तक, हिमालय, सौन्दर्य, बचपन ।

७. निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएँ बनाइए—

मनुष्य, अपना, जीतना, बड़ा, आप, राष्ट्र, पुरुष, बुद्धिमान, गरीब, ऊँचा, मैं ।

८. नीचे लिखे शब्दों का जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में वाक्य-प्रयोग कीजिए—

पहरावा, सेना, दूध, विद्वान्, लाचार, गुण ।

९. नीचे लिखे शब्दों के व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में वाक्य-प्रयोग कीजिए—

वाह-वाह, कमल, पंत, नगर, पुरी, आ ।

१०. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(क) पर्वतों की............।

(ख) लताओं का............।

(ग) राज्यों का............।

(घ) अनाजों का............।

(च) तारों का............।

११. सही उत्तर पर ✓ चिह्न लगाइए—

(अ) किसी वस्तु को संज्ञा कहते हैं / किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं ।

(ब) 'पढ़ना' शब्द भाववाचक संज्ञा है / 'पढ़ना' शब्द क्रियार्थक संज्ञा है ।

(स) 'भीड़' शब्द जातिवाचक संज्ञा है / भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा है ।

(द) संज्ञा का शाब्दिक अर्थ पहचान होता है / संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है ।

(य) भारत शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है / भारत शब्द जातिवाचक संज्ञा है ।

१२. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(क) ऐसे शब्द जिनका बोध इन्द्रियों द्वारा नहीं होता,..........संज्ञा कहलाते हैं ।

(ख) बहुवचन में आकर द्रव्यवाचक संज्ञाएँ.........संज्ञाओं के रूप में प्रयुक्त होती हैं ।

(ग) विशेष्य-रहित होने पर विशेषणों का प्रयोग.........संज्ञाओं के रूप में होता है ।

(घ) शब्द का प्रयोग शब्द के अर्थ में हो, तो वह.........संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है ।

(च) समूहवाचक संज्ञा..........में प्रयुक्त नहीं होती ।

(छ) भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव..........में होता है ।

———

सर्वनाम

वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं।

सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। संज्ञा जहाँ केवल उसी नाम का बोध कराती है, जिसका वह नाम है, वहाँ सर्वनाम से केवल एक के ही नाम का नहीं, सबके नाम का बोध होता है। सुमंगला 'यदि अपने लिए 'मैं' का प्रयोग करती है, तो 'मैं' से सुमंगला का बोध होगा; परन्तु यदि सीता, गीता, श्यामा और माया सभी अपने लिए 'मैं' का प्रयोग करती हैं, तो 'मैं' इन सबका नाम होगा। इसी तरह बोलने वाले अनेक नामों के बदले 'तुम' या 'आप' और सुननेवाले अनेक नामों के बदले 'वह' या 'वे' का प्रयोग होता है।

वाक्य में यदि सर्वनाम का प्रयोग न हो, तो केवल संज्ञा पदों से युक्त वाक्य बड़ा बेढंगा प्रतीत होगा।

जैसे—सीता सीता की सहेली के साथ सीता की सहेली के घर गयी। सर्वनाम का प्रयोग होने पर वाक्य का रूप इस प्रकार होगा—

सीता अपनी सहेली के साथ **उसके** घर गयी।

प्रस्तुत वाक्य में 'अपनी' और 'उसके' शब्द सर्वनाम हैं।

सर्वनाम के भेद

प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के छह भेद है—

(१) पुरुषवाचक (२) निश्चयवाचक (३) अनिश्चयवाचक (४) सम्बन्धवाचक (५) प्रश्नवाचक (६) निजवाचक।

(१) पुरुषवाचक सर्वनाम—

जो सर्वनाम वक्ता (बोलने वाले), श्रोता (सुनने वाले) तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे—मैं, तू, वह आदि।

पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद—

(क) उत्तम पुरुष—वक्ता या लेखक अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। जैसे—'मैं चलता हूँ' और 'हम चलते हैं' वाक्यों में 'मैं' और 'हम' उत्तम पुरुष हैं।

(ख) मध्यम पुरुष—श्रोता के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे—'तुम जाओ' और 'आप जाइये' वाक्यों में 'तुम' और 'आप' मध्यम पुरुष हैं।

(ग) अन्य पुरुष—वक्ता या लेखक द्वारा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य (तीसरे) के लिए अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे—'वह पढ़ता है' और 'वे पढ़ते हैं' वाक्यों में 'वह' और 'वे' अन्य पुरुष हैं।

(२) निश्चयवाचक (संकेतवाचक) सर्वनाम—

जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे—'यह पुस्तक है', 'वह मेरी दीदी की गुड़िया है', 'ये हिरन हैं' और 'वे ताजमहल देखने के लिए आये हुए लोग हैं' में 'यह', 'वह', 'ये' और 'वे' निश्चयवाचक सर्वनाम हैं।

(३) अनिश्चयवाचक सर्वनाम—

जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे—'कोई खड़ा है' और 'मुझे कुछ नहीं मिला' में 'कोई' और 'कुछ' अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। 'कोई' शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए और 'कुछ' किसी अनिश्चित पदार्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है।

(४) सम्बन्धवाचक सर्वनाम—

जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से सम्बन्ध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे सम्बन्धवाचक सर्वनाम कहते हैं। 'जो करेगा सो भरेगा' वाक्य में 'जो' शब्द सम्बन्धवाचक सर्वनाम है और 'सो' नित्य सम्बन्धी सर्वनाम है। बहुधा 'सो' के बदले 'वह' सर्वनाम प्रयोग होता है।

(५) प्रश्नवाचक सर्वनाम—

जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे—'कौन चलेगा?' या 'क्या करते हो?' वाक्यों में 'कौन' और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। 'कौन' का प्रयोग प्राणियों के लिए और 'क्या' का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है।

(६) निजवाचक सर्वनाम—

जो सर्वनाम तीनों पुरुषों (प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष) में निजत्व का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे—मैं स्वयं चली जाऊँगी, 'तुम अपने आप खा लेना' और 'वह खुद गाड़ी चलाती है' वाक्यों में 'स्वयं', 'अपने आप' और खुद शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं।

पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों में अन्तर

पुरुषवाचक सर्वनाम—(१) आप आजकल कहाँ रहते हैं? (मध्यम पुरुष)

(२) शिवानी हिन्दी की सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं, **आप** बड़ी सम्वेदनशील हैं। (अन्य पुरुष)

निजवाचक सर्वनाम—(१) मैं **आप** चली जाऊँगी। (प्रथम पुरुष)

(२) तुम इसे **आप** ही क्यों नहीं कर लेते ? (मध्यम पुरुष)

(३) वह आप ही पढ़ लेगा। (अन्य पुरुष)

पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनामों में अन्तर

पुरुषवाचक सर्वनाम—**वह** दौड़ता है।

वह आजकल बहुत व्यस्त है।

ये हमेशा खेलते रहते हैं।

वे मुझे बुला रहे थे।

निश्चयवाचक सर्वनाम—**यह** मेरा भाई है।

वह मेहा की पुस्तक है।

ये हमारे परिवार के सदस्य हैं।

वे हमारे कालेज की छात्राएँ हैं।

'यह', 'वह', 'ये', या 'वे' पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं, जबकि 'यह' 'वह' 'ये' या 'वे' निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करते हैं, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं।

प्रश्न और अभ्यास

१. भाषा में सर्वनाम का प्रयोग क्यों आवश्यक है ? समझाकर लिखिए।

२. सर्वनाम की परिभाषा लिखिए तथा उसके प्रत्येक भेद के दो-दो उदाहरण दीजिए।

३. पुरुषवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं ? पुरुष कितने हैं ? उनके लक्षण सोदाहरण लिखिए।

४. निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनामों का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

५. निश्चयवाचक और अनिश्चय वाचक सर्वनामों का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

६. प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। सोदाहरण समझाइए कि 'कौन' और 'क्या' में क्या अन्तर है ?

७. मोटे अक्षरों में छपे शब्दों के पुरुष बताइए—

(क) **तू** बड़ा चालाक है।

वे आज जाने वाले हैं।

तुम कल आये क्यों नहीं ?

आप मुझे क्यों बुला रहे थे ?

वह आज नहीं आया।

८. निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनामों का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

९. सम्बन्धवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

१०. मोटे अक्षरों में छपे शब्दों में से निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम छाँटिए—

(क) वह **आप** अपना काम कर लेगा।

(ख) **आप** अपना काम कर लीजिए।

(ग) **आप** क्या चाहते हैं?

(घ) वह **आपको** बुला रहा है।

(च) मैं **आप** चला जाऊँगा।

(छ) आप सकुशल हैं?

११. मोटे अक्षरों में छपे शब्दों में से निश्चयवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम छाँटिए—

(अ) **वह** ताजमहल है।

(ब) **वह** आज शाम को बाजार जाएगा।

(स) **यह** मेरी पुस्तक है।

(द) **यह** जा रही है।

(य) **यह** वही लड़की है।

१२. निम्नलिखित वाक्यों में से सम्बन्धवाचक सर्वनाम छाँटिए—

(क) जो मनुष्य उठता है, वह गिरता भी है।

(ख) जो उठता है, वह गिरता भी है।

(ग) तुम जो कहोगे, मैं मान लूँगा।

(घ) तुमने जो बात कही थी, ठीक निकली।

(च) जो चाहते हो, वही करो।

१३. केवल 'हाँ' या 'नहीं' में उत्तर लिखिए—

(क) श्रोता के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। ( )

(ख) 'तुम आप चली जाना' वाक्य में 'आप' शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। ( )

(ग) 'कोई खड़ा है' वाक्य में 'कोई' शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। ( )

(घ) निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ( )

(च) 'कोई' सर्वनाम किसी अनिश्चित पदार्थ के लिए प्रयुक्त होता है। ( )

(छ) 'क्या' सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। ( )

(ज) सम्बन्धवाचक सर्वनाम के साथ नित्यसम्बन्धी सर्वनाम प्रयुक्त होता है। ( )

(झ) 'वह' का बहुवचन 'वे' है। ( )

(ट) तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध करनेवाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ( )

(ठ) सर्वनाम के प्रयोग के बिना वाक्य बड़ा बेढंगा प्रतीत होगा। ( )

१४. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(अ) सर्वनाम शब्द का अर्थ है……नाम।

(ब)······अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं ।

(स) निकट या दूर की वस्तु की ओर संकेत करनेवाला सर्वनाम······सर्व-नाम कहलाता है ।

(द) 'वह चोर है' वाक्य में वह शब्द······सर्वनाम है ।

(य) 'सो' के बदले······सर्वनाम का भी प्रयोग होता है ।

(र) ······के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है ।

(ल) 'कोई' शब्द······सर्वनाम है ।

(व) 'कुछ' शब्द किसी अनिश्चित······के लिए प्रयुक्त होता है ।

विशेषण

जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताये, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे—

परिश्रमी विद्यार्थी सदैव सफलता पाते हैं।

मैंने पुस्तकालय से **तीन** पुस्तकें ली हैं।

यह खिलौना मेरी बहन का है।

वह **लाल** है।

यह **छोटा** है।

उपर्युक्त वाक्यों में 'परिश्रमी', 'तीन', 'यह', 'लाल' और 'छोटा' शब्द विशेषण हैं, जो क्रमशः विद्यार्थी, पुस्तकें, खिलौना (संज्ञाएँ), 'यह' और 'वह' (सर्वनाम) की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताये, उसे विशेष्य कहते हैं, अतः 'विद्यार्थी', 'पुस्तकें', 'खिलौना', 'यह' और 'वह' विशेष्य हैं।

विशेषण के भेद

विशेषण के भेद है—

(१) गुणवाचक विशेषण (२) संख्यावाचक विशेषण (३) परिमाण-बोधक विशेषण (४) सार्वनामिक विशेषण।

१—**गुणवाचक विशेषण**—जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे—

बाग में **सुन्दर** फूल हैं।

अच्छे बच्चे बड़ों का सम्मान करते हैं।

वे **गंदी** नालियाँ हैं।

कौन **अंधा** है ?

उपर्युक्त वाक्यों में 'सुन्दर', 'अच्छे', 'गंदी' और 'अंधा' शब्द गुणवाचक विशेषण हैं।

(गुण का अर्थ अच्छाई न होकर कोई भी विशेषता है। अच्छा, बुरा, खरा, खोटा सभी प्रकार के गुण इसके अन्तर्गत आते हैं।)

(अ) समय सम्बन्धी—अगले माह हमारी परीक्षा है।

(आ) स्थान सम्बन्धी—**सिवाने** माने में सीलन रहती है।

(इ) आकार संबंधी—**लम्बा** आदमी दूर से ही दिखाई देता है।

(ई) **दशा सम्बन्धी—स्वस्थ** बच्चे खेल रहे हैं।

(उ) वर्ण सम्बन्धी—**काला** जूता फट गया।

(ऊ) गुण सम्बन्धी—**झूठी** बातें मुझे नहीं सुहातीं।

(ए) संज्ञा सम्बन्धी—उसके पास **बनारसी** साड़ी है।

२—**संख्यावाचक विशेषण**—जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे—

कक्षा में **पचास** विद्यार्थी उपस्थित हैं।

दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है।

उनकी **तीसरी** पुत्री बहुत बीमार रहती है।

देश का **प्रत्येक** बालक साहसी है।

उपर्युक्त वाक्यों में पचास, दोनों, तीसरी और प्रत्येक शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं।

संख्यावाचक विशेषण के दो मुख्य भेद हैं—

(क) निश्चित संख्यावाचक—एक, चार, दूना, दूसरा आदि।

(ख) अनिश्चित संख्यावाचक—कई, अनेक, बहुत, सब आदि।

निश्चित संख्यावाचक विशेषण के छह उपभेद हैं—

(अ) पूर्णाङ्क बोधक—एक, दो, हजार, लाख आदि।

(आ) अपूर्णाङ्क बोधक—आधा, पौन, सवा, डेढ़ आदि।

(इ) क्रमवाचक—पहला, तीसरा, पाँचवाँ, छत्तीसवाँ आदि।

(ई) आवृत्तिवाचक—दुगुना, चौगुना, पँचगुना, दसगुना आदि।

(उ) समूहवाचक—दोनों, चारों, सातों, आठों आदि।

(ऊ) प्रत्येक बोधक—प्रति, प्रत्येक, एक-एक, हर एक आदि।

निश्चित संख्यावाचक विशेषणों से बहुधा बहुत्व का बोध होता है। जैसे—

सब आम सड़े हैं।

पुस्तकालय में **असंख्य** पुस्तकें हैं।

सभा में **थोड़े** व्यक्ति उपस्थित थे।

आग में **अनेक** दूकानें जल गईं।

निश्चित संख्यावाचक के अन्तर्गत आनेवाले पूर्णाङ्क बोधक विशेषण के पूर्व 'लगभग' या 'करीब' और बाद में 'एक' या 'ओं' प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे—

लगभग **सौ** व्यक्ति आये थे।

करीब सत्तर रुपये चाहिए।

पाँच-एक बच्चे खायेंगे ।

सैकड़ों लोग तबाह हो गये ।

कभी-कभी दो पूर्णाङ्क बोधक विशेषण साथ में आकर अनिश्चय सूचित करते हैं । जैसे—

सत्तर-अस्सी रुपये से काम चल जायेगा ।

इस काम में **दो-तीन** घंटे लगेंगे ।

न्यूनाधिक पचास लोग आये होंगे ।

दावत में कमोबेश सौ लोग शरीक हुए ।

(३) **परिमाण-बोधक विशेषण**—जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप-तौल का बोध होता है, उसे परिमाण-बोधक विशेषण कहते हैं । जैसे—

मुझे **चार मीटर** कपड़ा चाहिए ।

उसे **दो मन** गेहूँ दे दो ।

मरीज को **थोड़ा** पानी चाहिए ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'चार मीटर', 'दो मन', 'थोड़ा' शब्द परिमाण-बोधक विशेषण हैं ।

परिमाण-बोधक विशेषण के दो भेद हैं—

(क) निश्चित परिमाण-बोधक—**दो सेर गेहूँ, एक मीटर** कपड़ा, **आधा लीटर** दूध आदि ।

(ख) अनिश्चित परिमाण-बोधक—**और** काम, **थोड़ा** पानी, **कुछ** परिश्रम आदि ।

विशेष—परिमाण-बोधक विशेषण बहुधा भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं ।

अधिकांश विशेषण संख्यावाचक और परिमाण-बोधक दोनों होते हैं । वे एक-वचन संज्ञा के साथ आकर परिमाण-बोधक हो जाते हैं और बहुवचन संज्ञा के साथ संख्यावाचक बन जाते हैं । जैसे—

परिमाण-बोधक विशेषण	संख्यावाचक विशेषण
१. हमारे घर में **बहुत** घी है ।	उस कक्षा में **बहुत** विद्यार्थी हैं ।
२. **कुछ** काम करो ।	**कुछ** आदिमियों को बुलाओ ।
३. **सब** दूध फट गया ।	**सब** पेड़ देवदार के हैं ।
४. **आधा** धन बाँट दो ।	**आधे** सदस्य अनुपस्थित हैं ।

(४) **सार्वनामिक विशेषण**—जो सर्वनाम शब्द विशेषण शब्द की भाँति किसी संज्ञा की विशेषता बताये, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं । जैसे—

वह आदमी व्यवहार कुशल है ।

कौन व्यक्ति सभा में जायेगा ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'वह' और 'कौन' शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं ।

पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर शेष सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं । जैसे—

(अ) निश्चयवाचक—यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, वह मूर्ति, वे मूर्तियाँ आदि ।

(ब) अनिश्चयवाचक—कोई व्यक्ति, कोई लड़के, कुछ लाभ, कुछ बाधायें आदि ।

(स) प्रश्नवाचक—कौन मनुष्य ? कौन लोग ? क्या सहायता ? क्या काम आदि ।

(द) सम्बन्धवाचक—जो युवक, जो युवतियाँ, जो पुस्तक, जो वस्तुएँ आदि ।

'निज' और 'पराया' भी सार्वनामिक विशेषण हैं । 'निज' का अर्थ अपना और पराया का अर्थ दूसरे का होता है । जैसे 'निज देश के प्रति किसे अभिमान नहीं होगा ?' और 'पराये लोगों का क्या भरोसा !' में 'निज' और 'पराया' सार्वनामिक विशेषण हैं ।

व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं—

(१) मूल सार्वनामिक विशेषण (२) यौगिक सार्वनामिक विशेषण ।

१—**मूल सार्वनामिक विशेषण**—जो सर्वनाम बिना किसी रूपान्तर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, मूल सार्वनामिक विशेषण कहलाता है । जैसे—

वह लड़का मन्दिर जा रहा है ।

ये कमरे खाली हैं ।

कोई लड़का मेरा काम कर दे ।

कुछ छात्राएँ अनुपस्थित हैं ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'वह', 'ये', 'कोई' और 'कुछ' शब्द मूल सार्वनामिक विशेषण हैं ।

२—**यौगिक सार्वनामिक विशेषण**—जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है । जैसे—

ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा ?

कितने रुपये ले जाओगे ?

तुम्हारा स्वास्थ्य **कैसा** है ?

मुझसे **इतना** बोझ सहन नहीं होता ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'ऐसा', 'कितने', 'कैसा' और 'इतना' यौगिक सार्वनामिक विशेषण हैं ।

यौगिक सार्वनामिक विशेषण निम्नलिखित सार्वनामिक विशेषणों से बनते हैं—

यह से इतना, इतने, इतनी, ऐसा, ऐसे, ऐसी।
वह से उतना, उतने, उतनी, वैसा, वैसे, वैसी।
जो से जितना, जितने, जितनी, जैसा, जैसे, जैसी।
कौन से कितना, कितने, कितनी, कैसा, कैसे, कैसी।

सर्वनाम और विशेषण में अन्तर

जो सर्वनाम संज्ञा के बदले आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं और जो शब्द संज्ञा के साथ आते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। 'यह' लड़का है में 'यह' शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, परन्तु 'यह लड़का सुशील है' वाक्य में 'यह' शब्द सार्वनामिक विशेषण है। इसी प्रकार 'यह ताजमहल है' वाक्य में 'यह' शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है और ताजमहल की ओर संकेत करता है, इसलिए सर्वनाम (निश्चयवाचक) है, परन्तु '**यह** ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था' वाक्य में 'यह' शब्द ताजमहल की विशेषता बताता है, इसलिए विशेषण (सार्वनामिक) है।

कुछ अन्य उदाहरण—

सर्वनाम	विशेषण
१. **यह कौन** है ?	यह **कौन** आदमी है ?
२. यह **किसका** है ?	यह **किसका** मकान है ?
३. **यह** प्रेमचन्द-कृत गोदान है।	**यह** पुस्तक प्रेमचन्द ने लिखी है।
४. **किसी** को बुलाओ।	**किसी** विद्यार्थी को बुलाओ।
५. **जो** पूरी पुस्तक पढ़ लेगा उसे पुरस्कार मिलेगा।	**जो** बालक पूरी पुस्तक पढ़ लेगा, उसे पुरस्कार मिलेगा।
६. **जो** उसे काम में लगाये रखे, वही जाये।	**जो** मित्र उसे काम में लगाये रखे, वही जाये।
७. **सब** चले गये।	**सब** लोग चले गये।

सामान्यतया 'यह' पुस्तक है' वाक्य में 'यह' शब्द पुस्तक संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने के कारण विद्यार्थियों को भ्रम में डाल देता है और विद्यार्थी ऐसे शब्दों को विशेषण समझ कर इसका विशेष्य 'पुस्तक' या अन्य वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञाओं को मान लेते हैं; परन्तु यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि उपर्युक्त वाक्य में 'यह' शब्द पुस्तक की ओर संकेत करता है। यदि यह प्रश्न किया जाय कि 'यह क्या है ?' तो उत्तर मिलेगा, 'यह पुस्तक है।' एक दूसरा वाक्य लें, 'यह पुस्तक मेरी है' में यदि प्रश्न किया जाय कि कौन-सी पुस्तक ? तो उत्तर मिलेगा, 'यह पुस्तक।' इस प्रकार पहला वाक्य 'यह क्या है ?' का उत्तर देता है तो दूसरा वाक्य 'कौन-सी पुस्तक ?' का उत्तर देता है। पहले वाक्य का 'यह' शब्द सर्वनाम है और दूसरे वाक्य का 'यह' शब्द पुस्तक की विशेषता बताता है' इसलिए विशेषण है।

वाक्य में स्थान की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं—(१) उद्देश्य विशेषण (२) विधेय विशेषण ।

उद्देश्य विशेषण—जो विशेषण विशेष्य के ठीक पहले आये, उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं । जैसे—'उसके हाथों में **लाल** चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं वाक्य में **लाल** शब्द उद्देश्य विशेषण है ।

विधेय विशेषण—जो विशेषण विशेष्य के बाद क्रिया के पूरक के रूप में प्रयुक्त हो, उसे विधेय विशेषण कहते हैं । जैसे—'वह आदमी चोर है' वाक्य में 'चोर शब्द विधेय विशेषण है ।

विशेषणों के विशिष्ट प्रयोग

(१) **संज्ञा रूप**—जो विशेषण संज्ञा के साथ प्रयुक्त न होकर स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त होता है, उसे विशेषण न कहकर संज्ञा कहते हैं । जैसे—

(१) **विद्वानों** का आदर करना सीखो ।
(२) **गरीबों** की सहायता करनी चाहिए ।
(३) हम **बड़ों** की बात का बुरा नहीं मानते ।
(४) **दुष्ट** को दण्ड मिलेगा ।

उपर्युक्त वाक्यों में विद्वानों (विद्वान् व्यक्तियों के स्थान पर), गरीबों (गरीब लोगों के स्थान पर), बड़ों (बड़े लोगों के स्थान पर) और दुष्ट (दुष्ट जनों के अर्थ में) प्रयुक्त हुए हैं । इन शब्दों के साथ संज्ञाओं का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः ये विशेषण होते हुए भी जातिवाचक संज्ञाएँ हैं ।

(२) **प्रविशेषण**—जो शब्द विशेषण की विशेषता बताये, उसे प्रविशेषण कहते हैं । जैसे—

लड़की **बहुत** बुद्धिमान है ।
आम **कुछ** कच्चे हैं ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'बुद्धिमान' तथा 'कच्चे' विशेषण हैं और 'बहुत' तथा 'कुछ' उसके भी विशेषण हैं, इसलिए 'बहुत' तथा 'कुछ' प्रविशेषण हैं ।

प्रश्न और अभ्यास

१. विशेषण किसे कहते हैं ? उसके भेद सोदाहरण समझाइए ।
२. विशेषण और विशेष्य का अन्तर स्पष्ट कीजिए ।
३. सर्वनाम और विशेषण में क्या अन्तर है ? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए ।
४. प्रविशेषण से आप क्या समझते हैं ? उदाहरण देकर समझाइए ।
५. उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण का अन्तर स्पष्ट कीजिए ।
६. गुणवाचक विशेषण से किन-किन विशेषताओं का बोध होता है ? सोदाहरण-स्पष्ट कीजिए ।

७. संख्यावाचक विशेषण के भेद और उपभेद सोदाहरण लिखिए।

८. परिमाण-बोधक और संख्यावाचक विशेषण का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

९. सार्वनामिक विशेषण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

१०. मूल और यौगिक सार्वनामिक विशेषण का अन्तर स्पष्ट कोजिए।

११. सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अन्तर है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

१२. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(क) वह लड़का············है। (गुणवाचक विशेषण)

(ख) मेरे पास··········पुस्तकें हैं। (अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण)

(ग) यह············सामान है। (सार्वनामिक विशेषण)

(घ)············वस्तु चाहिए? (सार्वनामिक विशेषण)

(च)·········काम कर लो। (परिमाण बोधक विशेषण)

१३. केवल 'हाँ' या 'नहीं' में उत्तर लिखिए—

(अ) गुण का अर्थ (गुणवाचक विशेषण की दृष्टि से) केवल अच्छाई है। ( )

(ब) अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों से बहुधा बहुत्व का बोध होता है। ( )

(स) दो पूर्णाङ्क-बोधक शब्द मिलकर निश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध करते हैं। ( )

(द) पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर शेष सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। ( )

(य) विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया-विशेषण कहते हैं। ( )

(र) 'दुष्ट को दंड मिलना चाहिए' वाक्य में 'दुष्ट' शब्द गुणवाचक विशेषण है। ( )

(ल) 'वह आदमी पागल है' वाक्य में 'पागल' शब्द उद्देश्य विशेषण है। ( )

(व) 'यह पुस्तक है' वाक्य में 'यह' शब्द सार्वनामिक विशेषण है। ( )

(श) 'वह बहुत अच्छा लड़का है' वाक्य में 'बहुत' शब्द प्रविशेषण है। ( )

क्रिया

क्रिया वह विकारी शब्द है, जिससे किसी पदार्थ या प्राणी के विषय में कुछ विधान किया जाता है जैसे--

मोहन खाना **खाता है।**

पुस्तक मेज पर **पड़ी है।**

उपर्युक्त वाक्यों में 'खाता है' और 'पड़ी है' क्रियाएँ हैं।

क्रिया के साधारण रूपों के अन्त में 'ना' लगा रहता है। जैसे—आना, जाना, पाना, खोना, खेलना, कूदना आदि।

क्रिया के साधारण रूपों के अन्त का 'ना' निकाल देने से जो शेष बचे, वह क्रिया की 'धातु' है। 'आना, 'जाना', 'पाना', 'खोना', 'खेलना', 'कूदना' क्रियाओं में 'आ', 'जा', 'पा', 'खो', 'खेल', 'कूद' धातुएँ हैं।

धातुओं के दो अर्थ होते हैं (१) व्यापार (२) फल। उदाहरण के लिए 'श्याम खेलता है' वाक्य में खेलने का व्यापार श्याम करता है और उसी पर खेलने का फल पड़ता है। एक दूसरा उदाहरण लें, 'सुहासिनी पुस्तक पढ़ती है।' इस वाक्य में पढ़ने का व्यापार सुहासिनी करती है और पढ़ने का फल 'पुस्तक' पर पड़ता है।

उपर्युक्त बातों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं—

(१) 'पढ़' धातु है।

(२) पढ़ना क्रिया का साधारण रूप है।

(३) पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ेगा, पढ़ता होगा आदि 'पढ़ना' क्रिया के साधारण रूप के विभिन्न परिवर्तित रूप हैं।

शब्द-कोश में क्रिया का जो रूप मिलता है, उसमें धातु के साथ 'ना' जुड़ा रहता है। 'ना' हटा देने से धातु शेष रह जाती है।

प्रयोग (व्यापार और फल) के आधार पर क्रिया के भेद

अकर्मक क्रिया

जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे—'श्याम खेलता है' में खेलने का व्यापार श्याम करता है और खेलने का फल भी श्याम पर ही पड़ता है, इसलिए 'खेलता है' अकर्मक क्रिया है।

अकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण—

(१) सीता **चलती है**।
(२) मोहन **दौड़ता है**।
(३) बच्चा **रोता है**।
(४) कीड़ा **रेंगता है**।

अपूर्ण अकर्मक क्रिया—

जिस क्रिया के पूर्ण अर्थ का बोध कराने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता होती है उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए जिस संज्ञा या विशेषण को जोड़ा जाता है, उसे 'पूर्ति' कहते हैं। उदाहरण के लिए 'वह लड़का पागल निकला' वाक्य में 'वह लड़का निकला' कहने से अभीष्ट अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अर्थ समझने के लिए यदि पूछा जाय, 'वह लड़का क्या निकला ?' तो उत्तर निकलेगा, 'वह लड़का पागल निकला।' अतः 'निकला' अकर्मक क्रिया का अर्थ 'पागल' शब्द द्वारा स्पष्ट होता है। प्रस्तुत वाक्य में 'निकला' अपूर्ण अकर्मक क्रिया और 'पागल' पूर्ति है।

अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण—

(१) गाँधी विश्व-नेता **कहलाये**।
(२) मेरा भाई शिक्षक **हो गया**।
(३) चाँदी सफेद **होती है**।
(४) वह मनुष्य बुद्धिमान **है**।

उपर्युक्त वाक्यों में 'कहलाये', 'हो गया', 'होती है' और 'है' अपूर्ण अकर्मक क्रियाएँ हैं और 'विश्व-नेता', 'शिक्षक', 'सफेद' और 'बुद्धिमान' पूर्ति हैं।

सकर्मक क्रिया—

जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे—'श्याम पढ़ता है' वाक्य में 'पढ़ता है' क्रिया का व्यापार श्याम करता है, पर इस व्यापार का फल 'पुस्तक' पर पड़ता है, इसलिए 'पढ़ता है' सकर्मक क्रिया है और 'पुस्तक' कर्म है।

सकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण—

(१) मंगल बोझ **उठाता है**।
(२) सुधा मूर्ति **बनाती है**।
(३) नेता भाषण **देता है**।
(४) कुत्ता हड्डी **चबाता है**।

उपर्युक्त वाक्यों में 'उठाता है', 'बनाती है', 'देता है', 'चबाता है' सकर्मक क्रियाएँ हैं और 'बोझ, 'मूर्ति', 'भाषण' और 'हड्डी' कर्म हैं।

द्विकर्मक क्रिया—

जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे—'शिक्षक ने छात्र को पुस्तक **दी**' वाक्य में 'दी' क्रिया के व्यापार का फल दो कर्मों—'पुस्तक' और 'छात्र' पर पड़ता है, अतः 'दी' वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है, 'पुस्तक' मुख्य कर्म है और 'छात्र' गौण कर्म है। द्विकर्मक क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले दोनों कर्मों में से मुख्य कर्म किसी पदार्थ का बोध कराता है और कर्म कारक में होता है तथा गौण कर्म किसी प्राणी का बोध कराता है और सम्प्रदान कारक में होता है।

द्विकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण—

(१) राम अपने भाई को गणित **सिखाता है**।

(२) मालिक नौकर को वेतन **देता है**।

(३) माँ अपनी बेटी को कहानी **सुनाती है**।

(४) शिक्षक छात्रों को चित्र **दिखाता है**।

उपर्युक्त वाक्यों में 'सिखाता है', 'देता है' 'सुनाती है' और 'दिखाता है' द्विकर्मक क्रियाएँ हैं, 'गणित', 'वेतन', 'कहानी', मुख्य कर्म है और 'भाई को', 'नौकर को', 'बेटी को' और 'छात्रों को' गौण कर्म हैं।

अपूर्ण सकर्मक क्रिया—

जिस सकर्मक क्रिया का पूरा आशय स्पष्ट करने के लिए वाक्य में कर्म के साथ अन्य संज्ञा या विशेषण का पूर्ति के रूप में प्रयोग होता है, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे—'हम प्रत्येक भारतीय को अपना समझते हैं' वाक्य में 'समझते हैं' सकर्मक क्रिया का कर्म 'भारतीय को' है, पर केवल इस कर्म से क्रिया का आशय प्रकट नहीं होता। उसका पूरा आशय स्पष्ट करने के लिए उसके साथ 'अपना' विशेषण भी प्रयुक्त होता है। प्रस्तुत वाक्य में 'समझते हैं' अपूर्ण सकर्मक क्रिया, 'भारतीय को' कर्म और 'अपना' कर्म-पूर्ति है।

अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण—

(१) राजा ने गंगाधर को मंत्री **बनाया**।

(२) शिक्षक ने श्याम को कक्षा-प्रतिनिधि **चुना**।

(३) हम अपने मित्र को चतुर **समझते हैं**।

(४) छात्रा ने अपना गृह-कार्य पूरा **किया**।

उपर्युक्त वाक्यों में 'बनाया', 'चुना', 'समझते हैं' और 'किया' अपूर्ण सकर्मक क्रियाएँ हैं, 'गंगाधर को' 'श्याम को', 'मित्र को', 'गृह-कार्य' कर्म हैं तथा 'मंत्री', 'कक्षा-प्रतिनिधि', 'चतुर' और 'पूरा' कर्म-पूर्ति हैं।

उभय-विध क्रिया—

जो क्रिया अपने अर्थ के अनुसार कभी अकर्मक और कभी सकर्मक के रूप में प्रयुक्त होती है, उसे उभय-विध क्रिया कहते हैं। जैसे—

अकर्मक क्रिया	सकर्मक क्रिया
(१) बर्तन भरता है ।	राम बर्तन भरता है ।
(२) मैं भूल गया ।	मैं अपना दुःख भूल गया ।
(३) मेरा हाथ खुजलाता ।	मैं अपना हाथ खुजलाता हूँ ।
(४) वह बोलता है ।	वह मंत्र बोलता है ।

उपर्युक्त वाक्यों में बायीं ओर के रेखांकित शब्द अकर्मक क्रियायें और दायीं ओर के रेखांकित शब्द सकर्मक क्रियाएँ हैं ।

सजातीय क्रिया

जिस क्रिया के साथ उससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा का कर्म के रूप में प्रयोग होता है, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं । जैसे—

(१) वह कई खेल **खेलता है** ।

(२) लड़की अच्छी चाल **चलती है** ।

(३) सीता कई बोलियाँ **बोलती है** ।

(४) हम अच्छा खाना **खाते हैं** ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'खेलता है,' 'चलती है', 'बोलती है' और 'खाते हैं' सजातीय क्रियाएँ हैं ।

रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद

रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है—

(१) रूढ़ (२) यौगिक ।

(१) **रूढ़ क्रिया**—जिस क्रिया की रचना धातु से होती है, उसे रूढ़ क्रिया कहते हैं । जैसे—लिखना, लिखा, लिखेगा, लिखेगी, लिखी आदि रूढ़ क्रियायें हैं, जिनकी रचना 'लिख' धातु से हुई है । इसी प्रकार पढ़ना, पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ी आदि रूढ़ क्रियायें 'ढ़' धातु से बनी हैं ।

(२) **यौगिक क्रिया**—जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है, उसे यौगिक क्रिया कहते हैं । जैसे—लिखवाना, पढ़वाना, विचार करना, पुकारना, बड़बड़ाना आदि ।

यौगिक क्रिया के भेद—

(१) प्रेरणार्थक क्रिया ।

(२) संयुक्त क्रिया ।

(३) अनुकरणात्मक क्रिया ।

(४) नामधातु क्रिया ।

(१) प्रेरणार्थक क्रिया

जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी दूसरे की प्रेरणा जानी जाती है उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे 'हमने पंडित से पूजा करवायी' में 'करवायी' क्रिया से 'पंडित' कर्ता पर 'हमने' कर्ता की प्रेरणा जानी जाती है। जो कर्ता दूसरे पर प्रेरणा करता है, उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं और जिस पर प्रेरणा की जाती है, उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं और जिस पर प्रेरणा की जाती है, उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में 'करवायी' प्रेरणार्थक क्रिया 'हमने' प्रेरक कर्ता और 'पंडित' प्रेरित कर्ता है।

प्रेरक कर्ता का प्रयोग कर्ता कारक में और प्रेरित कर्ता का प्रयोग करण कारक में होता है।

बहुधा अकर्मक से सकर्मक और सकर्मक से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है।

उदाहरण—

अकर्मक	सकर्मक	प्रेरणार्थक
(१) पानी गिरता है। (गिरना)	सीता पानी गिराती है। (गिराना)	वह सीता से पानी गिरवाता है। (गिरवाना)
(२) हम उठते हैं। (उठना)	हम बोझ उठाते हैं। (उठाना)	हम कुली से सामान उठवाते हैं। (उठवाना)
(३) वह चला। (चलना)	उसने नई रीति चलाई। (चलाना)	उसने नौकर से गाड़ी चलवाई। (चलवाना)
(४) विद्यार्थी पढ़ता है। (पढ़ना)	शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है। (पढ़ाना)	शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं (पढ़वाना)

आना, जाना, सकना, होना, रचना, पाना से दूसरे प्रकार की क्रियायें नहीं बनती। प्रेरणार्थक क्रियायें भी सकर्मक होती हैं।

प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम—

(क) बहुधा धातुओं से दो-दो प्रेरणार्थक क्रियायें बनती हैं, पहली प्रेरणार्थक क्रिया में 'आ' और दूसरी में वाँ जुड़ जाता है—

गिर (ना)	गिराना	गिरवाना
चल (ना)	चलाना	चलवाना
चढ़ (ना)	चढ़ाना	चढ़वाना
धुल (ना)	धुलाना	धुलवाना
मिट (ना)	मिटाना	मिटवाना

(ख) धातु के बीच में यदि दीर्घ स्वर होता है, तो वह ह्रस्व हो जाता है—

जाग (ना)	जगाना	जगवाना
नाच (ना)	नचाना	नचवाना
सीख (ना)	सिखाना	सिखवाना

बीत (ना)	बिताना	बितवाना
सूख (ना)	सुखाना	सुखवाना

(ग) धातु के बीच में 'ए' 'ऐ' हो तो 'इ' और 'ओ', 'औ' हो तो 'उ' हो जाता है—

खोद (ना)	खुदाना	खुदवाना
खेल (ना)	खिलाना	खिलवाना
बैठ (ना)	बिठाना	बिठवाना
धो (ना)	धुलाना	धुलवाना
बोल (ना)	बुलाना	बुलवाना

(घ) धातु के अन्त में यदि दीर्घ स्वर हो तो उसमें प्राय: 'ला' जुड़ जाता है—

खा (ना)	खिलाना	खिलवाना
पी (ना)	पिलाना	पिलवाना
जी (ना)	जिलाना	जिलवाना
रो (ना)	रुलाना	रुलवाना
दे (ना)	दिलाना	दिलवाना

कह (ना) से कहलाना, कहलवाना और देख (ना) से दिखलाना और दिखलवाना रूप बनते हैं।

विशेष—आना, कुम्हलाना, गरजना, घिघियाना, टकराना, तुतलाना, पछताना, पड़ना, सकना, लँगड़ाना, सिसकना, होना, पाना आदि क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रियाएँ नहीं बनतीं।

(२) संयुक्त क्रिया

जो क्रिया किसी दूसरी क्रिया या अन्य शब्द-भेद के योग से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे—

हम अपनी पढ़ाई **कर चुके**।
तुम मेरे घर प्रतिदिन **आया करो**।
अब रोगी **चल सकता है**।
उससे **लिखते नहीं बनता है**।

उपर्युक्त वाक्यों में 'कर चुके', 'आया करो', 'चल सकता है' और 'लिखते नहीं बनता' संयुक्त क्रियाएँ हैं।

संयुक्त क्रिया की रचना जब दो क्रियाओं के योग से होती है तो एक क्रिया मुख्य क्रिया और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है।

सहायक क्रिया—जो क्रिया मुख्य क्रिया से रूप को पूरा करने में सहायता प्रदान करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं, उदाहरण के लिए 'हम जा रहे हैं', 'तुम थके हुए हो,' 'राम चला जायेगा' और 'श्याम बैठा होगा' में जा, थके, चला और बैठा मुख्य

क्रियाएँ हैं और 'रहे हैं', 'हुए थे', 'जायेगा' और 'होगा' उनकी सहायक क्रियाएँ हैं। वाक्य में कभी एक क्रिया और कभी एक से अधिक क्रियाएँ सहायक क्रियाओं का काम करती हैं।

वाक्य में सहायक क्रियाओं का प्रयोग बड़ा व्यापक होता है, उनमें परिवर्तन करने से क्रियाओं के अर्थ बदल जाते हैं।

रचना की दृष्टि से बनी संयुक्त क्रियाएं—

(१) **संज्ञा और क्रिया**—प्रारम्भ होना, याद रखना, नाश करना, ध्यान रखना, विजय होना आदि।

(२) **विशेषण और क्रिया**—बुरा लगना, खट्टा लगना, अच्छा होना, भला करना, नीचा दिखाना आदि।

(३) **क्रिया-विशेषण और क्रिया**—आगे बढ़ना, पीछे हटना, निकट आना, दूर फेंकना, ऊपर देखना आदि।

(४) **क्रिया और क्रिया**—कर पाना, काँप उठना, कहला देना, करते जाना, दिखा लाना आदि।

दो क्रियाओं के योग से बनी संयुक्त क्रियाएं—

(क) **धातु के साथ क्रिया**—उठ बैठा, चल पड़ा, फाड़ डालो, कह देना, जा सकने हो आदि।

(ख) **वर्तमानकालिक कृदन्त के साथ क्रिया**—बोलता रहता है, दौड़ती जाती है, खाते नहीं बनता, देखते रहते हैं, फैलता जाता है आदि।

(ग) **भूतकालिक कृदन्त के साथ क्रिया**—सुना गया, गिरी पड़ी थी, किया चाहता हूँ, आया चाहती है, फटा जाता था आदि।

(घ) **क्रियार्थक संज्ञा के साथ क्रिया**—चलना पड़ा, पढ़ना चाहिए, रोने लगा, खेलने दो, बढ़ना होगा आदि।

दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी संयुक्त क्रियाएं—

बोलना पड़ रहा है, चुरा ले जा सकेगा, देख आना चाहते हैं, बचा लिया जायेगा, आया करते रहना, लिखता चला गया, बोले चला जा रहा है आदि।

अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रियाओं के भेद—

(१) **आरम्भ-बोधक**—'लगना' के पहले क्रियार्थक संज्ञा का 'ने' रूप जैसे—वृष्टि **होने लगी**, पानी **बहने लगा**, बादल **गरजने लगे**, बच्चा **रोने लगा** आदि।

(२) **समाप्ति-बोधक**—'चुकना', 'लेना', 'देना' और 'जाना' के पहले धातु रूप; जैसे समय **बीत चुका**, काम **हो गया**, पुस्तक **पढ़ ली**, काम कर दिया है आदि।

(३) **आकस्मिकता-बोधक**—'उठना', 'बैठना', 'पड़ना', और 'डालना' के

पहले धातु रूप; जैसे बच्चा **बोल उठा**, हम गलती **कर बैठे**, सीता गिर **पड़ी**, भीख दे डालो आदि ।

(४) **निरन्तरता-बोधक**—'जाना' और 'रहना' के पहले वर्तमानकालिक कृदन्त रूप; जैसे गाड़ी **चलती गई**, बच्चे **खेलते रहे**, कीड़ा **सरकता गया**, वह **बोलता रहता है**।

(५) **अभ्यास-बोधक**—'करना' के पहले भूल कालिक क्रिया, जैसे —बच्चा सदैव **खेला करता है**, वह हमेशा कुछ-न-कुछ **लिखा करता है**, तुम हमेशा गाली **दिया करते हो**, भोजन देखते ही वह मुंह **बाया करता है** ।

(६) **शक्यता-बोधक**—'पाना' और 'सकना' के पहले धातु रूप; जैसे हम तैयारी **कर पायेंगे**, तुम **जा नहीं सकोगे**, राम स्टेशन पर उसे **ढूंढ़ सकेगा**, **हम कैसे** कह पायेंगे ! आदि ।

(७) **अवकाश-बोधक**—'पाना' के पहले क्रियार्थक संज्ञा का 'ने' रूप; वह **जाने न पाया**, सीता **खेलने पाई थी**, हम झाँकी **देखने पाये थे**, वह मुँह **खोलने न पाया** आदि ।

(८) **अनिष्टता-बोधक**—'खाना' और 'मारना' के पहले धातु रूप; उसे कुत्ते ने **काट खाया**, उसने कपड़ा **धो मारा**, तुमने तो **लिख मारा**, उमेश ने गाड़ी **चला मारी** ।

(९) **इच्छा-बोधक**—'चाहना' के पहले क्रियार्थक संज्ञा का 'ना' रूप; जैसे मैं **लौटा चाहती हूँ**, बच्चा **खेलना चाहता** है, लड़की बात करना **नहीं चाहती**, वे विश्राम **करना चाहते** हैं, आदि ।

(१०) **अनुमति-बोधक**—'देना' के पहले क्रियार्थक संज्ञा का 'ने' रूप; जैसे मुझे **जाने दीजिए**, उसे **पढ़ने दो**, सीता को हस्ताक्षर **करने दिया** गया, जनता को **जोने दो** आदि ।

(११) **आवश्यकता-बोधक**—'पड़ना', 'होना' और 'चाहिए' के पहले क्रियार्थक संज्ञा का 'ना' रूप; जैसे—लोगों को काम **करना पड़ेगा**, अब मुझे घर **जाना होगा**, तुम्हें साफ-सफाई में **लग जाना चाहिए**, उसको वेतन **लेना चाहिए** आदि ।

(१२) **अतिशयता-बोधक**—उसी क्रिया की द्विरुक्ति; जैसे—**सुनते-सुनते** ऊब गये, **लिखते-लिखते** परेशान हो गये, चलते-चलते थक गये, **बैठे-बैठे** उकता गये । आदि ।

(३) अनुकरणात्मक क्रिया

किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है, उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं । जैसे—

खट खट	खटखटाना	झन झन	झनझनाना
भन भन	भनभनाना	धड़ धड़	धड़धड़ाना
थर थर	थरथराना	थू थू	थूकना
सन सन	सनसनाना	भों भों	भोंकना
थप थप	थपथपाना	टर्र टर्र	टर्राना
छल छल	छलछलाना	फू फू	फूँकना

(४) नामधातु क्रिया

संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बननेवाली धातु को नामधातु कहते हैं। नाम-धातु से बननेवाली क्रिया नामधातु क्रिया कहलाती है। जैसे—

संज्ञा	नामधातु	नामधातु क्रिया
बात	बता	बताना
माटी	मटिया	मटियाना
चक्कर	चकरा	चकराना
लज्जा	लजा	लजाना
हाथ	हथिया	हथियाना

विशेषण	नामधातु	नामधातु क्रिया
चिकना	चिकना	चिकनाना
साठ	सठिया	सठियाना
खट्टा	खटा	खटाना
सूखा	सुखा	सुखाना

सर्वनाम	नामधातु	नामधातु क्रिया
अपना	अपना	अपनाना

क्रिया-विशेषण	नामधातु	नामधातु क्रिया
ऊपर	उपरा	उपराना
भीतर	भितरा	भितराना

प्रश्न और अभ्यास

१. धातु और क्रिया का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

२. क्रिया के 'व्यापार' और फल' का क्या तात्पर्य है।

३. क्रिया की परिभाषा लिखकर उसके भेद-उपभेद (प्रयोग की दृष्टि से) समझाइये।

४. अकर्मक और सकर्मक क्रिया का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

५. अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं में क्या अन्तर है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

६. सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं में क्या अन्तर है? उदाहरण देकर समझाइए।

७. कर्म-पूर्ति और उद्देश्य-पूर्ति का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

पहले धातु रूप; जैसे बच्चा **बोल उठा**, हम गलती **कर बैठे**, सीता **गिर पड़ी**, **भीख दे डालो** आदि।

(४) **निरन्तरता-बोधक**—'जाना' और 'रहना' के पहले वर्तमानकालिक कृदन्त रूप; जैसे गाड़ी **चलती गई**, बच्चे **खेलते रहे**, कीड़ा **सरकता गया**, वह **बोलता रहता है**।

(५) **अभ्यास-बोधक**—'करना' के पहले भूत कालिक क्रिया, जैसे—बच्चा सदैव **खेला करता है**, वह हमेशा कुछ-न-कुछ **लिखा करता है**, तुम हमेशा गाली **दिया करते हो**, भोजन देखते ही वह मुँह **बाया करता है**।

(६) **शक्यता-बोधक**—'पाना' और 'सकना' के पहले धातु रूप; जैसे हम तैयारी **कर पायेंगे**, तुम **जा नहीं सकोगे**, राम स्टेशन पर उसे **ढूंढ़ सकेगा**, हम **कैसे** कह पायेंगे ! आदि।

(७) **अवकाश-बोधक**—'पाना' के पहले क्रियार्थक संज्ञा का 'ने' रूप; वह **जाने न पाया**, सीता **खेलने पाई थी**, हम झाँकी **देखने पाये थे**, वह मुँह **खोलने न पाया** आदि।

(८) **अनिच्छता-बोधक**—'खाना' और 'मारना' के पहले धातु रूप; उसे कुत्ते ने **काट खाया**, उसने कपड़ा **धो मारा**, तुमने तो **लिख मारा**, उमेश ने गाड़ी **चला मारी**।

(९) **इच्छा-बोधक**—'चाहना' के पहले क्रियार्थक संज्ञा का 'ना' रूप; जैसे मैं **लौटना चाहती हूँ**, बच्चा **खेलना चाहता है**, लड़की बात करना **नहीं चाहती**, वे **विश्राम करना चाहते हैं**, आदि।

(१०) **अनुमति-बोधक**—'देना' के पहले क्रियार्थक संज्ञा का 'ने' रूप; जैसे मुझे **जाने दीजिए**, उसे **पढ़ने दो**, सीता को हस्ताक्षर **करने दिया** गया, जनता को **जाने दो** आदि।

(११) **आवश्यकता-बोधक**—'पड़ना', 'होना' और 'चाहिए' के पहले क्रियार्थक संज्ञा का 'ना' रूप; जैसे—लोगों को काम **करना पड़ेगा**, अब मुझे घर **जाना होगा**, तुम्हें साफ-सफाई में **लग जाना चाहिए**, उसको वेतन **लेना चाहिए** आदि।

(१२) **अतिशयता-बोधक**—उसी क्रिया की द्विरुक्ति; जैसे—**सुनते-सुनते** ऊब गये, **लिखते-लिखते** परेशान हो गये, चलते-चलते थक गये, **बैठे-बैठे** उकता गये। आदि।

(३) अनुकरणात्मक क्रिया

किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है, उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे—

खट खट	खटखटाना	झन झन	झनझनाना
भन भन	भनभनाना	धड़ धड़	धड़धड़ाना
थर थर	थरथराना	थू थू	थूकना
सन सन	सनसनाना	भों भों	भोंकना
थप थप	थपथपाना	टर्र टर्र	टर्राना
छल छल	छलछलाना	फू फू	फूँकना

(४) नामधातु क्रिया

संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बननेवाली धातु को नामधातु कहते हैं। नामधातु से बननेवाली क्रिया नामधातु क्रिया कहलाती है। जैसे—

संज्ञा	नामधातु	नामधातु क्रिया
बात	बता	बताना
माटी	मटिया	मटियाना
चक्कर	चकरा	चकराना
लज्जा	लजा	लजाना
हाथ	हथिया	हथियाना

विशेषण	नामधातु	नामधातु क्रिया
चिकना	चिकना	चिकनाना
साठ	सठिया	सठियाना
खट्टा	खटा	खटाना
सूखा	सुखा	सुखाना

सर्वनाम	नामधातु	नामधातु क्रिया
अपना	अपना	अपनाना

क्रिया-विशेषण	नामधातु	नामधातु क्रिया
ऊपर	उपरा	उपराना
भीतर	भितरा	भितराना

प्रश्न और अभ्यास

१. धातु और क्रिया का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

२. क्रिया के 'व्यापार' और फल' का क्या तात्पर्य है।

३. क्रिया की परिभाषा लिखकर उसके भेद-उपभेद (प्रयोग की दृष्टि से) समझाइये।

४. अकर्मक और सकर्मक क्रिया का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

५. अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं में क्या अन्तर है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

६. सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं में क्या अन्तर है? उदाहरण देकर समझाइए।

७. कर्म-पूर्ति और उद्देश्य-पूर्ति का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

पहले धातु रूप; जैसे बच्चा **बोल उठा**, हम गलती **कर बैठे**, सीता गिर **पड़ी**, भीख दे डालो आदि।

(४) **निरन्तरता-बोधक**—'जाना' और 'रहना' के पहले वर्तमानकालिक कृदन्त रूप; जैसे गाड़ी **चलती गई**, बच्चे **खेलते रहे**, कीड़ा **सरकता गया**, वह **बोलता रहता है**।

(५) **अभ्यास-बोधक**—'करना' के पहले भूल कालिक क्रिया, जैसे—बच्चा सदैव **खेला करता है**, वह हमेशा कुछ-न-कुछ **लिखा करता है**, तुम हमेशा गाली **दिया करते हो**, भोजन देखते ही वह मुंह **बाया करता है**।

(६) **शक्यता-बोधक**—'पाना' और 'सकना' के पहले धातु रूप; जैसे हम तैयारी **कर पायेंगे**, तुम **जा नहीं सकोगे**, राम स्टेशन पर उसे **ढूंढ़ सकेगा**, हम **कैसे** कह पायेंगे ! आदि।

(७) **अवकाश-बोधक**—'पाना' के पहले क्रियार्थक संज्ञा का 'ने' रूप; वह **जाने न पाया**, सीता **खेलने पाई थी**, हम झाँकी **देखने पाये थे**, वह मुँह **खोलने न पाया** आदि।

(८) **अनिच्छता-बोधक**—'खाना' और 'मारना' के पहले धातु रूप; उसे कुत्ते ने **काट खाया**, उसने कपड़ा **धो मारा**, तुमने तो **लिख मारा**, उमेश ने गाड़ी **चला मारी**।

(९) **इच्छा-बोधक**—'चाहना' के पहले क्रियार्थक संज्ञा का 'ना' रूप; जैसे मैं **लौटा चाहती हूँ**, बच्चा **खेलना चाहता** है, लड़की बात करना **नहीं चाहती**, वे विश्राम **करना चाहते हैं**, आदि।

(१०) **अनुमति-बोधक**—'देना' के पहले क्रियार्थक संज्ञा का 'ने' रूप; जैसे मुझे **जाने दीजिए**, उसे **पढ़ने दो**, सीता को हस्ताक्षर **करने दिया** गया, जनता को **जाने दो** आदि।

(११) **आवश्यकता-बोधक**—'पड़ना', 'होना' और 'चाहिए' के पहले क्रियार्थक संज्ञा का 'ना' रूप; जैसे—लोगों को काम **करना पड़ेगा**, अब मुझे घर **जाना होगा**, तुम्हें साफ-सफाई में **लग जाना चाहिए**, उसको वेतन **लेना चाहिए** आदि।

(१२) **अतिशयता-बोधक**—उसी क्रिया की द्विरुक्ति; जैसे—**सुनते-सुनते** ऊब गये, **लिखते-लिखते** परेशान हो गये, चलते-चलते थक गये, **बैठे-बैठे** उकता गये। आदि।

(३) अनुकरणात्मक क्रिया

किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है, उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे—

खट खट	खटखटाना	झन झन	झनझनाना
भन भन	भनभनाना	धड़ धड़	धड़धड़ाना
थर थर	थरथराना	थू थू	थूकना
सन सन	सनसनाना	भों भों	भोंकना
थप थप	थपथपाना	टर्र टर्र	टर्राना
छल छल	छलछलाना	फू फू	फूँकना

(४) नामधातु क्रिया

संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बननेवाली धातु को नामधातु कहते हैं। नामधातु से बननेवाली क्रिया नामधातु क्रिया कहलाती है। जैसे—

संज्ञा	नामधातु	नामधातु क्रिया
बात	बता	बताना
माटी	मटिया	मटियाना
चक्कर	चकरा	चकराना
लज्जा	लजा	लजाना
हाथ	हथिया	हथियाना

विशेषण	नामधातु	नामधातु क्रिया
चिकना	चिकना	चिकनाना
साठ	सठिया	सठियाना
खट्टा	खटा	खटाना
सूखा	सुखा	सुखाना

सर्वनाम	नामधातु	नामधातु क्रिया
अपना	अपना	अपनाना

क्रिया-विशेषण	नामधातु	नामधातु क्रिया
ऊपर	उपरा	उपराना
भीतर	भितरा	भितराना

प्रश्न और अभ्यास

१. धातु और क्रिया का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

२. क्रिया के 'व्यापार' और फल' का क्या तात्पर्य है।

३. क्रिया की परिभाषा लिखकर उसके भेद-उपभेद (प्रयोग की दृष्टि से) समझाइये।

४. अकर्मक और सकर्मक क्रिया का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

५. अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं में क्या अन्तर है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

६. सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं में क्या अन्तर है? उदाहरण देकर समझाइए।

७. कर्म-पूर्ति और उद्देश्य-पूर्ति का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

८. द्विकर्मक क्रिया में प्रयुक्त दोनों कर्मों के नाम बताते हुए उनकी पहचान लिखिए।

९. उभयविध और सजातीय क्रियाओं की पहचान बताते हुए उनके पाँच-पाँच उदाहरण लिखिए।

१०. रूढ़ और यौगिक क्रिया का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

११. प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा देते हुए प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

१२. संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं ? अर्थ की दृष्टि से उसके भेद सोदाहरण समझाइए।

१३. अनुकरणात्मक और नाम धातु क्रियाओं के पांच-पांच उदाहरण लिखिए।

१४. निम्नलिखित में से सही कथनों पर (✓) तथा गलत कथनों पर (×) निशान लगाइए—

(क) 'मेरा भाई नेता बनेगा' वाक्य में 'नेता' शब्द 'बनेगा' क्रिया कर्म हैं। ( )

(ख) सकर्मक क्रिया में व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है। ( )

(ग) मुख्य कर्म किसी पदार्थ का और गौण कर्म किसी प्राणी का बोध कराता है। ( )

(घ) 'उपराना' नाम धातु क्रिया है। ( )

(च) 'सनसनाना' अनुकरणात्मक क्रिया है। ( )

(छ) वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में परिवर्तन करने से मुख्य क्रिया के अर्थ नहीं बदलते। ( )

(ज) प्रेरणार्थक क्रियाएँ सकर्मक होती हैं। ( )

(झ) 'आना', 'पड़ना', 'सकना' और 'होना' से प्रेरणार्थक क्रियाएँ बनती हैं। ( )

(ट) 'लँगड़ाना' और 'खिसकना' से प्रेरणार्थक क्रियाएँ नहीं बनतीं। ( )

(ठ) 'बोले चला जाना' और 'खाते नहीं बनता' संयुक्त क्रियाएँ हैं। ( )

१५. निम्नलिखित क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप लिखिए—

लिखना, करना, पढ़ना, पिटना, धोना, गिरना, भूखना, टूटना, बोलना, सूखना।

१६. निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक, सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक और द्विकर्मक क्रियाएँ छाँटिए—

(क) मोहन खेलता है।

(ख) गीता कपड़े खरीदती है।

(ग) यह कमीज बेकार निकली ।
(घ) उसने भिखारी को वस्त्र दिए ।
(च) शिक्षक ने स्मिता को चोर कहा ।
(छ) बालक दौड़ता है ।
(ज) मैंने तुम्हें जल्दबाज समझा था ।
(झ) महात्मा गाँधी महान् थे ।
(ट) अनिल न जाने कितनी पुस्तकें पढ़ गया ।
(ठ) तुम क्या करते हो ?

क्रिया-विशेषण

जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताये, उसे क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे—

मैं **परसों** जाऊँगा।

उसे **शीघ्र** लौटना है।

लड़का **तेज** दौड़ा।

आजकल आप क्या करते हैं ?

उपर्युक्त वाक्यों में 'परसों', शीघ्र', 'तेज' और 'आजकल' शब्द क्रिया-विशेषण हैं, क्योंकि ये क्रमशः 'जाऊँगा', 'लौटना है', 'दौड़ा' और 'करते हैं' क्रियाओं की विशेषता बताते हैं।

कुछ विद्वान् विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को भी क्रिया-विशेषण कहते हैं, किन्तु जैसा पहले बताया जा चुका है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को 'प्रविशेषण' कहते हैं। 'वह बहुत बुद्धिमान लड़का है' में 'बुद्धिमान' शब्द 'लड़का' संज्ञा की विशेषता बताता है, अतः विशेषण है। 'बहुत' शब्द 'बुद्धिमान' विशेषण की विशेषता बताता है, इसलिए यह 'प्रविशेषण' है। 'बहुत' शब्द को किसी भी स्थिति में क्रिया-विशेषण न माना जाय।

कभी-कभी क्रिया की विशेषता बताने वाले दो क्रिया-विशेषण एक साथ आ जाते हैं। वे दोनों संयुक्त या सामाजिक क्रिया-विशेषण कहलाते हैं। जैसे—

लड़का **बहुत तेज** दौड़ा।

लड़की **बड़ा अच्छा** गाती है।

उपर्युक्त वाक्यों में 'बहुत तेज' और 'बड़ा अच्छा' संयुक्त सामाजिक क्रिया-विशेषण हैं, जो क्रमशः 'दौड़ा' और 'गाती है' क्रियाओं की विशेषता बताते हैं।

अर्थ की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद

(१) स्थानवाचक।

(२) कालवाचक।

(३) रीतिवाचक।

(४) परिमाणवाचक।

(१) **स्थानवाचक क्रिया-विशेषण**—जिस क्रिया-विशेषण से क्रिया की स्थिति या दिशा का बोध हो, उसे स्थानवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे—

हम **बाहर** जायेंगे।
अन्दर अँधेरा है।
तुम्हें **उधर** जाना चाहिए।
दायें मुड़ो।

उपर्युक्त वाक्यों में 'बाहर' और 'अन्दर' क्रियाओं की स्थिति का बोध कराते हैं तथा 'उधर' और 'दायें' क्रियाओं को दिशा का बोध कराते हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया-विशेषण हैं। स्थिति का बोध कराने वाले स्थानवाचक क्रिया-विशेषण 'कहाँ' का उत्तर सूचित करते हैं (कहाँ जायेंगे ?—'बाहर' जायेंगे।) और दिशा का बोध कराने वाले स्थानवाचक क्रिया-विशेषण 'किधर' का उत्तर सूचित करते हैं (किधर मुड़ो ?—दायें मुड़ो।)

यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, बाहर, भीतर, समीप, दूर, सर्वत्र, इधर, उधर, किधर, जिधर, दायें आदि स्थानवाचक क्रिया-विशेषण हैं।

(२) **कालवाचक क्रिया-विशेषण**—जिस क्रिया-विशेषण से क्रिया के काल (अर्थात् 'कब' का उत्तर) का बोध हो, उसे कालवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे—

मेरा भाई **आज** बनारस जायेगा।
गाड़ी **अभी** आयेगी।
हम **प्रतिदिन** घूमने जाते हैं।
आजकल आप कहाँ रहते हैं ?

उपर्युक्त वाक्यों में 'आज', 'अभी', 'प्रतिदिन' और 'आजकल' क्रियाओं के समय की सूचना देते हैं, इसलिए ये कालवाचक क्रिया-विशेषण हैं।

आज, कल, परसों, अब, जब, तब, कब, अभी, जभी, तभी, फिर, तुरन्त, पहले, पीछे, आखिर, आजकल, नित्य, सदा, अब तक, तब तक, निरन्तर, लगातार, दिन-भर, कब का, बार-बार, बहुधा, प्रतिदिन, हर रोज, घड़ी-घड़ी, हर बार, हर दफा आदि कालवाचक क्रिया-विशेषण हैं।

(३) **रीतिवाचक क्रिया-विशेषण**—जिस क्रिया-विशेषण से क्रिया की रीति (अर्थात् 'कैसे' का उत्तर) का बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे—

उस दिन मेहमान **अचानक** पहुँचे।
सेना **पैदल** चलती है।
हम **यथाशक्ति** प्रयास करेंगे।
वह **सचमुच** चला गया।

क्रिया-विशेषण

जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताये, उसे क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे—

मैं **परसों** जाऊँगा।

उसे **शीघ्र** लौटना है।

लड़का **तेज** दौड़ा।

आजकल आप क्या करते हैं ?

उपर्युक्त वाक्यों में 'परसों', शीघ्र', 'तेज' और 'आजकल' शब्द क्रिया-विशेषण हैं, क्योंकि ये क्रमशः 'जाऊँगा', 'लौटना है', 'दौड़ा' और 'करते हैं' क्रियाओं की विशेषता बताते हैं।

कुछ विद्वान् विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को भी क्रिया-विशेषण कहते हैं, किन्तु जैसा पहले बताया जा चुका है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को 'प्रविशेषण' कहते हैं। 'वह बहुत बुद्धिमान लड़का है' में 'बुद्धिमान' शब्द 'लड़का' संज्ञा की विशेषता बताता है, अतः विशेषण है। 'बहुत' शब्द 'बुद्धिमान' विशेषण की विशेषता बताता है, इसलिए यह 'प्रविशेषण' है। 'बहुत' शब्द को किसी भी स्थिति में क्रिया-विशेषण न माना जाय।

कभी-कभी क्रिया की विशेषता बताने वाले दो क्रिया-विशेषण एक साथ आ जाते हैं। वे दोनों संयुक्त या सामाजिक क्रिया-विशेषण कहलाते हैं। जैसे—

लड़का **बहुत तेज** दौड़ा।

लड़की **बड़ा अच्छा** गाती है।

उपर्युक्त वाक्यों में 'बहुत तेज' और 'बड़ा अच्छा' संयुक्त सामाजिक क्रिया-विशेषण हैं, जो क्रमशः 'दौड़ा' और 'गाती है' क्रियाओं की विशेषता बताते हैं।

अर्थ की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद

(१) स्थानवाचक।

(२) कालवाचक।

(३) रीतिवाचक।

(४) परिमाणवाचक।

(१) **स्थानवाचक क्रिया-विशेषण**—जिस क्रिया-विशेषण से क्रिया की स्थिति या दिशा का बोध हो, उसे स्थानवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं । जैसे—

हम **बाहर** जायेंगे ।
अन्दर अँधेरा है ।
तुम्हें **उधर** जाना चाहिए ।
दायें मुड़ो ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'बाहर' और 'अन्दर' क्रियाओं की स्थिति का बोध कराते हैं तथा 'उधर' और 'दायें' क्रियाओं को दिशा का बोध कराते हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया-विशेषण हैं । स्थिति का बोध कराने वाले स्थानवाचक क्रिया-विशेषण 'कहाँ' का उत्तर सूचित करते हैं (कहाँ जायेंगे ?—'बाहर' जायेंगे ।) और दिशा का बोध कराने वाले स्थानवाचक क्रिया-विशेषण 'किधर' का उत्तर सूचित करते हैं (किधर मुड़ो ?—दायें मुड़ो ।)

यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, बाहर, भीतर, समीप, दूर, सर्वत्र, इधर, उधर, किधर, जिधर, दायें आदि स्थानवाचक क्रिया-विशेषण हैं ।

(२) **कालवाचक क्रिया-विशेषण**—जिस क्रिया-विशेषण से क्रिया के काल (अर्थात् 'कब' का उत्तर) का बोध हो, उसे कालवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं । जैसे—

मेरा भाई **आज** बनारस जायेगा ।
गाड़ी **अभी** आयेगी ।
हम **प्रतिदिन** घूमने जाते हैं ।
आजकल आप कहाँ रहते हैं ?

उपर्युक्त वाक्यों में 'आज', 'अभी', 'प्रतिदिन' और 'आजकल' क्रियाओं के समय की सूचना देते हैं, इसलिए ये कालवाचक क्रिया-विशेषण हैं ।

आज, कल, परसों, अब, जब, तब, कब, अभी, जभी, तभी, फिर, तुरन्त, पहले, पीछे, आखिर, आजकल, नित्य, सदा, अब तक, तब तक, निरन्तर, लगातार, दिन-भर, कब का, बार-बार, बहुधा, प्रतिदिन, हर रोज, घड़ी-घड़ी, हर बार, हर दफा आदि कालवाचक क्रिया-विशेषण हैं ।

(३) **रीतिवाचक क्रिया-विशेषण**—जिस क्रिया-विशेषण से क्रिया की रीति (अर्थात् 'कैसे' का उत्तर) का बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं । जैसे—

उस दिन मेहमान **अचानक** पहुँचे ।
सेना **पैदल** चलती है ।
हम **यथाशक्ति** प्रयास करेंगे ।
वह **सचमुच** चला गया ।

क्रिया-विशेषण

जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताये, उसे क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे—

मैं **परसों** जाऊँगा।

उसे **शीघ्र** लौटना है।

लड़का **तेज** दौड़ा।

आजकल आप क्या करते हैं ?

उपर्युक्त वाक्यों में 'परसों', शीघ्र', 'तेज' और 'आजकल' शब्द क्रिया-विशेषण हैं, क्योंकि ये क्रमशः 'जाऊँगा', 'लौटना है', 'दौड़ा' और 'करते हैं' क्रियाओं की विशेषता बताते हैं।

कुछ विद्वान् विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को भी क्रिया-विशेषण कहते हैं, किन्तु जैसा पहले बताया जा चुका है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को 'प्रविशेषण' कहते हैं। 'वह बहुत बुद्धिमान लड़का है' में 'बुद्धिमान' शब्द 'लड़का' संज्ञा की विशेषता बताता है, अतः विशेषण है। 'बहुत' शब्द 'बुद्धिमान' विशेषण की विशेषता बताता है, इसलिए यह 'प्रविशेषण' है। 'बहुत' शब्द को किसी भी स्थिति में क्रिया-विशेषण न माना जाय।

कभी-कभी क्रिया की विशेषता बताने वाले दो क्रिया-विशेषण एक साथ आ जाते हैं। वे दोनों संयुक्त या सामाजिक क्रिया-विशेषण कहलाते हैं। जैसे—

लड़का **बहुत तेज** दौड़ा।

लड़की **बड़ा अच्छा** गाती है।

उपर्युक्त वाक्यों में 'बहुत तेज' और 'बड़ा अच्छा' संयुक्त सामाजिक क्रिया-विशेषण हैं, जो क्रमशः 'दौड़ा' और 'गाती है' क्रियाओं की विशेषता बताते हैं।

अर्थ की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद

(१) स्थानवाचक।

(२) कालवाचक।

(३) रीतिवाचक।

(४) परिमाणवाचक।

(१) **स्थानवाचक क्रिया-विशेषण**—जिस क्रिया-विशेषण से क्रिया की स्थिति या दिशा का बोध हो, उसे स्थानवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे—

हम **बाहर** जायेंगे।
अन्दर अँधेरा है।
तुम्हें **उधर** जाना चाहिए।
दायें मुड़ो।

उपर्युक्त वाक्यों में 'बाहर' और 'अन्दर' क्रियाओं की स्थिति का बोध कराते हैं तथा 'उधर' और 'दायें' क्रियाओं को दिशा का बोध कराते हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया-विशेषण हैं। स्थिति का बोध कराने वाले स्थानवाचक क्रिया-विशेषण 'कहाँ' का उत्तर सूचित करते हैं (कहाँ जायेंगे ?—'बाहर' जायेंगे।) और दिशा का बोध कराने वाले स्थानवाचक क्रिया-विशेषण 'किधर' का उत्तर सूचित करते हैं (किधर मुड़ो ?—दायें मुड़ो।)

यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, बाहर, भीतर, समीप, दूर, सर्वत्र, इधर, उधर, किधर, जिधर, दायें आदि स्थानवाचक क्रिया-विशेषण हैं।

(२) **कालवाचक क्रिया-विशेषण**—जिस क्रिया-विशेषण से क्रिया के काल (अर्थात् 'कब' का उत्तर) का बोध हो, उसे कालवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे—

मेरा भाई **आज** बनारस जायेगा।
गाड़ी **अभी** आयेगी।
हम **प्रतिदिन** घूमने जाते हैं।
आजकल आप कहाँ रहते हैं ?

उपर्युक्त वाक्यों में 'आज', 'अभी', 'प्रतिदिन' और 'आजकल' क्रियाओं के समय की सूचना देते हैं, इसलिए ये कालवाचक क्रिया-विशेषण हैं।

आज, कल, परसों, अब, जब, तब, कब, अभी, जभी, तभी, फिर, तुरन्त, पहले, पीछे, आखिर, आजकल, नित्य, सदा, अब तक, तब तक, निरन्तर, लगातार, दिन-भर, कब का, बार-बार, बहुधा, प्रतिदिन, हर रोज, घड़ी-घड़ी, हर बार, हर दफा आदि कालवाचक क्रिया-विशेषण हैं।

(३) **रीतिवाचक क्रिया-विशेषण**—जिस क्रिया-विशेषण से क्रिया की रीति (अर्थात् 'कैसे' का उत्तर) का बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे—

उस दिन मेहमान **अचानक** पहुँचे।
सेना **पैदल** चलती है।
हम **यथाशक्ति** प्रयास करेंगे।
वह **सचमुच** चला गया।

उपर्युक्त वाक्यों में 'अचानक', 'पैदल', 'यथाशक्ति' और 'सचमुच' क्रियाओं की रीति प्रकट करते हैं, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया-विशेषण हैं।

रीतिवाचक क्रिया-विशेषण के निम्नलिखित भेद हैं—

(क) प्रकार-बोधक जैसे—

गाड़ी **धीरे** चलती है।

सहसा बिजली चमकी।

ऐसे, वैसे, जैसे, कैसे, धीरे, अचानक, सहसा, सहज, यों ही, पैदल, जैसे-तैसे, परस्पर, एकाएक, मन से, ध्यानपूर्वक, यथाशक्ति, हँसकर, मुस्कराकर, फटाफट, झट से, अकस्मात, यों ही, विनयपूर्वक आदि शब्द प्रकार-बोधक रीतिवाचक क्रिया-विशेषण हैं।

(ख) निश्चय-बोधक; जैसे—

वह **अवश्य** उत्तीर्ण होगा।

हम **सचमुच** खाना खा चुके।

अवश्य, सचमुच, यथार्थतः, निस्सन्देह, बेशक, जरूर, दरअसल, वास्तव में आदि शब्द निश्चय-बोधक रीतिवाचक क्रिया-विशेषण हैं।

(ग) अनिश्चय-बोधक; जैसे—

संभवतः वह विदेश जायेगा।

शायद आज पत्र आये।

संभवतः, शायद, शायद ही, कदाचित्, बहुत करके, यथासंभव आदि शब्द अनिश्चय-बोधक रीतिवाचक क्रिया-विशेषण हैं।

(घ) कारण-बोधक; जैसे—

आपने **किसलिए** उसे बुलाया ?

मैं बीमार हूँ, **इसलिए** आपके यहाँ नहीं आ सकूंगा।

किसलिए, इसलिए, अतः, क्यों आदि शब्द कारण-बोधक रीतिवाचक क्रिया-विशेषण हैं।

(च) निषेध-बोधक; जैसे—

वह **नहीं** जायेगा।

मुझसे पूछे बिना **न** जाना।

मत जाओ।

'नहीं', 'न' और 'मत'—तीनों निषेध-बोधक रीतिवाचक क्रिया-विशेषण निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त होते हैं—

(अ) सामान्य, हेतुहेतुमद्भूत, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और पूर्ण वर्तमान काल में 'नहीं' का प्रयोग होता है। जैसे—मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं गया हूँ।

(ब) दो या अधिक में निषेध बताने के लिए 'न' का प्रयोग होता है। जैसे—न सीता आई, न श्याम। यहाँ न न्याय है, न विचार है।

(ख) विधि-क्रिया में 'न' का प्रयोग होता है। जैसे—**ऐसी गलती न कर** बैठना।

(ई) विधि-क्रिया में 'मत' का भी प्रयोग होता है। जैसे—**शोर मत मचाओ।** उधर मत बैठो।

बहुधा 'न' का प्रयोग साधारण निषेध के अर्थ में और 'नहीं' का प्रयोग निश्चित निषेध के अर्थ में होता है। जैसे—वह न दौड़े। तुम मत दौड़ना।

(उ) कभी-कभी 'न' का प्रयोग प्रश्नवाचक क्रिया-विशेषण के रूप में होता है। जैसे—तुम मेरी बात मानोगे न ?

(निषेध व्यक्त करने के लिए निश्चयार्थ में नहीं, प्रत्यक्ष विधि में 'मत' और परोक्ष विधि में 'न' का प्रयोग होता है।)

(छ) अनुकरण-बोधक; जैसे—

वह **सरसर** चला गया।

उन्होंने लड़के को **तड़ातड़** पीट दिया।

गटगट, सरसर, धड़ाधड़, तड़ातड़, फड़ाफड़, पटपट आदि शब्द अनुकरण बोधक रीतिवाचक क्रिया-विशेषण हैं।

(ज) अवधारण-बोधक; जैसे—

वह **भी** खायेगी।

तुम वर्ष **भर** परिश्रम करो।

तो, ही, भी, भर, तक, मात्र आदि शब्द अवधारण-बोधक रीतिवाचक क्रिया-विशेषण हैं।

(४) **परिमाण-बोधक क्रिया-विशेषण**—जिस क्रिया-विशेषण से क्रिया के परिमाण (अर्थात् 'कितना' का उत्तर) का बोध हो, उसे परिमाण-बोधक क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे—

उसने बच्चे को **बहुत** मारा।

वह **खूब** बोलती है।

स्त्री **कुछ** लजाती है।

लोग गाँधी को **बिल्कुल** भूल गये।

अति, अत्यन्त, थोड़ा, कुछ, बहुत, कम, तनिक, अतिशय, इतना, उतना, कितना, जितना, प्रायः, निपट, निरा, केवल, खूब, बिल्कुल आदि शब्द परिमाण-बोधक क्रिया-विशेषण हैं।

(५) **प्रश्न-वाचक क्रिया-विशेषण**—जिस क्रिया-विशेषण का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है, उसे प्रश्न-वाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे—

तुम **कैसे** जाओगे ?

वह **कहाँ** गया है ?

गाड़ी **कब** आयेगी ?

उसे **क्यों** भेज दिया ?

कैसे, कहाँ, कब, क्यों, क्या, क्योंकर, किस प्रकार, कहाँ तक आदि शब्द प्रश्न-वाचक क्रिया-विशेषण हैं। ये क्रिया-विशेषण कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक अथवा परिमाण-बोधक होते हैं।

प्रयोग की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद—

(१) **साधारण क्रिया-विशेषण**—जिस क्रिया-विशेषण का प्रयोग वाक्य में स्वतन्त्र रूप से होता है, उसे साधारण क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे—गाड़ी **धीरे** चलती है। वह **अच्छा** गाती है। **अब** मैं चला।

(२) **संयोजक क्रिया-विशेषण**—जिस क्रिया-विशेषण का सम्बन्ध अन्य उपवाक्य के किसी क्रिया-विशेषण से रहता है, उसे संयोजक क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे—

वह **जितना** बोलता है, **उतना** ही करता है। **जहाँ** धर्म है, वहाँ विजय है। **जब** पृथ्वी तपती है, **तब** वर्षा होती है।

(३) **अनुबद्ध क्रिया-विशेषण**—जिन क्रिया-विशेषण का प्रयोग वाक्य में समुच्चय-बोधक और विस्मयादि-बोधक को छोड़ अन्य किसी शब्द-भेद के साथ अवधारण के लिए होता है, उसे अनुबद्ध क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे—

वह गया **तो** था ; तुम कल **भी नहीं** आये थे।

साँप **भी** मरा, लाठी **भी** टूटी।

रचना की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद—

(१) **मूल क्रिया-विशेषण**—जो क्रिया-विशेषण किसी दूसरे शब्द से नहीं बने होते, मूल क्रिया-विशेषण कहलाते हैं जैसे—आगे, फिर, ठीक, पास आदि।

(२) **यौगिक क्रिया-विशेषण**—जो क्रिया-विशेषण दूसरे शब्दों की सहायता से बनते हैं, यौगिक क्रिया-विशेषण कहलाते हैं।

यौगिक क्रिया-विशेषण तीन प्रकार से बनते हैं—

(अ) अन्याय शब्द-भेदों में प्रत्यय या शब्दांश जोडने से (आ) शब्दों की द्विरुक्ति से। (इ) भिन्न-भिन्न शब्दों के मेल से।

(अ) अन्यान्य शब्द-भेदों में प्रत्यय या शब्दांश जोड़ने से

(क) संज्ञा से—रात भर, श्रद्धापूर्वक, सबेरे तक, नियम से आदि।

(ख) सर्वनाम से—

सर्वनाम	कालवाचक क्रिया-विशेषण	स्थानवाचक क्रिया-विशेषण	रीतिवाचक क्रिया-विशेषण	परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण
यह	अब	यहाँ, इधर	ऐसे, यों	इतना
वह	तब	वहाँ, उधर	वैसे	उतना
जो	जब	जहाँ, जिधर	जैसे, ज्यों	जितना
कौन	कब	कहाँ, किधर	कैसे, क्यों	कितना

(ग) विशेषण से—तेज, अच्छा, ठीक, पहले आदि।

(घ) क्रिया से—चाहे, लिए, खाते, पीते आदि।

(च) क्रिया-विशेषण से—ऊपर तक, वहाँ से, वहाँ तक, अभी (अब + ही), तभी (तब + ही), कहीं (कहाँ + ही), यहीं (यहाँ + हीं), कब + भी (कभी) आदि।

(आ) शब्दों की द्विरुक्ति से—

(क) संज्ञाओं की द्विरुक्ति से—नगर-नगर, हाथों-हाथ, कदम-कदम, पल-पल आदि।

(ख) विशेषणों की द्विरुक्ति से—साफ-साफ, एकाएक, ठीक-ठीक, कठिन-कठिन आदि।

(ग) क्रिया-विशेषणों की द्विरुक्ति से—अभी-अभी, जब-जब, धीरे-धीरे, पहले-पहले आदि।

(इ) भिन्न-भिन्न शब्दों के मेल से—

(क) दो भिन्न-भिन्न संज्ञाओं के मेल से—रात-दिन, घर-बाहर, सुबह-शाम, आँगन-द्वार आदि।

(ख) दो भिन्न-भिन्न क्रिया-विशेषणों के मेल से—जब-तब, यहाँ तक, आज-कल, ज्यों-त्यों जब कभी आदि।

(ग) संज्ञा और विशेषण के मेल से—हर पल, प्रतिदिन, एक साथ, लगातार आदि।

(घ) क्रिया-विशेषण और दूसरे शब्दों के मेल से—यथाशक्ति, अनजाने, भरसक शक्तिभर आदि।

(च) पूर्वकालिक कृदन्त और विशेषण के मेल से—एक-एक करके, विशेष करके, खास करके, मुख्य करके आदि।

स्थानीय क्रिया-विशेषण—दूसरे शब्द-भेद जो बिना किसी रूपान्तर के क्रिया-विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, स्थानीय क्रिया-विशेषण कहलाते हैं। जैसे—

(अ) संज्ञा—वह **मेरा सिर** करेगा।

(आ) सर्वनाम—तुम उसे **क्या** बुलाओगे।

(इ) विशेषण—वह **अच्छा** खेलता है।

(ई) वर्तमानकालिक कृदन्त—सीता **रोती हुई** जा रही है।

(उ) भूतकालिक कृदन्त—लड़का **घबराया हुआ** पहुँचा।

(ऊ) पूर्वकालिक कृदन्त—कौन **लेटकर** पढ़ता है?

प्रश्न और अभ्यास

१. अविकारी शब्द से आप क्या समझते हैं? अव्यय और अविकारी शब्द में क्या अन्तर है?

कैसे, कहाँ, कब, क्यों, क्या, क्योंकर, किस प्रकार, कहाँ तक आदि शब्द प्रश्न-वाचक क्रिया-विशेषण हैं। ये क्रिया-विशेषण कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक अथवा परिमाण-बोधक होते हैं।

प्रयोग की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद—

(१) **साधारण क्रिया-विशेषण**—जिस क्रिया-विशेषण का प्रयोग वाक्य में स्व-तन्त्र रूप से होता है, उसे साधारण क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे—गाड़ी **धीरे** चलती है। वह **अच्छा** गाती है। **अब** मैं चला।

(२) **संयोजक क्रिया-विशेषण**—जिस क्रिया-विशेषण का सम्बन्ध अन्य उप-वाक्य के किसी क्रिया-विशेषण से रहता है, उसे संयोजक क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे—

वह **जितना** बोलता है, **उतना** ही करता है। **जहाँ** धर्म है, वहाँ विजय है। **जब** पृथ्वी तपती है, **तब** वर्षा होती है।

(३) **अनुबद्ध क्रिया-विशेषण**—जिन क्रिया-विशेषण का प्रयोग वाक्य में समुच्चय-बोधक और विस्मयादि-बोधक को छोड़ अन्य किसी शब्द-भेद के साथ अवधारण के लिए होता है, उसे अनुबद्ध क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे—

वह गया **तो** था; तुम कल **भी नहीं** आये थे।

साँप **भी** मरा, लाठी **भी** टूटी।

रचना की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद—

(१) **मूल क्रिया-विशेषण**—जो क्रिया-विशेषण किसी दूसरे शब्द से नहीं बने होते, मूल क्रिया-विशेषण कहलाते हैं जैसे—आगे, फिर, ठीक, पास आदि।

(२) **यौगिक क्रिया-विशेषण**—जो क्रिया-विशेषण दूसरे शब्दों की सहायता से बनते हैं, यौगिक क्रिया-विशेषण कहलाते हैं।

यौगिक क्रिया-विशेषण तीन प्रकार से बनते हैं—

(अ) अन्याय शब्द-भेदों में प्रत्यय या शब्दांश जोडने से (आ) शब्दों की द्विरुक्ति से। (इ) भिन्न-भिन्न शब्दों के मेल से।

(अ) अन्यान्य शब्द-भेदों में प्रत्यय या शब्दांश जोड़ने से

(क) संज्ञा से—रात भर, श्रद्धापूर्वक, सबेरे तक, नियम से आदि।

(ख) सर्वनाम से—

सर्वनाम	कालवाचक क्रिया-विशेषण	स्थानवाचक क्रिया-विशेषण	रीतिवाचक क्रिया-विशेषण	परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण
यह	अब	यहाँ, इधर	ऐसे, यों	इतना
वह	तब	वहाँ, उधर	वैसे	उतना
जो	जब	जहाँ, जिधर	जैसे, ज्यों	जितना
कौन	कब	कहाँ, किधर	कैसे, क्यों	कितना

(ग) विशेषण से—तेज, अच्छा, ठीक, पहले आदि ।

(घ) क्रिया से—चाहे, लिए, खाते, पीते आदि ।

(च) क्रिया-विशेषण से—ऊपर तक, वहाँ से, वहाँ तक, अभी (अब + ही), तभी (तब + ही), कहीं (कहाँ + ही), यहीं (यहाँ + हीं), कब + भी (कभी) आदि ।

(आ) शब्दों की द्विरुक्ति से—

(क) संज्ञाओं की द्विरुक्ति से—नगर-नगर, हाथों-हाथ, कदम-कदम, पल-पल आदि ।

(ख) विशेषणों की द्विरुक्ति से—साफ-साफ, एकाएक, ठीक-ठीक, कठिन-कठिन आदि ।

(ग) क्रिया-विशेषणों की द्विरुक्ति से—अभी-अभी, जब-जब, धीरे-धीरे, पहले-पहले आदि ।

(इ) भिन्न-भिन्न शब्दों के मेल से—

(क) दो भिन्न-भिन्न संज्ञाओं के मेल से—रात-दिन, घर-बाहर, सुबह-शाम, आँगन-द्वार आदि ।

(ख) दो भिन्न-भिन्न क्रिया-विशेषणों के मेल से—जब-तब, यहाँ तक, आज-कल, ज्यों-त्यों जब कभी आदि ।

(ग) संज्ञा और विशेषण के मेल से—हर पल, प्रतिदिन, एक साथ, लगातार आदि ।

(घ) क्रिया-विशेषण और दूसरे शब्दों के मेल से—यथाशक्ति, अनजाने, भरसक शक्तिभर आदि ।

(च) पूर्वकालिक कृदन्त और विशेषण के मेल से—एक-एक करके, विशेष करके, खास करके, मुख्य करके आदि ।

स्थानीय क्रिया-विशेषण—दूसरे शब्द-भेद जो बिना किसी रूपान्तर के क्रिया-विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, स्थानीय क्रिया-विशेषण कहलाते हैं । जैसे—

(अ) संज्ञा—वह **मेरा सिर** करेगा ।

(आ) सर्वनाम—तुम उसे **क्या** बुलाओगे ।

(इ) विशेषण—वह **अच्छा** खेलता है ।

(ई) वर्तमानकालिक कृदन्त—सीता **रोती हुई** जा रही है ।

(उ) भूतकालिक कृदन्त—लड़का **घबराया हुआ** पहुँचा ।

(ऊ) पूर्वकालिक कृदन्त—कौन **लेटकर** पढ़ता है ?

प्रश्न और अभ्यास

१. अविकारी शब्द से आप क्या समझते हैं ? अव्यय और अविकारी शब्द में क्या अन्तर है ?

२. क्रिया-विशेषण की परिभाषा लिखिए और उसके भेद सोदाहरण समझाइए।

३. कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया-विशेषण का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

४. रीतिवाचक क्रिया-विशेषण के कितने भेद हैं ? उन्हें सोदाहरण समझाइए।

५. परिमाणबोधक विशेषण और परिमाणबोधक क्रिया-विशेषण में क्या अन्तर है ? उदाहरण देकर समझाइए।

६. प्रश्नवाचक क्रिया-विशेषण के कौन-से रूप कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणबोधक क्रिया-विशेषण होते हैं ?

७. साधारण, संयोजक और अनुबद्ध क्रिया-विशेषणों में क्या अन्तर है ? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

८. मूल और यौगिक क्रिया-विशेषण का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

९. स्थानीय क्रिया-विशेषण से क्या तात्पर्य है ? उदाहरण देकर समझाइए।

१०. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए--

(क) क्रिया की विशेषता बताने वाले दो क्रिया-विशेषण··············क्रिया-विशेषण कहलाते हैं।

(ख) स्थानवाचक क्रिया-विशेषण से···········प्रश्न का और कालवाचक क्रिया-विशेषण से·········प्रश्न का उत्तर मिलता है।

(ग) 'नहीं', 'न' और 'मत'·········क्रिया-विशेषण कहलाते हैं।

(घ) 'तो', 'ही', 'भी', 'तक' शब्द········क्रिया-विशेषण कहलाते हैं।

(च) दो या अधिक में निषेध बताने के लिए·········का प्रयोग होता है।

(छ) 'वह मेरा काम पत्थर करेगा' वाक्य में 'पत्थर' शब्द·······है।

(ज) परिमाणबोधक क्रिया-विशेषण से·········प्रश्न का उत्तर मिलता है।

११. क्रिया-विशेषणों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(अ) मेरी छोटी बहिन······बोलती है।

(ब) आपने······भाषण दिया।

(स) लोग गाँधीजी को·········भूल गये।

(द) गाड़ी·········आयेगी ?

(य)·········वह कल मेरे घर आयेगा।

(र)·········बिजली चमकी।

(ल) वह·········दौड़ता है।

(व) मैं अस्वस्थ हूँ·········आपका साथ न दे सकूँगा।

—

सम्बन्ध-सूचक

जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम का सम्बन्ध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द के साथ जोड़ता है, उसे सम्बन्ध-सूचक शब्द कहते हैं । जैसे—

(१) दीवाली के पहले मेरे घर की सफ़ाई हो जायेगी ।

(२) उसे काम के सिवा कुछ नहीं सूझता ।

(३) धूप के कारण उसका बुरा हाल था ।

(४) उस के द्वारा पत्र भिजवा देना ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'के पहले', 'के सिवा', 'के कारण' और 'के द्वारा' सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं । पहले वाक्य में 'पहले' सम्बन्ध-सूचक 'दीवाली' संज्ञा का सम्बन्ध 'हो जायेगी' क्रिया से, दूसरे वाक्य में, 'के सिवा' सम्बन्ध-सूचक 'काम' संज्ञा का सम्बन्ध 'नहीं सूझता' क्रिया से, तीसरे वाक्य में 'के कारण' सम्बन्ध-सूचक 'धूप' संज्ञा का सम्बन्ध 'हाल' संज्ञा से और चौथे वाक्य में 'के द्वारा' सम्बन्ध-सूचक 'उसके' सर्वनाम का सम्बन्ध 'पत्र' संज्ञा से है ।

अर्थ के अनुसार सम्बन्ध-सूचक शब्दों के भेद—

काल-वाचक; जैसे—

भोजन के उपरांत हम विश्राम करेंगे ।

गाड़ी समय से पूर्व आ पहुँची ।

के अनन्तर, के उपरान्त, के (से) पूर्व, के लगभग, के (से) बाद, के (से) आगे, के (से) पीछे, के पश्चात्, के (से) पहले, आदि काल-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं ।

स्थान-वाचक; जैसे—

नदी के किनारे मंदिर है ।

महाविद्यालय के पास उपाहार-गृह है ।

के समीप, के निकट, के पास, के नजदीक, के यहाँ, के (से) आगे, के (से) पीछे के बाहर, के भीतर, से दूर, के किनारे, से परे आदि शब्द स्थान-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं ।

दिशा-वाचक; जैसे—

नदी के उस पार गाँव है ।

घर के आस-पास सन्नाटा छाया रहता है ।

२. क्रिया-विशेषण की परिभाषा लिखिए और उसके भेद सोदाहरण समझाइए।

३. कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया-विशेषण का अन्तर स्पष्ट कीजिए ।

४. रीतिवाचक क्रिया-विशेषण के कितने भेद हैं ? उन्हें सोदाहरण समझाइए ।

५. परिमाणबोधक विशेषण और परिमाणबोधक क्रिया-विशेषण में क्या अन्तर है ? उदाहरण देकर समझाइए ।

६. प्रश्नवाचक क्रिया-विशेषण के कौन-से रूप कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणबोधक क्रिया-विशेषण होते हैं ?

७. साधारण, संयोजक और अनुबद्ध क्रिया-विशेषणों में क्या अन्तर है ? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए ।

८. मूल और यौगिक क्रिया-विशेषण का अन्तर स्पष्ट कीजिए ।

९. स्थानीय क्रिया-विशेषण से क्या तात्पर्य है ? उदाहरण देकर समझाइए ।

१०. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(क) क्रिया की विशेषता बताने वाले दो क्रिया-विशेषण·············क्रिया-विशेषण कहलाते हैं ।

(ख) स्थानवाचक क्रिया-विशेषण से···········प्रश्न का और कालवाचक क्रिया-विशेषण से·········प्रश्न का उत्तर मिलता है ।

(ग) 'नहीं', 'न' और 'मत'·········क्रिया-विशेषण कहलाते हैं ।

(घ) 'तो', 'ही', 'भी', 'तक' शब्द········क्रिया-विशेषण कहलाते हैं ।

(च) दो या अधिक में निषेध बताने के लिए·········का प्रयोग होता है ।

(छ) 'वह मेरा काम पत्थर करेगा' वाक्य में 'पत्थर' शब्द·······है ।

(ज) परिमाणबोधक क्रिया-विशेषण से·········प्रश्न का उत्तर मिलता है ।

११. क्रिया-विशेषणों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(अ) मेरी छोटी बहिन······बोलती है ।

(ब) आपने······भाषण दिया ।

(स) लोग गाँधीजी को·········भूल गये ।

(द) गाड़ी·········आयेगी ?

(य)·········वह कल मेरे घर आयेगा ।

(र)·········बिजली चमकी ।

(ल) वह·········दौड़ता है ।

(व) मैं अस्वस्थ हूँ·········आपका साथ न दे सकूँगा ।

—————

सम्बन्ध-सूचक

जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम का सम्बन्ध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द के साथ जोड़ता है, उसे सम्बन्ध-सूचक शब्द कहते हैं । जैसे—

(१) दीवाली के पहले मेरे घर की सफ़ाई हो जायेगी ।

(२) उसे काम के सिवा कुछ नहीं सूझता ।

(३) धूप के कारण उसका बुरा हाल था ।

(४) उस के द्वारा पत्र भिजवा देना ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'के पहले', 'के सिवा', 'के कारण' और 'के द्वारा' सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं । पहले वाक्य में 'पहले' सम्बन्ध-सूचक 'दीवाली' संज्ञा का सम्बन्ध 'हो जायेगी' क्रिया से, दूसरे वाक्य में, 'के सिवा' सम्बन्ध-सूचक 'काम' संज्ञा का सम्बन्ध 'नहीं सूझता' क्रिया से, तीसरे वाक्य में 'के कारण' सम्बन्ध-सूचक 'धूप' संज्ञा का सम्बन्ध 'हाल' संज्ञा से और चौथे वाक्य में 'के द्वारा' सम्बन्ध-सूचक 'उसके' सर्वनाम का सम्बन्ध 'पत्र' संज्ञा से है ।

अर्थ के अनुसार सम्बन्ध-सूचक शब्दों के भेद—

काल-वाचक; जैसे—

भोजन के उपरांत हम विश्राम करेंगे ।

गाड़ी **समय से पूर्व** आ पहुँची ।

के अनन्तर, के उपरान्त, के (से) पूर्व, के लगभग, के (से) बाद, के (से) आगे, के (से) पीछे, के पश्चात्, के (से) पहले, आदि काल-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं ।

स्थान-वाचक; जैसे—

नदी **के किनारे** मंदिर है ।

महाविद्यालय **के पास** उपाहार-गृह है ।

के समीप, के निकट, के पास, के नजदीक, के यहाँ, के (से) आगे, के (से) पीछे के बाहर, के भीतर, से दूर, के किनारे, से परे आदि शब्द स्थान-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं ।

दिशा-वाचक; जैसे—

नदी के **उस पार** गाँव है ।

घर के **आस-पास** सन्नाटा छाया रहता है ।

२. क्रिया-विशेषण की परिभाषा लिखिए और उसके भेद सोदाहरण समझाइए।

३. कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया-विशेषण का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

४. रीतिवाचक क्रिया-विशेषण के कितने भेद हैं ? उन्हें सोदाहरण समझाइए।

५. परिमाणबोधक विशेषण और परिमाणबोधक क्रिया-विशेषण में क्या अन्तर है ? उदाहरण देकर समझाइए।

६. प्रश्नवाचक क्रिया-विशेषण के कौन-से रूप कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणबोधक क्रिया-विशेषण होते हैं ?

७. साधारण, संयोजक और अनुबद्ध क्रिया-विशेषणों में क्या अन्तर है ? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

८. मूल और यौगिक क्रिया-विशेषण का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

९. स्थानीय क्रिया-विशेषण से क्या तात्पर्य है ? उदाहरण देकर समझाइए।

१०. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(क) क्रिया की विशेषता बताने वाले दो क्रिया-विशेषण··············क्रिया-विशेषण कहलाते हैं।

(ख) स्थानवाचक क्रिया-विशेषण से···········प्रश्न का और कालवाचक क्रिया-विशेषण से·········प्रश्न का उत्तर मिलता है।

(ग) 'नहीं', 'न' और 'मत'·········क्रिया-विशेषण कहलाते हैं।

(घ) 'तो', 'ही', 'भी', 'तक' शब्द·········क्रिया-विशेषण कहलाते हैं।

(च) दो या अधिक में निषेध बताने के लिए·········का प्रयोग होता है।

(छ) 'वह मेरा काम पत्थर करेगा' वाक्य में 'पत्थर' शब्द······है।

(ज) परिमाणबोधक क्रिया-विशेषण से·········प्रश्न का उत्तर मिलता है।

११. क्रिया-विशेषणों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(अ) मेरी छोटी बहिन······बोलती है।

(ब) आपने······भाषण दिया।

(स) लोग गाँधीजी को·········भूल गये।

(द) गाड़ी·········आयेगी ?

(य)·········वह कल मेरे घर आयेगा।

(र)·········बिजली चमकी।

(ल) वह·········दौड़ता है।

(ब) मैं अस्वस्थ हूँ·········आपका साथ न दे सकूँगा।

———

सम्बन्ध-सूचक

जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम का सम्बन्ध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द के साथ जोड़ता है, उसे सम्बन्ध-सूचक शब्द कहते हैं। जैसे—

(१) दीवाली के पहले मेरे घर की सफ़ाई हो जायेगी।

(२) उसे काम के सिवा कुछ नहीं सूझता।

(३) धूप के कारण उसका बुरा हाल था।

(४) उस के द्वारा पत्र भिजवा देना।

उपर्युक्त वाक्यों में 'के पहले', 'के सिवा', 'के कारण' और 'के द्वारा' सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं। पहले वाक्य में 'पहले' सम्बन्ध-सूचक 'दीवाली' संज्ञा का सम्बन्ध 'हो जायेगी' क्रिया से, दूसरे वाक्य में, 'के सिवा' सम्बन्ध-सूचक 'काम' संज्ञा का सम्बन्ध 'नहीं सूझता' क्रिया से, तीसरे वाक्य में 'के कारण' सम्बन्ध-सूचक 'धूप' संज्ञा का सम्बन्ध 'हाल' संज्ञा से और चौथे वाक्य में 'के द्वारा' सम्बन्ध-सूचक 'उसके' सर्वनाम का सम्बन्ध 'पत्र' संज्ञा से है।

अर्थ के अनुसार सम्बन्ध-सूचक शब्दों के भेद—

काल-वाचक; जैसे—

भोजन के उपरांत हम विश्राम करेंगे।

गाड़ी समय से पूर्व आ पहुँची।

के अनन्तर, के उपरान्त, के (से) पूर्व, के लगभग, के (से) बाद, के (से) आगे, के (से) पीछे, के पश्चात्, के (से) पहले, आदि काल-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

स्थान-वाचक; जैसे—

नदी के **किनारे** मंदिर है।

महाविद्यालय **के पास** उपाहार-गृह है।

के समीप, के निकट, के पास, के नजदीक, के यहाँ, के (से) आगे, के (से) पीछे के बाहर, के भीतर, से दूर, के किनारे, से परे आदि शब्द स्थान-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

दिशा-वाचक; जैसे—

नदी के उस **पार** गाँव है।

घर के **आस-पास** सन्नाटा छाया रहता है।

की ओर, की तरफ, के पार, के आस-पास, के आर-पार, के तई, के प्रति आदि दिशा-वाचक सम्बन्धसूचक शब्द हैं।

साधन-वाचक; जैसे—

नौकर **के द्वारा** हमने पानी भिजवा दिया।

डाक के **जरिये** हमें पत्र मिला।

के द्वारा, के जरिये, के सहारे, की जबानी, के हाथ, की मार्फत, के बूते आदि साधन-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

कार्य-कारण-वाचक; जैसे—

गर्मी **के मारे** बुरा हाल है।

बाढ़ **के कारण** बड़ी क्षति हुई।

के मारे, के कारण, के लिए, के वास्ते, के निमित्त आदि कार्य-कारण-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

विषय-सूचक; जैसे—

मेरे **लेखे** वह नहीं के बराबर है।

तुम्हारी **बाबत** क्या कहा जाय!

के लेखे, की बाबत, के नाम, के निस्बत, के मद्धे, के विषय (में) आदि विषय-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

भिन्नता-वाचक; जैसे—

इसके **सिवा** तुम कर ही क्या सकते थे।

अपमान **के अलावा** उसे कुछ नहीं मिला।

के सिवा, के अलावा, के अतिरिक्त, के बिना, से रहित, के बगैर, के सिवाय आदि भिन्नता-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

विनिमय-वाचक; जैसे—

इस उपकार **के बदले** हम दे ही क्या सकते हैं!

श्याम **की जगह** कोई दूसरा होता, तो बाजी हार जाता।

के बदले, की जगह, के एवज (में) के पलटे आदि विनिमय-वाचक सम्बन्ध-सूचक हैं।

सादृश्य-वाचक; जैसे—

मेरे **योग्य** कोई सेवा हो तो अवश्य कहियेगा।

उसके **समान** सुखी और कोई नहीं।

के योग्य, के समान, की तरह, की भाँति, के अनुसार, के मुताबिक, के अनुरूप, के सदृश, के बराबर आदि सादृश्य-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

विरोध-वाचक; जैसे—

उसके **खिलाफ** बहुत से इल्जाम हैं।

चुनाव में मेरे **विरुद्ध** कौन खड़ा होगा?

के खिलाफ़, के विरुद्ध के विपरीत, से उलटा आदि शब्द विरोध-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

सहचार-वाचक, जैसे--

राम **के साथ** सीता ने भी कष्ट उठाये।

मित्रों-सहित वह चला गया।

के सहित, के साथ, के संग, के वश (में) के अधीन आदि शब्द सहचार-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

संग्रह-वाचक; जैसे—

हम दिन **भर** काम में लगे रहे।

मृत्यु- **पर्यन्त** वह संघर्ष करता रहा।

भर, पर्यन्त, तक, समेत, लौं आदि शब्द संग्रह-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं। ये बिना विभक्ति के प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं।

तुलना-वाचक; जैसे—

वह प्रत्येक कार्य में सबके **आगे** रहता है।

मेरी **अपेक्षा** तुम इसे ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हो।

की अपेक्षा, के (से) आगे, के सामने, की बनिस्बत, के सम्मुख आदि शब्द तुलना-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

रूप के अनुसार सम्बन्ध-सूचक के भेद—

(१) मूल (२) यौगिक

मूल सम्बन्ध-सूचक शब्द—जो सम्बन्ध-सूचक किसी अन्य शब्द से नहीं बनाया जाता, वह मूल सम्बन्ध-सूचक शब्द कहलाता है। जैसे—तक, के बिना, भर, की ओर आदि।

यौगिक सम्बन्ध-सूचक शब्द—जो सम्बन्ध-सूचक किसी अन्य शब्द से बनाया जाता है, वह यौगिक सम्बन्ध-सूचक शब्द कहलाता है। जैसे—

(क) संज्ञा से—के नाम, के बदले, के लेखे, की मार्फत आदि।

(ख) विशेषण से—के समान, के योग्य, के तुल्य, के सरीखा आदि।

(ग) क्रिया-विशेषण से—के बाहर, के भीतर, के पास, से दूर आदि।

(घ) क्रिया से—के लिए, के मारे, के जाने आदि।

विशेष—सम्बन्ध-सूचक के योग से आकारान्त संज्ञाओं के रूप बदल जाते हैं। जैसे—चौराहे के सामने, कपड़े के लिए, बच्चे सहित आदि।

प्रश्न और अभ्यास

१. सम्बन्ध-सूचक शब्द से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए।

२. अर्थ के अनुसार सम्बन्ध-सूचक शब्दों के कितने भेद हैं? प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए।

की ओर, की तरफ, के पार, के आस-पास, के आर-पार, के तई, के प्रति आदि दिशा-वाचक सम्बन्धसूचक शब्द हैं।

साधन-वाचक; जैसे—

नौकर **के द्वारा** हमने पानी भिजवा दिया।

डाक के **जरिये** हमें पत्र मिला।

के द्वारा, के जरिये, के सहारे, की जबानी, के हाथ, की मार्फत, के बूते आदि साधन-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

कार्य-कारण-वाचक; जैसे—

गर्मी **के मारे** बुरा हाल है।

बाढ़ **के कारण** बड़ी क्षति हुई।

के मारे, के कारण, के लिए, के वास्ते, के निमित्त आदि कार्य-कारण-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

विषय-सूचक; जैसे—

मेरे **लेखे** वह नहीं के बराबर है।

तुम्हारी **बाबत** क्या कहा जाय!

के लेखे, की बाबत, के नाम, के निस्बत, के मद्धे, के विषय (में) आदि विषय-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

भिन्नता-वाचक; जैसे—

इसके **सिवा** तुम कर ही क्या सकते थे।

अपमान **के अलावा** उसे कुछ नहीं मिला।

के सिवा, के अलावा, के अतिरिक्त, के बिना, से रहित, के बगैर, के सिवाय आदि भिन्नता-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

विनिमय-वाचक; जैसे—

इस उपकार **के बदले** हम दे ही क्या सकते हैं!

श्याम **की जगह** कोई दूसरा होता, तो बाजी हार जाता।

के बदले, की जगह, के एवज (में) के पलटे आदि विनिमय-वाचक सम्बन्ध-सूचक हैं।

सादृश्य-वाचक; जैसे—

मेरे **योग्य** कोई सेवा हो तो अवश्य कहियेगा।

उसके **समान** सुखी और कोई नहीं।

के योग्य, के समान, की तरह, की भाँति, के अनुसार, के मुताबिक, के अनुरूप, के सदृश, के बराबर आदि सादृश्य-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

विरोध-वाचक; जैसे—

उसके **खिलाफ** बहुत से इल्जाम हैं।

चुनाव में मेरे **विरुद्ध** कौन खड़ा होगा?

के खिलाफ़, के विरुद्ध के विपरीत, से उलटा आदि शब्द विरोध-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं ।

सहचार-वाचक, जैसे--

राम **के साथ** सीता ने भी कष्ट उठाये ।

मित्रों-सहित वह चला गया ।

के सहित, के साथ, के संग, के वश (में) के अधीन आदि शब्द सहचार-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं ।

संग्रह-वाचक; जैसे—

हम दिन **भर** काम में लगे रहे।

मृत्यु- **पर्यन्त** वह संघर्ष करता रहा ।

भर, पर्यन्त, तक, समेत, लौं आदि शब्द संग्रह-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं । ये बिना विभक्ति के प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं।

तुलना-वाचक; जैसे—

वह प्रत्येक कार्य में सबके **आगे** रहता है ।

मेरी **अपेक्षा** तुम इसे ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हो ।

की अपेक्षा, के (से) आगे, के सामने, की बनिस्बत, के सम्मुख आदि शब्द तुलना-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं ।

रूप के अनुसार सम्बन्ध-सूचक के भेद—

(१) मूल (२) यौगिक

मूल सम्बन्ध-सूचक शब्द—जो सम्बन्ध-सूचक किसी अन्य शब्द से नहीं बनाया जाता, वह मूल सम्बन्ध-सूचक शब्द कहलाता है । जैसे—तक, के बिना, भर, की ओर आदि ।

यौगिक सम्बन्ध-सूचक शब्द—जो सम्बन्ध-सूचक किसी अन्य शब्द से बनाया जाता है, वह यौगिक सम्बन्ध-सूचक शब्द कहलाता है । जैसे—

(क) संज्ञा से—के नाम, के बदले, के लेखे, की मार्फत आदि ।

(ख) विशेषण से—के समान, के योग्य, के तुल्य, के सरीखा आदि ।

(ग) क्रिया-विशेषण से—के बाहर, के भीतर, के पास, से दूर आदि ।

(घ) क्रिया से—के लिए, के मारे, के जाने आदि ।

विशेष—सम्बन्ध-सूचक के योग से आकारान्त संज्ञाओं के रूप बदल जाते हैं । जैसे—चौराहे के सामने, कपड़े के लिए, बच्चे सहित आदि ।

प्रश्न और अभ्यास

१. सम्बन्ध-सूचक शब्द से आप क्या समझते हैं ? उदाहरण देकर समझाइए ।

२. अर्थ के अनुसार सम्बन्ध-सूचक शब्दों के कितने भेद हैं ? प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए ।

की ओर, की तरफ, के पार, के आस-पास, के आर-पार, के तई, के प्रति आदि दिशा-वाचक सम्बन्धसूचक शब्द हैं।

साधन-वाचक; जैसे—

नौकर **के द्वारा** हमने पानी भिजवा दिया।

डाक के **जरिये** हमें पत्र मिला।

के द्वारा, के जरिये, के सहारे, की जबानी, के हाथ, की मार्फत, के बूते आदि साधन-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

कार्य-कारण-वाचक; जैसे—

गर्मी **के मारे** बुरा हाल है।

बाढ़ **के कारण** बड़ी क्षति हुई।

के मारे, के कारण, के लिए, के वास्ते, के निमित्त आदि कार्य-कारण-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

विषय-सूचक; जैसे—

मेरे **लेखे** वह नहीं के बराबर है।

तुम्हारी **बाबत** क्या कहा जाय!

के लेखे, की बाबत, के नाम, के निस्बत, के मद्धे, के विषय (में) आदि विषय-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

भिन्नता-वाचक; जैसे—

इसके **सिवा** तुम कर ही क्या सकते थे।

अपमान **के अलावा** उसे कुछ नहीं मिला।

के सिवा, के अलावा, के अतिरिक्त, के बिना, से रहित, के बगैर, के सिवाय आदि भिन्नता-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

विनिमय-वाचक; जैसे—

इस उपकार **के बदले** हम दे ही क्या सकते हैं!

श्याम **की जगह** कोई दूसरा होता, तो बाजी हार जाता।

के बदले, की जगह, के एवज (में) के पलटे आदि विनिमय-वाचक सम्बन्ध-सूचक हैं।

सादृश्य-वाचक; जैसे—

मेरे **योग्य** कोई सेवा हो तो अवश्य कहियेगा।

उसके **समान** सुखी और कोई नहीं।

के योग्य, के समान, की तरह, की भाँति, के अनुसार, के मुताबिक, के अनुरूप, के सदृश, के बराबर आदि सादृश्य-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

विरोध-वाचक; जैसे—

उसके **खिलाफ** बहुत से इल्जाम हैं।

चुनाव में मेरे **विरुद्ध** कौन खड़ा होगा?

के खिलाफ़, के विरुद्ध के विपरीत, से उलटा आदि शब्द विरोध-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

सहचार-वाचक, जैसे—

राम **के साथ** सीता ने भी कष्ट उठाये।

मित्रों-सहित वह चला गया।

के सहित, के साथ, के संग, के वश (में) के अधीन आदि शब्द सहचार-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

संग्रह-वाचक; जैसे—

हम दिन **भर** काम में लगे रहे।

मृत्यु- **पर्यन्त** वह संघर्ष करता रहा।

भर, पर्यन्त, तक, समेत, लौं आदि शब्द संग्रह-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं। ये बिना विभक्ति के प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं।

तुलना-वाचक; जैसे—

वह प्रत्येक कार्य में सबके **आगे** रहता है।

मेरी **अपेक्षा** तुम इसे ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हो।

की अपेक्षा, के (से) आगे, के सामने, की बनिस्बत, के सम्मुख आदि शब्द तुलना-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं।

रूप के अनुसार सम्बन्ध-सूचक के भेद—

(१) मूल (२) यौगिक

मूल सम्बन्ध-सूचक शब्द—जो सम्बन्ध-सूचक किसी अन्य शब्द से नहीं बनाया जाता, वह मूल सम्बन्ध-सूचक शब्द कहलाता है। जैसे—तक, के बिना, भर, की ओर आदि।

यौगिक सम्बन्ध-सूचक शब्द—जो सम्बन्ध-सूचक किसी अन्य शब्द से बनाया जाता है, वह यौगिक सम्बन्ध-सूचक शब्द कहलाता है। जैसे—

(क) संज्ञा से—के नाम, के बदले, के लेखे, की मार्फत आदि।

(ख) विशेषण से—के समान, के योग्य, के तुल्य, के सरीखा आदि।

(ग) क्रिया-विशेषण से—के बाहर, के भीतर, के पास, से दूर आदि।

(घ) क्रिया से—के लिए, के मारे, के जाने आदि।

विशेष—सम्बन्ध-सूचक के योग से आकारान्त संज्ञाओं के रूप बदल जाते हैं। जैसे—चौराहे के सामने, कपड़े के लिए, बच्चे सहित आदि।

प्रश्न और अभ्यास

१. सम्बन्ध-सूचक शब्द से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए।

२. अर्थ के अनुसार सम्बन्ध-सूचक शब्दों के कितने भेद हैं? प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए।

३. मूल और यौगिक सम्बन्ध-सूचक शब्दों का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

४. निम्नलिखित वाक्यों में से सम्बन्ध-सूचक शब्द छाँटिए और उनके भेद भी लिखिए—

(क) घर के आस-पास अँधेरा रहता है।
(ख) गाड़ी समय से पूर्व आ पहुँची।
(ग) नदी के किनारे नाव खड़ी है।
(घ) नौकर के द्वारा मैंने आपके पास मिठाई भिजवाई है।
(च) इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है।
(छ) आपके समान हितैषी कहीं नहीं मिलेगा।
(ज) काम के मारे दम निकल रहा है।
(झ) अपमान के अलावा तुम मुझे और दे ही क्या सकते हो!

५. मोटे अक्षरों में छपे हुए क्रिया-विशेषणों को इस प्रकार बदलिए कि उनका प्रयोग सम्बन्ध-सूचक के रूप में हो—

[**उदाहरण**—सामने मत आओ। (सामने—क्रिया-विशेषण)
मेरे सामने मत आओ। (सामने—सम्बन्ध-सूचक)]

(अ) **अन्दर** जाइए।
(ब) **आगे** दौड़ना खतरे में डाल सकता है।
(स) **पास** आओ।
(द) **पहले** क्यों नहीं बताया?
(य) **किनारे** ही बैठो।
(र) **आस-पास** शत्रुओं का बोलबाला है।

६. सम्बन्ध-सूचक शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(क) मालती.........घर सूना-सूना लगता है।
(ख) वह अपनी बड़ी बहिन.........चलचित्र देखने गयी है।
(ग) भोजन......विश्राम करना चाहिए।
(घ) नगर.........एक बगीचा है।
(च) दूरदर्शन पर हिन्दी समाचार......कोई कार्यक्रम नहीं होता।

समुच्चय बोधक

जो अविकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे समुच्चय-बोधक शब्द कहते हैं। जैसे—

राम **और** श्याम दोनों भाई हैं।

सच बोलना **और** किसी की चिन्ता न करना उसकी आदत है।

काम ऐसा करो **कि** तुम्हें यश मिले।

उपर्युक्त वाक्यों में 'और', 'और' तथा 'कि' समुच्चय-बोधक शब्द हैं। पहले वाक्य में 'और' समुच्चय-बोधक 'राम' तथा 'श्याम' दो शब्दों को दूसरे वाक्य में **'और'** समुच्चय-बोधक 'सच बोलना' तथा 'किसी की चिन्ता न करना' दो वाक्यांशों को एवं तीसरे वाक्य में 'कि' समुच्चय-बोधक 'काम ऐसा करो' तथा 'तुम्हें यश मिले' दो उपवाक्यों को जोड़ता है।

प्रयोग की दृष्टि से समुच्चय-बोधक के भेद

(१) समानाधिकरण (२) व्यधिकरण।

समानाधिकरण समुच्चय-बोधक के भेद—

जो समुच्चय-बोधक समान स्थिति वाले दो उपवाक्यों को जोड़ता है, उसे समानाधिकरण समुच्य-बोधक कहते हैं।

समानाधिकरण समुच्चय-बोधक के भेद—

(१) संयोजक (२) विभाजक (३) विरोध-दर्शक (४) परिणाम-दर्शक।

(१) **संयोजक**—जो समानाधिकरण समुच्चय-बोधक दो या दो से अधिक बातों को जोड़ता है, उसे संयोजक समानाधिकरण समुच्चय-बोधक कहते हैं। जैसे—हम लोग आगरा जायेंगे **और** ताजमल देखेंगे। इस वाक्य में 'और' संयोजक है।

'तथा', 'एवं', 'व' भी संयोजक समानाधिकरण समुच्चय-बोधक हैं।

(२) **विभाजक**—जिस समानाधिकरण समुच्चय-बोधक के द्वारा दो बातों में से एक का स्वीकार अथवा दोनों का निषेध होता है, उसे विभाजक समानाधिकरण समुच्चय-बोधक कहते हैं। जैसे—सीता जायेगी या सुजाता जायेगी। इस वाक्य में 'या' विभाजक है।

'अथवा', 'किंवा', 'कि', 'या-या', 'चाहे-चाहे', 'क्या-क्या', 'न-न', 'न-कि', 'नहीं-तो' भी विभाजक समानाधिकरण समुच्चय-बोधक हैं।

(३) **विरोध-दर्शक**—जिस समानाधिकरण समुच्चय-बोधक के द्वारा दो बातों में विरोध प्रकट होता है, उसे विरोध-दर्शक समानाधिकरण समुच्चय-बोधक कहते हैं। जैसे—

राम ने परिश्रम नहीं किया, **पर** वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया। इस वाक्य में 'पर' विरोध-दर्शक है।

'परन्तु', 'किन्तु', 'लेकिन', 'मगर', 'वरन्' और 'बल्कि' भी विरोध-दर्शक समानाधिकरण समुच्चय-बोधक हैं।

(४) **परिणाम दर्शक**—जिस समानाधिकरण समुच्चय-बोधक से सूचित होता है कि अगली बात पिछली बात का फल है, उसे परिणाम-दर्शक समानाधिकरण समुच्चय-बोधक कहते हैं। जैसे—वह अस्वस्थ है, **इसलिए** सभा में उपस्थित न हो सका। इस वाक्य में 'इसलिए' परिणाम-दर्शक है।

'अतएव', 'अतः', 'इस कारण', 'इस वास्ते', 'इससे', 'लिहाजा', 'इसीलिए' और 'सो' भी परिणाम-दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं।

व्यधिकरण समुच्चय-बोधक—

जो समुच्चय-बोधक आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य के साथ जोड़ता है, उसे व्यधिकरण समुच्चय-बोधक कहते हैं।

व्यधिकरण समुच्चय-बोधक के भेद—

(१) स्वरूप वाचक (२) कारण वाचक (३) उद्देश्य वाचक (४) संकेत वाचक।

(१) **स्वरूप वाचक**—जिस व्यधिकरण समुच्चय-बोधक के द्वारा एक उपवाक्य का स्वरूप दूसरे उपवाक्य से जाना जाय, उसे स्वरूप-वाचक व्यधिकरण समुच्चय-बोधक कहते हैं। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को समझाया **कि** तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इस वाक्य में 'कि' स्वरूप वाचक व्यधिकरण समुच्चय-बोधक है।

'अर्थात्', 'जैसे', 'मानो' आदि भी स्वरूप वाचक व्यधिकरण समुच्चय-बोधक हैं।

(२) **कारण वाचक**—जिस व्यधिकरण समुच्चय-बोधक के द्वारा एक उपवाक्य का कारण दूसरे उपवाक्य से जाना जाय, उसे कारण वाचक व्यधिकरण समुच्च्य-बोधक कहते हैं। जैसे—छात्रा आज उदास है, **क्योंकि** उसकी पुस्तक खो गई। 'क्योंकि' कारण वाचक व्यधिकरण समुच्च्य-बोधक है।

'इसलिए...कि' तथा इस 'कारण' भी कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय-बोधक है।

(३) **उद्देश्य वाचक**—जिस व्यधिकरण समुच्चय-बोधक के द्वारा एक उपवाक्य का फल या निमित्त दूसरे उपवाक्य से जाना जाय, उसे उद्देश्य वाचक व्यधिकरण मिले । इस वाक्य में 'इसलिए''' कि' उद्देश्य वाचक व्यधिकरण समुच्चय-बोधक हैं ।

'कि', ताकि, जिससे, कि भी उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय-बोधक हैं ।

(४) **संकेत वाचक**—जिस व्यधिकरण समुच्चय-बोधक के द्वारा एक उपवाक्य में कोई संकेत या शर्त प्रकट हो और दूसरे में उसका फल व्यक्त हो, उसे संकेत वाचक व्यधिकरण समुच्चय-बोधक कहते हैं । जैसे—यदि वे आते, तो कितनी रौनक हो जाती । इस वाक्य में 'यदि—तो' संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय-बोधक है ।

'यद्यपि—तथापि,' 'चाहे—पर', 'यद्यपि—तो भी', 'अगर—तो' भी संकेत वाचक व्यधिकरण समुच्चय-बोधक हैं ।

कुछ समुच्चय-बोधक शब्दों के विशेष प्रयोग—

(१) और—इस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है—

(क) सर्वनाम—**और** की क्या आवश्यकता है ।

(ख) विशेषण—**और** काम मत दो ।

(ग) क्रिया-विशेषण—**और** पढ़ो ।

(घ) समुच्चय-बोधक—हम बाहर निकले **और** वर्षा प्रारम्भ हुई (समकालीन घटना), ये हैं और वे हैं (नित्य सम्बन्ध), तुम जानो और तुम्हारा काम जाने (धमकी या तिरस्कार) ।

(२) कि—यह शब्द विभिन्न अर्थों में समुच्चय-बोधक के रूप में प्रयुक्त होता है—

(क) संयोजक—उन्होंने भोजन शुरू ही किया था **कि** बच्चा रो पड़ा ।

(ख) विभाजक—आप जायेंगे **कि** नहीं ।

(ग) स्वरूप वाचक—मैंने देखा कि चारों ओर अन्धकार छाया है ।

(घ) कारण वाचक—वह इसलिए मेहनत करता है **कि** उसकी माँ का ऐसा आदेश है ।

(च) उद्देश्य वाचक—वह इसलिए मेहनत करता है **कि** देश की प्रगति हो ।

रचना की दृष्टि सेस मुच्चय-बोधक के भेद—

(१) रूढ़ (२) यौगिक ।

(१) **रूढ़ समुच्चय-बोधक**—और, एवं, कि, यदि आदि ।

(२) **यौगिक समुच्चय-बोधक**—क्योंकि, यद्यपि, तथापि जैसे आदि ।

'या-या', 'न-न', 'चाहे-चाहे', 'यदि-तो' जैसे नित्य सम्बन्धी समुच्च-बोधक भी यौगिक समुच्चय-बोधक के अन्तर्गत आते हैं ।

प्रश्न और अभ्यास

१. समुच्चय-बोधक शब्द से आप क्या समझते है ? उदाहरण देकर समझाइए।

२. समानाधिकरण और व्यधिकरण समुच्चय-बोधक का अन्तर स्पष्ट कीजिए। उनके भेद सोदाहरण समझाइए।

३. रूढ़ और योगिक समुच्चय-बोधक का उत्तर स्पष्ट कीजिए।

४. नीचे लिखे समुच्चय-बोधक शब्दों से वाक्य बनाइये—
कि, इसलिए कि, क्योंकि, और, या, परन्तु, अगर-तो, इसलिए।

५. समुच्चय-बोधक शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(क) हम इसलिए परिश्रम करते हैं.........देश का भविष्य उज्ज्वल हो।
(ख) तुम यह पुस्तक खरीदकर पढ़ो.........उधार माँग कर पढ़ो।
(ग) हम बाहर निकले ही थे.........वर्षा शुरू हो गई।
(घ) मेरे कहने का तात्पर्य यह है.........हम सब मिलकर काम करें।
(च) यदि आप हमारी सभा में आते.........हम धन्य हो जाते।
(छ) चाहे तुम उस पर कितने ही लांछन क्यों न लगाओ.........मैं नहीं मानती.........वह चोर है।

६. केवल 'हाँ' या 'नहीं' में उत्तर लिखिए—

(अ) समुच्चय-बोधक शब्द अविकारी होता है। ( )
(ब) समान स्थिति वाले दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को व्यधिकरण समुच्चय-बोधक शब्द कहते हैं। ( )
(स) 'और' शब्द का प्रयोग क्रिया-विशेषण के रूप में भी हो सकता है। ( )
(द) संकेत वाचक व्यधिकरण समुच्चय-बोधक द्वारा जिस उपवाक्य में संकेत प्रकट होता है, उसी में उसका फल भी व्यक्त होता है। ( )
(य) समुच्चय-बोधक शब्द केवल दो वाक्यों को जोड़ता है। ( )

विस्मयादि-बोधक शब्द

जो शब्द कोई तीव्र भाव या मनोविकार व्यक्त करता है और वाक्य के किसी दूसरे शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं रखता, उसे विस्मयादि-बोधक शब्द कहते हैं। जैसे—

क्यों! फिर आ गये?

ठीक! अब इसी तरह लिखना।

राम-राम! उसने न जाने कितनी हत्यायें कीं।

काश! मैं भी काश्मीर गया होता।

उपर्युक्त वाक्यों में 'क्यों? 'ठीक!' 'राम-राम!' और 'काश!' विस्मयादि-बोधक शब्द हैं, जिनका वाक्य में दूसरे शब्दों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

विस्मयादि-बोधक शब्दों के भेद

१. विस्मय-बोधक—वाह! हैं! ऐं! ओहो! वाह वाह! वाह वा!

२. हर्ष-बोधक—अहा! आहा! अहह! धन्य! शाबाश!

३. शोक-बोधक—हाय! हा-हा! आह! ऊह! हाय-हाय!

४. तिरस्कार-बोधक—छिः! धुत्! अरे! धिक्! चुप! थुः!

५. क्रोध-सूचक—चुप! हट! क्यों! अबे!

६. स्वीकार-बोधक—ठीक! भला! जी हाँ! अच्छा!

७. सम्बोधन-द्योतक—अजी! अरे! रे! लो! हे! अहो!

कई संज्ञाएँ, विशेषण, क्रियाएँ और क्रिया-विशेषण विस्मयादि-बोधक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—

संज्ञा—भगवान! सबका कल्याण हो!

विशेषण—भला! तुम उत्तीर्ण हो गये?

क्रिया—हट! उसे मत छूना।

क्रिया-विशेषण—अस्तु! इस पर हम विचार करेंगे।

कभी-कभी वाक्यांश या सम्पूर्ण वाक्य विस्मयादि-बोधक के रूप में प्रयुक्त होते हैं—

ऐसी अशुभ बात।

क्या कहने हैं।

सर्वनाश हो गया।

कमाल है।

कभी-कभी विस्मयादि-बोधक शब्दों का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है। जैसे—

१. उसे सारे दिन **हाय-हाय** लगी रहती है।

२. उनकी **वाह-वाह** हुई।

३. गरीबों की **हाय** व्यर्थ नहीं जायेगी।

४. सेनापति का **जय-जयकार** हुआ।

प्रश्न और अभ्यास

१. विस्मयादि-बोधक शब्द की परिभाषा लिखिए।

२. विस्मयादि-बोधक शब्द के भेद सोदाहरण लिखिए।

३. निम्नलिखित में से सही कथनों पर (✓) और गलत कथनों पर (×) निशान लगाइए—

(क) विस्मयादि-बोधक शब्द विकारी है। ( )

(ख) विस्मयादि-बोधक शब्दों का प्रयोग किसी भाव की तीव्रता सूचित करने के लिए होता है। ( )

(ग) विस्मयादि-बोधक शब्द सदैव वाक्य के आरम्भ में आते हैं। ( )

(घ) विस्मयादि-बोधक शब्द वाक्य के ही अंग होते हैं। ( )

(च) विस्मयादि-बोधक शब्द वाक्य से बाहर रहते हैं। ( )

४. नीचे लिखे वाक्यों में विस्मयादि-बोधक शब्द रेखांकित कीजिए एवं उनके भेद लिखिए—

(अ) अस्तु ! हम इस समस्या पर विचार करेंगे।

(ब) भगवान ! उन्हें सुबुद्धि दे।

(स) अहा ! कैसा सुन्दर दृश्य है।

(द) उफ़ ! मेरे सिर में भयंकर पीड़ा है।

(य) काश मैं इस समय दिल्ली में होता !

५. विस्मयादि-बोधक शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(य)..........! तुम अनुत्तीर्ण हो गए !

(र)..........! अब क्या होगा !

(ल)..........! तुम दौड़ में प्रथम आ गए !

(व)..........! उसे क्यों छू रहे हो ?

(श)..........! वे ठीक समय पर पहुँच गए !

एक शब्द के अनेक शब्द-भेद

शब्द	शब्द-भेद	उदाहरण
अच्छा	संज्ञा	तुम्हें **अच्छों** की संगति में रहना चाहिए ।
	विशेषण	मेरे पड़ोसी के यहाँ **अच्छा** नौकर है ।
	क्रिया-विशेषण	उसने कार्यक्रम में **अच्छा** गाया ।
	विस्मयादि-बोधक	**अच्छा** ! तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये !
और	संज्ञा	**औरों** की क्या इच्छा है ?
	सर्वनाम	मैं तो किसी तरह आ गया, पर **और** न जाने कहाँ रह गये ।
	विशेषण	**और** चावल लाओ ।
	प्रविशेषण	**और** अच्छी पुस्तक दीजिए ।
	क्रिया-विशेषण	**और** खाइए न !
	समुच्चय-बोधक	हम घर गये **और** पढ़ने लगे ।
एक	संज्ञा	'**एक**' सार्थक शब्द है ।
	सर्वनाम	**एक** आया, दूसरा गया ।
	विशेषण	**एक** दिन हम लोग पुस्तकालय जायेंगे ।
	क्रिया-विशेषण	**एक** तो हम ग़रीब हैं, दूसरे बीमार हैं ।
ऐसा	संज्ञा	**ऐसों** की बात मत सुनो ।
	सर्वनाम	**ऐसा** कभी सुनने में तो नहीं आया ।
	विशेषण	**ऐसा** काम क्यों करते हो ?
	क्रिया-विशेषण	वे **ऐसा** बोले कि हम सुनते ही रह गये ।
	सम्बन्ध-सूचक	उसे भरत-**ऐसा** भाई मिला है ।
कारण	संज्ञा	उनके त्याग-पत्र का **कारण** कौन जानता है !
	सम्बन्ध-सूचक	दुर्बलता **के कारण** उससे उठा नहीं जाता ।
	समुच्चय-बोधक	हम सभा में नहीं जायेंगे, **कारण** हमें निमंत्रण नहीं मिला ।
कुछ	सर्वनाम	**कुछ** चाहिए ?
	विशेषण	तुम्हें **कुछ** धैर्य रखना चाहिए ।
	प्रविशेषण	**कुछ** और वस्तु लाओ ।

शब्द	शब्द-भेद	उदाहरण
	क्रिया-विशेषण	हमें तो वह **कुछ** जँची नहीं ।
	समुच्चय-बोधक	आप ही झगड़ते हैं, **कुछ** हम थोड़े ही झगड़ते हैं ।
क्या	सर्वनाम	आपको क्या चाहिए ?
	विशेषण	तुम्हें क्या चीज़ चाहिए ?
	क्रिया-विशेषण	मैं क्या जँचूँगा ?
	समुच्चय-बोधक	क्या राजा क्या रंक, सभी एक दिन इस दुनिया से कूच करेंगे ।
चाहे	प्रविशेषण	**चाहे** जितने कपड़े हों, सब ले आओ ।
	क्रिया	वह जितना **चाहे**, उसे ले जाने दो ।
	क्रिया-विशेषण	उसके लिए **चाहे** जितना करो, थोड़ा है ।
	समुच्चय-बोधक	**चाहे** हम जायें, **चाहे** आप जायें ।
जैसा	सर्वनाम	**जैसा** माँगोगे, वैसा मिलेगा ।
	विशेषण	**जैसा** काम, वैसा नाम ।
	क्रिया-विशेषण	जैसा वह मुझे चाहता है, ईश्वर ही जानता है ।
	सम्बन्ध-सूचक	आपके **जैसा** मित्र कहाँ मिलेगा ।
भला	संज्ञा	सबका **भला** हो ।
	विशेषण	वह **भला** आदमी सबकी सहायता करता है ।
	क्रिया-विशेषण	आप लोग **भले** पहुँचे ।
	समुच्चय-बोधक	तुम **भले** ही कहो, पर मैं नहीं मानूँगा ।
	विस्मयादि-बोधक	भला ! तुमसे उसने क्या कहा ?
सब	सर्वनाम	**सब** बुरे नहीं होते ।
	विशेषण	**सब** अंगूर खट्टे नहीं होते ।
समान	विशेषण	इसे **समान** भागों में बाँट दो ।
	प्रविशेषण	इसके **समान** दो भाग करो ।
	सम्बन्ध-सूचक	तुम्हारे **समान** मित्र उसे कहाँ मिलेगा !
साथ	संज्ञा	हम प्रत्येक स्थिति में तुम्हारा **साथ** देंगे ।
	सम्बन्ध-सूचक	वह अपने भाई के **साथ** गया ।
	क्रिया-विशेषण	सब **साथ** रहते हैं ।

प्रश्न और अभ्यास

१. निम्नलिखित वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे शब्दों के शब्द-भेद कारण सहित लिखिए—

वह **भला** लड़का किसी को कष्ट नहीं देता । **भलों** के साथ सभी भलाई करते हैं । **समान** भागों में बँटवारा होना चाहिए । **अच्छा** ! आप वहाँ ठीक समय पर पहुँच

गये ! **अच्छों** के साथ **अच्छा** होना पड़ता है। इसके **तमाम** मित्र तुम्हें कहाँ मिलेगा ! आप मेले में **खूब** आये। उसने **खूब** अच्छी साड़ी खरीदी है। आप **भले** आये। **भले** ही आप न जायें, मैं **तो** जाऊँगा। वह आये, **तो** ही तुम जाना। क्या तुम मेरे साथ चलोगे ? उसका **साथ** मुझे अच्छा लगता है।

२. निम्नलिखित शब्दों के अलग-अलग शब्द-भेदों में वाक्य-प्रयोग कीजिए—

पत्थर, केवल, सीधा, बुरा, आगे, ऊपर, कोई।

———

संज्ञा के रूपान्तर

संज्ञा विकारी शब्द है । अलग-अलग अर्थ सूचित करने के लिए संज्ञा शब्दों के रूपान्तर किये जाते हैं ।

'लड़का' शब्द जातिवाचक संज्ञा है । निम्नलिखित वाक्यों में इसका रूपान्तर देखा जा सकता है

लड़का जाता है ।
लड़के जाते हैं ।
लड़की जाती है ।
लड़कियाँ जाती हैं ।
लड़के को जाना है ।
लड़कों को जाना है ।
लड़की को जाना है ।
लड़कियों को जाना है ।

'लड़का' संज्ञा के ये रूपान्तर—लड़के, लड़की, लड़कियाँ, लड़के को, लड़कों को, लड़की को, लड़कियों को—लिंग, वचन और कारक के आधार पर होते हैं ।

लिंग के आधार पर 'लड़का' संज्ञा में जब रूपान्तर होता है, तब 'लड़का' पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप 'लड़की' हो जाता है ।

वचन की दृष्टि से 'लड़का' एकवचन है, तो उसका बहुवचन रूप 'लड़के' होगा । 'लड़की' एकवचन है, तो 'लड़कियाँ' बहुवचन रूप है ।

कारक के आधार पर विभक्तियाँ जोड़कर शब्दों में अनेक परिवर्तन किये जाते हैं । संज्ञा शब्द में जब विभक्तियाँ जुड़ती हैं, तभी वाक्य में व्याकरणिक सम्बन्ध स्पष्ट होते हैं । विभक्तियों के द्वारा ही पद-रचनाएँ होती हैं । संज्ञा-पदों के साथ जुड़कर विभक्तियाँ (या उपसर्ग) वाक्य को भिन्न-भिन्न अर्थ प्रदान करती हैं । लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के से हमने पुस्तक ली, लड़के को जाना है, लड़के में कई गुण हैं, लड़के पर भरोसा रखो आदि वाक्यों में संज्ञा-पद भिन्न-भिन्न व्याकरणिक सम्बन्धों को स्पष्ट करते हुए भिन्न-भिन्न अर्थों का बोध कराते हैं ।

जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द (विभक्ति के बिना या विभक्ति के साथ) पद का रूप ग्रहण कर लेते हैं । वास्तव में पद-समूहों का ही नाम वाक्य है ।

पद-समूहों को जोड़कर वाक्य को शुद्ध रूप प्रदान करने के लिए लिंग, वचन और कारक का ज्ञान अन्यन्त आवश्यक है ।

संज्ञा के लिंग

संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह जाना जाय कि वह पुरुष-जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है या स्त्री-जाति के लिए, उसे लिंग कहते हैं । पाणिनि-व्याकरण में लिंग के लिए 'व्यक्ति' शब्द आया है । यथार्थ में लिंग शब्द का अर्थ 'चिह्न' होता है । चिह्न या निशान ही इस बात की ओर संकेत करता है कि संज्ञा की जाति स्त्रीलिंग है या पुल्लिग ।

हिन्दी में लिंग की दृष्टि से सभी संज्ञा शब्दों को दो भागों में बाँटा गया है—(१) पुल्लिग (२) स्त्रीलिंग ।

संसार की कुछ भाषाओं में जड़ पदार्थों को नपुंसक लिंग में रखा गया है, पर हिन्दी में नपुंसक लिंग के न होने के कारण जड़ पदार्थों के कुछ शब्द पुल्लिग होते हैं तो कुछ स्त्रीलिंग ।

पुल्लिग—पुरुष-बोधक संज्ञाओं को पुल्लिग कहते हैं । पुरुष, बालक, पर्वत, नगर आदि शब्द पुल्लिग हैं ।

स्त्रीलिंग—स्त्री-बोधक संज्ञाओं को स्त्रीलिंग कहते हैं । स्त्री, लड़की, नदी, लता आदि शब्द स्त्रीलिंग हैं ।

हिन्दी में लिंग-भेद की दृष्टि से तीन प्रकार की संज्ञाएँ हैं—

(१) आदमी तथा बड़े जानवरों के नाम सूचित करने वाली संज्ञाएँ ।

(२) छोटे कीड़ों तथा पक्षियों के नाम प्रकट करनेवाली संज्ञाएँ ।

(३) अप्राणिवाचक संज्ञाएँ ।

(१) आदमी तथा बड़े जानवरों के नाम सूचित करनेवाली संज्ञाओं में लिंग-भेद करना अन्यन्त सरल होता है, क्योंकि ऐसी संज्ञाओं में पुरुष (नर) का बोध कराने वाली संज्ञायें पुल्लिग और स्त्री (मादा) का बोध कराने वाली संज्ञायें स्त्रीलिंग होती हैं । जैसे—लड़का, भतीजा, घोड़ा, शेर, कुत्ता जैसे शब्द पुल्लिग हैं और लड़की, भतीजी, घोड़ी, शेरनी और कुतिया जैसे शब्द स्त्रीलिंग हैं ।

प्राणियों के समूह को सूचित करनेवाली कुछ संज्ञायें पुल्लिग होती हैं, तो कुछ स्त्रीलिंग । जैसे—

पुल्लिग—दल, समूह, समाज, संघ, मंडल, परिवार, झुण्ड, जत्था, कुटुम्ब आदि ।

स्त्रीलिंग—भीड़, सेना, सभा, समिति, टोली, सरकार, संसद, परिषद् आदि ।

कुछ प्राणिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है । जैसे—सन्तान, सवारी, नर्स, आदि ।

कुछ पद-बोधक शब्द उभयलिंगी होते हैं । उनका प्रयोग पुल्लिग में भी होता

है और स्त्रीलिंग में भी। जैसे—गवर्नर, प्रेसीडेण्ट, मंत्री, जज, प्रोफेसर, डाक्टर, पिंसिपल, मैनेजर आदि।

२. छोटे कीड़ों और पक्षियों में कुछ शब्द पुल्लिंग हैं और कुछ स्त्रीलिंग।

पुल्लिंग—साँप, तोता, बाज, कौवा, पक्षी, उल्लू, खटमल, केंचुआ, भेड़िया, झींगुर आदि।

स्त्रीलिंग—गौरैया, चील, कोयल, जोंक, मछली, बटेर, गिलहरी, तितली, मक्खी, मैना आदि।

(३) अप्राणिवाचक संज्ञाओं का लिंग-निर्णय निम्नलिखित दो दृष्टियों से किया जाता है—

(१) रूप या बनावट की दृष्टि से।
(२) अर्थ की दृष्टि से।

रूप या बनावट की दृष्टि से लिंग-भेद—

संस्कृत पुल्लिंग संज्ञाएँ, जिनके अंत में निम्नलिखित प्रत्यय होते हैं—
आय—समुदाय, अध्याय, अन्याय, उपाय आदि।
आर—आधार, विस्तार, अवतार, चीत्कार आदि।
आस—प्रवास, हास, विकास, अभ्यास आदि।
आश—विनाश, प्रकाश, नाश, पाश आदि।
ख—दुःख, सुख, मुख, लेख आदि।
ज—पंकज, जलज, नीरज, सरोज आदि।
ण—कंकण, भूषण, त्राण, गण आदि।
त—स्वागत, अंत, मत, अमृत आदि।
त्र—शास्त्र, पत्र, चित्र, नेत्र, अस्त्र आदि।
त्व—महत्त्व, मनुष्यत्व, ममत्व, अपनत्व आदि।
न—अंजन, प्रश्न, नयन, दमन आदि।
व—लाघव, प्रभाव, गौरव, भव आदि।
हिन्दी पुल्लिंग संज्ञाएँ, जिनके अंत में निम्नलिखित प्रत्यय लगते हैं—
आ—कपड़ा, आटा, दरवाज़ा, माथा आदि।
आव—घटाव, बढ़ाव, ताव, घुमाव आदि।
ना—चलना, देना, जागना, पढ़ना आदि (क्रियार्थक संज्ञायें)।
पन—बचपन, बड़प्पन, भोलापन, ओछापन आदि।
पा—बुढ़ापा, मोटापा, चप्पा, गोलगप्पा आदि।
संस्कृत स्त्रीलिंग संज्ञाएँ, जिनके अंत में निम्नलिखित प्रत्यय लगते हैं—
अना—सूचना, सान्त्वना, भावना, कल्पना आदि।
आ—सेवा, पूजा, कृपा, शिक्षा आदि।
इ—राशि, कृषि, विधि, रुचि आदि।

ति—जाति, प्रीति, नीति, प्रतीति, आदि ।

नि—हानि, योनि, ग्लानि, अवनि आदि ।

या—विद्या, क्रिया, असूया, ईर्ष्या आदि ।

सा—मीमांसा, पिपासा, जिज्ञासा, नासा आदि ।

इमा—कालिमा, गरिमा, महिमा, प्रतिमा आदि ।

ता—सज्जनता, प्रवीणता, मित्रता, योग्यता आदि ।

हिन्दी स्त्रीलिंग संज्ञाएँ, जिनके अन्त में निम्नलिखित प्रत्यय लगते हैं—

ई—रोटी, टोपी, उदासी, फाँसी आदि ।

अपवाद—दही, मोती, पानी, घी, जी ।

इया—मचिया, डिबिया, खटिया, नथिया आदि ।

ख—कोख, सीख, राख, ईख आदि ।

वट—बनावट, सजावट, लिखावट, थकावट आदि ।

हट—आहट, चिल्लाहट, घबराहट, गुर्राहट आदि ।

आई—लम्बाई, लड़ाई, चढ़ाई, बड़ाई ।

बनावट की दृष्टि से कुछ शब्द मिलते-जुलते हैं, जिनमें से कुछ शब्द पुल्लिग हैं तो कुछ स्त्रीलिंग । इन्हें केवल लोक-व्यवहार के आधार पर ही पहचाना जा सकता है—

पुल्लिग	स्त्रीलिंग
विधाता	दुहिता
आकू	बाकू
होंठ	सोंठ
भात	बात
नीड़	भीड़
साहू	बहू
पहर	नहर
बाँस	साँस
बाल	खाल
सूप	धूल

कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिन्दी में स्त्रीलिंग हैं, पर अन्य भाषाओं में पुल्लिग हैं, या हिन्दी में पुल्लिग हैं तो अन्य भाषाओं में स्त्रीलिंग हैं । जैसे—'व्यक्ति' शब्द हिन्दी में पुल्लिग है, पर मराठी में स्त्रीलिंग है, 'कलम' शब्द उर्दू में पुल्लिग है, पर हिन्दी में स्त्रीलिंग हैं, इसी प्रकार 'आत्मा', 'अग्नि' और 'ऋतु' शब्द संस्कृत में पुल्लिग हैं, पर हिन्दी में स्त्रीलिंग हैं । हिन्दी के व्यवहार में हिन्दी भाषा में व्यवहृत लिंग-निर्णय का ही अनुसरण करना चाहिए ।

अर्थ की दृष्टि से लिंग-भेद—

अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द पुल्लिग हैं। ईकारान्त शब्द अपवाद—स्वरूप स्त्रीलिंग हैं।

(१) **शरीर के अवयवों के नाम**—कान, मुँह, दाँत, होंठ, पाँव, हाथ, गाल, मस्तक, तालु, बाल, अँगूठा, नाखून इत्यादि।

अपवाद—कोहनी, कलाई, नाक, आँख, जीभ, खाल, बाँह, नस, हड्डी, इन्द्रिय आदि।

(२) **धातुओं के नाम**—सोना, ताँबा, लोहा, सीसा, काँसा, पारा, पीतल आदि।

अपवाद—चाँदी।

(३) **रत्नों के नाम**—हीरा, मोती, माणिक, मूँगा, पन्ना, नीलम आदि।

अपवाद—मणि, पन्नी।

(४) **भोज्य-पदार्थों के नाम**—पुआ, पेड़ा, भात, रायता, लड्डू, हलुआ, समोसा, चाकलेट आदि।

अपवाद—दाल, रोटी, तरकारी, पूरी, जलेबी, मिठाई।

(५) **अनाजों के नाम**—गेहूँ, चना, चावल, बाजरा, उड़द, तिल आदि।

अपवाद—अरहर, मूँग, जुआर।

(६) **दिनों और महीनों के नाम**—सोमवार, मंगलवार, बुधवार, माघ, पौष, आदि।

(७) **पहाड़ों और समुद्रों के नाम**—हिमालय, विंध्याचल, अरब सागर, हिन्द महासागर आदि।

(८) **देशों के नाम**—भारत, इंगलैण्ड, रूस, इटली, अमरीका, आदि।

(९) **ग्रहों के नाम**—सूर्य, चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र आदि।

अपवाद—पृथ्वी।

(१०) **पेड़ों के नाम**—बरगद, पीपल, शीशम, सागौन आदि।

अपवाद—इमली, मौलसिरी, नीम, जामुन।

अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द स्त्रीलिंग हैं—

नक्षत्रों के नाम—रोहिणी, भरणी, कृत्तिका, आर्द्रा आदि।

नदियों के नाम—गंगा, यमुना, गोमती, सिंधु, नर्मदा आदि।

अपवाद—ब्रह्मपुत्र, सोन, दामोदर।

झीलों के नाम—चिलका, साँभर आदि।

तिथियों के नाम—द्वितीया, तृतीया, पंचमी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या।

पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम

पुल्लिंग शब्दों में अग्रलिखित प्रत्यय जोड़कर उनके स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं—

संस्कृत शब्द—

(१) अकारान्त और आकारान्त पुल्लिग शब्दों में 'ई प्रत्यय जोड़कर—

देव	—	देवी
पुत्र	—	पुत्री
सखा	—	सखी

(२) अकारान्त पुल्लिग शब्दों में इका' प्रत्यय जोड़कर—

बालक	—	बालिका
सेवक	—	सेविका
नायक	—	नायिका

(३) मातृ से मती और वान् से वती में बदल कर—

श्रीमान्	(श्रीमत्)	श्रीमती
भगवान्	(भगवद्)	भगवती
विद्वान्	(विद्वत्)	विद्वती

(४) अकारान्त पुल्लिग शब्दों में 'आ' प्रत्यय जोड़कर—

श्याम	—	श्यामा
पूज्य	—	पूज्या
सुत	—	सुता

(५) अकारान्त पुल्लिग शब्दों में 'आनी' प्रत्यय जोड़कर—

इन्द्र	—	इन्द्राणी
भव	—	भवानी

(६) इकारान्त (संस्कृत इन्) पुल्लिग शब्दों में 'इनी' प्रत्यय जोड़ कर—

स्वामी (स्वामिन्)—स्वामिनी
संन्यासी (संन्यासिन्)—संन्यासिनी
निवासी (निवासिन्)—निवासिनी
तपस्वी (तपस्विन्)—तपस्विनी

(७) ऋकारान्त पुल्लिग शब्दों में 'ई' प्रत्यय जोड़कर—

संस्कृत पुल्लिग	**हिन्दी पुल्लिग**	**स्त्रीलिंग**
कर्तृ	कर्ता	कर्त्री
धातृ	धाता	धात्री
दातृ	दाता	दात्री
कवयितृ	कवयिता	कवयित्री

(८) पुल्लिग शब्दों के भिन्न स्त्रीलिंग—

विद्वान	विदुषी
सम्राट	सम्राज्ञी
युवा	युवती

हिन्दी-शब्द

(१) आकारान्त पुल्लिग शब्दों में 'ई' प्रत्यय जोड़कर—

बेटा	बेटी
बच्चा	बच्ची
गूँगा	गूँगी

(२) अकारान्त और आकारान्त पुल्लिग शब्दों में 'इया' प्रत्यय जोड़कर—

बंदर	बंदरिया
चूहा	चुहिया
बेटा	बिटिया

(३) अकारान्त पुल्लिग शब्दों में 'नी' प्रत्यय जोड़कर—

शेर	शेरनी
मोर	मोरनी

(४) पदवी या उपाधि और नाता-रिश्ता-सूचक पुल्लिग शब्दों में 'आनी' प्रत्यय जोड़कर—

पंडित	पंडितानी
सेठ	सेठानी
देवर	देवरानी
जेठ	जेठानी

(५) व्यवसाय-बोधक, जाति-बोधक और उपनामवाचक पुल्लिग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके उनमें 'इन' या 'आइन' प्रत्यय लगाकर—

माली	मालिन	पंडा	पंडाइन
धोबी	धोबिन	चौबे	चौबाइन
लुहार	लुहारिन	मिसिर	मिसिराइन

(६) अन्त का स्वर यदि दीर्घ है, तो उसे ह्रस्व करके तथा उसमें 'नी' प्रत्यय लगाकर—

हाथी—हथिनी

(७) पुल्लिग शब्दों के नितान्त भिन्न स्त्रीलिंग रूप—

पुत्र—कन्या	मर्द—औरत
बेटा—बहू	राजा—रानी
पुरुष—स्त्री	ससुर—सास
पिता—माता	बाप—माँ
भाई—बहन	वर—वधू
बैल—गाय	साला—सलहज
नर—मादा	साहब—मेम

(८) पुल्लिग शब्दों के एक से अधिक स्त्रीलिंग रूप—

पुत्र — पुत्री, कन्या, वधू

बेटा	—	बेटी, बहू

कुछ स्त्रीलिंग शब्दों में प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द बनाये जाते हैं—

भैंस	—	भैंसा
बहिन	—	बहनोई
ननद	—	ननदोई
जीजी	—	जीजा
मौसी	—	मौसिया, मौसा

प्रश्न और अभ्यास

१. सिद्ध कीजिए कि संज्ञा विकारी शब्द है।

२. संज्ञा के रूपान्तर से आप क्या समझते हैं ? स्पष्ट कीजिए।

३. लिंग किसे कहते हैं ? उसके भेद सोदाहरण लिखिए।

४. मोटे अक्षरों में छपे शब्दों के लिंग बताइए—

(क) उसके कमरे की **सजावट** देखकर सब मुग्ध हो गये।

(ख) **दही** खाने से तुम्हारे **स्वास्थ्य** को **हानि** पहुँचेगी।

(ग) मैं **बर्फ** खरीदने जा रही हूँ।

(घ) **गंगा** और **यमुना** के संगम पर कुम्भ मेला लगता है।

(च) **अंतरात्मा** की आवाज़ सुनो।

(छ) मुझे **पानी** चाहिए।

५. नीचे लिखे शब्दों के भिन्न लिंग लिखिए—

देव, श्रीमान्, सुत, भाव, युवा, शेर, देवर, बैल, राजा, भाई, मौसी, नर।

६. नीचे लिखे कथनों में से सही के सामने (✓) और गलत के सामने (×) चिह्न लगाइए—

(अ) 'सम्राट' शब्द का स्त्रीलिंग 'सम्राटी' होता है। ( )

(ब) 'कौवा' शब्द नित्य पुल्लिंग और 'कोयल' शब्द नित्य स्त्रीलिंग हैं। ( )

(स) स्त्रीलिंग शब्दों में प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द नहीं बनाए जाते। ( )

(द) 'पुत्र' शब्द के एक से अधिक स्त्रीलिंग रूप होते हैं। ( )

(य) 'कवि' शब्द का स्त्रीलिंग 'कवयित्री' होता है। ( )

(र) लिंग का सम्बन्ध शब्दों से होता है, वस्तुओं से नहीं। ( )

(ल) लिंग के अनुसार सम्बन्धकारक की विभक्तियाँ बदल जाती हैं। ( )

(व) पति शब्द का स्त्रीलिंग 'पत्नी' होता है। ( )

७. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए—

(क) हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया जाय।

(ख) देश की गौरव के बढ़कर तुम्हारी गौरव नहीं।
(ग) अपनी शिक्षानुसार तुम मर्यादा का पालन नहीं करते ।
(घ) कन्या पराया धन होता है ।
(च) वह किसी दूसरी की पुस्तक लेकर चम्पत हो गया ।
(छ) अपने भाई को देखकर उसने सन्तोष का साँस लिया ।
(ज) इतना दहेज देने का सामर्थ्य मुझमें नहीं है।
(झ) दिये के लौ की भाँति वह जलता रहा ।

८. निम्नलिखित वाक्यों की बनावट इस प्रकार बदलिए कि इनमें प्रयुक्त संज्ञाओं का लिंग निर्णय हो जाय—

(अ) गाली देना बुरी बात है ।
(ब) इन चित्रों का क्या मूल्य ।
(स) बनावट देखकर आप समझ जायेंगे कि यह वस्तु अच्छी है ।
(द) मेरे पास कीमती मोतियों का हार है ।
(य) धूप में चलना कठिन है ।
(र) आग जलाकर सब लोग बैठे हैं ।
(ल) हवा चलने से घुटन नहीं होता ।
(व) सभा में पत्थर बाजी हुई ।

९. वाक्य बनाकर निम्नलिखित संज्ञाओं का लिंग निर्णय कीजिए—
सड़क, पहिया, रूमाल, केश, दूकान, बालू, मेज, मकान, घी, जी, पक्षी ।

संज्ञा के वचन

विकारी शब्द के जिस रूप से संख्या जानी जाती है; उसे वचन कहते हैं ।
हिन्दी में दो प्रकार के वचन होते हैं—

(१) एकवचन ।
(२) बहुवचन ।

(१) **एकवचन**—शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या वस्तु का बोध होता है, उसे एकवचन कहते हैं । जैसे—'लड़का पढ़ता है' वाक्य में 'लड़का' संज्ञा एकवचन है ।

(२) **बहुवचन**—शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है, बहुवचन कहते हैं । जैसे—'लड़के पढ़ते हैं' वाक्य में 'लड़के' संज्ञा बहुवचन है ।

हिन्दी बहुधा अन्दर के लिए एकवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है । उदाहरण के लिए 'कलिंग देश का राजा बड़ा अत्याचारी था' और 'कलिंग देश

के राजा बड़े अत्याचारी थे' प्रथम वाक्य के 'राजा' का प्रयोग एकवचन में हुआ है, तो दूसरे वाक्य के 'राजा' का प्रयोग आदरार्थ बहुवचन में हुआ है, यद्यपि दोनों ही एकवचन हैं।

निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग सदैव बहुवचन में होते हैं—

(१) आँसू—उसकी आँखों से **आँसू** बह रहे थे।

(२) होंठ—लज्जावश उसने **होंठ** खोले ही नहीं।

(३) दर्शन—उनके **दर्शनों** की बड़ी आकांक्षा थी।

(४) प्राण—शेर को देखकर मेरे **प्राण** सूख गये।

(५) बाल—उसके **बाल** लम्बे और घने हैं।

(६) हस्ताक्षर—मैंने सूचना पर **हस्ताक्षर** नहीं किये।

(७) होश—अनुराधा के **होश** उड़े हुए थे।

(८) लोग—**लोग** ग़रीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

(९) समाचार—गाँवों में समाचार विलम्ब से पहुँचते हैं।

निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग सदैव एकवचन में होते हैं—

(१) चप्पल—मुझे नई **चप्पल** लेनी है।

(२) जूता—मैं बाजार से नया **जूता** लाया।

(३) मोजा—उसे **मोजा** ख़रीदना है।

एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम

वचन की दृष्टि से संज्ञा में परिवर्तन दो रूपों में होता है—

(१) मूल (अविकृत या कारक चिह्न रहित) रूप में।

(२) विकृत (तिर्यक् या कारक चिह्न सहित) रूप में।

(१) मूल या अविकृत रूप—

(अ) यदि पुल्लिग शब्द आकारान्त हो, तो बहुवचन बनाने के लिए 'आ' के स्थान पर 'ए' का प्रयोग होता है—

लड़का—लड़के	रास्ता—रास्ते
बेटा—बेटे	बच्चा—बच्चे
घोड़ा—घोड़े	हीरा—हीरे

अपवाद—संस्कृत के आकारान्त शब्द बहुवचन में नहीं बदलते। जैसे—कर्ता, दाता, देवता, पिता, नेता, योद्धा, राजा, सखा आदि।

सम्बन्धियों के लिए प्रयुक्त होनेवाले शब्दों में 'पोता', 'बेटा', 'भतीजा', 'भानजा' और 'साला' में 'आ' का 'ए' हो जाता है, परन्तु काका, चाचा (चचा), ताया, नाना, दादा, बाबा, फूफा, मामा आदि में दोनों वचनों का रूप एक-सा ही रहता है।

(ब) जिन पुल्लिंग शब्दों के अन्त में 'आ' से भिन्न कोई और स्वर होता है, उनके रूप दोनों वचनों में एक समान रहते हैं। जैसे—

एक शिक्षक—पांच शिक्षक
एक पक्षी—अनेक पक्षी
एक गुरु—दो गुरु
एक ब्राह्मण—अनेक ब्राह्मण

(स) स्त्रीलिंग शब्दों के अन्त के 'इ', 'ई' या 'इया' बदलकर बहुवचन में 'इयाँ' हो जाते हैं—

जाति—जातियाँ	लड़की—लड़कियाँ	चिड़िया—चिड़ियाँ
नीति—नीतियाँ	स्त्री—स्त्रियाँ	गुड़िया—गुड़ियाँ
निधि—निधियाँ	रमणी—रमणियाँ	डिबिया—डिबियाँ

(द) जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अन्त में 'इ', 'ई' या 'इया' नहीं होता, उनके अन्त में 'एँ' जोड़ने से बहुवचन बनता है—

बहन—बहनें
गाय—गायें
छात्रा—छात्राएँ
कक्षा—कक्षाएँ
लता—लताएँ
बहू—बहुएँ (दीर्घ ऊ का ह्रस्व)

विकृत रूप—

(अ) आकारान्त, उकारान्त और औकारान्त शब्दों के अन्त में 'अ' जोड़ने से वे बहुवचन बन जाते हैं—

नेता—नेताओं
माता—माताओं
वस्तु—वस्तुओं
गौ—गौओं

(ब) कुछ अकारान्त और आकारान्त शब्दों के 'अ' और 'आ' हट जाते हैं और उनके स्थान पर 'ओं' जुड़ जाता है—

आंख—आंखों
बहन—बहनों
किला—किलों
लड़का—लड़कों

(स) इकारान्त और ईकारान्त शब्दों के अन्त में 'यों' जोड़ने मे और 'ई' को 'इ' करने से वे बहुवचन बन जाते हैं—

कवि—कवियों
जाति—जातियों
नाई—नाइयों
स्त्री—स्त्रियों

(द) ऊकारान्त शब्दों के अन्त में 'ओं' जोड़ने से और 'ऊ' को 'उ' करने से वे बहुवचन बन जाते हैं—

वधू—वधुओं
साधू—साधुओं
डाकू—डाकुओं
उल्लू—उल्लुओं

(य) जिन शब्दों के अन्त में 'या' होता है, उसके अन्तिम 'आ' को हटाकर 'य' में 'ओं' जोड़ देने से वे बहुवचन बन जाते हैं—

गुड़िया—गुड़ियों
डिबिया—डिबियों
मुखिया—मुखियों
चिड़ियाँ—चिड़ियों

विशेष—जिन शब्दों के अन्त में 'ओं' और औं होता है, उनके रूप नहीं बदलते। जैसे—कोदों, सरसों, गौं आदि।

(र) सम्बोधन कारक सहित संज्ञाओं के बहुवचन रूप मे, जिनमें 'ओं' जुड़ा होता है, अनुस्वार निकल जाता है। जैसे—

छात्रो ! शान्त बैठो।
मित्रो ! मेरी बात ध्यान से सुनो।
भाइयो और बहनो ! आपका स्वागत है।
देवियो और सज्जनो ! हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं।

प्रश्न और अभ्यास

१. वचन से आप क्या समझते हैं ? उसके सोदाहरण भेद लिखिए।
२. ऐसे पाँच संज्ञा शब्द लिखिए, जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है।
३. ऐसे तीन संज्ञा शब्द लिखिए, जिनका प्रयोग सदैव एकवचन में होता है।
४. ऐसे पाँच संज्ञा शब्द लिखिए, जिनके रूप दोनों वचनों में समान रहते हैं।
५. निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए—
स्त्री, साधू, नीति, कक्षा, लता, बेटा, रास्ता, डिबिया, घोड़ा, हीरा।
६. मोटे अक्षरों में छपे शब्दों के वचन बताइए—
(क) उसके **आँसू** थमते नहीं हैं।
(ख) श्यामा को पागल **कुत्ते** ने काट खाया।
(ग) उनके **बच्चे** बड़े नटखट हैं।
(घ) आप अपने **बेटे** को बुला लीजिए।
(च) यहाँ के **वृक्ष** काट डाले गए।
(छ) झांसी की रानी जैसी **स्त्रियों** की आज देश को आवश्यकता है।
७. आगे लिखे कथनों में से सही के सामने (✓) और गलत के सामने (×) चिह्न लगाइए—

(अ) संस्कृत के आकारान्त शब्द बहुवचन में नहीं बदलते । ( )
(ब) ईश्वर के लिए सदैव 'तू' शब्द का प्रयोग होता है । ( )
(स) 'पिताजी बीमार है' वाक्य में 'पिताजी' शब्द बहुवचन है । ( )
(द) 'प्रजा सुखी है' वाक्य में 'प्रजा' शब्द एकवचन है । ( )
(य) स्त्रियों और स्त्रियों का प्रयोग भिन्न-भिन्न कारकों में नहीं होता । ( )

८. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए—
(क) चार बजे के लगभग अपने-अपने घरों को चले जाना ।
(ख) लड़का लोग बहुत तंग करता है ।
(ग) उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी ।
(घ) प्रत्येक छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होना चाहिए ।
(च) बाँगला देश के युद्ध में औरत लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ ।
(छ) उसका होश गुम हो गया ।
(ज) शत्रु ने गोले और तोपों से आक्रमण किया ।
(झ) मेरी एक-आध बातें सुनते जाइए ।

९. कोष्ठ में दिये गये शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—
(अ) उनकी·········में दर्द है । (आँखें, आँखों)
(ब) यहाँ कितने·········खड़े हैं । (मनुष्य, मनुष्यों)
(स) दोनों·········झगड़ रहे हैं । (बच्चे, बच्चों)
(द) मित्र की·········नहीं देखते । (जाति, जातियाँ)
(य) मैं बाग के·········से मिला था (रखवाला, रखवाले)
(र) पाँचों·········घायल हो गये । (व्यक्ति, व्यक्तियों)

संज्ञा के कारक

संज्ञा (या सर्वनाम) के जिस रूप से उसका सम्बन्ध वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ प्रकट होता है, उसे **कारक** कहते हैं ।

संज्ञा (या सर्वनाम) का सम्बन्ध अन्य शब्द के साथ प्रकट करने के लिए उसके साथ जो अक्षर या चिह्न लगाया जाता है; उसे **विभक्ति** कहते हैं ।

हिन्दी में कारक आठ हैं । उनके नाम और विभक्तियाँ निम्नलिखित हैं—

कारक	विभक्ति
१. कर्ता	०, ने
२. कर्म	० को

३. करण	से
४. सम्प्रदान	को, के लिए
५. अपादान	से
६. सम्बन्ध	का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी
७. अधिकरण	में, पर
८. सम्बोधन	०, ऐ ! हे ! अजी ! अरे !

विभक्तियों को कारक-चिह्न या परसर्ग भी कहते हैं।

कर्ता कारक—वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे—

बच्चे दौड़ते हैं।

स्मिता ने पुस्तक पढ़ी।

पहले वाक्य में दौड़ने का कार्य बच्चे करते हैं, अतः बच्चे कर्ता कारक हैं, दूसरे वाक्य में पढ़ने का काम स्मिता ने किया, अतः 'स्मिता' कर्ता कारक है। दूसरे वाक्य में स्मिता के साथ 'ने' विभक्ति है, पर पहले वाक्य में बच्चे के साथ किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है।

कर्ता कारक की 'ने' विभक्ति का प्रयोग सर्वत्र नहीं किया जाता।

कर्म कारक—जिस वस्तु पर कर्ता के व्यापार का फल पड़े, उसके लिए प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम को कर्म कहते हैं। जैसे—'मंगल ने स्मिता को बुलाया' वाक्य में मंगल कर्ता है और उसके व्यापार (बुलाने) का फल 'स्मिता' पर पड़ता है, इसलिए 'स्मिता' कर्म है। यहाँ स्मिता के साथ 'को' विभक्ति का प्रयोग हुआ है, परन्तु सभी कर्मों के साथ 'को' विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। प्रायः व्यक्तियों के नाम के साथ को विभक्ति लगती है, अचेतन पदार्थों के साथ नहीं। 'मंगल ने रोटी खाई' वाक्य में रोटी कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा।

करण कारक—संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी क्रिया के साधन का बोध होता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे—'राम ने रावण को बाण से मारा' वाक्य में 'बाण' से मारे जाने का कार्य हुआ, अतः 'बाण' कारक है। 'से' विभक्ति है।

प्यास, भूख, जाड़ा, हाथ, कान तथा आँख आदि शब्द जब बहुवचन में आते हैं, तो उनके साथ 'से' विभक्ति नहीं लगती। जैसे—मैंने अपनी आँखों सारा दृश्य देखा' में 'आँखों' संज्ञा करण कारक है पर इसके साथ 'से' विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है।

सम्प्रदान कारक—संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, सम्प्रदान कारक कहलाता है। जैसे—'राजा ने भिखारी को दान दिया' वाक्य में 'भिखारी' सम्प्रदान कारक है। 'को' विभक्ति है।

अपादान कारक—संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, जिससे अलगाव का बोध हो, अपादान कारक कहलाता है। जैसे—'गंगा नदी हिमालय से निकलती है' वाक्य में हिमालय अपादान कारक है। 'से' विभक्ति है।

सम्बन्ध कारक—संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, जिसका सम्बन्ध वाक्य के अन्य शब्द से हो, सम्बन्ध कारक कहलाता है। जैसे—'सीता की गुड़िया प्रदर्शनी में भेजी गई है' में 'सीता' सम्बन्ध कारक है। 'की' विभक्ति है।

अधिकरण कारक—संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, जो क्रिया का आधार हो, अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे 'डाल पर कोयल कूकती है' या 'कमरे में अतिथि बैठे हैं' वाक्यों में 'डाल' और 'कमरे' अधिकारक हैं तथा 'पर' और 'में' विभक्तियाँ हैं। कभी-कभी वाक्य में विभक्ति का लोप रहता है। जैसे—'इस जगह दुर्घटना हुई थी' या 'उस समय मुझे याद नहीं रहा' वाक्यों में 'जगह' और समय अधिकरण कारक है, पर उनके आगे की विभक्तियाँ लुप्त हैं।

सम्बोधन कारक—संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना, चेतावनी देना या सम्बोधित करना आदि सूचित हो, उसे सम्बोधन कारक कहते हैं। जैसे—'हे ईश्वर! तुम्हीं रक्षक हो।' वाक्य में 'ईश्वर' सम्बोधन कारक है और इसकी विभक्ति 'हे' ईश्वर के पहले प्रयुक्त हुई है। सम्बोधन कारक की विभक्ति भी प्रायः लुप्त रहती है। जैसे—'राम, तुम कहाँ जा रहे हो?' वाक्य में 'राम' सम्बोधन कारक है, परन्तु उसके साथ विभक्ति लुप्त है।

लिंग, वचन और कारक के अनुसार संज्ञा के रूपान्तर

पुल्लिग संज्ञाएँ—

(१) अकारांत

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	बालक, बालक ने	बालक, बालकों ने
कर्म	बालक को	बालकों को
करण	बालक से	बालकों से
सम्प्रदान	बालकों को, बालक के लिए	बालकों को, बालकों के लिए
अपादान	बालक से	बालकों से
सम्बन्ध	बालक का, के, की	बालकों का, के, की
अधिकरण	बालक में, बालक पर	बालकों से, बालकों पर
सम्बोधन	हे बालक!	हे बालको!

सभी अकारांत शब्दों के रूप 'बालक' की ही भाँति चलते हैं।

(२) आकारांत

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	लड़का, लड़के ने	लड़के, लड़कों ने
कर्म	लड़के को	लड़कों को
करण	लड़के से	लड़कों से
सम्प्रदान	लड़के को, लड़के के लिए	लड़कों को, लड़कों के लिए
अपादान	लड़के से	लड़कों से

सम्बन्ध	लड़के का, के, की	लड़कों का, के, की
अधिकरण	लड़के में, लड़के पर	लड़कों में, लड़कों पर
सम्बोधन	हे लड़के !	हे लड़को !

हिन्दी के सभी आकारन्त शब्दों के रूप 'लड़कों' की भाँति चलते हैं, पर संस्कृत के आकारान्त शब्द तथा हिन्दी के राजा, काका आदि कुछ शब्द अपवाद हैं।

(३) **आकारांत राजा**

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	राजा, राजा ने	राजा, राजाओं ने
कर्म	राजा को	राजाओं को
सम्बोधन	हे राजा !	हे राजाओ !

संस्कृत के सभी आकारान्त पुल्लिग (पिता, देवता आदि) संज्ञाओं के रूप 'राजा' की भाँति चलते हैं।

(४) **ईकारान्त**

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	भाई, भाई ने	भाई, भाइयों ने
कर्म	भाई को	भाइयों को
सम्बोधन	हे भाई !	हे भाइयो !

सभी पुल्लिग इकारान्त (मुनि, कवि आदि) तथा ईकारान्त (माली, नाई आदि) संज्ञाओं के रूप 'नाई' की तरह चलते हैं। ईकारान्त शब्दों में 'यो' या 'यों' जोड़ने से पहले अन्तिम 'ई' का 'इ' कर देते हैं।

(५) **ऊकारान्त**

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	डाकू, डाकू ने	डाकू, डाकुओं ने
कर्म	डाकू को	डाकुओं को
सम्बोधन	हे डाकू !	हे डाकुओ !

सभी उकारान्त (जन्तु, शत्रु, पशु आदि) ऊकारान्त (भालू, साधू आदि) तथा औकारान्त (जौ, गौ आदि) संज्ञाओं के रूप 'डाकू' की तरह चलते हैं। ऊकारान्त शब्दों में 'ओं' या 'ओ' जोड़ने से पहले अन्तिम 'ऊ' या 'उ' कर देते हैं।

स्त्रीलिंग संज्ञाएँ—

(१) **अकारान्त**

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	बहिन, बहिन ने	बहिनें, बहिनों ने
कर्म	बहिन को	बहिनों को
सम्बोधन	हे बहिन !	हे बहिनो !

(२) आकारान्त

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	शाला, शाला ने	शालाएँ, शालाओं ने
कर्म	शाला को	शालाओं को
सम्बोधन	हे शाला !	हे शालाओ !

(३) याकारान्त

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	गुड़िया, गुड़िया ने	गुड़ियाँ, गुड़ियों ने
कर्म	गुड़िया को	गुड़ियों को
सम्बोधन	हे गुड़िया !	हे गुड़ियो !

(४) ईकारान्त

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	देवी, देवी ने	देवियाँ, देवियों ने
कर्म	देवी को	देवियों को
सम्बोधन	हे देवी !	हे देवियो !

(५) औकारान्त

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	गौ, गौ ने	गौएँ, गौओं ने
कर्म	गौ को	गौओं को
सम्बोधन	हे गौ !	हे गौओ !

(जिन कारकों के रूप ऊपर नहीं दिये गये हैं, उनके रूप दूसरे कारकों के अनुसार बनाये जा सकते हैं।)

प्रश्न और अभ्यास

१. कारक से आप क्या समझते हैं ? उनके भेद और विभक्ति-चिह्न लिखिए।
२. वाक्य में विभक्ति का क्या उपयोग है ? उदाहरण देकर समझाइए।
३. कर्म और सम्प्रदान कारक का अन्तर स्पष्ट कीजिए।
४. करण और अपादान कारक का अन्तर स्पष्ट कीजिए।
५. मोटे अक्षरों में छपे शब्दों के कारक बताइए—
(क) मैंने अपनी **आँखों** सारा **दृश्य** देखा।
(ख) आपका **सामान स्टेशन पर** पहुँच गया है।
(ग) **डाल** पर **कोयल** कूकती है।
(घ) आज मुझे **घर** जाने दो।
(च) **भाई**, मेरी **बात** मानो।
(छ) मैंने **मोहन को** सारी **बात बता दी**।

(ज) मंगल ने स्मिता के लिए उपहार भेजा।

६. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(अ) विभक्तियों को.........भी कहते हैं।

(ब) संज्ञा का वह रूप, जो क्रिया का आधार हो.........कारक कहलाता है।

(स) 'राजा ने भिखारी को दान दिया' वाक्य में 'भिखारी को'.........कारक है।

(द) 'इस जगह दुर्घटना हुई थी' वाक्य में.........विभक्ति लुप्त है।

(य) 'मैंने वृत्त चित्र देखा' वाक्य में.........विभक्ति लुप्त है।

७. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए—

(क) उसने रो दिया।

(ख) मैंने बोला था न?

(ग) रीता मुझे एक पेन्सिल दी।

(घ) उसने चित्र को बनाया।

(च) माँ अपना बेटा देखकर अघा गई।

(छ) वह दो महीना से अस्पताल में पड़ा है।

(ज) घड़ा में जल है।

(झ) एक भाषा से दूसरी को अनुवाद करना सरल कार्य नहीं है।

(ट) मेरे भाई को दो लड़के हैं।

(ठ) श्याम की दो पुस्तकें हैं।

(ड) बच्चो! शोर मत करो।

(ढ) आपके पिते को क्या चाहिए?

८. सही कथन पर (✓) चिह्न और गलत कथन पर (×) चिह्न लगाइए—

(अ) विभक्तियों का प्रयोजन वाक्य में स्पष्टता लाना है। ( )

(ब) विभक्ति और सम्बन्ध-सूचक शब्द एक ही होते हैं। ( )

(स) सम्बोधन-कारक में संज्ञा शब्द का ओंकारान्त बदलकर ओकारान्त हो जाता है। ( )

(द) कर्ता कारक में सदैव 'ने' विभक्ति का प्रयोग होता है। ( )

(य) अधिकार का भाव प्रकट करने के लिए सम्बन्ध कारक का प्रयोग होता है।

———

सर्वनाम के रूपान्तर

संज्ञा की भाँति 'सर्वनाम' भी विकारी शब्द है। सर्वनाम में भी प्रयोग की दृष्टि से रूपान्तर होते हैं।

'मैं' शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित वाक्यों में इसका रूपान्तर देखा जा सकता है—

मैं पढ़ता हूँ। **हम** पढ़ते हैं।
मैंने पुस्तक पढ़ी। **हमने** पुस्तक पढ़ी।
मुझे पुस्तक दो। **हमें** पुस्तक दो।
मुझको पुस्तक दो। **हमको** पुस्तक दो।
मुझसे उसकी मुलाकात नहीं हुई। **हमसे** उसकी मुलाकात नहीं हुई।
मेरे लिए पुस्तक लाओ। **हमारे लिए** पुस्तक लाओ।
मुझसे वह डरता है। **हमसे** वह डरता है।
मेरी पुस्तक फट गई। **हमारी** पुस्तक फट गई।
मुझमें कई अवगुण हैं। **हममें** कई अवगुण हैं।

मैं सर्वनाम के ये रूपान्तर—हम, मैंने, हमने, मुझे, हमें, मुझको, हमको, मुझसे, हमने, मेरे लिए, हमारे लिए, मेरी, हमारी, मुझमें और हममें—वचन और कारक के आधार पर होते हैं।

सर्वनाम के रूपान्तर में निम्नलिखित बातें **दृष्टव्य** हैं—

(१) सर्वनाम के सम्बन्ध कारक रूप जिन **शब्दों के पूर्व** आते हैं, उनके वचन तथा लिंग के अनुसार उनमें परिवर्तन होता है। जैसे—**मेरी** पुस्तक, **मेरे** भाई, **मेरा** विद्यार्थी आदि।

(२) सम्बोधन कारक में सम्बोधन का प्रयोग नहीं होता। 'हे तुम!' आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

(३) सर्वनाम के रूपान्तर वचन और कारक के आधार पर होते हैं।

(१) पुरुषवाचक-उत्तम पुरुष "मैं"

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	मैं, मैंने	{ हम, हम लोग हमने, हम लोगों ने

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्म	मुझे, मुझको	हमें, हमको, हम लोगों को
करण	मुझसे	हमसे, हम लोगों से
सम्प्रदान	मुझे, मुझको, मेरे लिए	हमें, हमको, हमारे लिए हम लोगों को, हम लोगों के लिए
अपादान	मुझसे	हमसे, हम लोगों से
सम्बन्ध	मेरा, मेरे, मेरी	हमारा, हमारे, हमारी हम लोगों का, के, की
अधिकरण	मुझमें, मुझ पर	हममें, हम पर हम लोगों में, हम लोगों पर

(२) पुरुषवाचक-मध्यम पुरुष 'तू', 'तुम', 'आप'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	तू, तूने तुम, तुमने आप, आपने	तुम लोग, तुम लोगों ने आप लोग, आप लोगों ने
कर्म	तुझको, तुझे तुमको, तुम्हें आपको	तुम लोगों को, आप लोगों को
करण	तुझसे, तुमसे, आपसे	तुम लोगों से, आप लोगों से
सम्प्रदान	तुझको, तुझे, तेरे लिए तुमको, तुम्हें, तुम्हारे लिए आपको, आपके लिए	तुम लोगों को, तुम लोगों के लिए आप लोगों को, आप लोगों के लिए
अपादान	तुझसे, तुमसे, आपसे	तुम लोगों से, आप लोगों से
सम्बन्ध	तेरा, तेरे, तेरी तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी आपका, आपकी, आपके	तुम लोगों का, के, की आप लोगों का, के, की
अधिकरण	तुझमें; तुझ पर तुममें, तुम पर आपमें, आप पर	तुम लोगों में, तुम लोगों पर आप लोगों में, आप लोगों पर

मध्यम पुरुष में 'तू' का प्रयोग अत्यधिक प्यार; घृणा या अनादर के लिए होता है। 'तुम' का प्रयोग, जो मूलतः बहुवचन है, व्यवहार में एकवचन के रूप में होता है। बहुवचन में 'तुम लोग' का प्रयोग होता है।

आदर के लिए 'तुम' के स्थान पर 'आप' का प्रयोग होता हैं। 'आप' के साथ अन्य पुरुष बहुवचन की क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे—आप किधर जा रहे हैं ?

(३) अन्य पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक 'यह'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	यह, इसने	ये; इन्होंने
कर्म	इसे, इसको	इन्हें, इनको
करण	इससे, इसके द्वारा	इनसे, इनके द्वारा
सम्प्रदान	इसे, इसको, इसके लिए	इन्हें, इनको, इनके लिए
अपादान	इससे	इनसे
सम्बन्ध	इसका, इसके, इसकी	इनका, इनके, इनकी
अधिकरण	इसमें, इस पर	इनमें, इन पर

(४) अन्य पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक 'वह'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	वह, उसने	वे, उन्होंने
कर्म	उसे, उसको	उन्हें, उनको
करण	उससे, उसके द्वारा	उनसे, उनके द्वारा
सम्प्रदान	उसे, उसको, उसके लिए	उन्हें, उनको, उनके लिए
अपादान	उससे	उनसे
सम्बन्ध	उसका, उसके, उसकी	उनका, उनके, उनकी
अधिकरण	उसमें, उस पर	उनमें, उन पर

(५) अनिश्चयवाचक 'कोई'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	कोई, किसी ने	कोई, किन्हीं ने
कर्म	किसी को	किन्हीं को
करण	किसी से, किसी के द्वारा	किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा

(६) सम्बन्धवाचक 'जो'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	जो, जिसने	जो लोग, जिन्होंने, जिन लोगों ने
कर्म	जिसे, जिसको	जिन्हें, जिनको, जिन लोगों को
करण	जिससे, जिसके द्वारा	जिनसे, जिनके द्वारा, जिन लोगों के द्वारा

(७) प्रश्नवाचक 'कौन'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	कौन, किसने	कौन लोग, किन्होंने, किन लोगों ने
कर्म	किसे, किसको	किन्हें, किनको, किन लोगों को
करण	किससे, किसके द्वारा	किनसे, किनके द्वारा, किन लोगों से, किन लोगों द्वारा

(८) निजवाचक 'आप'

(निजवाचक सर्वनाम के सभी रूपों के वाक्य प्रयोग दिये जा रहे हैं ।)

कारक	एकवचन तथा बहुवचन	प्रयोग
कर्ता	आप, अपने आप	मैं आप/अपने आप चला जाऊँगा ।
		वे लोग आप/अपने आप चले जायेंगे ।
कर्म	आपको, अपने को	वह अपने आपको पुलिस के हवाले कर देगा ।
	अपने आपको	वे सभी अपने आपको पुलिस के हवाले कर देंगे ।
करण	आपसे, अपने से	श्याम ने अपने आप तैयारी कर ली ।
	अपने आप, अपने आप से	वे लोग अपने आप तैयारी कर लेंगे ।
सम्प्रदान	आपको, अपने को	वह स्वयं अपने लिए कुछ नहीं रखता ।
अपादान	आपसे, अपने से	तुम उसे अपने से दूर मत करो ।
	अपने आपको/अपने लिए	सैनिकों ने स्वयं अपने लिए कुछ नहीं रखा ।
	अपने आपसे	आप लोग उसे अपने से दूर मत रखिए ।
सम्बन्ध	अपना, अपने, अपनी	मैंने अपना काम कर लिया ।
		हम लोगों ने अपना काम कर लिया ।
		तुमने अपना काम कर लिया ।
		आप लोगों ने अपना काम कर लिया ।
		उसने अपना काम कर लिया ।
		उन्होंने अपना काम कर लिया ।
		किसने अपना काम कर लिया ?
अधिकरण	आपमें, अपने में, आपस में	तुम लोग अपने में ही क्यों लड़ रहे हो ?

प्रश्न और अभ्यास

१. सर्वनाम को विकारी शब्द क्यों कहते हैं ? उदाहरण देकर समझाइए ।

२. नीचे लिखे सही कथनों पर (✓) और गलत कथनों पर (×) चिह्न लगाइए—

(क) सर्वनामों में सम्बोधन कारक का प्रयोग होता है । ( )

(ख) 'यह काम आपसे नहीं होगा' वाक्य में 'आपसे' शब्द निजवाचक सर्वनाम का अपादान कारक है । ( )

(ग) 'सभा में किसको गोली लगी ?' वाक्य में 'किसको' शब्द सम्प्रदान कारक है । ( )

(घ) 'मैं' शब्द का कर्म कारक में एकवचन रूप 'मेरे को' है । ( )

(च) 'उसको कुछ नहीं चाहिए' वाक्य में 'उसको' कर्म कारक है । ( )

३. उचित सर्वनामों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—
(अ)............की लाठी............की भैंस ।
(ब) मेरी पुस्तक............मत देना ।
(स) मोहन अपनी गाड़ी............से चलाता है ।
(द) तुम............घर जा सकते हो ।
(य) श्याम............काम समय से करता है ।
(र) मुझे............ने जगाया ।
(ल) ....के लिए सब लोग चन्दा एकत्र कर रहे हैं ।
(व) ....में बहुत से अवगुण होंगे ।

४. नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध कीजिए—
(क) मैं और मेरी सहेलियों का नाटक में जाना न हो सकेगा ।
(ख) तेरे को क्या करना ।
(ग) आपकी बात उन्हें समझ में आ गयी ।
(घ) यह वही लड़की है, उसकी पुस्तक तुमने नहीं लौटाई ।
(च) उन्ह के पिता बड़े क्रोधी हैं ।
(छ) तुम तुम्हारी बात कहो ।

विशेषण के रूपान्तर

संज्ञा और सर्वनाम की भाँति विशेषण भी विकारी शब्द हैं, उनमें भी लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होते हैं। विशेषण शब्दों के लिंग, वचन और कारक विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होते हैं। जैसे—

लिंग के रूप—बड़ा बच्चा, बड़ी बच्ची, छोटा पुत्र, छोटी पुत्री, दुबला लड़का, दुबली लड़की आदि।

वचन के रूप—बड़ा बच्चा, बड़े बच्चे, छोटा पुत्र, छोटे पुत्रों, दुबला लड़का, दुबले लड़के आदि।

कारक के रूप—बड़े बच्चे को बुलाओ, छोटे पुत्र ने पुस्तक खरीदी, दुबले लड़के के लिए चिकित्सा का प्रबन्ध करो आदि।

रूपान्तर की दृष्टि से विशेषणों को उनके अन्तिम वर्ण के अनुसार दो वर्गों में बाटा जा सकता है—

(१) आकारान्त शब्दों वाले विशेषण; जैसे—अच्छा, पीला, छोटा, सुनहला आदि।

(२) आकारान्त शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों वाले विशेषण; जैसे—सुन्दर विद्वान्, गँवार, आलसी आदि।

(१) आकारान्त शब्दों वाले विशेषणों के रूपान्तर

(क) लिंग के आधार पर—पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए अन्तिम 'आ' को बदलकर 'ई' कर दिया जाता है। जैसे—

लम्बा लड़का	लम्बी लड़की
छोटा बेटा	छोटी बेटी
अच्छा घोड़ा	अच्छी घोड़ी
मोटा बच्चा	मोटी बच्ची

(ख) वचन के आधार पर—एकवचन से बहुवचन बनाने के लिए अन्तिम 'आ' को 'ए' में बदल दिया जाता है। जैसे—

लम्बा लड़का	लम्बे लड़के
छोटा बेटा	छोटे बेटे
अच्छा घोड़ा	अच्छे घोड़े
मोटा बच्चा	मोटे बच्चे

(ग) **कारक के आधार पर**—आकारान्त शब्द वाले विशेषण कारक के अनुसार दो रूपों में प्रयुक्त होते हैं—

आकारान्त—जब एकवचन तथा पुल्लिग रूप विशेष्य बिना विभक्ति के प्रयुक्त होते हैं, तो आकारान्त विशेषणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे—

वह विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है।
उसने एक **काला** कोट बनवाया।

एकारान्त—जब एकवचन तथा पुल्लिग रूप विशेष्य कारक विभक्ति के साथ प्रयुक्त होते हैं, तो आकारान्त विशेषणों के 'आ' बदलकर 'ए' हो जाते हैं। जैसे—

उस **अच्छे** बालक को बहुत-से पुरस्कार मिले।
किसान ने **अपने** डंडे से **काले** साँप को मार डाला।

अपवाद—बढ़िया, घटिया, ज्यादा, सवा शब्द आकारान्त होते हुए भी सदा अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे—

बढ़िया घर	बढ़िया साड़ी	बढ़िया पुस्तकें
घटिया कपड़ा	घटिया धोती	घटिया कपड़े
ज्यादा लड़के	ज्यादा लड़किया	ज्यादा लड़कों को
सवा रुपया	सवा रुपल्ली	सवा रुपये का

(१) आकारान्त शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों वाले विशेषणों के रूपान्तर

आकारान्त शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों वाले विशेषणों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होते, वे सदैव अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे—

चतुर लड़का—चतुर लड़की (लिंग के अनुसार)
चतुर लड़का—चतुर लड़के (वचन के अनुसार)
चतुर लड़के ने—चतुर लड़कों को }
चतुर लड़के के लिए } कारक के अनुसार

संज्ञा के रूप में प्रयुक्त विशेषणों के रूपान्तर

जब विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है, तब उनका रूपान्तर संज्ञा के ही समान होते हैं। जैसे—

विद्वानों का सदैव आदर करना चाहिए।
सभा में **मूर्खों** का उपहास किया गया।

विशेषण की तुलनावस्था

दो या दो से अधिक वस्तुओं या प्राणियों के गुणों के मिलान को तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएँ होती हैं—

(१) मूलावस्था (२) उत्तरावस्था (३) उत्तमावस्था।

मूलावस्था—मूल अवस्था में विशेषण शब्द बिना किसी से तुलना किये अपने मूल रूप में रहता है। जैसे—मेरा बड़ा भाई बलवान है। समतामूलक तुलना की स्थिति में भी विशेषण की मूलावस्था रहती है, यद्यपि उसमें 'सा', 'जैसा', 'सरीखा', 'समान', 'अथवा', 'के बराबर' आदि के प्रयोग होते हैं। जैसे—मेरा बड़ा भाई भीम सा बलवान है।

उत्तरावस्था—उत्तर अवस्था में विशेषण दो विशेष्यों की विशेषता की तुलना करता है। जैसे—मेरा बड़ा भाई पड़ोसी से **अधिक बलवान** है।

उत्तमावस्था—उत्तम अवस्था में विशेषण अनेक विशेष्यों की तुलना में एक को सबसे बढ़कर बताता है। जैसे—मेरा भाई पड़ोसियों में **सबसे अधिक बलवान** है।

उत्तर और उत्तम अवस्थाओं में बहुधा 'तर' और 'तम' प्रत्ययों का प्रयोग होता है—

मूल	**उत्तर**	**उत्तम**
उच्च	उच्चतर	उच्चतम
अधिक	अधिकतर	अधिकतम
गुरु	गुरुतर	गुरुतम
प्राचीन	प्राचीनतर	प्राचीनतम
लघु	लघुतर	लघुतम

हिन्दी में साधारणतया जिस विशेष्य से तुलना करनी होती है, उसके बाद से, 'की अपेक्षा' 'से अधिक', 'से कम' 'से बढ़कर' आदि शब्द लगाकर विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे—

उत्तरावस्था—मेरा भाई पड़ोसी **से अधिक** बलवान है।

उत्तमावस्था—मेरा भाई पड़ोसियों में **सबसे अधिक** बलवान है।

उत्तरावस्था में 'दोनों में से' और उत्तमावस्था में 'सबसे अच्छा', 'सबमें बुरा' आदि का प्रयोग होता है।

उत्तमावस्था में 'सब' के स्थान पर 'सभी' का तथा 'अच्छे-से-अच्छा', 'बुरे-से-बुरा' आदि का भी प्रयोग होता है।

उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को सापेक्ष अवस्था और मूलावस्था को निरपेक्ष अवस्था भी कहते हैं।

विशेषणों की रचना

रचना की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं—

(१) रूढ़ (२) यौगिक।

रूढ़ विशेषण—रूढ़ विशेषण वे हैं जो अन्य शब्दों की सहायता से नहीं बनते और जिनके खंडों के कोई अर्थ नहीं होते। जैसे—अच्छा, भला, काला, चतुर, बूढ़ा आदि।

यौगिक विशेषण—यौगिक विशेषण वे हैं, जो दूसरे शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय आदि के योग से बनते हैं। जैसे—अचल, अथाह, मौलिक, प्यासा आदि।

यौगिक विशेषण दो वर्गों में बाँटे जा सकते हैं—

(क) उपसर्ग लगाकर बनाये गये यौगिक विशेषण—अचल, अथाह, निर्भय, सफल, निडर, निर्गुण आदि।

(ख) प्रत्यय लगाकर बनाये गये यौगिक विशेषण—

(अ) संज्ञा से—

सोना	—	सुनहला
मुरादाबाद	—	मुरादाबादी
पशु	—	पाशविक
व्यवहार	—	व्यावहारिक

(ब) सर्वनाम से—

यह—ऐसा, इतना, इतने, इस।
वह—वैसा, उतना, उतने, उस।
जो—जैसा, जितना, जितने, उस।
कौन—कैसा, कितना, कितने, किस।

(स) विशेषण से—

पीला (पीत)	—	पीताभ
नीला	—	नीलाभ
हरा	—	हरित
गुरु	—	गुरुतर
श्रेष्ठ	—	श्रेष्ठतम

(द) क्रिया से—

बिकना	—	बिकाऊ
घूमना	—	घुमक्कड़
थकना	—	थका
गाना	—	गाता

(य) अव्यय से—

ऊपर	—	ऊपरी
बाहर	—	बाहरी
भीतर	—	भीतरी
दूर	—	दूरवर्ती

प्रश्न और अभ्यास

१. विशेषण को विकारी शब्द क्यों कहते हैं ? उदाहरण देकर समझाइए ।

२. नीचे लिखे सही कथनों पर (✔) और गलत कथनों पर (×) चिह्न लगाइए—

(क) विशेषण शब्दों के लिंग, वचन और कारक विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होते हैं । ( )

(ख) विशेषणों के अन्तिम वर्ण में कभी परिवर्तन होता है, कभी नहीं होता ।

(ग) संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होनेवाले विशेषणों का रूपान्तर संज्ञा के समान होता है । ( )

(घ) उत्तर और उत्तम अवस्थाओं में बहुधा 'तम' और 'तर' का प्रयोग होता है । ( )

(च) विशेषण और अव्यय से भी विशेषण बनते हैं । ( )

३. नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण की अवस्थाएँ बताइए—

(अ) मेरा उपहार तुम्हारे उपहार से अच्छा है ।

(ब) हिमालय पर्वतों में सबसे ऊँचा है ।

(स) गंगा पवित्रतम नदी है ।

(द) मानव ! तुम सुन्दरतम हो ।

(य) श्याम सुहास से छोटी है ।

(र) वह लड़की बड़ी हठी है ।

४. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए—

(क) यह रेखा सीधा है ।

(ख) यह पुस्तक के कई पृष्ठ गायब हैं ।

(ग) आपके सब कम हमसे अच्छे होते हैं ।

(घ) वहाँ दो लड़की लोग बैठा है ।

(च) उसका छोटा-छोटा दाँत सुन्दर दिखाई देता है ।

(छ) नया फिल्म लगते ही वह देखने के लिए बेचैन हो उठता है ।

(ज) यह द्वितीय घंटी है ।

(झ) गाँव में छोटा-छोटा गली है ।

५. कोष्ठ में दिये गये शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(अ) ये दीवारें·········हैं । (नीले, नीली)

(ब) गोदाम में·········गेहूँ है ? (कितना, कितने)

(स) वह लड़की·········सुन्दर है । (बहुत, अति)

(द) वहाँ एक·········व्यक्ति आये हैं । (महान्, महती)

(य) संसार की·········लम्बी नदी कौन-सी है ? (सबसे अधिक)

(र) ये कौवे.........हैं। (काला, काले)
(ल) ....काम कोई नहीं कर सकता। (मेरा, मेरी)
(व) ....सामर्थ्य के अनुसार दान दो। (अपना, अपनी)
(स) ....इच्छानुसार कार्यक्रम बनाओ। (अपने, अपनी)

———

क्रिया के रूपान्तर

संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की ही भाँति क्रिया भी विकारी शब्द है, अतः इसमें भी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की भाँति विकार या परिवर्तन होते हैं।

जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, वाक्य में क्रिया के द्वारा कार्य के व्यापार का बोध होता है। कार्य के व्यापार का भिन्न-भिन्न रूपों में उल्लेख करने के लिए क्रिया में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। क्रिया में ये परिवर्तन वाच्य, अर्थ काल, लिंग, वचन, पुरुष और प्रयोग के कारण होते हैं, अतः वाक्य में क्रिया के शुद्ध प्रयोग के लिए इन सबका अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है।

क्रिया के वाच्य

वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं, जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या कोई भाव है। जैसे—'लड़की खाना खाती है' में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता (लड़की) है, अतः यह कर्तृवाच्य है। 'मुझसे यह बोझ न उठाया जायगा' में क्रिया का मुख्य विषय कर्म (बोझ) है, अतः यह कर्मवाच्य है। 'मुझसे चला नहीं जाता' में क्रिया का मुख्य विषय भाव (चलना) है, अतः यह भाववाच्य है।

कर्तृवाच्य—कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं, जिससे जाना जाता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है। जैसे—'लड़का पुस्तक पढ़ता है' में 'पढ़ता है', 'नलिनी सोती है' में 'सोती है' और 'उन्होंने मेहमानों को मिठाई खिलाई' में 'खिलाई' क्रियाएँ कर्तृवाच्य हैं।

(कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है।)

कर्मवाच्य—कर्मवाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं, जिससे जाना जाता है कि क्रिया का उद्देश्य उसका कर्म है। जैसे—'चोर पकड़ा गया' में 'पकड़ा गया' 'उसे प्रस्तुत किया गया' में 'किया गया' और 'आपको यह बात बताई गई' में 'बताई गई' क्रियाएँ कर्मवाच्य हैं।

(कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है।)

भाववाच्य—भाववाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं, जिससे जाना जाता है कि क्रिया का उद्देश्य उसका कर्ता या कर्म नहीं है, वरन् केवल उसका भाव है। जैसे—'यहाँ मुझसे बैठा नहीं जाता', 'उससे चला नहीं जाता' और 'खिलाड़ी से दौड़ा नहीं

जाता' वाक्यों में 'बैठा नहीं जाता', 'बोला नहीं जाता' और 'दौड़ा नहीं जाता' क्रियाएँ भाववाच्य हैं।

(भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है।)

वाच्य के प्रयोग

कर्तृवाच्य—हिन्दी में मुख्य रूप से कर्तृवाचक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। 'मैंने पुस्तक पढ़ी', 'राम ने रोटी खाई' और 'सीता ने चित्र बनाया' जैसे वाक्यों में भी, जहाँ कर्ता के साथ 'ने' विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रियाओं के फल कर्म पर पड़ते हैं, वहाँ भी क्रियाएँ कर्तृवाच्य होती हैं, कर्मवाच्य नहीं।

(इनका प्रयोग कर्मणि है, जिसे आगे समझाया गया है।)

कर्मवाच्य—कर्मवाच्य क्रिया का प्रयोग सर्वत्र नहीं होता। 'उससे रोटी खाई गई' और 'सीता से पुस्तक पढ़ी गई' जैसे हास्यास्पद प्रयोगों की हिन्दी में गुंजाइश नहीं। कर्मवाच्य क्रिया का प्रयोग केवल निम्नलिखित स्थानों में होता है—

(१) जब क्रिया का कर्ता अज्ञात हो या उसके व्यक्त करने की आवश्यकता न हो; जैसे—'आज एक तस्कर पकड़ा गया' और 'उसे फाँसी की सजा सुनाई गई' में 'पकड़ा गया' और 'सुनाई गई' कर्मवाच्य क्रिया के प्रयोग हैं।

(२) कानूनी भाषा एवं सरकारी कागजों में प्रभुता-प्रदर्शन के लिए, जैसे—'सूचना दी जाती है' और 'ऐसा न होने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी' में 'दी जाती है' और 'की जायेगी' कर्मवाच्य क्रिया के प्रयोग हैं।

(३) अशक्तता के अर्थ में; जैसे—'रोगी से अन्न नहीं खाया जाता' और 'हमसे उसका अत्याचार नहीं सहा जायगा' में 'नहीं खाया जाता' और 'नहीं सहा जायगा' कर्मवाच्य क्रिया के प्रयोग हैं।

(४) किंचित अभिमान में; जैसे—'बाद में देखा जायगा' और 'आपको सूचित किया गया था' में 'देखा जायगा' और 'सूचित किया गया था' कर्मवाच्य क्रिया के प्रयोग हैं।

भाववाच्य—भाववाच्य क्रिया का प्रयोग बहुधा अशक्तता के अर्थ में होता है। जैसे—'दुर्गन्ध के कारण बैठा नहीं जाता' और 'मुझसे सहा नहीं जाता' में 'बैठा नहीं जाता' और 'सहा नहीं जाता' भाववाच्य क्रिया के प्रयोग हैं।

प्रश्न और अभ्यास

१. वाच्य से आप क्या समझते हैं? उसके भेद सोदाहरण समझाइए।

२. नीचे लिखे वाक्यों के वाच्य-निर्णय कीजिए—

(क) उसने कालेज में दस वर्ष तक नौकरी की।

(ख) मुझसे चला नहीं जाता।

(ग) आज सवेरे आठ बजे मत-पत्रों की गिनती शुरू की गई।

(घ) उसे भरी सभा में अपमानित किया गया ।
(च) कल हम लोग दिन भर उपन्यास पढ़ते रहे ।
(छ) रोगी से उठा नहीं जाता ।
(ज) बिल्ला और रंगा दोनों हत्यारे पकड़े गये ।
(झ) रोगी से अन्न नहीं खाया जाता ।

३. कर्मवाच्य का प्रयोग किन-किन अवस्थाओं में होता है ? उदाहरण देकर समझाइये ।

४. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—
(अ) कर्तृवाचक.........और.........दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है ।
(ब) कर्मवाच्य केवल.........क्रियाओं में होता है ।
(स) कर्मवाच्य.........क्रियाओं में नहीं होता ।
(द) भाववाच्य.........क्रियाओं में नहीं होता ।
(य) भाववाच्य केवल.........क्रियाओं में होता है ।

५. (क) निम्नलिखित क्रियाओं का कर्तृवाच्य में प्रयोग कीजिए—
जाना, पढ़ना, लिखना, उठाना, चलाना, पटकना, खाना, चलना ।
(ख) निम्नलिखित क्रियाओं का कर्मवाच्य में प्रयोग कीजिए—
मिलना, मारना, देना, लौटाना, समेटना, मिलना, बनना, निकालना ।
(ग) निम्नलिखित क्रियाओं का भाववाच्य में प्रयोग कीजिए—
उठना, बैठना, चलना, जाना, हँसना, बोलना, दौड़ना ।

क्रिया के अर्थ

क्रिया के विधान करने की रीति को अर्थ कहते हैं । क्रिया के अर्थ से हमें यह ज्ञात होता है कि क्रिया का कोई व्यापार निश्चित रूप से हो रहा है या उसके होने में सन्देह या उसके होने की सम्भावना है या उसके लिए कोई आज्ञा या संकेत दिया जा रहा है । उदाहरण के लिए 'पढ़ना' क्रिया के साधारण रूप निम्नलिखित अर्थों में व्यक्त किया जा सकता है—

(१) वह उपन्यास **पढ़ता है** ।
(२) सम्भव है, वह उपन्यास **पढ़े** ।
(३) तुम उपन्यास **पढ़ो** ।
(४) वह उपन्यास **पढ़ता होगा** ।
(५) वह उपन्यास **पढ़ता**, तो अच्छा होता ।

उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ता है, पढ़े, पढ़ो, पढ़ता होगा और पढ़ता क्रियाओं द्वारा 'पढ़ना' क्रिया का भिन्न-भिन्न प्रकार से विधान किया गया है ।

क्रिया के मुख्य अर्थ—

(१) निश्चयार्थ (२) सम्भावनार्थ (३) संदेहार्थ (४) आज्ञार्थ (५) संकेतार्थ ।

(१) **निश्चयार्थ**—क्रिया के जिस रूप से कोई निश्चित विधान या प्रश्न किया जाता है, उसे निश्चयार्थ कहते हैं । जैसे—'लड़का पुस्तकालय जाता है', 'लड़का पुस्तकालय नहीं जाता' और 'क्या लड़का पुस्तकालय जाना चाहता है ?' वाक्यों में 'जाता है', 'नहीं जाता' और 'जाना चाहता है' निश्चयार्थ क्रियाएँ हैं ।

(२) **सम्भावनार्थ**—क्रिया के जिस रूप से अनुमान, इच्छा, कर्त्तव्य आदि का बोध हो, उसे सम्भावनार्थ कहते हैं । जैसे 'कदाचित् मेले में बहुत भीड़ हो' (अनुमान), 'परीक्षा में तुम्हें सफलता मिले' (इच्छा), शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की सहायता करे' (कर्तव्य) वाक्यों में 'हो', 'मिले', 'चाहिए', सम्भावनार्थ क्रियाएँ हैं ।

(३) **संदेहार्थ**—क्रिया के जिस रूप से किसी बात का संदेह जाना जाय उसे संदेहार्थ कहते हैं । जैसे—'विद्यार्थी कालेज पहुँच गया होगा' और 'सीता अपनी बहिन के यहाँ बैठी होगी' वाक्यों में 'गया होगा' और 'बैठी होगी' संदेहार्थ क्रियाएँ हैं ।

(४) **आज्ञार्थ**—क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का बोध होता है, उसे आज्ञार्थ कहते हैं । जैसे—'अपना कमरा साफ रखो, 'माता-पिता का 'कहना मानो', 'लड़की गाना गाये' और 'कल आना' में 'साफ रखो', 'कहना मानो' 'गाये' और 'आना' आज्ञार्थ क्रियाएँ हैं ।

(५) **संकेतार्थ**—क्रिया के जिस रूप से कार्य-कारण का सम्बन्ध रखनेवाली दो क्रियाओं की असिद्धि सूचित हो, उसे संकेतार्थ कहते हैं । जैसे—'यदि मुझे आर्थिक सहायता मिलती, तो मैं चिकित्सक बनता' और 'यदि उसे ठीक समय पर अस्पताल पहुँचाया गया होता, तो उसके प्राण बच जाते' में 'मिलती—बनता' और 'पहुँचाया गया होगा—बच जाते' संकेतार्थ क्रियाएँ हैं ।

प्रश्न और अभ्यास

१. क्रिया के अर्थ से आप क्या समझते हैं ? समझाकर लिखिए ।

२. क्रिया के मुख्य अर्थ कितने हैं ? सोदाहरण समझाइए ।

३. संभावनार्थ और संदेहार्थ का अन्तर स्पष्ट कीजिए ।

४. निम्नलिखित क्रियाओं के प्रयोग निश्चयार्थ, संभावनार्थ, संदेहार्थ आज्ञार्थ, और संकेतार्थ में कीजिए ।

५. नीचे लिखे वाक्यों में क्रियाओं के अर्थ बताइए—

(क) यदि उसे ठीक ढंग से पढ़ाया गया होता तो वह उत्तीर्ण हो जाता ।

(ख) अपने वचन का पालन करो ।

(ग) कदाचित् आज वर्षा हो ।
(घ) मेरे घर बहुत से मेहमान आये होंगे ।
(च) हम लोग अब अपना कार्य समाप्त करेंगे ।
(छ) मुझे कुछ रुपये दो ।
(ज) मैं पुस्तकालय जा रही हूँ ।
(झ) वे लोग बनारस पहुँच गये होंगे ।
(ट) यदि आप अपनी आँखों देखते तो आप यकीन करते ।
(ठ) वहाँ मत जाओ ।

६. अन्तर बताइए—

(१) वर्षा हो रही है ।	वर्षा हो रही होगी ।
(२) कदाचित् वह आये ।	वह आता होगा ।
(३) वह जाता है ।	वह जाता तो सारी सूचना ले आता ।
(४) वहाँ गोली चल रही ।	वहाँ गोली चल रही होगी ।
(५) सजा सुनाई गई ।	सजा सुना दी गई होगी ।

क्रिया के काल

क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं, जिससे क्रिया के व्यापार का समय और उसकी पूर्ण तथा अपूर्ण अवस्था का बोध हो । जैसे—

हम चलचित्र देखने **जाते हैं**।
हम चलचित्र देखने **गये थे**।
हम चलचित्र देखने **जायेंगे**।

उपर्युक्त वाक्यों में 'जाते हैं' क्रिया से वर्तमान समय का, 'गये थे' क्रिया से बीते हुए समय का और 'जायेंगे' क्रिया से आगे आनेवाले समय का बोध होता है ।

[यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि काल क्रिया के रूप का नाम है । वे शब्द, जिनसे काल का बोध होता है (आज, कल, प्रातःकाल, सायंकाल, अब, तब आदि), काल नहीं कहलाते ।]

क्रिया के काल भेद—

(१) वर्तमान काल (२) भूत काल (३) भविष्यत् काल ।

वर्तमान काल—जिस काल से वर्तमान समय का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं । जैसे—

वह **पढ़ती है** ।
सूर्य पूर्व दिशा में **निकलता है** ।

वर्तमान काल के भेद—

(१) **सामान्य वर्तमान काल**—सामान्य वर्तमान काल से यह जाना जाता है कि क्रिया का व्यापार वर्तमान समय में आरम्भ हुआ है। जैसे—राम पुस्तक **पढ़ता है**। हम घर **जाते हैं**। बत्ती जलती है।

सामान्य वर्तमान काल के द्वारा क्रिया का सामान्य वर्णन अथवा क्रिया के करने का स्वभाव जाना जाता है।

(२) **अपूर्ण वर्तमान काल**—अपूर्ण वर्तमान काल से यह जाना जाता है कि क्रिया का व्यापार वर्तमान काल में जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ। जैसे—राम पुस्तक पढ़ **रहा** है। हम घर जा **रहे** हैं। बत्ती जल **रही** है।

(३) **संदिग्ध वर्तमान काल**—संदिग्ध वर्तमान काल से क्रिया का व्यापार होने में सन्देह का भाव प्रकट होता है। जैसे—राम पुस्तक **पढ़ता होगा**। वह घर **जाता होगा**। बत्ती **जलती होगी**।

(४) **सम्भाव्य वर्तमान काल**—सम्भाव्य वर्तमान काल से क्रिया का व्यापार होने की सम्भावना का भाव प्रकट होता है। जैसे—कदाचित् राम पुस्तक **पढ़ता हो**। संभवतः वह घर **जाता हो**। हो सकता है, बत्ती **जलती हो**।

(५) **प्रत्यक्ष विधि काल**—प्रत्यक्ष विधि क्रिया के उस आज्ञार्थक रूप को कहते हैं, जिसका व्यापार प्रत्यक्ष रूप में होनेवाला हो। जैसे—पुस्तक **पढ़ो**। आप घर जाइये। कमरे की बत्ती **जला दो**।

भूत काल—जिस काल से बीते हुए समय का बोध होता हो, उसे भूत काल कहते हैं। जैसे—

राम अभी **आया था**।
सुमन कल अनुपस्थित **थी**।

भूत काल के भेद—

(१) **सामान्य भूत काल**—सामान्य भूत काल से यह जाना जाता है कि क्रिया का व्यापार समाप्त हो गया है, परन्तु यह पता नहीं लगता कि कार्य समाप्त हुए कितना समय हुआ। जैसे—राम ने पुस्तक **पढ़ी**। वह घर **गया**। मंगला ने साड़ी **खरीदी**।

(२) **आसन्न भूत काल**—आसन्न भूत काल से यह जाना जाता है कि क्रिया का जो व्यापार भूत काल में आरम्भ हुआ था, वह वर्तमान काल में समाप्त हो गया है। जैसे—राम ने पुस्तक पढ़ी है। वह घर **गया है**। मंगला ने साड़ी खरीदी है।

(३) **अपूर्ण भूत काल**—अपूर्ण भूत काल से यह जाना जाता है कि क्रिया का जो व्यापार भूत काल में हो रहा था, वह अभी समाप्त नहीं हुआ। जैसे—राम पुस्तक **पढ़ता था** / पढ़ **रहा था** / वह घर **जाता था** / जा **रहा था**। मंगला साड़ी खरीदती थी / खरीद रही थी।

(अपूर्ण भूत काल की क्रिया में दोनों रूप—'ता था' और—'रहा था'—मिलते हैं।)

(४) **पूर्ण भूत काल**—पूर्ण भूत काल से यह जाना जाता है कि क्रिया का

व्यापार बहुत पहले समाप्त हो चुका है। जैसे—राम ने पुस्तक **पढ़ी थी**। वह घर गया था। मंगला ने साड़ी खरीदी थी।

(5) **संभाव्य भूत काल**—संभाव्य भूत काल से भूत काल में क्रिया का व्यापार होने की संभावना का भाव प्रकट होता है। जैसे—संभवतः उसने पुस्तक **पढ़ी हो**। कदाचित् वह घर **गया हो**। संभव है, मंगला ने साड़ी **खरीदी हो**।

(6) **सन्दिग्धभूत काल**—संदिग्ध भूत काल से भूत काल में क्रिया का व्यापार होने में संदेह का भाव प्रकट होता है। इस क्रिया से यह पता नहीं लगता कि काम पूरा हुआ या नहीं। जैसे—राम ने पुस्तक **पढ़ी होगी**। वह घर **गया होगा**। मंगला ने साड़ी **खरीदी होगी**।

(7) **हेतुहेतुद्मभूत काल (सामान्य संकेतार्थ)**—हेतुहेतुमद्भूत काल से यह जाता जाता है कि क्रिया का जो व्यापार भूत काल में होनेवाला था, वह हो नहीं सका। जैसे—उसके पिता नुमाइश में **आते** तो हम लोगों से अवश्य मिलते। तुम **आते** तो मेरा काम हो जाता।

(8) **अपूर्ण संकेतार्थ**—अपूर्ण संकेतार्थ में क्रिया के व्यापार का भूत काल में अपूर्ण रहने के कारण असिद्धि का भाव प्रकट होता है। जैसे—यदि मैं **पढ़ती होती** तो आज ऊँचे पद पर होती। यदि मैं पैसे **जोड़ती होती** तो दुर्दिन का सामना नहीं करना पड़ता।

(9) **पूर्ण संकेतार्थ**—पूर्ण संकेतार्थ में क्रिया के व्यापार का भूत काल में पूर्ण न होने के कारण असिद्धि का भाव प्रकट होता है। जैसे—मैंने पत्र **पढ़ा होता** तो मुझे सारी जानकारी मिल जाती। उसने सामने से आती हुई गाड़ी को **देखा होता** तो वह दुर्घटना से बच जाता।

भविष्यत् काल—जिस काल से आगे आने वाले समय का बोध हो, उसे भविष्यत् काल कहते हैं। जैसे—

वह कल बनारस **जायेगा**।

हम अगले वर्ष काश्मीर की यात्रा **करेंगे**।

भविष्यत् काल के भेद—

(1) **सामान्य भविष्यत् काल**—सामान्य भविष्यत् काल से यह जाना जाता है कि क्रिया का व्यापार आरम्भ होने वाला है। जैसे—हम पत्र **पढ़ेंगे**। सीता पुस्तक **भेजेगी**। श्याम मिठाई **लायेगा**।

(2) **सम्भाव्य भविष्यत् काल**—संभाव्य भविष्यत् काल से भविष्य में क्रिया का व्यापार होने की संभावना या इच्छा की पूर्ति की संभावना का भाव प्रकट होता है। जैसे—संभव है, सीता पुस्तक **भेजे**। हो सकता है, श्याम मिठाई **लाये**।

कभी-कभी सम्भावना का भाव 'सकना' से भी प्रकट होता है। जैसे—कल हमारे यहाँ अतिथि **आ सकते हैं**। अगले सप्ताह वर्षा प्रारम्भ हो सकती है।

(3) **परोक्ष विधि काल**—परोक्ष विधि क्रिया के उस आज्ञार्थक रूप को कहते हैं, जिसका व्यापार परोक्ष रूप में होने वाला हो। जैसे—कल उपस्थित **रहना**। कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन **करना**।

अर्थों और अवस्थाओं के अनुसार काल-भेद

	निश्चयार्थ	संभावनार्थ	आज्ञार्थ	संदेहार्थ	संकेतार्थ
वर्तमान काल	१. सामान्य वर्तमान वह आता है। २. अपूर्ण वर्तमान वह आ रहा है।	८. संभाव्य वर्तमान वह आता हो। ×	११. प्रत्यक्ष विधि तू आ। तुम आओ/ आप आइये। ×	१३. संदिग्ध वर्तमान वह आता होगा। ×	× ×
भूत काल	३. सामान्य भूत वह आया। ४. आसन्न भूत वह आया है। ५. अपूर्ण भूत वह आता था / वह आ रहा था। ६. पूर्ण भूत वह आया था।	९. संभाव्य भूत वह आया हो × × ×	× × × ×	१४. संदिग्ध भूत वह आया होगा। × × ×	१५ सामान्य संकेतार्थ वह आता। १६. अपूर्ण संकेतार्थ वह आता होता। १७. पूर्ण संकेतार्थ वह आया होता। ×
भविष्यत् काल	७. सामान्य भविष्यत् वह आयेगा।	१०. संभाव्य भविष्यत् वह आये।	१२. परोक्ष विधि तू आना। तुम आना/आप आइयेगा।	×	×

प्रश्न और अभ्यास

१. काल किसे कहते हैं ? उसके भेद उदाहरण देकर समझाइए ।

२. वर्तमान काल के भेद सोदाहरण समझाइए ।

३. भूत काल के भेद सोदाहरण समझाइए ।

४. भविष्यत् काल के भेद उदाहरण देकर समझाइए ।

५. निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं के काल-भेद लिखिए—

(क) हो सकता है, वे बच जायें ।

(ख) कल उपस्थित रहना ।

(ग) माताजी घर पहुँची होंगी ।

(घ) संभव है, नौकर ने दूध रखा हो ।

(च) वे सावधानी से चलते तो गाड़ी के नीचे न आते ।

(छ) मुझे सारी बात मालूम होती तो मैंने उसे बचा लिया होता ।

(ज) हम कपड़े धो रहे हैं ।

(झ) सीता पढ़ती है ।

(ट) उसने पुस्तक पढ़ी होगी ।

(ठ) बच्ची रोती होगी ।

(ड) वह नागपुर गया है ।

(ढ) अब तुम सो जाओ ।

क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष

क्रिया में संज्ञा और सर्वनाम की भाँति लिंग और वचन में तथा पुरुषवाचक सर्वनाम की भाँति पुरुष में रूपान्तर होते हैं ।

लिंग के अनुसार क्रिया में परिवर्तन

पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
श्याम कालेज जाता है ।	सीता कालेज जाती है ।
श्याम कालेज गया ।	सीता कालेज गयी ।
श्याम कालेज जायेगा ।	सीता कालेज जायेगी ।
मैं कालेज जाता हूँ ।	मैं कालेज जाती हूँ ।
तुम कालेज जाते हो ।	तुम कालेज जाती हो ।
आप कालेज जाते हैं ।	आप कालेज जाती हैं ।

वचन के अनुसार क्रिया में परिवर्तन

एकवचन	बहुवचन
लड़का कालेज जाता है ।	लड़के कालेज जाते हैं ।
मैं कालेज जाता हूँ ।	हम कालेज जाते हैं ।
तू कालेज जाता है ।	तुम लोग कालेज जाते हो ।
वह कालेज जाता है ।	वे कालेज जाते हैं ।
वह कालेज जाती है ।	वे कालेज जाती हैं ।

पुरुष के अनुसार क्रिया में परिवर्तन

उत्तम पुरुष—

मैं कालेज जाता हूँ ।	हम कालेज जाते हैं ।
मैं कालेज जाती हूँ ।	हम कालेज जाते हैं / जाती हैं ।

मध्यम पुरुष—

तू कालेज जाता है ।	तुम लोग कालेज जाते हो ।
तू कालेज जाती है ।	तुम लोग कालेज जाती हो ।
तुम कालेज जाते हो ।	तुम लोग कालेज जाते हो ।
तुम कालेज जाती हो ।	तुम लोग कालेज जाती हो ।
आप कालेज जाते हैं ।	आप लोग कालेज जाते हैं ।
आप कालेज जाती हैं ।	आप लोग कालेज जाती हैं ।

अन्य पुरुष—

वह कालेज जाता है ।	वे कालेज जाते हैं ।
वह कालेज जाती है ।	वे कालेज जाती हैं ।

प्रश्न और अभ्यास

१. निम्नलिखित क्रिया-रूपों के लिंग, वचन और पुरुष बदलिए—

(क) देखा ।	(त) जाती हूँ ।
(ख) चलता था ।	(थ) जाती होगी ।
(ग) सुना है ।	(द) पढ़ेगा ।
(घ) खाऊँगी ।	(ध) खाते ।
(च) लिया था ।	(न) मँगवाया ।
(छ) लिखा होगा ।	(प) पूछता हूँ ।
(ज) उठा लिया	(फ) खोल लेना ।
(झ) लेता था ।	(ब) बनाते हैं ।

२. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(अ)………पहाड़ी के उस पार जाता हूँ ।

(ब) वे लोग सड़क पर.........।
(स) जमीन पर घास.........।
(द).........कल अवश्य आना।
(य) यदि तुम.........तो मैं भी तुम्हारे साथ.........।
(र).........एक महान् नेता हैं।
(ल).........कल प्रस्थान करेंगे।
(व) गाड़ी आठ बजे.........।
(श) सूर्य पश्चिम में.........।
(ष) मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं.........।
(स) तुम्हारी बात ही निराली.........।
(ह) मेरे घुटने में चोट.........।

क्रिया के प्रयोग

वाक्य के कर्ता और कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार क्रिया के प्रयोग को प्रयोग कहते हैं।

क्रिया में तीन प्रयोग होते हैं—

(१) कर्तरि प्रयोग (२) कर्मणि प्रयोग (३) भावे प्रयोग।

कर्तरि प्रयोग—जिस क्रिया का अन्वय (प्रयोग) कर्ता के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार होता है, उसे कर्तरि प्रयोग कहते हैं। जैसे—

राम पढ़ता है।
सीता गाती है।
बच्चा रोता है।
लड़की सोती है।

(अकर्मक कियाओं में सदैव कर्तरि प्रयोग होता है। कर्तरि प्रयोग क्रिया के कर्ता के साथ 'ने' विभक्ति नहीं लगती।)

कर्मणि प्रयोग—जिस क्रिया का अन्वय (प्रयोग) कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार होता है, उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। जैसे—

उसने रोटी खाई।
सीता ने दरवाजा खोला।
पत्र पढ़ा नहीं जा सकता।
सूचना भेजी गई।

(सकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदन्त से बने हुए रूपों में सदैव कर्मणि प्रयोग

होता है। कर्मणि प्रयोग के कर्ता के साथ 'ने' विभक्ति लगती है, परन्तु कर्म के साथ को विभक्ति नहीं लगती शेष कालों में सकर्मक क्रियाएँ कर्तरि प्रयोग में होती हैं।)

भावे प्रयोग—जिस क्रिया का अन्वय (प्रयोग) न कर्ता के अनुसार होता है, न कर्म के अनुसार, बल्कि जिसका प्रयोग सदा अन्य पुरुष, पुल्लिग और एकवचन में होता है, उसे भावे प्रयोग कहते हैं। जैसे—

लड़कियों ने पढ़ा।

मैंने सीता को देखा।

मुझसे दौड़ा नहीं जाता।

शिक्षक ने विद्यार्थी को बुद्धिमान समझा।

सिपाहियों को सेनापति ने समय पर बुलाया।

(जब कर्ता के साथ 'ने' विभक्ति और कर्म के साथ 'को' विभक्ति आये या वाक्य में कर्म का प्रयोग हो ही नहीं, तो क्रिया सदैव भावे प्रयोग में होती है।)

विशेष—(१) बकना, भूलना, लाना, जनना, और समझना सकर्मक क्रियाएँ सदा कर्तरि प्रयोग में आती है। जैसे—

हम बिल्कुल नहीं बके।

मैं भूल गया।

वह मेरी पुस्तक लाया।

स्त्री पुत्र जनी।

हम भी तो कुछ समझे।

(२) नहाना, छींकना, खाँसना आदि अकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदन्त से बने कालों में कर्ता के साथ 'ने' विभक्ति आती है और ये क्रियाएँ भावे प्रयोग में होती हैं—

बच्चे ने नहाया।
किसने छींका ?
उन्होंने बहुत खाँसा।

वाच्य और प्रयोग का मिलान

वाच्य	प्रयोग
कर्तृवाच्य	(१) कर्तरि प्रयोग—छात्र पुस्तक पढ़ता है।
	छात्रा पुस्तक पढ़ती है।
	(२) कर्मणि प्रयोग—छात्र ने पुस्तक पढ़ी।
	छात्रा ने पत्र भेजा।
	(३) भावे प्रयोग—मालिक ने नौकर को डाँटा।
	मालिक ने नौकरानी को डाँटा।
कर्मवाच्य	कर्मणि प्रयोग—काल-पात्र खोदा गया।
	सूचना भेजी गयी।
	भावे प्रयोग—समस्त छात्राओं को बुलाया जायगा।
भाववाच्य	भावे प्रयोग—मुझसे चला नहीं जाता।
	रोगी से उठा नहीं जाता।

प्रश्न और अभ्यास

१. क्रिया के प्रयोग से क्या तात्पर्य है ? उदाहरण देकर समझाइए।

२. क्रिया में कुल कितने प्रयोग होते हैं। प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए।

३. रेखांकित क्रियाओं के प्रयोग लिखिए—

(क) किसने छींका ?

(ख) रोगी ने रात भर खाँसा।

(ग) मैं तो भूल ही गई।

(घ) हम समझ गये।

(च) पत्र भिजवा दिया गया।

(छ) भई, मुझसे तो अब चला नहीं जाता।

(ज) मैंने नेहरू को देखा था।

(झ) क्या आप उसे नहीं पहचानतीं ?

४. सही कथनों पर (✓) और गलत कथनों पर (×) चिह्न लगाइये—

(अ) अकर्मक क्रियाओं में कर्तरि प्रयोग नहीं होता। ( )

(ब) सकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदन्तों से बने हुए कालों में सदैव कर्मणि प्रयोग होता है। ( )

(स) भावे प्रयोग की क्रिया सभी एकवचन में नहीं होती। ( )

(द) 'भूलना' सकर्मक क्रिया सदा कर्तरि प्रयोग में आती है। ( )

(य) नहाना अकर्मक क्रिया सदा भावे प्रयोग में आती है। ( )

५. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए—

(क) मैं तुम्हें बाजार में देखी थी।

(ख) मैंने पुस्तक पढ़ा।

(ग) रोगी से उठी नहीं जाती।

(घ) प्रधान मंत्री ने उससे बात किया था।

(च) आग लग गया।

(छ) सब कुछ नष्ट हो गई।

कृदन्त

क्रिया से बने हुए वे शब्द, जो दूसरे शब्दों की भाँति वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, कृदन्त कहलाते हैं। जैसे—

उसे **सोना** भी नसीब नहीं।
वह **सोकर** उठा।
सोये हुए बालक को मत जगाओ।
तुम **सोते** समय खर्राटे क्यों लेते हो?

उपर्युक्त वाक्यों में 'सोना', 'सोकर', 'सोये हुए' और 'सोते' शब्द कृदन्त हैं, जो 'सो' धातु में क्रमशः 'ना', 'कर', 'ये' और 'ते' प्रत्यय के जुड़ने से बने हैं।

क्रिया की रचना में आठ कृदन्तों का प्रयोग होता है, जिनमें से चार विकारी हैं और चार अविकारी हैं।

विकारी कृदन्त

(१) **क्रियार्थक संज्ञा**—धातु में 'ना' प्रत्यय जोड़ने से जो संज्ञा बनती है, उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे—

चलना ही जिन्दगी है।
आना-जाना तो लगा ही रहता है।
वहाँ **पहुचने** में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा।
सोने से **जागना** भला।

क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग संज्ञा और विशेषण दोनों रूपों में होता है—

संज्ञा-रूप में—संज्ञा-रूप में प्रयुक्त होने पर क्रियार्थक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन में होती है। जैसे—**हँसना** ठीक नहीं है। कारक-विभक्ति के साथ प्रयोग करने के लिए अन्तिम 'ना' को 'ने' कर दिया जाता है। जैसे—**सोने** से क्या लाभ!

विशेषण रूप में—आकर्मक क्रिया से बननेवाली क्रियार्थक संज्ञा का रूप पूरक के लिंग और वचन के अनुसार होता है। जैसे—पूजा **होनी** है। खेल **होने** हैं।

(२) **कर्तृवाचक संज्ञा**—क्रियार्थक संज्ञा के विकृत रूप में 'वाला' प्रत्यय जोड़ने से बनती है, उसे कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—

काम **करनेवाला** कहाँ है?
बैठनेवाला सदा हारता है।

भागनेवाले चोर पकड़े गये ।

लड़की **आनेवाली** है ।

कर्तृवाचक संज्ञा के रूप अन्य आकारान्त संज्ञाओं के अनुसार ही लिंग, वचन और कारक के आवश्यकतानुसार बदलते हैं ।

(३) **वर्तमान कालिक कृदन्त विशेषण**—धातु के अन्त में 'ता' अथवा 'रहा' जोड़ने से जो विशेषण बनता है, उसे **वर्तमानकालिक** कृदन्त विशेषण कहते हैं । इसके साथ कभी-कभी 'हुआ' शब्द जुड़ जाता है । जैसे—

बहता जल स्वच्छ होता है ।

खेलता बच्चा किसे अच्छा नहीं लगता ।

ढलती रही उम्र में उसे सब दगा दे गये ।

गिर रहा मकान कहाँ तक बचाया जा सकता है ।

वर्तमानकालिक कृदन्त विशेषण अपने विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं ।

(४) **भूतकालिक कृदन्त विशेषण**—धातु में 'आ' या कभी-कभी 'या' जोड़ने से जो विशेषण बनता है, उसे भूतकालिक कृदन्त विशेषण कहते हैं । इसके साथ भी वर्तमानकालिक कृदन्त विशेषण की भाँति 'हुआ' शब्द जुड़ जाता है । जैसे—

लिखा पत्र फिर से पढ़ो ।

गया धन वापस नहीं आता ।

सिया हुआ कपड़ा मत लेना ।

बची हुई मिठाई खराब हो गई ।

भूतकालिक कृदन्त विशेषण निम्नलिखित रीति से बनाये जाते हैं—

(१) अकारान्त धातु के अन्त में 'आ' जोड़ते हैं; जैसे—

डरा बालक चुपचाप खड़ा था ।

खींचा हुआ रस्सा लाओ ।

(२) धातु के अन्त में 'आ', 'ई', 'ए', या 'ओ', हो; तो धातु के अन्त में 'य' करके 'आ' जोड़ते हैं—

बोया खेत बबूल का ।

उसका **लाया हुआ** सामान कहाँ है ।

(३) अकारान्त धातु के 'ऊ' को ह्रस्व करके उसके पश्चात् 'आ' जोड़ते हैं—

उसका **छुआ** अन्न दान कर दो ।

वह पेड़ से **चुआ** महुआ बटोर लाया ।

(४) कुछ भूतकालिक कृदन्त विशेषण नियम के अनुकूल नहीं होते—

हो—हुआ (हुई)	दे—दिया (दी)
कर—किया (की)	ले—लिया (ली)
जा—गया (गयी या गई)	मर—मरा (मरी)

जो भूतकालिक कृदन्त विशेषण अकर्मक क्रिया से बनते हैं, वे कर्तृवाच्य हो

हैं और जो सकर्मक क्रिया से बनते हैं, वे कर्मवाच्य होते हैं । जैसे—

अकर्मक—आया हुआ आदमी, गिरा हुआ पानी ।

सकर्मक—किया हुआ काम, खरीदी हुई पुस्तक ।

सकर्मक कृदन्त के साथ 'हुआ' के स्थान पर कभी-कभी 'जाना' क्रिया का भूत-कालिक कृदन्त 'गया' जोड़ते हैं । जैसे—खरीदी गई साड़ी, दिया गया पुरस्कार आदि ।

अविकारी कृदन्त—

(१) **पूर्वकालिक कृदन्त अव्यय**—धातु के अन्त में 'कर' अथवा 'के' जोड़ने से जो अव्यय बनता है, उसे पूर्वकालिक कृदन्त अव्यय कहते हैं । इसका प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले होनेवाले कार्य की समाप्ति से अर्थ में, क्रिया-विशेषण के समान होता है । जैसे—

छाया **देखकर** हम लोगों ने वहाँ विश्राम किया ।

वे दरवाजे पर **ठिठककर** कुछ क्षण देखते रहे ।

उँगली **पकड़ के** पहुँचा पकड़ना अच्छा नहीं ।

उसे **समझा-बुझा के** शांत करो ।

पूर्वकालिक कृदन्त अव्यय और मुख्य क्रिया का उद्देश्य बहुधा एक ही रहता है, परन्तु कभी-कभी दोनों के उद्देश्य भिन्न-भिन्न भी होते हैं । जैसे—**खाना** खाकर पानी पीना चाहिए । **विश्राम** करके काम करो ।

(२) **तात्कालिक कृदन्त अव्यय**—वर्तमानकालिक कृदन्त विशेषण के अन्तिम 'ता' का 'ते' करके उसके आगे 'ही' जोड़ने से जो अव्यय बनता है, उसे तात्कालिक कृदन्त अव्यय कहते हैं । जैसे—इसका प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले कार्य की समाप्ति के अर्थ में, क्रिया-विशेषण के समान होता है । जैसे—

सिर **मुड़ाते ही** ओले पड़े ।

बच्चा **उठते ही** रोने लगता है ।

शिक्षक के **आते ही** कक्षा शांत हो गई ।

पत्र **पाते ही** चल पड़ना ।

तात्कालिक कृदन्त अव्यय और मुख्य क्रिया का उद्देश्य बहुधा एक ही रहता है परन्तु कभी-कभी दोनों के उद्देश्य भिन्न-भिन्न होते हैं । जैसे—**माता** के आते ही बच्चा हँसने लगा ।

(३) **अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त अव्यय**—अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त अव्यय का रूप तात्कालिक कृदन्त अव्यय के समान होता है, परन्तु इसमें 'ही' नहीं जोड़ा जाता । इससे मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले कार्य की अपूर्णता सिद्ध होती है । जैसे—

मुझे पुस्तक **पढ़ते** दो दिन हो गये ।

खिड़की से **झाँकते** डर लगता है ।

आपको यह काम **करते** आनन्द होगा ।

मुझे इस गाँव में **रहते** अच्छा लगता है ।

अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त अव्यय का प्रयोग क्रिया-विशेषण की भाँति होता है।

(४) **पूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त अव्यय**—पूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त अव्यय भूतकालिक कृदन्त विशेषण के अन्तिम 'आ' को 'ए' में बदलने से बनता है। इससे मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले व्यापार की पूर्णता सिद्ध होती है। जैसे—

उसे जर्मनी **गये** दस वर्ष हो गये।

रात **ढले** सब तैयार हो गये।

इस घटना को **घटे** कई महीने बीत गये।

बीमार '**हुए**' तुम्हें कितने दिन हो गए?

पूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त अव्यय का प्रयोग भी क्रिया-विशेषण की भाँति होता है।

प्रश्न और अभ्यास

१. कृदन्त से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

२. विकारी और अविकारी कृदन्त का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

३. विकारी कृदन्तों के कितने भेद हैं? प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए।

४. अविकारी कृदन्तों के कितने भेद हैं? प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए।

५. कृदन्तों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(क) धन............किसे अच्छा नहीं लगता?

(ख) सिर.........ही ओले पड़े।

(ग) ....धन वापस नहीं आता।

(घ) गाड़ी छूटने............है।

(च) परिश्रम............से ही तुम उत्तीर्ण होगे।

(छ) उसकी इच्छा डाक्टर............की है।

(ज) ....भूत की लँगोटी भली।

(झ) ....जल स्वच्छ होता है।

६. नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध कीजिए—

(अ) भागनेवाला चोर को पकड़ना चाहिए।

(ब) उसका लायी हुई चीज कहाँ है?

(स) ढलते उम्र में उसे सब दगा दे गये।

(द) क्या खोता हुआ किताब मिल सकता है?

(य) टूटा हुआ रिश्ते फिर से क्यों नहीं जोड़ लेते?

(र) बच रहे लोग क्या करें?

(ल) लुढ़क रहे पत्थर चिकने हो जाते हैं?

(व) खेलने से बच्चा किसे नहीं अच्छ

क्रिया की काल-रचना

क्रिया के मुख्य तीन रूप हैं, जिनसे क्रिया के सत्रह कालों की रचना होती है—

(क) धातु से—(१) संभाव्य भविष्यत् (२) सामान्य भविष्यत् (३) प्रत्यक्ष विधि (४) परोक्ष विधि ।

(ख) वर्तमानकालिक कृदन्त से—(१) सामान्य संकेतार्थ (२) सामान्य वर्तमान (३) अपूर्ण वर्तमान (४) अपूर्ण भूत (५) सम्भाव्य वर्तमान (६) संदिग्ध वर्तमान (७) अपूर्ण संकेतार्थ ।

(ग) भूतकालिक कृदन्त से—(१) सामान्य भूत (२) आसन्न भूत (३) पूर्ण भूत (४) संभाव्य भूत (५) संदिग्ध भूत (६) पूर्ण संकेतार्थ ।

साधारण काल और संयुक्त काल

जो काल केवल प्रत्यय की सहायता से बनते हैं, वे साधारण काल और जो दूसरी क्रिया की सहायता से बनते हैं वे संयुक्त काल कहलाते हैं ।

धातु से बने चारों काल, सामान्य संकेतार्थ और सामान्य भूतकाल साधारण काल कहलाते हैं तथा शेष काल संयुक्त काल कहलाते हैं ।

संयुक्त काल की रचना सहायता क्रिया की सहायता से होती है । जैसे—'वह पढ़ता था' और 'वह पढ़ता होगा' वाक्यों में 'है' 'था' और 'होगा' सहायक क्रियाएँ हैं । ये सहायक क्रियाएँ 'होना' क्रिया के विभिन्न रूप हैं ।

काल-रचना के नियम

(अ) कर्तृवाच्य

(क) धातु से बने हुए काल

संभाव्य भविष्यत्—संभाव्य भविष्यत् काल बनाने के लिए धातु में निम्नलिखित प्रत्यय जोड़े जाते हैं—

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उत्तम पुरुष	ऊँ (मैं पढ़ूँ)	एँ (हम पढ़ें)
मध्यम पुरुष	ए (तू पढ़े)	ओ (तुम लोग पढ़ो)
	ओ (तुम पढ़ो)	एँ (आप लोग पढ़ें)
	एँ (आप पढ़ें)	
अन्य पुरुष	ए (वह पढ़े)	एँ (वे पढ़ें)

सामान्य भविष्यत् काल—सामान्य भविष्यत् काल बनाने के लिए संभाव्य भविष्यत् काल के रूप में लिंग और वचन के 'अनुसार 'गा', 'गे' और 'गी' **जोड़े** जाते हैं—

पुरुष	**एकवचन**	**बहुवचन**
प्रथम पुरुष	गा/गी (मैं पढ़ूंगा/पढ़ूंगी)	गे (हम पढ़ेंगे)
मध्यम पुरुष	गा/गी (तू पढ़ेगा/पढ़ेगी)	गे/गी (तुम लोग पढ़ोगे/पढ़ोगी)
	गे/गी (तुम पढ़ोगे/पढ़ोगी) गे/गी (आप पढ़ेंगे/पढ़ेंगी)	गे/गी (आप लोग पढ़ेंगे/पढ़ेंगी)
अन्य पुरुष	गा/गी (वह पढ़ेगा/पढ़ेगी)	गे/गी (वे पढ़ेंगी)

३. **प्रत्यक्ष विधि काल**—प्रत्यक्ष विधि काल की क्रिया का रूप, मध्यम पुरुष एकवचन को छोड़, संभाव्य भविष्यत् काल के समान होता है। उसका मध्यम पुरुष एकवचन धातु के रूप में रहता है, तुम के साथ 'ओं' प्रत्यय और आदरसूचक 'आप' के साथ 'इए' प्रत्यय जोड़ा जाता है। विशेष आदर के लिए 'इएगा' भी जोड़ा जाता है

पुरुष	**एकवचन**	**बहुवचन**
मध्यम पुरुष	तू पढ़	तुम लोग पढ़ो
	तुम पढ़ो आप पढ़िए/पढ़िएगा	आप लोग पढ़िए/पढ़िएगा

निम्नलिखित विधि काल की क्रियाओं में 'ज' जुड़ जाता है—

देना—आप लीजिए। पीना—आप पीजिए।

देना—आप दीजिए। करना—आप कीजिए।

'चाहना' क्रिया का आदर सूचक प्रत्यक्ष विधि काल 'चाहिए' है, परन्तु इसका प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में होता है; जैसे—आपको काम करना **चाहिए**। मुझे अब लौटना **चाहिए**।

४. **परोक्ष विधि काल**—परोक्ष विधि काल में क्रियार्थक संज्ञा के रूप का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग केवल मध्यम पुरुष में होता है। जैसे—यह पुस्तक अवश्य **पढ़ना**। मेरे यहाँ संध्या-समय **आना**।

आदर सूचक परोक्ष विधि काल की क्रिया के अंत में प्रत्यक्ष विधि काल की भाँति 'गा' का भी प्रयोग होता है; जैसे—यह पुस्तक आप अवश्य **पढ़िएगा**। मेरे यहाँ संध्या-समय **आइएगा**।

संयुक्त काल की रचना में 'होना' सहायक क्रिया के निम्नलिखित बातों का **प्रयोग होता है**—

होना (स्थिति-दर्शक)

(१) सामान्य वर्तमान काल

(कर्तरि प्रयोग)

कर्ता पुल्लिंग या स्त्रीलिंग

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उत्तम	मैं हूँ।	हम हैं।
मध्यम	तू है।	तुम लोग हो।
	तुम हो। आप हैं।	आप लोग हैं।
अन्य	वह है।	वे हैं।

(२) सामान्य भूतकाल

कर्ता-पुल्लिंग (स्त्रीलिंग)

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उत्तम	मैं था (मैं थी)।	हम थे।
मध्यम	तू था (तू थी)।	तुम लोग थे (थीं)।
	तुम थे (तुम थीं)। आप थे (आप थीं)।	आप लोग थे (थीं)।
अन्य	वह था (वह थी)।	वे थे (थीं)।

होना (विकार-दर्शक)

(१) संभाव्य भविष्यत काल

कर्तरि प्रयोग

कर्ता पुल्लिंग या स्त्रीलिंग

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उत्तम	मैं होऊँ	हम हों।
मध्यम	तू हो।	तुम लोग होओ।
	तुम होओ। आप हों।	आप लोग हों।
अन्य	वह हो।	वे हों।

(२) सामान्य भविष्यत् काल

(कर्तरि प्रयोग)

कर्ता-पुल्लिंग (स्त्रीलिंग)

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
प्रथम	मैं होऊँगा (होऊँगी)	हम होंगे ।
मध्यम	तू होगा (होगी) ।	तुम लोग होओगे (होओगी) ।
	तुम होओगे (होओगी) । आप होंगे (होंगी) ।	आप लोग होंगे (होंगी) ।
अन्य	वह होगा (होगी) ।	वे होंगे (होंगी) ।

(३) सामान्य संकेतार्थ काल

कर्तरि प्रयोग

कर्ता-पुल्लिंग (स्त्रीलिंग)

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
प्रथम	मैं होता (होती)	हम होते ।
मध्यम	तू होता (होती)	तुम लोग होते (होती) ।
	तुम होते (होती) आप होते (होती)	आप लोग होते (होती) ।
अन्य	वह होता (होती)	वे होते (होतीं) ।

(ख) वर्तमान कालिक कृदन्त से बने हुए काल

(१) **सामान्य संकेतार्थ काल**—सामान्य संकेतार्थ काल की क्रिया वर्तमान कालिक कृदन्त को कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलने से बनती है। इसमें सहायक क्रिया नहीं लगती। जैसे—मैं चलता। तुम चलते। वे चलतीं।

(२) **सामान्य वर्तमान काल**—सामान्य वर्तमान काल की क्रिया वर्तमान कालिक कृदन्त ('ता' रूप) के साथ स्थिति-दर्शक होना सहायक क्रिया के सामान्य वर्तमान काल के रूप को जोड़ने से बनती है। जैसे—मैं चलता हूँ। तुम चलते हो। वे चलती हैं।

(३) **अपूर्ण वर्तमान काल**—अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया वर्तमान कालिक्र कृदन्त ('रहा' रूप) के साथ स्थिति-दर्शक 'होना' सहायक क्रिया के सामान्य वर्तमान काल के रूप को जोड़ने से बनती है। जैसे—मैं चल रहा हूँ। तुम चल रहे हो। वे चल रही हैं।

(४) **अपूर्ण भूत काल**—अपूर्ण भूत काल की क्रिया वर्तमान कालिक कृदन्त के

आगे स्थिति-दर्शक सहायक क्रिया के सामान्य भूत काल के रूप को जोड़ने से बनती है। जैसे—मैं चलता था। तुम चलते थे। मैं चल रहा था। तुम पढ़ रहे थे।

(५) **संभाव्य वर्तमान काल**—संभाव्य वर्तमान काल की क्रिया वर्तमान कालिक कृदन्त में विकार-दर्शक 'होना' सहायक क्रिया के संभाव्य भविष्यत् काल के रूप को जोड़ने से बनती। जैसे—मैं चलता होऊँ। तुम चलते होओ। वे चलती हों।

(६) **संदिग्ध वर्तमान काल**—संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया वर्तमानकालिक कृदन्त के आगे विकार-दर्शक 'होना' सहायक क्रिया के सामान्य भविष्यत् काल के रूप को जोड़ने से बनती है। जैसे—मैं चलता होऊँगा। तुम चलते होओगे। वे चलती होंगी।

(७) **अपूर्ण संकेतार्थ काल**—अपूर्ण संकेतार्थ काल की क्रिया वर्तमानकालिक कृदन्त के आगे विकार-दर्शक 'होना' सहायक क्रिया के सामान्य संकेतार्थ काल के रूप को जोड़ने से बनती है। जैसे—मैं चलता होता। तुम चलते होते। वे चलती होती।

(ग) भूत कालिक कृदन्त से बने हुए काल

भूत कालिक कृदन्त से बने हुए कालों में अकर्मक क्रियाएँ बहुधा कर्तरि प्रयोग में और सकर्मक क्रियाएँ बहुधा कर्मणि या भावे प्रयोग में आती हैं। अकर्मक क्रिया के उदाहरण निम्नलिखित हैं—

(१) **सामान्य भूत काल**—सामान्य भूत काल की क्रिया भूत कालिक कृदन्त को कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलने से बनती है। जैसे—मैं चला। तुम चले। वे चलीं।

(२) **आसन्न भूत काल**—आसन्न भूत काल की क्रिया भूत कालिक कृदन्त के साथ सहायक क्रिया के सामान्य वर्तमान काल के रूप को जोड़ने से बनती है। जैसे—मैं चला हूँ। तुम चले हो। वे चली हैं।

(३) **पूर्ण भूत काल**—पूर्ण भूत काल की क्रिया भूत कालिक कृदन्त के साथ सहायक क्रिया के सामान्य भूत काल के रूप को जोड़ने से बनती है। जैसे—मैं चला था। तुम चले थे। वे चली थीं।

(४) **संभाव्य भूत काल**—संभाव्य भूत काल की क्रिया भूत कालिक कृदन्त में सहायक क्रिया के संभाव्य भविष्यत् काल के रूप को जोड़ने से बनती है। जैसे—मैं चला होऊँ। तुम चले हो। वे चली हों।

(५) **संदिग्ध भूत काल**—संदिग्ध भूत काल की क्रिया भूत कालिक कृदन्त के साथ सहायक क्रिया के सामान्य भविष्यत् काल के रूप को जोड़ने से बनती है। जैसे—मैं चला होऊँगा। तुम चले होंगे। वे चली होंगी।

(६) **पूर्ण संकेतार्थ काल**—पूर्ण संकेतार्थ काल की क्रिया भूत कालिक कृदन्त में सहायक क्रिया के सामान्य संकेतार्थ के रूप को जोड़ने से बनती है। जैसे—मैं चला होता। तुम चले होते। वे चली होतीं।

कर्तृ वाच्य के सब कालों में अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के रूप

अकर्मक क्रिया 'उठना' (कर्तृ वाच्य)	सकर्मक क्रिया 'खाना' (कर्तृ वाच्य)
धातु—उठ	धातु—खा
क्रियार्थक संज्ञा—उठना	क्रियार्थक संज्ञा—खाना
वर्तमान कालिक कृदन्त—उठता (हुआ) उठ रहा	वर्तमान कालिक कृदन्त—खाता (हुआ) खा रहा
भूत कालिक कृदन्त—बोला (हुआ)	भूत कालिक कृदन्त—खाया (हुआ)
पूर्व कालिक कृदन्त—बोल, बोलकर	पूर्व कालिक कृदन्त—खा, खाकर
तात्कालिक कृदन्त—बोलते ही	तात्कालिक कृदन्त—खाते ही
अपूर्ण क्रिया-द्योतक कृदन्त—बोलते (हुए)	अपूर्ण क्रिया-द्योतक कृदन्त—खाते हुए
पूर्ण क्रिया-द्योतक कृदन्त—बोले (हुए)	पूर्ण क्रिया-द्योतक कृदन्त—खाये (हुए)

(क) धातु से बने हुए काल

कर्तरि प्रयोग

(१) संभाव्य भविष्यत काल

कर्ता-पुल्लिंग या स्त्रीलिंग

अकर्मक क्रिया		सकर्मक क्रिया	
१. मैं उठूं।	हम उठें।	१. मैं खाऊँ।	हम खायें।
२. तू उठे।	तुम लोग उठो।	२. तू खाये।	तुम लोग खाओ।
तुम उठो। आप उठें।	आप लोग उठें।	तुम खाओ। आप खायें।	आप लोग खायें।
३. वह उठे।	वे उठे।	३. वह खाये।	वे खायें।

(२) सामान्य भविष्यत काल

कर्ता-पुल्लिंग (स्त्रीलिंग)

अकर्मक क्रिया	सकर्मक क्रिया
१. मैं उठूंगा (उठूंगी)।—हम उठेंगे।	१. मैं खाऊँगा (खाऊँगी)।—हम खायेंगे।
२. तू उठेगा (उठेगी)।—तुम लोग उठोगे (उठोगी)।	२. तू खायेगा (खायेगी)।—तुम लोग खाओगे (खाओगी)।
तुम उठोगे। (उठोगी)।— आप उठेंगे (उठेंगी)।— आप लोग उठेंगे (उठेंगी)।	तुम खाओगे (खाओगी)।— आप खायेंगे (खायेंगी)।— आप लोग खायेंगे (खायेंगी)।
३. वह उठेगा (उठेगी)।—वे उठेंगे (उठेंगी)।	३. वह खायेगा (खायेगी)।—वे खायेंगे (खायेंगी)।

(३) प्रत्यक्ष विधि काल

कर्ता-पुल्लिंग या स्त्रीलिंग

अकर्मक क्रिया		सकर्मक क्रिया	
१. तू उठ।	तुम लोग उठो।	तू खा।	तुम लोग खाओ।
तुम उठो। आप उठे/उठिए/ उठिएगा।	आप लोग उठें/ उठिए/उठिएगा।	तुम खाओ। आप खाएँ/खाइए/ खाइएगा।	आप लोग खाएँ/खाइए/ खाइएगा।

(प्रथम और अन्य पुरुष संभाव्य भविष्यत् काल की भाँति)

(४) परोक्ष विधिकाल

कर्ता-पुल्लिंग या स्त्रीलिंग

अकर्मक क्रिया		सकर्मक क्रिया	
१. तू उठना	तुम लोग उठना।	तू खाना	तुम लोग खाना।
तुम उठना। आप उठिएगा।	आप लोग उठिएगा।	तुम खाना आप खाइएगा।	आप लोग खाइएगा।

(ख) वर्तमान कालिक कृदन्त से बने हुए काल

कर्तरि प्रयोग

(१) सामान्य संकेतार्थ काल

कर्ता-पुल्लिंग (स्त्रीलिंग)

अकर्मक क्रिया	सकर्मक क्रिया
१. मैं उठता (उठती)।—हम उठते।	१. मैं खाता (खाती)।—हम खाते।
२. तू उठता (उठती)।—तुम लोग उठते (उठतीं)।	२. तू खाता (खाती)।—तुम लोग खाते (खातीं)।
तुम उठते (उठतीं)।— आप उठते (उठतीं)।— आप लोग उठते (उठतीं)।	तुम खाते (खातीं)।— आप खाते (खातीं)।— आप लोग खाते (खातीं)।
३. वह उठता (उठती)।—वे उठते (उठतीं)।	३. वह खाता (खाती)।—वे खाते (खातीं)।

(२) सामान्य वर्तमान काल

कर्ता-पुल्लिंग (स्त्रीलिंग)

अकर्मक क्रिया

१. मैं उठता हूँ (उठती हूँ) ।—हम उठते हैं ।

२. तू उठता है (उठती है) ।—तुम लोग उठते हो (उठती हो) ।

तुम उठते हो (उठती हो) ।—
आप उठते हैं (उठती हैं) ।—आप लोग उठते हैं (उठती हैं) ।

३. वह उठता है (उठती है) ।—वे उठते हैं (उठती हैं) ।

सकर्मक क्रिया

१. मैं खाता हूँ (खाती हूँ) ।—हम खाते हैं ।

२. तू खाता है (खाती है) ।—तुम लोग खाते हो (खाती हो) ।

तुम खाते हो (खाती हो) ।—
खाते हैं (खाती हैं) ।—आप लोग खाते हैं (खाती हैं) ।

३. वह खाता है (खाती है) ।—वे खाते हैं (खाती हैं) ।

(३) अपूर्ण वर्तमान काल

कर्ता-पुल्लिंग (स्त्रीलिंग)

अकर्मक क्रिया

१. मैं उठ रहा हूँ (रही हूँ) ।—हम उठ रहे हैं ।

२. तू उठ रहा है (रही है) ।—तुम लोग उठ रहे हो (रही हो) ।

तुम उठ रहे हो (रही हो ।—
आप उठ रहे हैं (रही हैं) ।—आप लोग उठ रहे हैं (उठ रही हैं) ।

३. वह उठ रहा है (रही हैं) ।—वे उठ रहे हैं (रही हैं) ।

सकर्मक क्रिया

१. मैं खा रहा हूँ (रही हूँ) ।—हम खा रहे हैं ।

२. तू खा रहा है (रही है)—तुम लोग खा रहे हो (रही हो) ।

तुम खा रहे हो (रही हो) ।—
आप खा रहे हैं (रही हैं) ।—आप लोग खा रहे हैं (रही हैं) ।

३. वह खा रहा है (रही) ।—वे खा रहे हैं (रही हैं) ।

(४) अपूर्ण भूत काल

कर्ता-पुल्लिग (स्त्रीलिंग)

अकर्मक क्रिया

१. मैं उठता था (उठती थी) ।—हम उठते थे ।

२. तू उठता था (उठती थी) ।—तु लोग उठते थे (उठती थीं) ।

सकर्मक क्रिया

१. मैं खाता था (खाती थी) ।—हम खाते थे ।

२. तू खाता था (खाती थी) ।—तुम लोग खाते थे (खाती थीं) ।

तुम उठते थे (उठती थीं) ।— आप उठते थे (उठती थीं) ।— आप लोग उठते थे (उठती थीं) ।

३. वह उठता था (उठती थी) ।—वे उठते थे (उठती थीं) ।

तुम खाते थे (खाती थीं) ।— आप खाते थे (खाती थीं) ।— आप लोग खाते थे (खाती थीं) ।

३. वह खाता था (खाती थी) ।—वे खाते थे (खाती थीं ।)

(५) संभाव्य वर्तमान काल

कर्ता—पुल्लिग (स्त्रीलिंग)

अकर्मक क्रिया

१. मैं उठता होऊँ (उठती होऊँ) ।—हम उठते हों ।

२. तू उठता हो (उठती हो) । तुम लोग उठते होओ (उठती होओ) ।

तुम उठते हो (उठती हो) ।— आप उठते हों (उठती हों) ।— आप लोग उठते हों (उठती हों) ।

३. वह उठता हो (उठती हो) ।—वे उठते हों (उठती हों) ।

सकर्मक क्रिया

१. मैं खाता होऊँ (खाती होऊँ) ।—हम खाते हों ।

२. तू खाता हो (खाती हो) ।—तुम लोग खाते होओ (खाती होओ) ।

तुम खाते होओ (खाती होओ) ।— आप खाते हों (खाती हों) ।— आप लोग खाते हों (खाती हो)

३. वह खाता हो (खाती हो) ।—वे खाते हों (खाती हों) ।

(६) संदिग्ध वर्तमान काल

कर्ता—पुल्लिग (स्त्रीलिंग)

अकर्मक क्रिया

१. मैं उठता होऊँगा (उठती होऊँगी) ।— हम उठते होंगे ।

२. तू उठता होगा (उठती होगी)—तुम लोग उठते होओगे (उठती होओगी) ।

तुम उठते होओगे (उठती होओगी)—

आप उठते होंगे (उठती होंगी) ।—

आप लोग उठते होंगे (उठती होंगी) ।

३. वह उठता होगा (उठती होगी) ।— वे उठते होंगे (उठती होंगी) ।

सकर्मक क्रिया

१. मैं खाता होऊँगा (खाती होऊँगी) ।— हम खाते होंगे ।

२. तू खाता होगा (खाती होगी) ।—तुम लोग खाते होओगे (खाती होओगी) ।

तुम खाते होओगे (खाती होओगी) ।—

आप लोग खाते होंगे (खाती होंगी) ।—

आप लोग खाते होंगे (खाती होंगी) ।

३. वह खाता होगा (खाती होगी) ।—वे खाते होंगे (खाती होंगी) ।

(७) अपूर्ण संकेतार्थ काल

कर्ता—पुल्लिग (स्त्रीलिंग)

१. मैं उठता होता (उठती होती) ।—हम उठते होते ।

१. मैं खाता होता (खाती होती) ।—हम खाते होते ।

२. तू उठता होता (उठती होती)।—तुम लोग उठते होते (उठती होतीं)।
तुम उठते होते (उठती होतीं)।—
आप उठते होते (उठती होतीं)।—
आप लोग उठते होते (उठती होतीं)।
३. वह उठता होता (उठती होती)।—वे उठते होते (उठती होतीं)।

२. तू खाता होता (खाती होती)।—तुम लोग खाते होते (खाती होतीं)।
तुम खाते होते (खाती होतीं)।—
आप खाते होते (खाती होतीं)।—
आप लोग खाते होते (खाती होतीं)।
३. वह खाता होता (खाती होती)।—वे खाते होते (खाती होतीं)।

(ग) भूत कालिक कृदन्त से बने हुए काल

(१) सामान्य भूत काल

कर्ता—पुल्लिंग (स्त्रीलिंग)

कर्तरि प्रयोग

१. मैं उठा (उठी)।—हम उठे।
२. तू उठा (उठी)।—तुम लोग उठे (उठीं)।
तुम उठे (उठीं)।—
आप उठे (उठीं)।— आप लोग उठे (उठीं)।
३. वह उठा (उठी)।—वे उठे (उठीं)।

कर्मणि प्रयोग

खाया / खायी / या / खाई
खाये / खायीं या / या खाए / खाईं

(२) आसन्न भूत काल

कर्ता—पुल्लिंग (स्त्रीलिंग)

कर्तरि प्रयोग

१. मैं उठा हूँ (उठी हूँ)।—हम उठे हैं।
२. तू उठा है (उठी है)।—तुम लोग उठे हो (उठी हो)।
तुम उठे हो (उठी हो)।—
आप उठे हैं (उठी हैं) — आप लोग उठे हैं (उठी हैं)।
३. वह उठा है (उठी है)।—वे उठे हैं (उठी हैं)।

कर्मणि प्रयोग

खाया है/खायी है या खाई है।
खाये हैं/खायी हैं या / या खाए हैं। /खाई हैं।

(३) पूर्ण भूत काल

कर्ता-पुल्लिग (स्त्रीलिंग)

कर्तरि प्रयोग

१. मैं उठा था (उठी थी)।—हम उठे थे।

२. तू उठा था (उठी थीं)।—तुम लोग उठे थे (उठी थीं)।

तुम उठे थे (उठी थीं)।—
आप उठे थे (उठी थीं)।—आप लोग उठे थे (उठी थीं)।

३. वह उठा था (उठी थी)।—वे उठे थे (उठी थीं)।

कर्मणि प्रयोग

खाया था/खायी थी खाये थे / खायी थीं
या या / या
खाई थी। खाए थे।/खाई थीं।

(४) संभाव्य भूत काल

कर्ता—पुल्लिग (स्त्रीलिंग)

कर्तरि प्रयोग

१. मैं उठा होऊँ (उठी होऊँ)— हम उठे हों।

२. तू उठा हो (उठी हो)—तुम लोग उठे होओ (उठी होओ)।

तुम उठे होओ (उठी होओ)।—
आप उठे हों (उठी हो)।—आप लोग उठे हों (उठी हो)।

३. वह उठा हो (उठी हो)—वे उठे हों (उठी हों)।

कर्मणि प्रयोग

खाया हो/खायी हो खाये हो/खायी हों
या या / या
खाई हो। खाई हो।/खाई हों।

(५) संदिग्ध भूत काल

कर्ता पुल्लिग (स्त्रीलिंग)

कर्तरि प्रयोग

१. मैं उठा होऊँगा (उठी होऊँगी)—हम उठे होंगे।

२. तू उठा होगा (उठी होगी)—तुम लोग उठे होगे (उठी होगी)।

तुम उठे होगे (उठी होगी)—
आप उठे होंगे (उठी होंगी)—आप लोग उठे होंगे (उठी होंगी)।

३. वह उठा होगा (उठी होगी)—वे उठे होंगे (उठी होंगी)।

कर्मणि प्रयोग

खाया होगा/खायी होगी खाये होंगे/खायी होंगी
या या / या
खाई होगी खाए हों।/खाई होंगी।

पूर्ण संकेतार्थ काल

कर्ता—पुल्लिग (स्त्रीलिंग)

कर्तरि प्रयोग	**कर्मणि प्रयोग**
१. मैं उठा होता (उठी होती)।—हम उठे होते।	
२. तू उठा होता (उठी होती)।—तुम लोग उठे होते (उठी होतीं)। तुम उठे होते (उठी होतीं)।— आप उठे होते (उठी होतीं)।— आप लोग उठे होते (उठी होतीं)।	खाया होता/खायी होती खाये होते/खायी होती या खाई होती या खाए होते।/खाई होती।
३. वह उठा होता (उठी होती)।—वे उठे होते (उठी होतीं)।	

(ब) कर्म वाच्य

कर्म वाच्य क्रिया में सकर्मक धातु के भूत कालिक कृदन्त के आगे 'जाना' सहायक क्रिया के रूप जोड़े जाते हैं। कर्म वाच्य में कर्म उद्देश्य होकर अप्रत्यय कर्ता कारक के रूप में आता है और क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन (उद्देश्य) के अनुसार होते हैं।

सकर्मक क्रिया के कर्मवाच्य के पुल्लिग रूप

सकर्मक क्रिया—देखना—(कर्म वाच्य)

धातु—देखा जा

क्रियार्थक संज्ञा—देखा जाना

वर्तमान कालिक कृदन्त—

भूत कालिक कृदन्त—

पूर्व कालिक कृदन्त—

तात्कालिक कृदन्त—

अपूर्ण क्रिया-द्योतक कृदन्त—

पूर्ण क्रिया-द्योतक कृदन्त—

(क) धातु से बने हुए काल

कर्मणि प्रयोग

(१) संभाव्य भविष्यत् काल

कर्म (उद्देश्य) पुल्लिग

१. देखा जाऊँ।	देखे जाएँ।
२. देखा जाए/देखे जाओ/देखे जाएँ।	देखे जाओ/देखे जाएँ।
३. देखा जाए।	देखे जाएँ।

(२) सामान्य भविष्यत् काल

१. देखा जाऊँगा ।	देखे जाएँगे ।
२. देखा जाएगा/देखे जाओगे/देखे जाएँगे	देखे जाओगे/देखे जाएँगे ।
३. देखा जाएगा ।	देखे जाएँगे ।

(३) प्रत्यक्ष विधि काल

कर्म (उद्देश्य) पुल्लिग

१. देखा जाऊँ ।	देखे जाएँ ।
२. देखा जा/देखे जाओ/देखे जाएँ । देखे जाइए/देखे जाइएगा ।	देखे जाओ/देखे जाएँ/देखे जाइए/देखे जाइएगा ।
३. देखा जाए ।	देखे जाएँ ।

(४) परोक्ष विधि काल

कर्म (उद्देश्य) पुल्लिग

देखे जाना ।	देखे जाना/देखे जाइएगा ।

(ख) वर्तमान कालिक कृदन्त से बने हुए काल

(१) सामान्य संकेतार्थ काल

कर्म (उद्देश्य) पुल्लिग

१. देखा जाता	देखे जाते ।
२. देखा जाता/देखे जाते ।	देखे जाते ।
३. देखा जाता ।	देखे जाते ।

(२) सामान्य वर्तमान काल

कर्म (उद्देश्य) पुल्लिग

१. देखा जाता हूँ ।	देखे जाते हैं ।
२. देखा जाता है/देखे जाते हो/देखे जाते हैं ।	देखे जाते हो/देखे जाते हैं ।
३. देखा जाता है ।	देखे जाते हैं ।

(३) अपूर्ण वर्तमान काल

कर्म (उद्देश्य) पुल्लिग

१. देखा जा रहा हूँ ।	देखे जा रहे हैं ।
२. देखा जा रहा है/देखे जा रहे हो/देखे जा रहे हैं ।	देखे जा रहे हो/देखे जा रहे हैं ।
३. देखा जा रहा है ।	देखे जा रहे हैं ।

(४) अपूर्ण भूत काल
कर्म (उद्देश्य) पुल्लिंग

१. देखा जाता था ।	देखे जाते थे ।
२. देखा जाता था/देखे जाते थे ।	देखे जाते थे ।
३. देखा जाता था ।	देखे जाते थे ।

(५) संभाव्य वर्तमान काल
कर्म (उद्देश्य) पुल्लिंग

१. देखा जाता होऊँ	देखे जाते हों ।
२. देखा जाता हो/देखे जाते होओ/देखे जाते हों	देखे जाते होओ/देखे जाते हों ।
३. देखा जाता हो ।	देखे जाते हों ।

(६) संदिग्ध वर्तमान काल
कर्म (उद्देश्य) पुल्लिंग

१. देखा जाता होऊँगा ।	देखे जाते होंगे ।
२. देखा जाता होगा/देखे जाते होंगे/देखे जाते होंगे ।	देखे जाते होंगे/देखे जाते होंगे ।
३. देखा जाता होगा ।	देखे जाते होंगे ।

(७) अपूर्ण संकेतार्थ काल
कर्म (उद्देश्य) पुल्लिंग

१. देखा जाता होता ।	देखे जाते होते ।
२. देखा जाता होता/देखे जाते होते ।	देखे जाते होते ।
३. देखा जाता होता ।	देखे जाते होते ।

(ग) भूतकालिक कृदन्त से बने हुए काल
कर्मणि प्रयोग

(१) सामान्य भूत काल
कर्म (उद्देश्य) पुल्लिंग

१. देखा गया ।	देखे गये (गए) ।
२. देखा गया/देखे गये (गए) ।	देखे गये (गए) ।
३. देखा गया ।	देखे गये (गए) ।

(२) आसन्न भूत काल

कर्म (उद्देश्य) पुल्लिग

१. देखा गया हूँ।	देखे गए हैं।
२. देखा गया है/देखे गए हो/देखे गए हैं।	देखे गए हैं।
३. देखा गया है।	देखे गए हैं।

(३) पूर्ण भूत काल

कर्म (उद्देश्य) पुल्लिग

१. देखा गया था।	देखे गए थे।
२. देखा गया था/देखे गए थे।	देखे गए थे।
३. देखा गया था।	देखे गए थे।

(४) संभाव्य भूत काल

कर्म (उद्देश्य) पुल्लिग

१. देखा गया होऊँ।	देखे गए हों।
२. देखा गया हो/देखे गए हो/देखे गए हों।	देखे गए हो/देखे गए हों।
३. देखा गया हो।	देखे गए हो।

(५) संदिग्ध भूत काल

१. देखा गया होऊँगा।	देखे गए होंगे।
२. देखा गया होगा/देखे गए होगे/देखे गए होंगे।	देखे गए होंगे।
३. देखा गया होगा।	देखे गए होंगे।

(६) पूर्ण संकेतार्थ काल

१. देखा गया होता।	देखे गए होते।
२. देखा गया होता/देखे गए होते।	देखे गए होते।
३. देखा गया होता।	देखे गए होते।

अकर्मक क्रिया के भाववाच्य रूप

भाववाच्य अकर्मक क्रिया का वह रूप होता है, जिसका कर्म नहीं होता और जिसका कर्ता सदा करण कारक में होता है। यह क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिग और एकवचन में रहती है, इसे भावे प्रयोग कहते हैं।

अकर्मक क्रिया 'उठा जाना' (भाववाच्य)

धातु उठा जा

[इस क्रिया से और कृदन्त नहीं बनते]

(क) धातु से बने हुए काल

भावे प्रयोग

(१) संभाव्य भविष्यत् काल

मुझसे............उनसे उठा जाए।

(२) सामान्य भविष्यत् काल

मुझसे............उनसे उठा जाएगा।

(ख) वर्तमान कालिक कृदन्त से बने हुए काल

भावे प्रयोग

(१) सामान्य संकेतार्थ काल

मुझसे............उनसे उठा जाता।

(२) सामान्य वर्तमान काल

मुझसे............उनसे उठा जाता है।

(३) अपूर्ण वर्तमान काल

मुझसे............उनसे उठा जा रहा है।

(४) अपूर्ण भूत काल

मुझसे............उनसे उठा जाता था।

(५) संभाव्य वर्तमान काल

मुझसे............उनसे उठा जाता हो।

(६) संदिग्ध वर्तमान काल

मुझसे............उनसे उठा जाता होगा।

(ग) भूत कालिक कृदन्त से बने हुए काल

भावे प्रयोग

(१) सामान्य भूतकाल

मुझसे............उनसे उठा गया।

(२) आसन्न भूतकाल

मुझसे............उनसे उठा गया है।

(३) पूर्ण भूतकाल

मुझसे............उनसे उठा गया था।

(४) संभाव्य भूतकाल

मुझसे............उनसे उठा गया हो।

(५) संदिग्ध भूतकाल

मुझसे............उनसे उठा गया होगा।

(२) आसन्न भूत काल

कर्म (उद्देश्य) पुल्लिग

१. देखा गया हूँ।	देखे गए हैं।
२. देखा गया है/देखे गए हो/देखे गए हैं।	देखे गए हैं।
३. देखा गया है।	देखे गए हैं।

(३) पूर्ण भूत काल

कर्म (उद्देश्य) पुल्लिग

१. देखा गया था।	देखे गए थे।
२. देखा गया था/देखे गए थे।	देखे गए थे।
३. देखा गया था।	देखे गए थे।

(४) संभाव्य भूत काल

कर्म (उद्देश्य) पुल्लिग

१. देखा गया होऊँ।	देखे गए हों।
२. देखा गया हो/देखे गए हो/देखे गए हों।	देखे गए हो/देखे गए हों।
३. देखा गया हो।	देखे गए हो।

(५) संदिग्ध भूत काल

१. देखा गया होऊँगा।	देखे गए होंगे।
२. देखा गया होगा/देखे गए होगे/देखे गए होंगे।	देखे गए होंगे।
३. देखा गया होगा।	देखे गए होंगे।

(६) पूर्ण संकेतार्थ काल

१. देखा गया होता।	देखे गए होते।
२. देखा गया होता/देखे गए होते।	देखे गए होते।
३. देखा गया होता।	देखे गए होते।

अकर्मक क्रिया के भाववाच्य रूप

भाववाच्य अकर्मक क्रिया का वह रूप होता है, जिसका कर्म नहीं होता और जिसका कर्ता सदा करण कारक में होता है। यह क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिग और एकवचन में रहती है, इसे भावे प्रयोग कहते हैं।

अकर्मक क्रिया 'उठा जाना' (भाववाच्य)

धातु उठा जा

[इस क्रिया से और कृदन्त नहीं बनते]

(क) धातु से बने हुए काल

भावे प्रयोग

(१) संभाव्य भविष्यत् काल

मुझसे............उनसे उठा जाए।

(२) सामान्य भविष्यत् काल

मुझसे............उनसे उठा जाएगा।

(ख) वर्तमान कालिक कृदन्त से बने हुए काल

भावे प्रयोग

(१) सामान्य संकेतार्थ काल

मुझसे............उनसे उठा जाता।

(२) सामान्य वर्तमान काल

मुझसे............उनसे उठा जाता है।

(३) अपूर्ण वर्तमान काल

मुझसे............उनसे उठा जा रहा है।

(४) अपूर्ण भूत काल

मुझसे............उनसे उठा जाता था।

(५) संभाव्य वर्तमान काल

मुझसे............उनसे उठा जाता हो।

(६) संदिग्ध वर्तमान काल

मुझसे............उनसे उठा जाता होगा।

(ग) भूत कालिक कृदन्त से बने हुए काल

भावे प्रयोग

(१) सामान्य भूतकाल

मुझसे............उनसे उठा गया।

(२) आसन्न भूतकाल

मुझसे............उनसे उठा गया है।

(३) पूर्ण भूतकाल

मुझसे............उनसे उठा गया था।

(४) संभाव्य भूतकाल

मुझसे............उनसे उठा गया हो।

(५) संदिग्ध भूतकाल

मुझसे............उनसे उठा गया होगा।

प्रश्न और अभ्यास

१. साधारण काल और संयुक्त काल का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

२. कोष्ठक में दी गई क्रिया का यथासंकेत प्रयोग कीजिए—

(क) यदि हमने छतरी ली [होना]—सामान्य संकेत।

(ख) लगातार कई दिनों से चुनाव-प्रचार हो [रहना]—अपूर्ण वर्तमान।

(ग) वह काम पर [जाना]—आसन्न भूत।

(घ) सुविधा खाना [खाना] तो खिला दीजिएगा—संभाव्य भविष्यत्।

(च) बच्चा स्कूल से [आना]—संदिग्ध भूत।

(छ) हम लोगों ने दिन भर विश्राम नहीं [करना]—सामान्य वर्तमान।

(ज) वह गत परीक्षा में सम्मिलित तो [होना]—पूर्ण भूत।

(झ) मैं देश की रक्षा के लिए मर [मिटना]—सामान्य भविष्यत्।

(ट) रोगी टहलना [चाहना] तो टहलने दीजिए—संभाव्य वर्तमान।

(ठ) मैंने यह पुस्तक [पढ़ना]—आसन्न भूत।

३. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(अ) मैंने दिन भर खाना तक नहीं.........।

(ब) यदि वह न मिले तो पत्र लौटा.........।

(स) ऐसा भाई कहीं न.........।

(द) चाँद पर पहुँचने के बाद उन्हें कैसा.........।

(य) हम लोगों के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने दो घूँट पानी......।

(र) सब कुछ जलकर खाक.........।

(ल) बन्दर क्या.........अदरख का स्वाद।

(व) संगमरमर सफेद.........।

४. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए—

(क) क्या यह काम उन्होंने दो वर्ष पूर्व किया है ?

(ख) यदि आप टिकट नहीं खरीदे तो हम लोग सिनेमा देखने नहीं जायेंगे।

(ग) वे पछताता आता होंगे।

(घ) संभवतः वे हम लोगों के यहाँ आने न सक पायेंगे।

(च) तूने उसे देखी हो।

(छ) हमको यह चीज नहीं माँगता।

(ज) तुम क्या चीज़ पसन्द करता है।

(झ) हम आपकी बात जरूर मानेगी।

(ट) हम हिमालय की चोटी तक चढ़ सकता।

(ठ) आपने ऐसी क्यों करी ?

(ड) रोगी को दवा देना चाहिए।

(ढ) उस स्थान का ऐतिहासिक महत्त्व है, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास लिया हुआ था।

(प) अध्यक्ष महोदय सदस्यों की प्रतीक्षा में बैठे हुए था।

(फ) पकड़ा जाने पर वह आदमी अपनी गलती कबूल किया।

(ब) आपका कर्तव्य था कि आप उन्हें देख आयें।

(भ) गांधीजी के भारत आते ही लोगों की चेतना फूंक गयी।

५. निम्नलिखित क्रियाओं से वाक्य बनाइए—

हँस पड़ना, पकड़वा देना, खिलाया होता, देख-भाल की होती, उगना, जनना, आइएगा, हठ न करना, होना चाहिए, मान लिया था, पचा डाला गया, किया न जा सका।

———

पद-व्याख्या

वाक्य से अलग स्वतन्त्र अस्तित्व रखने वाले शब्द 'शब्द' कहलाते हैं, परन्तु वाक्य में प्रयुक्त होते ही वे 'पद' का रूप धारण कर लेते हैं।

पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय—उनके भेद, वचन, लिंग, कारक तथा अन्य पदों के साथ उनके सम्बन्ध—पद-व्याख्या कहलाता है। पद-व्याख्या को पद-परिचय, पदान्वय, शब्द-निरूपण, शब्द-निरुक्ति या शब्द-बोध भी कहते हैं।

पद-व्याख्या का सामान्य परिचय

संज्ञा की पद-व्याख्या—संज्ञा की पद-व्याख्या करते समय निम्नलिखित बातें बतलानी चाहिए—

(१) भेद (२) लिंग (३) वचन (४) कारक (५) अन्य पदों के साथ सम्बन्ध।

उदाहरण—**स्मिता** नाना प्रकार की **पुस्तकें** पढ़कर अपना **ज्ञान बढ़ाने** का प्रयास करती है।

स्मिता—संज्ञा, व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्ता कारक, 'करती है' क्रिया का कर्ता।

पुस्तकें—संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, बहुवचन, कर्म कारक, पूर्वकालिक कृदन्त 'पढ़कर' का कर्म।

ज्ञान—संज्ञा, भाववाचक, पुल्लिग, एकवचन, कर्मकारक, क्रियार्थक संज्ञा 'बढ़ाने' का कर्म।

बढ़ाने का—क्रियार्थक संज्ञा, सकर्मक, सम्बन्ध कारक, सम्बन्धी शब्द 'प्रयास', इसका कर्म 'ज्ञान'।

प्रयास—संज्ञा, भाववाचक, पुल्लिग, एकवचन, कर्म कारक, 'करती है' क्रिया का कर्म।

सर्वनाम की पद-व्याख्या—सर्वनाम की पद-व्याख्या करते समय निम्नलिखित बातें बतलानी चाहिए—

(१) भेद (२) लिंग (३) वचन (४) पुरुष (५) कारक (६) अन्य पदों के साथ सम्बन्ध।

उदाहरण—**यह उसकी** वही पुस्तक है, **जिसे कोई** उठा ले गया था।

यह—सर्वनाम, निश्चयवाचक, पुल्लिग, एकवचन, अन्य पुरुष, कर्ता कारक, 'है' क्रिया का कर्ता।

उसकी—सर्वनाम, पुरुषवाचक, एकवचन, अन्य पुरुष, सम्बन्ध कारक, सम्बन्धी शब्द 'पुस्तक'।

जिसे—सर्वनाम, सम्बन्धवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, कर्म कारक, 'उठा ले गया था' क्रिया का कर्म।

कोई—सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, कर्ता कारक, 'उठा ले गया था' क्रिया का कर्ता।

विशेषण की पद-व्याख्या—विशेषण की पद-व्याख्या करते समय निम्नलिखित बातें बतलानी चाहिए—

(१) भेद (२) लिंग (३) वचन (४) इसका विशेष्य।

उदाहरण—गाँधीजी की **वह रक्तहीन** क्रान्ति सदैव **बेजोड़** रहेगी।

वह—सार्वनामिक विशेषण (निश्चयवाचक), स्त्रीलिंग, एकवचन, इसका विशेष्य 'क्रान्ति'।

रक्तहीन—विशेषण, गुणवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, इसका विशेष्य 'क्रान्ति'।

बेजोड़—विशेषण, गुणवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, विधेय विशेषण, इसका विशेष्य 'क्रान्ति'।

क्रिया की पद व्याख्या—क्रिया की पद-व्याख्या करते समय निम्नलिखित बातें बतलानी चाहिए—

(१) भेद (२) लिंग (३) वचन (४) पुरुष (५) वाच्य (६) प्रयोग (७) अर्थ (८) काल (९) कारकों के आधार पर अन्य पदों के साथ सम्बन्ध।

उदाहरण—(अ) तुलसीदास समन्वयवादी थे।

(ब) सूचना तो **भेज दी गई थी**, परन्तु किसी ने उसे सहायता **नहीं** दी।

(स) चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को राजा **बनाया**।

(द) उन्होंने पुस्तक तो **हथिया ली**, परन्तु उसे **भिजवाई** नहीं।

थे—रूढ़, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, कर्तृवाच्य, कर्तरि प्रयोग, निश्चयार्थ, स्थिति-दर्शक, सामान्य भूतकाल, इसका कर्ता 'तुलसीदास' और उद्देश्य-पूर्ति 'समन्वयवादी'।

भेज दी गई थी—यौगिक, सकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, कर्म वाच्य, कर्मणि प्रयोग, निश्चयार्थ, पूर्ण भूतकाल, इसका कर्म 'सूचना'।

नहीं दी—रूढ़, द्विकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, कर्तृवाच्य, कर्मणि प्रयोग, निश्चयार्थ, सामान्य भूतकाल, इसका कर्ता 'किसी ने', मुख्य कर्म 'सहायता' और गौण कर्म 'उसे'।

बनाया—यौगिक, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, कर्तृवाच्य, भावे प्रयोग, निश्चयार्थ, सामान्य भूतकाल, इसका कर्ता 'चाणक्य ने' कर्म 'चन्द्रगुप्त को' और कर्म-पूर्ति 'राजा'।

हथिया ली—यौगिक, नामधातु, सकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एकवचन, अन्य

पुरुष, कर्तृवाच्य, कर्मणि प्रयोग, निश्चयार्थ, सामान्य भूतकाल, इसका कर्ता 'उन्होंने' और कर्म 'पुस्तक'।

भिजवाई नहीं—यौगिक, प्रेरणार्थक, सकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, कर्तृवाच्य, कर्मणि प्रयोग, निश्चयार्थ, सामान्य भूतकाल, इसका प्रेरक कर्ता 'उन्होंने' (प्रेरित कर्ता अज्ञात), कर्म 'उसे'।

क्रिया-विशेषण की पद-व्याख्या—क्रिया-विशेषण की पद-व्याख्या करते समय निम्नलिखित बातें बतलानी चाहिए—

(१) भेद (२) किस क्रिया की विशेषता बतलाता है?

उदाहरण—(क) **कदाचित्** तुम्हें ज्ञात हो, वह **अचानक** अपनी स्मरण-शक्ति खो बैठा।

(ख) आप **बहुत शान्तिपूर्वक** कार्य करते हैं।

कदाचित्—क्रिया-विशेषण, अनिश्चय-बोधक रीतिवाचक, 'ज्ञात हो' क्रिया की विशेषता बतलाता है।

अचानक—क्रिया-विशेषण, प्रकार-बोधक रीतिवाचक, 'खो बैठा' क्रिया की विशेषता बतलाता है।

बहुत—क्रिया-विशेषण, ('शान्तिपूर्वक' के साथ सामासिक क्रिया-विशेषण), परिमाण-बोधक।

शान्तिपूर्वक—क्रिया-विशेषण, ('बहुत' के साथ सामासिक क्रिया-विशेषण), प्रकार-बोधक, 'करते हैं' क्रिया की विशेषता बतलाता है।

सम्बन्ध-सूचक की पद-व्याख्या—सम्बन्ध-सूचक की पद-व्याख्या करते समय निम्नलिखित बातें बतलानी चाहिए—

(१) भेद (२) किन पदों का सम्बन्ध बतलाता है?

उदाहरण—(अ) मेरे **सामने** और कोई उपाय नहीं।

(ब) दूसरों की बुराई करने **के अतिरिक्त** क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है?

(स) गाँव के **आसपास** हरियाली ही हरियाली है।

(द) भोजन **के अनन्तर** विश्राम करना चाहिए।

सामने—सम्बन्ध-सूचक, स्थान-वाचक, 'मेरे' सर्वनाम का सम्बन्ध 'नहीं है' क्रिया से जोड़ता है।

के अतिरिक्त—सम्बन्ध-सूचक, भिन्नता-वाचक, 'करने' क्रियार्थक संज्ञा का सम्बन्ध 'नहीं है' क्रिया से जोड़ता है।

के आसपास—सम्बन्ध-सूचक, दिशा-वाचक, 'गाँव' संज्ञा का सम्बन्ध 'है' क्रिया से जोड़ता है।

के अनन्तर—सम्बन्ध-सूचक, काल-वाचक, 'भोजन' संज्ञा का सम्बन्ध 'करना चाहिए' क्रिया से जोड़ता है।

समुच्चय-बोधक की पद-व्याख्या—समुच्चय-बोधक की पद-व्याख्या करते समय निम्नलिखित बातें बतलानी चाहिए—

(१) भेद (२) किन शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है ?

उदाहरण—(क) नदियों की धारा फेर देने और नेताओं के इरादों को पलट देने की शक्ति सचमुच जनता है।

(ख) ईमानदारी से सोचने की बात है कि हममें से कितने लोग ईमानदार हैं।

(ग) आज और कल में बहुत अन्तर है।

और—समुच्चय-बोधक, समानाधिकरण, संयोजक, 'नदियों की धारा फेर देने' और 'नेताओं के इरादों को पलट देने' दो वाक्यांशों को जोड़ता है।

कि—समुच्चय-बोधक, व्यधिकरण, स्वरूपवाचक, 'ईमानदारी से सोचने की बात है' और हममें से कितने लोग ईमानदार हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ता है।

और—समुच्चय-बोधक, समानाधिकरण, संयोजक, 'आज' और 'कल' दो शब्दों को जड़ता है।

विस्मयादि बोधक की पद व्याख्या—विस्मयादि-बोधक की पद-व्याख्या करते समय यह सूचित करना चाहिए कि प्रस्तुत पद किस मनोभाव के लिए प्रयुक्त हुआ है।

उदाहरण—(अ) **शाबाश** ! तुमने अपना मार्ग ढूँढ़ ही लिया।

(ब) **छिः** ! ऐसी गंदी बात नहीं बोलते।

शाबाश !—विस्मयादि-बोधक, हर्षवाचक।

छिः !—विस्मयादि-बोधक, तिरस्कार वाचक।

प्रश्न और अभ्यास

नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों की पद-व्याख्या कीजिए—

(१) **इसका भयानक परिणाम यह हुआ कि मनुष्य जीवन के सामंजस्य को भुलाकर ऐसे काल्पनिक स्वर्ग को ढूंढ़ने लगा, जिसमें सारे सुख निहित हों।**

(२) **बुराई का नाश करने के लिए बुरे का शत्रु होना जरूरी नहीं है।**

(३) **गांधी की सत्यनिष्ठा ने उन्हें अमर बना दिया है।**

(४) **छिः ! ऐसी गाली मत दो।**

(५) **पाठकों और लेखकों का यह एक पुनीत कर्तव्य है।**

भूलें

संज्ञा-प्रयोग से सम्बद्ध भूलें

अशुद्ध	शुद्ध
१. **उनका सन्तान** अच्छा है।	**उनकी सन्तान** अच्छी है।
२. **डाक्टरनी** ने अच्छी चिकित्सा की।	**डाक्टर** ने अच्छी चिकित्सा की।
३. **मंत्राणी** उद्‌घाटन-समारोह में आई हैं।	**मंत्री** उद्‌घाटन-समारोह में आई हैं।
४. उसने नई **चप्पलें** खरीदी हैं।	उसने नई **चप्पल** खरीदी है।
५. हमें बाजार से **नये जूते** लाने हैं।	हमें बाजार से **नया जूता** लाना है।
६. **उसके मोजे** फट गये।	**उसका मोजा** फट गया।
७. आधुनिक युग में **स्त्रीयों** को हर जगह प्रवेश मिलता है।	आधुनिक युग में **स्त्रियों** को हर जगह प्रवेश मिलता है।
८. **नदीयों** में बाढ़ आई है।	**नदियों** में बाढ़ आई है।
९. मेरी **सहेलीयाँ** मुझे बहुत चाहती हैं।	मेरी **सहेलियाँ** मुझे बहुत चाहती हैं
१०. सास ने **बहूएँ** को तंग कर रखा है।	सास ने **बहुओं** को तंग कर रखा है।
११. विद्यार्थियों का **दल आ रहे हैं**।	विद्यार्थियों का **दल** आ **रहा है**।
१२. यात्रियों का **कारवाँ नजदीक पहुँच गए**।	यात्रियों का **कारवाँ नजदीक पहुँच गया**।
१३. लुटेरों का जत्था छिप गया।	लुटेरों का **गिरोह** छिप गया।
१४. उसे **पाँच कीलो गेहूँ खरीदे**।	उसने **पाँच किलो गेहूँ खरीदा**।
१५. उसे **दो पूड़ी** दे दो।	उसे दो **पूड़ियाँ** दे दो।
१६. अतिथि ने एक **किलो पूड़ियाँ खाईं**।	अतिथि ने एक **किलो पूड़ी खाई**।
१७. वह शत्रु की भी **भलाइयाँ** करता है।	वह शत्रु की भी **भलाई** करता है।
१८. **आपका दर्शन** ही **दुर्लभ है**।	**आपके दर्शन ही दुर्लभ हैं**।
१९. **मेरा तो होश उड़ गया**।	मेरे **तो होश उड़ गये**।
२०. शिक्षक के देखते ही इस **लड़के का प्राण निकल जाता है**।	शिक्षक के देखते ही इस **लड़के के प्राण निकल जाते हैं**।
२१. उपन्यास पढ़कर पाठिका की **आँख खुल गई**।	उपन्यास पढ़कर पाठिका की **आँखें खुल गईं**।
२२. उसकी आँख से आसू बह रहा है।	**उसकी आँखों से आँसू बह रहे हैं**।

अशुद्ध	शुद्ध
२३. मेरे पेट में **चूहा कूद रहा है।**	मेरे पेट में **चूहे कूद रहे हैं।**
२४. दूसरों की **बुराईयों** को ही देखते रहोगे ?	दूसरों की **बुराइयों को** ही देखते रहोगे ?
२५. **विद्यार्थिनीयों** को पुस्तकें दे दो।	**विद्यार्थिनियों** को पुस्तकें दे दो।
२६. बालक की बुद्धिमानी देखकर सब **दांत तले उँगलियाँ** दबाने लगे।	बालक की बुद्धिमानी देखकर **सब दाँतों तल उँगली** दबाने लगे।
२ . **इस कमरा में** कितनी खिड़कियाँ हैं ?	इस **कमरे में** कितनी खिड़कियाँ हैं ?
२८. **पाँच लड़के** ने पुस्तक पढ़ ली।	**पाँच लड़कों** ने पुस्तक पढ़ ली।
२९. मैंने एक **रुपया का** सामान खरीदा।	मैंने एक **रुपये का** सामान खरीदा।
३०. **पिते ने** आज्ञा दी।	**पिता ने** आज्ञा दी।
३१. चाचे से कहते क्यों नहीं ?	चाचा से कहते क्यों नहीं ?
३२. **नेते को** सब जानते हैं।	**नेता को** सब जानते हैं।
३३. **आज का** वर्तमान युग में मँहगाई से सभी त्रस्त हैं।	**आज के** वर्तमान युग में मँहगाई से सभी त्रस्त हैं।
३४. **सिन्हे** ने तुमसे क्या कहा ?	**सिन्हा ने** तुमसे क्या कहा ?
३५. **पढ़ना-लिखना** से क्या होगा ?	**पढ़ने-लिखने** से क्या होगा ?
३६. वह **गये की** यात्रा से लौटा है।	वह **गया की** यात्रा से लौटा है।
३७. यह **आगरा की** मिठाई है।	यह **आगरे की** मिठाई है।
३८. कलकत्ता से कौन आनेवाला है ?	**कलकत्ते से** कौन आने वाला है ?
३९. एक **महती व्यक्ति** आई हैं।	एक महान् व्यक्ति आये हैं।
४०. मेरे **गांव की** स्थिति बड़ी दयनीय है।	मेरे **गांव की** स्थिति बड़ी दयनीय है।
४१. **नावमें कई** व्यक्ति बैठे हैं।	नाव में कई व्यक्ति बैठे हैं।
४२. आज के **युगों में** फैशनपरस्ती का बोलबाला है।	आज के युग में फैशनपरस्ती का बोलबाला है।
४३. उसे कितना **अहकांर** है।	उसे कितना अहंकार है ?
४४. क्या आप **सयंम** से काम नहीं ले सकते ?	क्या आप संयम से काम नहीं ले सकते ?
४५. जन-जागृती कब होगी ?	जन-जागृति कब होगी ?
४६. जिन्दगी **की मूल्य** पहचानो।	जिन्दगी **का मूल्य** पहचानो।
४७. अब उसकी **जिदंगी** में रह ही क्या गया है !	अब उसकी **जिन्दगी** (जिन्दगी) में रह ही क्या गया है !
४८. प्रतिमा **विर्सजन** किस दिन है ?	प्रतिमा **विसर्जन** किस दिन है ?
४९. बन्दूक एक उपयोग **शस्त्र** है।	बन्दूक एक उपयोगी **अस्त्र** है।
५०. उसने **गाने की कसरत** की।	उसने **गाने का अभ्यास** किया।

	अशुद्ध	शुद्ध
५१.	कृपया गीत की दो-चार लड़ियाँ गाइए ।	कृपया गीत की दो चार कड़ियाँ गाइए ।
५२.	उनकी कन्या के लिए विवाह तय हो गया ।	उनकी कन्या का विवाह तय हो गया ।
५३.	शोक है कि मैं आपके पत्रों का उत्तर न दे सका ।	खेद है कि मैं आपके पत्रों का उत्तर न दे सका ।
५४.	दादा की मृत्यु से हमें बड़ा दुःख हुआ ।	दादा की मृत्यु से हमें बड़ा शोक हुआ ।
५५.	इस समय मेरी आयु बीस वर्ष की है ।	इस समय मेरी अवस्था बीस वर्ष की है ।
५६.	पुलिस ने संजय में आरोप लगाया ।	पुलिस ने संजय पर आरोप लगाया ।
५७.	हम दोनों के बीच शत्रुता हो गई ।	हम दोनों में शत्रुता हो गई ।
५८.	गले में पराधीनता की बेड़ियाँ किसे अच्छी लगती हैं !	पैरों में पराधीनता की बेड़ियाँ किसे अच्छी लगती हैं !
५९.	उनसे भिड़ना तलवार की नोक पर चलना है ।	उनसे भिड़ना तलवार की धार पर चलना है ।
६०.	पाँच हजार का टिकट बिक गया ।	पाँच हजार के टिकट बिक गये ।
६१.	वह तरह-तरह का रूप धारण करता है ।	वह तरह-तरह के रूप धारण करता है ।
६२.	उसके एक-एक शब्द प्रभाव डालते थे ।	उसका एक-एक शब्द प्रभाव डालता था ।
६३.	यह अंश अनेक भावों को प्रकट करता है ।	यह अंश अनेक भाव प्रकट करता है ।
६४.	तुम यह रहस्य अपने मित्र को क्यों नहीं प्रकट कर देते ।	तुम यह रहस्य अपने मित्र पर क्यों नहीं प्रकट कर देते ।
६५.	उसने पेन्सिल को फेंक दी ।	उसने पेन्सिल फेंक दी ।
६६.	उसके भाई को लड़का हुआ है ।	उसके भाई के लड़का हुआ है ।
६७.	लड़के के ऊपर यह अभियोग क्यों लगाया गया ?	लड़के पर यह अभियोग क्यों लगाया गया ?
६८.	गुरुजनों के ऊपर श्रद्धा रखो ।	गुरुजनों पर श्रद्धा रखो ।
६९.	कुछ स्थलों में अच्छा वर्णन हुआ है ।	कुछ स्थलों पर अच्छा वर्णन हुआ है ।
७०.	सड़क में भीड़ क्यों है ?	सड़क पर भीड़ क्यों है ?
७१.	इस समस्या की आपके पास कोई दवा है ?	इस समस्या का आपके पास कोई समाधान है ?

अशुद्ध	शुद्ध
७२. उस पतिव्रता को छूने का **उत्साह** किसी में नहीं है ।	उस पतिव्रता को छूने का **साहस** किसी में नहीं है ।
७३. **प्रातःकाल** के **समय** जायेंगे ।	**प्रातःकाल** जायेंगे ।
७४. क्या आप वहाँ जाने पर **ऐक्यता** की बात करेंगे ?	क्या आप वहाँ जाने पर **एकता** की बात करेंगे ?
७५. पाकिस्तान ने **भारत के विरुद्ध** आक्रमण किया ।	पाकिस्तान ने **भारत पर** आक्रमण किया ।
७६. उन्होंने अपने **पिता के विरुद्ध** मुकदमा दायर कर दिया ।	उन्होंने अपने **पिता पर** मुकदमा दायर कर दिया ।
७७. वहाँ अनेक स्त्रियाँ बेहाल दशा में पड़ी थीं ।	वहाँ अनेक स्त्रियाँ बेहाल पड़ी थीं ।
७८. कृपया बैठने का अनुग्रह करें ।	कृपया बैठ जाएँ ।
७९. **भाइयों और बहनों** ! आप लोग मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए ।	भाइयो और बहनो ! आप लोग मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए ।
८०. मित्रों । बैठ जाइए ।	मित्रो ! बैठ जाइए ।

सर्वनाम-प्रयोग से सम्बद्ध भूलें

अशुद्ध	शुद्ध
१. **ये** काम मैं नहीं कर सकती ।	**यह** काम मैं नहीं कर सकती ।
२. मैंने **ये** सोचा कि आप घर पर ही होंगी ।	मैंने **यह** सोचा कि आप घर पर ही होंगी ।
३. आपने **एसा** क्यों कहा ?	आपने **ऐसा** क्यों कहा ?
४. क्या तुम भी **एेसा** सोचते हो ?	क्या तुम भी **ऐसा** सोचते हो ?
५. **मेरे सब कुछ** नष्ट हो गया ।	**मेरा सब कुछ** नष्ट हो गया ।
६. **मेरे को** आपका काम बहुत पसन्द है ।	**मुझे** (मुझको) आपका काम बहुत पसन्द है ।
७. यह बात **सब कोई** जानता है ।	यह बात **हर कोई** जानता है ।
८. यह बात **हर कोई** जानते हैं ।	यह बात **सब कोई** जानते हैं ।
९. आपके यहाँ **क्या-क्या आये था** ?	आपके यहाँ **कौन-कौन आये थे** ?
१०. प्रदर्शनी में आपने **कौन-कौन देखा** !	प्रदर्शन में आपने **क्या-क्या देखा** ?
११. **आप** ठीक कहते हो ?	**तुम** ठीक कहते हो ।
१२. **तुम** ठीक कहते हैं ।	**आप** ठीक कहते हैं ।

अशुद्ध	शुद्ध
५१. कृपया गीत की दो-चार लड़ियाँ गाइए।	कृपया गीत की दो चार कड़ियाँ गाइए।
५२. उनकी कन्या के लिए विवाह तय हो गया।	उनकी कन्या का विवाह तय हो गया।
५३. शोक है कि मैं आपके पत्रों का उत्तर न दे सका।	खेद है कि मैं आपके पत्रों का उत्तर न दे सका।
५४. दादा की मृत्यु से हमें बड़ा दुःख हुआ।	दादा की मृत्यु से हमें बड़ा शोक हुआ।
५५. इस समय मेरी आयु बीस वर्ष की है।	इस समय मेरी अवस्था बीस वर्ष की है।
५६. पुलिस ने संजय में आरोप लगाया।	पुलिस ने संजय पर आरोप लगाया।
५७. हम दोनों के बीच शत्रुता हो गई।	हम दोनों में शत्रुता हो गई।
५८. गले में पराधीनता की बेड़ियाँ किसे अच्छी लगती हैं !	पैरों में पराधीनता की बेड़ियाँ किसे अच्छी लगती हैं !
५९. उनसे भिड़ना तलवार की नोक पर चलना है।	उनसे भिड़ना तलवार की धार पर चलना है।
६०. पाँच हजार का टिकट बिक गया।	पाँच हजार के टिकट बिक गये।
६१. वह तरह-तरह का रूप धारण करता है।	वह तरह-तरह के रूप धारण करता है।
६२. उसके एक-एक शब्द प्रभाव डालते थे।	उसका एक-एक शब्द प्रभाव डालता था।
६३. यह अंश अनेक भावों को प्रकट करता है।	यह अंश अनेक भाव प्रकट करता है।
६४. तुम यह रहस्य अपने मित्र को क्यों नहीं प्रकट कर देते।	तुम यह रहस्य अपने मित्र पर क्यों नहीं प्रकट कर देते।
६५. उसने पेन्सिल को फेंक दी।	उसने पेन्सिल फेंक दी।
६६. उसके भाई को लड़का हुआ है।	उसके भाई के लड़का हुआ है।
६७. लड़के के ऊपर यह अभियोग क्यों लगाया गया ?	लड़के पर यह अभियोग क्यों लगाया गया ?
६८. गुरुजनों के ऊपर श्रद्धा रखो।	गुरुजनों पर श्रद्धा रखो।
६९. कुछ स्थलों में अच्छा वर्णन हुआ है।	कुछ स्थलों पर अच्छा वर्णन हुआ है।
७०. सड़क में भीड़ क्यों है ?	सड़क पर भीड़ क्यों है ?
७१. इस समस्या की आपके पास कोई दवा है ?	इस समस्या का आपके पास कोई समाधान है ?

अशुद्ध	शुद्ध
७२. उस पतिव्रता को छूने का **उत्साह** किसी में नहीं है ।	उस पतिव्रता को छूने का **साहस** किसी में नहीं है ।
७३. **प्रातःकाल** के **समय** जायेंगे ।	**प्रातःकाल** जायेंगे ।
७४. क्या आप वहाँ जाने पर **ऐक्यता** की बात करेंगे ?	क्या आप वहाँ जाने पर **एकता** की बात करेंगे ?
७५. पाकिस्तान ने **भारत के विरुद्ध** आक्रमण किया ।	पाकिस्तान ने **भारत पर** आक्रमण किया ।
७६. उन्होंने अपने **पिता के विरुद्ध** मुकदमा दायर कर दिया ।	उन्होंने अपने **पिता पर** मुकदमा दायर कर दिया ।
७७. वहाँ अनेक स्त्रियाँ बेहाल दशा में पड़ी थीं ।	वहाँ अनेक स्त्रियाँ बेहाल पड़ी थीं ।
७८. कृपया बैठने का अनुग्रह करें ।	कृपया बैठ जाएँ ।
७९. **भाइयों और बहनों** ! आप लोग मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए ।	भाइयो और बहनो ! आप लोग मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए ।
८०. मित्रों । बैठ जाइए ।	मित्रो ! बैठ जाइए ।

सर्वनाम-प्रयोग से सम्बद्ध भूलें

अशुद्ध	शुद्ध
१. **ये** काम मैं नहीं कर सकती ।	**यह** काम मैं नहीं कर सकती ।
२. मैंने ये सोचा कि आप घर पर ही होंगी ।	मैंने **यह** सोचा कि आप घर पर ही होंगी ।
३. आपने **एसा** क्यों कहा ?	आपने **ऐसा** क्यों कहा ?
४. क्या तुम भी **एैसा** सोचते हो ?	क्या तुम भी **ऐसा** सोचते हो ?
५. **मेरे सब कुछ** नष्ट हो गया ।	**मेरा सब कुछ** नष्ट हो गया ।
६. **मेरे को** आपका काम बहुत पसन्द है ।	**मुझे** (मुझको) आपका काम बहुत पसन्द है ।
७. यह बात **सब कोई** जानता है ।	यह बात **हर कोई** जानता है ।
८. यह बात **हर कोई** जानते हैं ।	यह बात **सब कोई** जानते हैं ।
९. आपके यहाँ **क्या-क्या आये था** ?	आपके यहाँ **कौन-कौन** आये थे ?
१०. प्रदर्शनी में आपने **कौन-कौन देखा** !	प्रदर्शन में आपने **क्या-क्या देखा** ?
११. **आप** ठीक कहते हो ?	**तुम** ठीक कहते हो ।
१२. **तुम** ठीक कहते हैं ।	**आप** ठीक कहते हैं ।

अशुद्ध	शुद्ध
१३. जो-जो आप कहते हैं, **वह-वह** मैं करूँगी।	जो-जो आप कहते हैं **वह सब** मैं करूँगी।
१४. **इनने** आपका पुस्तकालय देखा है।	**इन्होंने** आपका पुस्तकालय देखा है।
१५. **उनने** आपको बुलाया है।	**उन्होंने** आपको बुलाया है।
१६. मैं ने कुछ नहीं कहा।	मैंने कुछ नहीं कहा।
१७. **उन्हको** बुलाने से क्या लाभ!	**उनको** बुलाने से क्या लाभ!
१८. **वे तो** चले गये।	**वे तो** चले गये।
१ . **मैंने** कोई गलती नहीं की।	**मैंने** कोई गलती नहीं की।
२०. मैं **मेरा पिताजी को** बुलाने गया था।	मैं **अपने पिताजी को** बुलाने गया था।
२१. तुम **तुम्हारा काम देखो**।	तुम **अपना काम** देखो।
२२. क्या आपको **आपकी माँ** की बीमारी की चिन्ता नहीं है?	क्या आपको अपनी माँ **की** बीमारी की चिन्ता नहीं है?
२३. घी में **कौन** गिर गया?	घी में **क्या** गिर गया?
२४. मैंने आपसे आने के लिए कहा था, पर **तुम** नहीं आये।	मैंने तो आपसे आने के लिए कहा था, पर **आप** नहीं आये।
२५. वह चीज तो अच्छी थी, पर **यह** मुझे नहीं मिली।	वह चीज तो अच्छी थी, पर **वह** मुझे नहीं मिली।
२६. **तुम्हारे** से कौन बोलता है?	**तुमसे** कौन बोलता है?
२७. वह **निज में** वहाँ नहीं जा सकता।	वह **स्वयं** वहाँ नहीं जा सकता।
२८. **यह लोग** क्या चाहते हैं?	**ये लोग** क्या चाहते हैं।
२९. **मैं** और मेरी सहेलियों को चलचित्र देखने जाना है।	**मुझे** और मेरी सहेलियों को चलचित्र देखने जाना है।
३०. **जिस की** लाठी, **उस की** भैंस।	जिसकी लाठी, **उसकी** भैंस।
३१. **उन्हें** समझ **में** नहीं आया।	**उनकी** समझ में नहीं आया।
३२. सीता आई और मेरी पुस्तक ले ली।	सीता आई और **उसने** मेरी पुस्तक ले ली।
३३. मैं समझ गई कि **मांग, जो** आप रख रहे हैं, उचित है या नहीं।	मैं समझ गई कि **जो माँग** आप रख रहे हैं, **वह** उचित हैं या नहीं (या मैं समझ गई कि **वह माँग, जो आप रख रहे है, उचित** है या नहीं)

विशेषण-प्रयोग से सम्बद्ध भूलें

अशुद्ध	शुद्ध
१. ये **कमरा** बहुत बड़ा है ।	**यह कमरा** बहुत बड़ा है ।
२. **आपके लड़का** बड़ा सौभाग्यशाली है	**आपका लड़का** बड़ा सौभाग्यशाली है ।
३. आपके **इतना बड़ा** महल में मेरे लिए कोई स्थान है ?	आपके **इतने बड़े** महल में मेरे लिए कोई स्थान है ?
४. ये **मेरी सहेली** होनहार है ।	**मेरी यह सहेली** बड़ी होनहार है ।
५. वह **सुन्दरी** स्त्री है ।	वह **सुन्दर** स्त्री है ।
६. उसकी बहिन बड़ी **चचंल** है ।	उसकी बहिन बड़ी **चंचल** है ।
७. सब मनुष्य **बुरा** नहीं होता ।	सब मनुष्य **बुरे** नहीं होते ।
८. **वह लड़कियाँ** चली गई ।	**वे लड़कियाँ** चली गईं ।
९. यह स्त्री अपने ढंग की **निराला है** ।	यह स्त्री अपने ढंग की **निराली** है ।
१०. **प्रत्येक मनुष्यों को** अपने स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति की अनुमति मिलनी चाहिए ।	**सभी मनुष्यों** को अपने स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति की अनुमति मिलनी चाहिए।
११. आपको **कितना पुस्तकें** चाहिए ।	आपको **कितनी पुस्तकें** चाहिए ।
१२. **अनेकों लोग** का ऐसा मत है ।	**अनेक लोगों** का ऐसा मत है ।
१३. उसकी दूकान में **शुद्धभैंस का दूध** मिलता है ।	उनकी दूकान में **भैंस का शुद्ध दूध** मिलता है ।
१४. **कई फैक्टरी के कर्मचारी** मर गए ।	**फैक्टरी के कई कर्मचारी** मर गए ।
१५. केवल व्याकरण-मात्र सीखने से क्या होगा ?	**केवल व्याकरण** सीखने से क्या होगा ?
१६. तुम्हारी दीदी **सोती नींद से** जाग पड़ी ।	तुम्हारी दीदी **नींद से** जाग पड़ी ।
१७. तुम्हारी घड़ी में कै बजा है ?	तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है ?
१८. अपनी सकुशलता का पत्र अवश्य भेजिएगा ।	**अपनी कुशलता** का पत्र अवश्य भेजिएगा ।
१९. ध्वस्त विमान के यात्री **सुरक्षित** है ।	ध्वस्त विमान के यात्री **सकुशल है** ।
२०. बड़े भाग्य से **ऐसा** देश में जन्म मिलता है ।	बड़े भाग्य से **ऐसे** देश में जन्म मिलता है ।
२१. **वो लड़की कितना** लम्बी है ।	वह **लड़की कितनी** लम्बी है ।
२२. दुसरी लड़की को बुलाओ ।	दूसरी लड़की को बुलाओ ।
२३. **कहीं जगह** मैंने ऐसे वृक्ष देखे हैं ।	**कई जगह** मैंने ऐसे वृक्ष देखे हैं ।
२४. कोई न कोई तो आयेगा ।	कोई-न-कोई तो आयेगा ।

अशुद्ध	शुद्ध
२५. वह अपना काम अच्छी ढंग से करती है।	वह अपना काम अच्छे ढंग से करती है।
२६. मेले में बहोत भीड़ होती है।	मेले में बहुत भीड़ होती है।
२७. यह पुस्तक किती रोचक है।	यह पुस्तक कितनी रोचक है।
२८. आप बड़े अच्छे शिक्षक हैं।	आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं।
२९. मुझे भारी काम है।	मुझे बहुत काम है।
३०. अधिकांश लोग नहीं आयेंगे।	अधिकतर लोग नहीं आयेंगे।
३१. सत्य और अहिंसा का घोर सम्बन्ध है।	सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ सम्बन्ध है।
३२. साहित्य-परिषद् की दोदिवसीय गोष्ठी है।	साहित्य-परिषद् की द्विदिवसीय गोष्ठी है (दो दिन की गोष्ठी है)।
३३. इस गहरी समस्या का समाधान कहाँ है।	इस गम्भीर समस्या का समाधान कहाँ है।
३४. मैं अपना भावी जीवन अपने जन्म-स्थान में बिताऊँगी।	मैं अपना शेष जीवन अपने जन्म-स्थान में बिताऊँगी।
३५. किसी आगामी घटना की कल्पना करना कठिन है।	किसी भावी घटना की कल्पना करना कठिन है।
३६. यह कार्य सर्वथा सम्भव है।	यह कार्य सम्भव है।
३७. उसकी बीमारी चिन्तनीय है।	उसकी बीमारी चिन्ताजनक है।
३८. मुझे एक अति अच्छी पुस्तक मिली है।	मुझे एक बहुत अच्छी पुस्तक मिली है।
३९. सीता श्यामा से अद्वितीय है।	सीता अद्वितीय है।
४०. मेरा उपहार तुम्हारे उपहार से अनुपम है।	मेरा उपहार अनुपम है।
४१. तुम दोनों में सबसे लम्बा कौन है?	तुम दोनों में अधिक लम्बा कौन है?
४२. इस कक्षा में अधिक लोकप्रिय कौन है?	इस कक्षा में सबसे लोकप्रिय कौन है?
४३. हमारे देश का अधिक अच्छा वक्ता कौन है।	हमारे देश का सबसे अच्छा वक्ता कौन है?
४४. मेरी साड़ी तुमसे अच्छी है।	मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से अच्छी है।
४५. हिन्दी और अंग्रेजी में सबसे अधिक कठिन कौन-सी भाषा है?	हिन्दी और अंग्रेजी में अधिक कठिन कौन-सी भाषा है?

क्रिया-प्रयोग से सम्बद्ध भूलें

अशुद्ध	शुद्ध
१. सभा में कई पुरुष स्त्रियाँ आये थे।	सभा में कई पुरुष और स्त्रियाँ आयी थीं।
२. मैंने बकरी और हाथी देखी।	मैंने बकरी और हाथी देखे।
३. वह मिठाई खाते हैं।	वह मिठाई खाता है।
४. वे पुस्तक पढ़ता है।	वे पुस्तक पढ़ते हैं।
५. उसने बहुत-से उपन्यास और कहानियाँ पढ़ीं।	उसने बहुत-से उपन्यास और कहानियाँ पढ़े।
६. उसने उपन्यास या कहानी पढ़ा।	उसने उपन्यास या कहानी पढ़ी।
७. राधा ने खिड़की खोला।	राधा ने खिड़की खोली।
८. सुधा ने एक पुस्तक खरीदा।	सुधा ने एक पुस्तक खरीदी।
९. सीता ने श्यामा को बुलायी।	सीता ने श्यामा को बुलाया।
१० सेनापति ने जवानों को ललकारी।	सेनापति ने जवानों को ललकारा।
११. राजा ने गंगाधर को मन्त्री बनायी।	राजा ने गंगाधर को मन्त्री बनाया।
१२. तुम लोगों को पढ़ने चाहिए।	तुम लोगों को पढ़ना चाहिए।
१३. मुझे बनारस जानी पड़ेगी।	मुझे बनारस जाना पड़ेगा।
१४. सब लोगों को दीवाली मनाना चाहिए।	सब लोगों को दीवाली मनानी चाहिए।
१५. उन्हें यह काम करनी पड़ेगी।	उन्हें यह काम करना पड़ेगा।
१६. उन औरतों से उठे नहीं जाता।	उन औरतों से उठा नहीं जाता।
१७. बच्चों से रोये नहीं जाते।	बच्चों से रोया नहीं जाता।
१८. मुझे पानी नहीं पी जाता।	मुझसे पानी नहीं पिया जाता।
१९. आप ये पुस्तकें पढ़िएँ।	आप ये पुस्तकें पढ़िए।
२०. वह मद्रास जाना वाला है।	वह मद्रास जाने वाला है।
२१. सुहास समारोह में गानी वाली थी।	सुहास समारोह में गाने वाली थी।
२२. लड़कियाँ रोयी करती हैं।	लड़कियाँ रोया करती हैं।
२३. मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दिया।	मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी।
२४. मुझे दो साड़ियाँ चाहिएँ।	मुझे दो साड़ियाँ चाहिए।
२५. उसने बात करने भी नहीं सीखे।	उसने बात करना भी नहीं सीखा।
२६. सुजाता चलती-चलती थक गई।	सुजाता चलते-चलते थक गई।
२७. वह डरती-डरती मकान में घुसी।	वह डरते-डरते मकान में घुसी।
२८. वह पढ़ती-पढ़ती सो गई।	वह पढ़ते-पढ़ते सो गई।
२९. वह दण्ड देने के योग्य है।	वह दण्ड पाने के योग्य है।

अशुद्ध	शुद्ध
३०. सिपाही मैदान से **दौड़ खड़ा** हुआ।	सिपाही मैदान से **भाग खड़ा हुआ**।
३१. वे लोग मुझसे मिले बिना वापस लौट गये।	वे लोग मुझसे मिले बिना लौट गये।
३२. मैंने आपकी बहुत देर तक **प्रतीक्षा देखी**।	मैंने आपकी बहुत देर तक **प्रतीक्षा की**।
३३. **इस पुस्तक को पढ़ते** हुए मुझे कई दिन हो गये।	**यह पुस्तक पढ़ते** मुझे कई दिन हो गये।
३४. रोटी को सिकी हुई होनी चाहिए।	रोटी सिकी होनी चाहिए।
३५. हम मन्दिर **जाने नहीं सकेंगे**।	हम मन्दिर **जा नहीं सकेंगे**।
३६. स्वतंत्रता के साथ इस गरीबी से हम मुक्त हो जायेंगे।	स्वतंत्रता मिलते ही इस गरीबी से हम मुक्त हो जायेंगे।
३७. हम लोग वहाँ पहुँचे और **खाना खाये**।	हम लोग वहाँ पहुँचे और **हम लोगों ने खाना खाया**।
३८. हमारी बातचीत का माध्यम हिन्दी होनी चाहिए।	हमारी बातचीत का माध्यम हिन्दी होना चाहिए।
३९. जान **पड़ती** है, वह अब कभी नहीं आयेगा।	जान **पड़ता है**, वह अब कभी नहीं आयेगा।
४०. आजकल **उनका खूब चलता** है।	आजकल उनकी खूब चलती है।
४१. उसका **एक नहीं चला**।	**उसकी एक नहीं चली**।
४२. कोई गाती थी, कोई हँसती था।	कोई गाता था, कोई हँसता था।
४३. एक राजा **होता था**।	एक राजा **था**।
४४. मेरा भाई आज **आऐगा**।	मेरा भाई आज **आएगा**।
४५. **मेरी** सहेली अब **जाऐगी**।	मेरी सहेली अब **जाएगी**।
४६. **कार्यक्रम** ठीक समय पर **प्रारंभित हुआ**।	**कार्यक्रम का प्रारम्भ** ठीक समय पर **हुआ**।
४७. उसे ठीक से **देखाई नहीं देता**।	उसे ठीक से **दिखाई नहीं देता**।
४८. मीना ने सिलाई नहीं **कि है**।	मीना ने सिलाई नहीं **की है**।
४९. **मैं** पुस्तक **पढ़ी हूँ**।	**मैंने** पुस्तक **पढ़ी है**।
५०. यह संभव **नहीं हो सकता है**।	यह संभव **नहीं** है।
५१. घर का खाना और नल का पानी पीकर हम लोग चलेंगे।	घर का खाना **खाकर** और नल का पानी पीकर हम लोग चलेंगे।
५२. मरीज दिन-भर कम्बल **पहने रहा**।	मरीज दिन-भर कम्बल **ओढ़े रहा**।
५३. जरा अपनी साड़ी तो **बताना**।	जरा अपनी साड़ी तो **दिखाना**।
५४. तुम्हें मोटर **हाँकना** आता है ?	तुम्हें **मोटर चलाना** आता है ?

अशुद्ध	शुद्ध
५५. वह बहुत बुरी-बुरी गालियाँ **निकाल रहा है** ।	वह बहुत बुरी-बुरी गालियाँ **दे रहा है** ।
५६. विद्यार्थी-जीवन **शिक्षा लेने के लिए है** ।	विद्यार्थी-जीवन शिक्षा **पाने के लिए है** ।
५७. उन्होंने जीवन-भर ब्रह्मचर्य धारण करने का **संकल्प लिया** ।	उन्होंने जीवन-भर ब्रह्मचर्य धारण **करने** का **संकल्प किया** ।
५८. मैं आपका धन्यवाद **करती हूँ** ।	मैं आपको धन्यवाद **देती हूँ** ।
५९. वे जब बम्बई गये तो अपनी सारी पूँजी साथ लेते आये ।	वे जब बम्बई गये तो अपनी सारी **पूँजी** साथ लेते **गये** ।
६०. यह पुस्तक किसे समर्पण की गई है ?	यह पुस्तक किसे समर्पित की **गई है** ?
६१. यह विद्यार्थी सफलता **पा सकने** का प्रयत्न करता है ।	यह विद्यार्थी सफलता **पाने का प्रयत्न** करता है ।
६२. हमारी इस प्रथा का बन्द **पड़ना** असम्भव है ।	हमारी इस प्रथा का बन्द **होना असंभव** है ।
६३. हम लोग अगले साल काश्मीर गये थे ।	हम लोग अगले साल काश्मीर जायेंगे
६४. वह अभी-अभी **आयी थी** ।	वह अभी-अभी **आयी है** ।
६५. उसने पिछले साल साड़ी **खरीदी है** ।	उसने पिछले साल साड़ी **खरीदी थी**
६६. वह **जाता होता था** ।	वह **जाता था** ।
६७. कोयला काली हो **रही है** ।	कोयला काली होती है ।
६८. वह गत वर्ष **आयेगा** ।	वह गत वर्ष **आया था** ।
६९. राम ने श्याम से **पत्र को लिखाया** ।	राम ने श्याम से **पत्र लिखवाया** ।
७०. सूर्य प्रतिदिन पूर्व में निकल रहा है ।	सूर्य प्रतिदिन पूर्व में निकलता है ।
७१. इच्छाएँ सदा **पूरे नहीं होते** ।	इच्छाएँ सदा **पूरी नहीं होतीं** ।

अविकारी शब्दों (अव्यय) के प्रयोग से सम्बद्ध भूलें

क्रिया-विशेषण

अशुद्ध	शुद्ध
१. आप दोनों में **केवल यही** अन्तर है ।	आप दोनों में **यही** अन्तर है ।
२. **केवल आप ही** यही काम कर सकते हैं ।	**केवल आप** यह काम कर सकते हैं ।

अशुद्ध	शुद्ध
३. मेरी नौकरानी **बिलकुल भी** काम करना नहीं चाहती थी।	मेरी नौकरानी **बिलकुल** काम करना नहीं चाहती थी।
४. चाहे **जैसे भी** हो, आप उत्सव में **अवश्य ही** सम्मिलित होइएगा।	चाहे **जैसे हो**, आप उत्सव में **अवश्य** सम्मिलित होइएगा।
५. **शायद मुझे** अपने कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी।	**मुझे** अपने कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी।
६. **वास्तव में** वह लड़का होनहार है।	**वस्तुतः** वह लड़का होनहार है।
७. हम **स्वयं** ही आपसे मिल लेंगे।	हम **स्वयं** आपसे मिल लेंगे।
८. वह **ध्यानपूर्वक से** सुनता है।	वह **ध्यानपूर्वक** सुनता है।
९. राधा **अच्छी** गाती है।	राधा **अच्छा** गाती है।
१०. **यहाँ पर** बहुत गन्दगी है।	**यहाँ** बहुत गन्दगी है।
११. **वहाँ पर** कोई नहीं जा सकता।	**वहाँ** कोई नहीं जा सकता।
१२. **अभी ही** वह आया था।	**अभी** वह आया था।
१३. **उधर** आना मना है।	**इधर** आना मना है।
१४. **इधर** जाने से क्या लाभ!	**उधर** जाने से क्या लाभ!
१५. **सदा काल से** यह परम्परा चली आ आ रही है।	**सदा से** यह परम्परा चली आ रही है।
१६. मैं **न** गया था।	मैं **नहीं** गया था।
१७. **न** आना।	**मत** आना।
१८. वह **नहीं** आये तो अच्छा।	वह **न** आये तो अच्छा।
१९. वह **मत** सुनता है।	वह **नहीं** सुनता है।
२०. **हँसती-हँसती** उसका पेट फूल गया।	**हँसते-हँसते** उसका पेट फूल गया।
२१. वह पहला पहुँचा।	वह पहले पहुँचा।

सम्बन्ध-सूचक

अशुद्ध	शुद्ध
१. युद्ध **के द्वारा** लोगों ने बड़ा कष्ट उठाया।	युद्ध के **समय** लोगों ने बड़ा कष्ट उठाया।
२. मैं सामान खरीदने के **हेतु** बाजार गई थी।	मैं सामान खरीदने के लिए बाज़ार गई थी।

अशुद्ध	शुद्ध
३. दो दिन के परिश्रम **के पीछे** आज विश्राम मिला।	दो दिन के परिश्रम **के बाद** आज विश्राम मिला।
४. **सबका पीछे** क्यों बैठे हो ?	**सबसे पीछे** क्यों बैठे हो ?
५. यह काम भोजन **का पहले** होना चाहिए।	यह काम भोजन के **पहले होना** चाहिए।
६. गर्मी **की मारे** बुरा हाल है।	गर्मी **के मारे** बुरा हाल है।
७. **उसकी सरीखी** लड़की नहीं मिलेगी।	**उसके सरीखी** लड़की नहीं मिलेगी।
८. शिक्षक **सहीत** सारे विद्यार्थी आये थे।	शिक्षक **सहित** सारे विद्यार्थी आये थे।
९. भोजन **की उपरांत** विश्राम करना चाहिए।	भोजन **के उपरांत** विश्राम करना चाहिए।
१०. उसमें **राजा-से** गुण हैं।	उसमें राजा **के-से** गुण हैं।
११. प्रत्येक नवयुवक में **हाथी-का** बल होना चाहिए।	प्रत्येक नवयुवक में हाथी का-सा **बल होना** चाहिए।
१२. उसका फूल-सा मुख मुरझा गया है।	उसका फूल-सा मुख मुरझा गया **है**।
१३. गाँव **के परे** एक नदी है।	गाँव से परे एक नदी है।
१४. धन **के रहित** जीवन व्यर्थ है।	**धन से रहित** जीवन व्यर्थ है।
१५. मकान **की दोनों तरफ दीवार** है।	मकान के दोनों तरफ़ दीवार है।
१६. **उसकी जैसी** दूसरी शिष्या कहाँ मिलेगी!	उसके जैसी दूस रीशिष्या कहाँ मिलेगी।

समुच्चय-बोधक

अशुद्ध	शुद्ध
१. मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है, **कक्योंकि** उसे पैसा मिले।	मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है **कि** उसे पैसा मिले।
२. लड़का आज पढ़ने नहीं आया **क्यूंकि** वह बीमार है।	लड़का आज पढ़ने नहीं आया, **क्योंकि वह** बीमार है।
३. लड़का बीमार है, **इसलीए** पढ़ने नहीं आया।	लड़का बीमार है, इसलिए पढ़ने नहीं आया।

अशुद्ध	शुद्ध
३. मेरी नौकरानी **बिलकुल भी** काम करना नहीं चाहती थी ।	मेरी नौकरानी **बिलकुल** काम करना नहीं चाहती थी ।
४. चाहे **जैसे भी** हो, आप उत्सव में **अवश्य ही** सम्मिलित होइएगा ।	चाहे **जैसे हो**, आप उत्सव में **अवश्य** सम्मिलित होइएगा ।
५. **शायद मुझे** अपने कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी ।	**मुझे** अपने कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी ।
६. **वास्तव में** वह लड़का होनहार है ।	**वस्तुतः** वह लड़का होनहार है ।
७. हम **स्वयं** ही आपसे मिल लेंगे ।	हम **स्वयं** आपसे मिल लेंगे ।
८. वह **ध्यानपूर्वक से** सुनता है ।	वह **ध्यानपूर्वक** सुनता है ।
९. राधा **अच्छी** गाती है ।	राधा **अच्छा** गाती है ।
१०. **यहाँ पर** बहुत गन्दगी है ।	**यहाँ** बहुत गन्दगी है ।
११. **वहाँ पर** कोई नहीं जा सकता ।	**वहाँ** कोई नहीं जा सकता ।
१२. **अभी ही** वह आया था ।	**अभी** वह आया था ।
१३. **उधर** आना मना है ।	**इधर** आना मना है ।
१४. **इधर** जाने से क्या लाभ !	**उधर** जाने से क्या लाभ !
१५. **सदा काल से** यह परम्परा चली आ आ रही है ।	**सदा से** यह परम्परा चली आ रही है ।
१६. मैं **न** गया था ।	मैं **नहीं** गया था ।
१७. **न** आना ।	**मत** आना ।
१८. वह **नहीं** आये तो अच्छा ।	वह **न** आये तो अच्छा ।
१९. वह **मत** सुनता है ।	वह **नहीं** सुनता है ।
२०. **हँसती-हँसती** उसका पेट फूल गया ।	**हँसते-हँसते** उसका पेट फूल गया ।
२१. वह पहला पहुँचा ।	वह पहले पहुँचा ।

सम्बन्ध-सूचक

अशुद्ध	शुद्ध
१. युद्ध **के द्वारा** लोगों ने बड़ा कष्ट उठाया ।	युद्ध के **समय** लोगों ने बड़ा कष्ट उठाया ।
२. मैं सामान खरीदने के **हेतु** बाजार गई थी ।	मैं सामान खरीदने के लिए बाजार गई थी ।

अशुद्ध	शुद्ध
३. दो दिन के परिश्रम **के पीछे** आज विश्राम मिला।	दो दिन के परिश्रम **के बाद** आज **विश्राम** मिला।
४. **सबका पीछे** क्यों बैठे हो ?	**सबसे पीछे** क्यों बैठे हो ?
५. यह काम भोजन **का पहले** होना चाहिए।	यह काम भोजन के **पहले** होना चाहिए।
६. गर्मी **की मारे** बुरा हाल है।	गर्मी **के मारे** बुरा हाल है।
७. **उसकी सरीखी** लड़की नहीं मिलेगी।	**उसके सरीखी** लड़की नहीं मिलेगी।
८. शिक्षक **सहीत** सारे विद्यार्थी आये थे।	शिक्षक **सहित** सारे विद्यार्थी आये थे।
९. भोजन **की उपरांत** विश्राम करना चाहिए।	भोजन **के उपरांत** विश्राम करना चाहिए।
१०. उसमें **राजा-से** गुण हैं।	उसमें राजा **के-से** गुण हैं।
११. प्रत्येक नवयुवक में **हाथी-का** बल होना चाहिए।	प्रत्येक नवयुवक में हाथी का-सा **बल होना** चाहिए।
१२. उसका फूल-सा मुख मुरझा गया है।	उसका फूल-सा मुख मुरझा गया है।
१३. गाँव **के परे** एक नदी है।	गाँव से परे एक नदी है।
१४. धन **के रहित** जीवन व्यर्थ है।	**धन से रहित** जीवन व्यर्थ है।
१५. मकान **की दोनों तरफ** दीवार है।	मकान के दोनों तरफ़ दीवार है।
१६. **उसकी जैसी** दूसरी शिष्या कहाँ मिलेगी !	उसके जैसी दूस रीशिष्या कहाँ मिलेगी।

समुच्चय-बोधक

अशुद्ध	शुद्ध
१. मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है, **कक्योंकि** उसे पैसा मिले।	मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है **कि** उसे पैसा मिले।
२. लड़का आज पढ़ने नहीं आया **क्यूँकि** वह बीमार है।	लड़का आज पढ़ने नहीं आया, **क्योंकि वह** बीमार है।
३. लड़का बीमार है, **इसलीए** पढ़ने नहीं आया।	लड़का बीमार है, इसलिए पढ़ने नहीं आया।

अशुद्ध	शुद्ध
४. प्राचार्य ने कहा **की** छात्र को दंड मिलेगा।	प्राचार्य ने कहा **कि** छात्र को दंड मिलेगा।
५. उसे माफ़ी न दी जाय, **वरन** दंडित किया जाय।	उसे माफ़ी न दी जाय, **वरन्** दंडित किया जाय।
६. उसने दिन भर काम किया, **हालांकी** वह बीमार है।	उसने दिन भर काम किया, **हालांकि** वह बीमार है।
७. **जैसा की** आप सब जानते हैं, उन्होंने बड़ा अनर्थ किया।	जैसा कि आप सब जानते हैं, उन्होंने बड़ा अनर्थ किया।
८. तुम चाहे जहाँ रहो, **परंतु** मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा।	तुम चाहे जहाँ रहो, मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा।
९. वह छोटा है **और** बुद्धि में बड़ा।	वह छोटा है, **पर** बुद्धि में बड़ा।
१०. मुझे भूख लगती है न नींद आती है।	मुझे न भूख लगती है, न नींद आती है।
११. बूढ़े क्या जवान, सब प्रसन्न हैं।	क्या बूढ़े, क्या जवान, सब प्रसन्न हैं।
१२. **अद्यपि** हम गरीब हैं, तो भी ईमानदार हैं।	यद्यपि हम गरीब हैं, तो भी ईमानदार हैं।
१३. यदि आप आयेंगे, **तो भी** मुझे प्रसन्नता होगी।	यदि आप आयेंगे, तो मुझे प्रसन्नता होगी।
१४. सिद्धार्थ **या** गौतम शुद्धोदन के पुत्र थे।	सिद्धार्थ **अर्थात्** गौतम शुद्धोदन के पुत्र थे।
१५. मैं पहुँचा ही था जब कि वे आ गये।	मैं पहुँचा ही था कि वे आ गये।

विस्मयादि-बोधक

अशुद्ध	शुद्ध
१. छिः ! क्या ही सुन्दर पोशाक है !	वाह ! क्या ही सुन्दर पोशाक है ।
२. **वाह** ! तुम फिर कक्षा में प्रथम आये !	**शाबाश** ! तुम फिर कक्षा में प्रथम आये !
३. अजी ! फिर तूने ऐसी हरकत की !	**अबे** ! फिर तूने ऐसी हरकत की !
४. **हट** ! किसी की बुराई नहीं करते !	**चुप** ! किसी की बुराई नहीं करते ।
५. **ठिक** ! ऐसे ही काम करते जाओ।	**ठीक** ! ऐसे ही काम करते जाओ।
६. क्यों ? फिर चोरी करोगे ?	क्यों ! फिर चोरी करोगे ?
७. क्यों न हो ?	क्यों न हो !
८. **क्या** ? तुम अभी तक यहाँ बैठे हो !	**क्या** तुम अभी तक यहाँ बैठे हो !
९. **हाय हाय** ! वह अभी तक अपनी स्त्री को पीट रहा है।	**हाय-हाय** ! वह अभी तक अपनी स्त्री को पीट रहा है।
१०. **अरे रे** ! मेरे सिर में दर्द हो रहा है।	अरेरे ! सिर में दर्द हो रहा है।

लिपि

लिपि

[१] लिपि की व्याख्या

मानव मात्र का विचार विनिमय का साधन भाषा है। अत: मानव समाज के लिए भाषा एक अत्यन्त आवश्यक अंग है; पर लेखन या लिपि के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। लिपि भाषा का मूर्त रूप है। भाषा मौखिक होती है और उसका लिखित रूप है लिपि। मौखिक भाषा को दृश्य संकेतों द्वारा व्यक्त करना ही लिपि है। भाषा उच्चरित होने के कारण श्रव्य भाषा है; पर लिपि लिखित होने के कारण दृश्य भाषा है। अत: भाषा को कान की जरूरत है और लिपि को आँख की। भाषा के उच्चरित रूप का प्रयोग तात्कालिक होता है, पर लिपि उस रूप को व विचारों को स्थायित्व प्रदान करती है। भाषा क्षण-विशेष में कार्य करती है; पर लिपि कालान्तर तक अपना कार्य करती रहती है। अत: हम कह सकते हैं कि लिपि द्वारा ही भाषा को पूर्ण रूप एवं स्थिरता प्राप्त होती है।

आज भी विश्व की ऐसी कितनी भाषाएँ हैं जिनका कोई लिखित रूप नहीं है; यद्यपि भाषा शब्द में संसार की प्रत्येक भाषा के ध्वन्यात्मक रूप को लिपि में अंकित किया जा सकता है; पर हर भाषा की ध्वनियों की अंकन व्यवस्था के रूप में वर्णमाला की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। अत: प्रत्येक भाषा के ध्वन्यात्मक रूप के अनुसार उसकी वर्णमाला बनाने की विधि का प्रचलन किया गया है। अत: हम कह सकते हैं कि वर्णमाला ही ध्वनियों के सांकेतिक चिह्न हैं और उन सांकेतिक चिह्नों की अंकन पद्धति को ही लिपि कहा जाता है।

लिपि के कारण भाषा के कार्य को वेग प्राप्त होता है। ऐसा होते हुए भी उच्चारण में ही भाषा का स्वरूप निर्धारित है। दृश्य चिह्नों के द्वारा भाषा को व्यक्त करना ही लिपि का कार्य है। इसके द्वारा भाषा को संगृहीत किया जा सकता है; परन्तु लिपि न होने पर भी भाषा के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं पड़ता।

[२] लिपि की उत्पत्ति

जैसा पहले कहा गया है भाषा तो मानव समाज का अत्यावश्यक अंग है, पर लेखन या लिपि के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। व्यक्ति को जब अपनी वाणी का संग्रह करने की इच्छा हुई अथवा अपना संदेश देने की इच्छा हुई होगी, तभी लिपि का श्रीगणेश हुआ होगा। अत: भाषा अति प्राचीन है, पर लिपि इसके बाद उत्पन्न

हुई। ऐसा माना जाता है कि विश्व में भाषा की उत्पत्ति तो पाँच लाख वर्ष पूर्व हुई; पर लिपि की उत्पत्ति तो केवल पाँच हजार वर्ष पूर्व ही हुई होगी। हमारे इतिहास को भी लिपिबद्ध लेखन-कला ने ही सुरक्षित रखा है। अतः हम कह सकते हैं कि लिपि प्रागऐतिहासिक काल की न होकर, केवल ऐतिहासिक काल की ही उपज है। यद्यपि आधुनिक युग में भी ऐसी कई भाषाएँ हैं जिनकी लिपि का कोई अस्तित्व ही नहीं है, परन्तु प्रत्येक उन्नतिशील देश में उसकी भाषा के साथ-साथ उसकी लिपि की भी उतनी ही आवश्यकता रहती है।

(अ) भाषा व लिपि—

भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है; इससे भाषा में कोई अन्तर नहीं पड़ता। उदाहरणार्थ जापानी बोलने वालों के पास तीन-चार प्रकार की लिपियाँ हैं। तुर्कों ने भी अपनी तुर्की भाषा लिखने के लिए पुरानी अरबी लिपि के बदले **'रोमन'** लिपि को अपनाया है; फिर भी इससे तुर्की भाषा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

इसके विपरीत कई भिन्न-भिन्न भाषाएँ केवल एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, फिर भी प्रत्येक भाषा की लाक्षणिक विशेषता अक्षुण्ण बनी रहती है। उदाहरणार्थ योरप के विविध देशों में फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी आदि कई भाषाएँ केवल एक ही व सर्व-सामान्य **'रोमन'** लिपि में ही लिखी जाती हैं, पर प्रत्येक देश की भाषा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व पूर्णरूपेण बना हुआ है।

(ब) लिपि, हिज्जे व ध्वनि संकेत—

प्रत्येक भाषा के ध्वनि संकेतों एवं उच्चारणों में कुछ भिन्नता अवश्य रहती है। जिन ध्वनि संकेतों को लिपि व्यक्त करती है, उनमें पूर्णता नहीं होती। उदाहरणार्थ फ्रेंच भाषा में पक्षी के लिए 'Oiseay' शब्द लिखा जाता है, परन्तु उसका प्रचलित फ्रांसीसी उच्चारण **'वाझो'** है। उसी प्रकार अंग्रेजी में लिखित शब्द 'Station' का उच्चारण **'स्टेशन'** है, जो लिपि के अनुसार लिखित रूप से सर्वथा भिन्न है।

कभी-कभी तो समान हिज्जेवाले शब्दों के उच्चारण भी भिन्न-भिन्न होते हैं।

उदाहरणार्थ अंग्रेजी में व हिन्दी में निम्न शब्दों के उच्चारण अलग-अलग निम्नानुसार है—

मूल शब्द	उच्चारण	उल्लेखनीय बात
though	दो	'ough' अनुच्चरित है
through	थ्रू	'ough' अनुच्चरित है
bough	बोघ	'ough' का उच्चारण 'घ'
cough	कफ	'ough' का उच्चारण 'फ'
सिंह	सिंघ	'ह' का उच्चारण 'घ'
सहस्र	सहस्त्र	'स्र' का उच्चारण 'स्त्र'

कभी-कभी अलग-अलग हिज्जेवाले शब्दों के उच्चारण में समानता पाई जाती है उदाहरणार्थ अंग्रेजी में निम्न शब्दों को देखिए—

मूल शब्द	उच्चारण	
Son (पुत्र)	सन	
Sun (सूर्य)	सन	
Sight (दृश्य)	साइट	
Site (विशेष-स्थान)	साइट	

कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा में एक ही ध्वनि चिह्न के लिए अनेकों लिपि चिह्न रहते हैं।

कुछ ध्वनियाँ दो-दो वर्णों को लेकर चलती हैं जैसे कि 'ऋषि' में 'ऋ' और 'रिमझिम' में 'रि' का उच्चारण समान रूप से 'रि' ही रहता है। कुछ ध्वनियाँ दो से अधिक वर्णों को लेकर चलती हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि भाषा में हिज्जे और उच्चारण पूर्ण रूप से समान नहीं होते; कारण भाषा विकासशील है, बदलती रहती है; पर लिपि अपरिवर्तित रह कर स्थिर रूप में चलती रहती है। इसी से उच्चारण व लिपि में बहुत-सी बार अन्तर आ जाता है।

मनुष्य पर भाषा के लिखित रूप का प्रभाव अधिक पड़ता है। अतः वह भाषा के लिखित रूप का उसी प्रकार उच्चारण करने का आग्रह करता है, पर प्रायः ऐसा नहीं होता। जैसे कि हिन्दी में कैकेयी शब्द का उच्चारण 'केकई' किया जाता है; सिंह का 'सिंघ' या 'सिंग'।

उसी प्रकार अंग्रेजी लिपि में भी कितनी ही ध्वनियों के लिये कोई वर्ण नहीं है, जैसे 'घ' dh के लिए तथा एक ही ध्वनि के लिए अनेक वर्ण हैं जैसे 'क' के लिए C, K अथवा Q आदि।

फिर भी भाषा और लिपि दोनों का उद्देश्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही है।

[३] लिपि का विकास

विश्व में लिपि का क्रमबद्ध विकास होता रहा है, जिसकी चार प्रमुख अवस्थाएँ निम्नानुसार हैं—

(१) प्रतीक लिपि

(२) चित्र लिपि
(३) भाव लिपि
(४) ध्वनि लिपि

(१) प्रतीक लिपि—

शुद्ध अर्थ में हम इसे लिपि नहीं कह सकते; फिर भी इसे प्रतीक लिपि इस लिए कहा गया है कि इससे प्रतीकों के द्वारा भाषागत अभिप्रायों का बोध होता है। अतः प्रतीक-पद्धति को प्रतीक लिपि माना गया है। विश्व के अनेक देशों में प्रतीक वस्तुएँ भेज कर विशिष्ट संदेश भेजने की प्रणाली प्रचलित थी, जैसे तलवर भेजकर युद्ध का संदेश, हल्दी भेजकर विवाह का प्रस्ताव रखना; बहिनों द्वारा अपने भाइयों को राखी भेजकर अपनी बहिनों की सुरक्षा के लिए आह्वान करना, रेलगाड़ी के चलते समय गार्ड द्वारा हरी या लाल झंडी दिखाना, एवं यातायात नियंत्रण करने वाले पुलिस द्वारा ट्राफिक सिगनलों का प्रयोग करना आदि प्रतीक लिपि के उदाहरण हैं।

(२) चित्र लिपि—

प्रतीक लिपि के बाद चित्र लिपि का विकास हुआ। वास्तव में चित्र लिपि ही लेखन-इतिहास का प्रथम सोपान है। किसी भी वस्तु का चित्रांकन द्वारा उल्लेख करने की पद्धति को ही चित्र लिपि कहते हैं। उदाहरणार्थ पेड़ के लिए पेड़ का चित्र बनाना, पक्षी के स्थान पर पक्षी का चित्र बनाना आदि। आगे चलकर इसी के विकास चिह्न के रूप में हमें सूत्र-लिपि, रेखा लिपि आदि देखने को मिलती है। आज भी पुरानी गुफाओं में पाषाण-युग के अनेक भित्तिचित्रों के उदाहरण मिलते हैं।

(३) भाव लिपि—

विशिष्ट भावों के बोधन के लिए जिन चिह्नों, संकेतों का लिखित रूप में प्रयोग किया जाता है; उसे भाव लिपि कहते हैं। इसे वस्तु के चित्रों के बदले भावों के चित्र है, जैसा सूर्य का चित्र उदयकाल के भावों का बोधन करता है।

(४) ध्वनि लिपि—

भाव लिपि से ही ध्वनि लिपि का विकास हुआ। ध्वनि लिपि में चित्रों का संबंध भावों से न होकर ध्वनि से होता है। इसमें उच्चारण में प्रयुक्त ध्वनियों को अंकित किया जाता है।

ध्वनि लिपि

(१) आक्षरिक ध्वनि लिपि
उदा० देवनागरी लिपि

(२) वर्णात्मक ध्वनि लिपि
उदा० रोमन लिपि

ध्वनि लिपि दो प्रकार की होती है—(१) आक्षरिक ध्वनि लिपि और (२) वर्णात्मक ध्वनि लिपि।

(१) **आक्षरिक ध्वनि लिपि**—इस में अक्षर होते हैं। यहाँ व्यंजन के साथ-साथ स्वर भी मिला रहता है, जैसे—

'क' में क्+अ

'ख' में ख्+अ

'य' में य्+अ

देवनागरी और भारत की अन्य लिपियाँ आक्षरिक हैं।

(२) **वर्णात्मक ध्वनि लिपि**—इस लिपि में प्रत्येक चिह्न या वर्ण केवल एक ही ध्वनि को व्यक्त करता है, जैसे—

'K' केवल 'क्' को व्यक्त करता है।

'P' केवल 'प्' को व्यक्त करता है।

'L' केवल 'ल्' को व्यक्त करता है।

'M' केवल 'म्' को व्यक्त करता है।

रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है।

[४] ब्राह्मी लिपि

भारत की लिपियों पर हम दृष्टिपात करें तो हम कह सकते हैं कि प्राचीनकाल में भारत में दो प्रमुख लिपियाँ चलती थीं।

प्राचीन भारतीय लिपियाँ

(१) खरोष्ठी लिपि | (२) ब्राह्मी लिपि

ये लिपियाँ हमें पुराने सिक्कों, शिलालेखों व ग्रन्थों में देखने को मिलती हैं। तदुपरांत इन दोनों लिपियों का प्रयोग जैन तथा बौद्ध आगम ग्रन्थों में भी किया गया है। इन दोनों में से ब्राह्मी लिपि एक प्रकार से राष्ट्रीय लिपि ही थी, क्योंकि इसका प्रचार बहुत व्यापक था। केवल पश्चिमोत्तर प्रदेश को छोड़कर समस्त भारतवर्ष में ब्राह्मी लिपि पूर्ण रूपेण प्रचलित थी।

भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में खरोष्ठी लिपि का प्रचार था। उर्दू लिपि की भाँति यह लिपि भी प्राचीनकाल में दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह निश्चित है कि खरोष्ठी भाषा का मूल किसी आर्य भाषा की लिपि से नहीं है, बल्कि इसका सम्बन्ध विदेशी सेमेटिक आर्मेइक लिपि से है। डॉ० गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा, जी० बूलर तथा आधुनिक लिपिशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान् डॉ० डिरिंजर आदि उक्त मत को मानते हैं तथा उनका अनुमान है कि तत्पश्चात प्रबल ब्राह्मी लिपि ने खरोष्ठी लिपि को इस प्रकार प्रभावित कर दिया कि खरोष्ठी लिपि भी ब्राह्मी लिपि

की तरह बाएँ से दाएँ लिखी जाने लगी। खरोष्ठी की वर्णमाला में अक्षरों की मूल संख्या ३७ है। मात्राओं के प्रयोग की भी इसमें कमी है। विशेषकर दीर्घ स्वरों का तो उसमें सर्वथा अभाव है। इसलिए खरोष्ठी लिपि वैज्ञानिक या पूर्ण नहीं कही जा सकती।

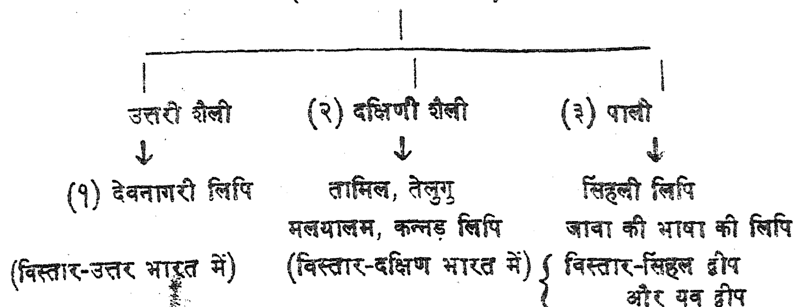
ब्राह्मी लिपि का आविष्कार जैनियों के तीर्थंकर ऋषभदेवजी ने किया था। उन्होंने समस्त लोगों को असि, मसि तथा कृषि का ज्ञान दिया। मसि अर्थात् स्याही से तात्पर्य है, लेखन जिसमें उन्होंने ब्राह्मी लिपि दी। उन्होंने अपनी पुत्री ब्राह्मी को इस लिपि के 'अकार' से लेकर 'हकार' तक वर्णमाला का उपदेश दिया था। इसी से इस लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ा। अन्य धार्मिक विचारधारा के अनुसार इस लिपि के निर्माता ब्रह्मा माने जाते हैं। डॉ० आलफ्रेड मूलर, जेम्स प्रिंसेप तथा सेनार्ट आदि ने यूनानी लिपि से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मानी है। भाषाशास्त्री हलवे के अनुसार ब्राह्मी एक मिश्रित लिपि है जिसमें आर्मेइक; यूनानी व खरोष्ठी का मिश्रण है। फिर भी अधिकतर विद्वान् सेमेटिक लिपि से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। ब्राह्मी लिपि का नामकरण तथा उत्पत्ति जैसे भी हुई हो इससे हमें कोई मतलब नहीं; किंतु यह बात तो अवश्य सही है कि भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने यहाँ ईसा के पूर्व पाँचवीं सदी में देखने को मिलते हैं यह वर्तमानकालीन भारतीय लिपियों की तरह बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती है।

इसी ब्राह्मी लिपि से सभी आधुनिक भारतीय लिपियों का विकास हुआ है। सिन्धु घाटी की सभ्यता के केन्द्र मोहन-जो-दरो, हरप्पा आदि में भी ब्राह्मी लिपि के १२ वर्ण उपलब्ध हुए हैं। द्रविड़ भाषा की सभी लिपियों का तथा आधुनिक नागरी लिपि का जन्म भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है।

ईसा के पूर्व पाँचवीं सदी से लेकर ईसा के बाद ३०० वर्ष तक भारत में ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियाँ प्रचलित थीं। पर ३५२ ई० के बाद ब्राह्मी लिपि विकसित होकर तीन भागों में विभक्त हो गई।

(१) उत्तरी शैली
(२) दक्षिण शैली
और (३) पाली

उत्तरी शैली से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। इस प्रचार उत्तर भारत में हुआ। दक्षिणी शैली से दक्षिण भारत की तामिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड़ आदि लिपियाँ बनी, जिनका प्रचार दक्षिण भारत में हुआ। पाली से सिंहलद्वीप और जावा की भाषाओं की लिपियों की उत्पत्ति हुई।



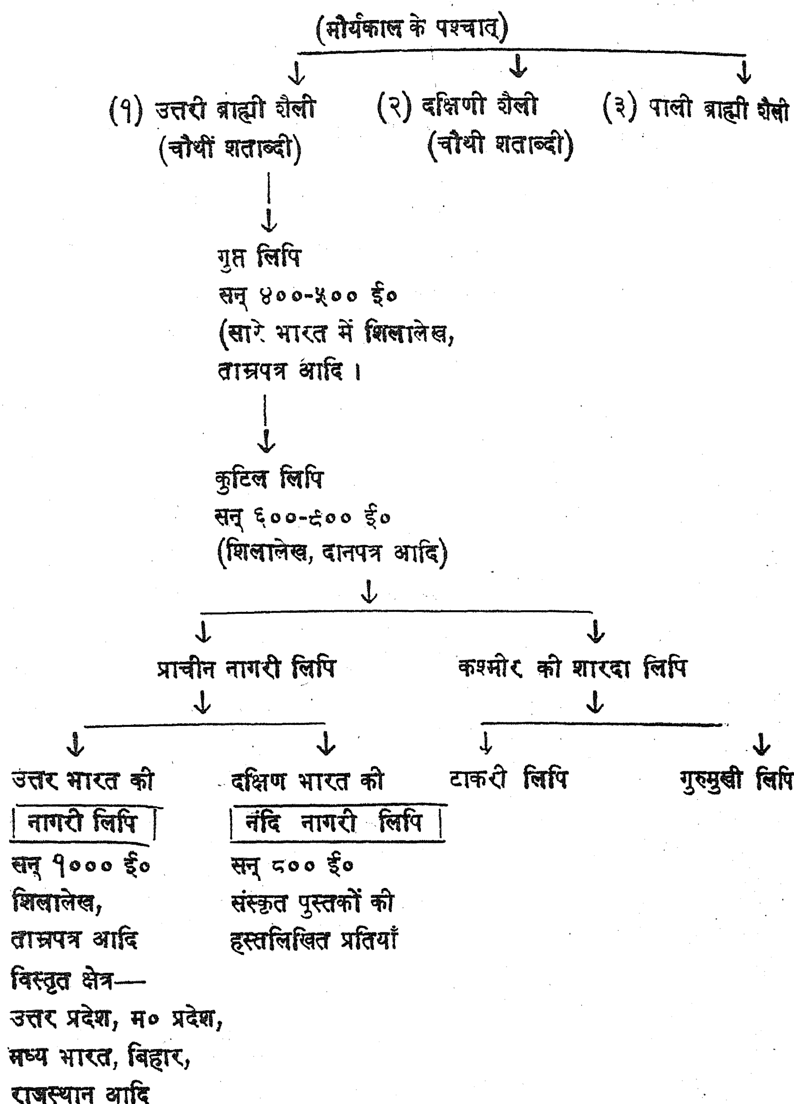
[५] देवनागरी लिपि का उद्‌भव और विकास

मौर्यकाल में समस्त भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था; परन्तु चौथी शताब्दी में उत्तरी और दक्षिणी ब्राह्मी में अन्तर दिखाई देने लगा। ब्राह्मी लिपि की शैली से गुप्त लिपि का विकास हुआ। चौथी व पाँचवीं शताब्दी में गुप्तकाल में शक्तिशाली एवं विस्तृत गुप्त साम्राज्य के प्रभाव के कारण समस्त भारत में गुप्त लिपि का प्रचार हुआ। अतः गुप्तकाल में इसका प्रचार होने के कारण इस लिपि का नाम भी **'गुप्तलिपि'** रखा गया। इसके प्रमाण के उदाहरण हमें गुप्तकालीन शिलालेखों, ताम्रपत्रादि में मिलते हैं। श्रीगौरीशंकर ओझाजी के शब्दों में—"गुप्तों के समय में कई अक्षरों की आकृतियाँ नागरी से कुछ मिलती हुई होने लगी। सिरों के चिह्न, जो पहले बहुत छोटे थे, बढ़कर कुछ लम्बे बनने लगे और स्वरों की मात्राओं के प्राचीन चिह्न लुप्त होकर नये रूपों में परिणित हो गये।"

आगे चलकर गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का विकास हुआ। उत्तर भारत में छठीं शताब्दी से लेकर नवीं शताब्दी तक कुटिल लिपि प्रचलित रहीं। अक्षरों और स्वरों की कुटिल (टेढ़ी) आकृति के कारण इसका नाम **'कुटिललिपि'** पड़ा। इस काल के शिलालेखों तथा दानपत्रों आदि पर इस लिपि के नमूने प्राप्त होते हैं। प्राचीन नागरी लिपि तथा काश्मीर की प्राचीन लिपि शारदा लिपि इसी से निकली है। शारदा से टाकरी तथा गुरुमुखी लिपियाँ निकलीं।

प्राचीन नागरी का क्षेत्र उत्तरी भारत है; परन्तु दक्षिणी भारत के आठवीं शताब्दी के कुछ लेखों में भी नागरी लिपि मिलती है। दक्षिण भारत में प्रचलित नागरी लिपि **'नागर'** के बदले **नंदिनागरी'** नाम से प्रख्यात है। अब तक दक्षिण में संस्कृत की पुस्तकों के लेखन में नंदिनागरी का प्रचार है। आगे चलकर राजस्थान, उत्तर-प्रदेश बिहार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में १०वीं शती के लिखे प्रायः सभी शिलालेख, ताम्रपत्र आदि में नागरी लिपि ही पाई जाती है।

ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि की उत्पत्ति का क्रम आगे तालिका में दिया गया है—



नागरी शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में भी बहुत मतभेद हैं—

(१) कुछ विद्वान् इसका सम्बन्ध **'नागर ब्राह्मणों'** से लगाते हैं। उनका **कहना है कि इस लिपि** का प्रचलन गुजरात के नागर ब्राह्मणों में था; इसी से **यह नागरी कहलाई।**

(२) कुछ अन्य विद्वान् 'नगर' शब्द से सम्बन्ध जोड़कर इस लिपि को नागरी कहते हैं; अर्थात् नगर में प्रचलित लिपि को नागरी कहते हैं।

(३) 'देवनगर' अर्थात् काशी में प्रचार होने के कारण यह लिपि 'देवनागरी' कहलाई।

(४) तांत्रिक यंत्रों में प्रचलित कुछ चिह्न 'देवनागर' कहलाते हैं; उनसे साम्य होने के कारण इसे 'देवनागरी' कहा जाने लगा।

नागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में नवीं शताब्दी के आरम्भ से मिलता है। प्राचीन नागरी से ही आधुनिक नागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, कैथी मैथिली, असमिया, बंगाल आदि लिपियाँ विकसित हुईं। कुछ लोग कुटिल लिपि से ही नागरी तथा शारदा के अतिरिक्त एक और प्राचीन लिपि विकसित हुई ऐसा मानते हैं, जिस लिपि से आगे चलकर आसामी, बंगाली, मनीपुरी आदि पूर्वी लिपियों का विकास हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की समस्त लिपियों की जन्मदात्री माता केवल ब्राह्मी लिपि ही है।

आगे चलकर नागरी लिपि का निरन्तर विकास होता रहा।

[६] (अ) देवनागरी लिपि का विकास

नागरी लिपि में निरन्तर विकास होता रहा है। डा० गौरीशंकार ओझाजी के मतानुसार ई० सन् की दसवीं शताब्दी की उत्तरीर भारतवर्ष की नागरी लिपि में भी कुटिल लिपि की भाँति अ, आ, ध, प, म, य, ष और स के सिर दो अंशों में विभक्त मिलते हैं। आगे चलकर ग्यारहवीं शताब्दी की नागरी लिपि में सिर के ये दोनों अंश मिलकर सिर की एक लकीर (शिरोरेखा या Headline) बन जाती है और प्रत्येक अक्षर का सिर उतना लम्बा रहता है, जितना कि उस अक्षर की चौड़ाई रहती है। इस प्रकार "११ वीं शताब्दी की नागरी लिपि से वर्तमान नागरी लिपि से मिलती-जुलती है। और १२वीं शताब्दी से वर्तमान नागरी बन गई है।" ई० सं० की १२वीं शताब्दी से लगातार अब तक नागरी लिपि बहुधा एक ही रूप में चली आती है।" १२वीं शताब्दी से इस नागरी लिपि के रूप में कुछ स्थायित्व आ गया। इस तरह आधुनिक देवनागरी लिपि १०वीं से लेकर १२वीं शताब्दी तक प्रचलित प्राचीन देवनागरी का ही विकसित रूप है।

चित्रांकन—(८) देवनागरी लिपि का विकास-क्रम।
(२) मात्राओं का विकास-क्रम

उक्त चित्रांकन में देवनागरी लिपि का विकास-क्रम को देखते हुए निम्न बातें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं—

(१) **वर्णभेद**—एक ही वर्ण कई आकृतियों एवं रूपों में बदलता हुआ आधुनिक अवस्था को प्राप्त हुआ है।

(२) **मात्राओं का प्रयोग**—सं० १३०० से १५०० ई० के काल में उत्तर भारत, पश्चिम भारत तथा मध्य भारत की देवनागरी लिपि के वर्णों की आकृति में कुछ स्थानीय

नीय परिवर्तन होने पर भी बहुधा साम्य पाया जाता है। तत्कालीन देवनागरी लिपि की बोल-चाल की भाषा में "पड़ी-लिपि कहते हैं, कारण उस लिपि में आधुनिक लिपि की तरह मात्राओं का प्रयोग वर्ण के ऊपर करने के बदले वर्णों के साथ ही किया जाता था—उदाहरण—

मात्रा का प्रयोग

१. आधुनिक देवनागरी लिपि	२. पड़ी-लिपि में
जे जै	ाज ाजॅ
जो जौ	ाजा ाजा।

(३) **खड़ी पाई का प्रयोग**—देवनागरी लिपि में सर्व-प्रथम खड़ी पाई का प्रयोग किया गया। अतः इसे खड़ी बोली कहते हैं। अतः 'पड़ी, और 'खड़ी' दोनों का सम्बन्ध मात्राओं से है, अर्थात् लिपि से है, पर भाषा से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार मात्राओं के प्रयोग में परिवर्तन होने के कारण लिपि में भी विकास हुआ।

(४) **उच्चारण एवं ध्वनि-संकेतों का निर्देश**—देवनागरी लिपि में उच्चारण के अनुसार विविध बोली के सूक्ष्म भेदों का लिपि के सहारे पता लगाया जा सकता है।

उदाहरण पाणिनी के अनुसार '**रंग**' या अनुनासिक के प्रयोग से लिपि में स्पष्ट रूप से उच्चारण-भेद बताया जा सकता है। अतः स्वरों के उच्चारण में '**रंग**' लाने के लिए अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है।

आज से दो सौ वर्ष पुरानी देवनागरी की हस्तलिखित पांडुलिपियों में अनुनासिक, अनुस्वार एवं बिन्दी के प्रयोग द्वारा स्पष्ट रूप से उच्चारणों की ओर संकेत किया गया है।

आधुनिक देवनागरी में उदाहरण—	२०० वर्ष पुरानी देवनागरी में
ड़ ढ़	ड ढ

(५) **स्वरों एवं व्यंजनों को अलग रूप में लिखना**—जैसे कि ब्राह्मी लिपि में था, ठीक वैसे ही आधुनिक देवनागरी लिपि में भी स्वर और व्यंजनों को अलग-अलग रूप से लिपि-बद्ध करने की क्षमता है। किसी भी आदर्श वैज्ञानिक लिपि के लिए यह गुण परमावश्यक है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक देवनागरी लिपि सन् १००० ई० की प्राचीन देवनागरी का ही विकसित रूप है।

[६] (ब) देवनागरी अंकों का क्रमिक विकास

देवनागरी लिपि की तरह वर्तमान नागरी अंक भी प्राचीन ब्राह्मी लिपि के अंकों का ही विकसित रूप है।

चित्रांकन—३—देवनागरी अंकों का क्रमिक विकास

उक्त चित्रांकन को देखकर हमें निम्न बातों का पता लगता है—

(१) न केवल अंकों की आकृति में, वरन् अंकों को लिखने की पद्धति में भी परिवर्तन हुआ है।

(२) अर्वाचीन अंक-विद्या में १ से ९ तक के अंक तथा उनके साथ शून्य '०' का प्रयोग करके संपूर्ण अंक-व्यवहार किया जाता है। प्राचीन-काल में वैसी संपूर्ण अंक-व्यवहार प्रणाली नहीं थी।

(३) प्राचीन अंक शैली में शून्य का तो व्यवहार ही नहीं था; अतः दहाइयों (tens), सैकड़ा (hundreds), हजार (thousands) आदि के लिए भी अलग-अलग चिह्न थे। अतः अंक शैली काफी क्लिष्ट थी। अर्वाचीन नवीन अंक शैली में संख्या के दशम रूपों को सरल स्वरूप देकर उक्त अंकों का आधुनिक विकास किया गया है।

यद्यपि प्राचीन अंक शैली के अंकों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों ने अलग-अलग कल्पनाएँ की हैं; परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ अंकों के चिह्न सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों में ही प्राप्त हुए। तत्पश्चात् नवीन शैली के अंक-क्रम का प्रचार लगभग पाँचवीं शताब्दी में सर्वसाधारण में था। ओझाजी के मतानुसार "प्राचीन शैली के भारतीय अंक भारतीय आर्यों के स्वतन्त्र निर्माण किए हुए हैं।"............"शून्य की योजना कर नव अंकों से गणित-शास्त्र को सरल करने वाले नवीन शैली के अंकों का चलन पहले-पहल किस विद्वान् ने किया, इसका कुछ भी पता नहीं चलता। केवल यही पाया जाता है कि नवीन शैली के अंकों की सृष्टि भारतवर्ष में हुई, फिर यहाँ से अरबों ने यह क्रम सीखा और अरबों से उसका प्रवेश यूरोप में हुआ।"

[७] देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता

संसार की आधुनिक समस्त लिपियों में देवनागरी सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसकी वैज्ञानिकता के निम्न प्रमाण हैं—

(१) **उच्चारण और लेखन की एकरूपता**—हिन्दी में जैसा बोला जाता है, वैसा ही देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अर्थात् लिपि बद्ध किया जाता है तथा वैसा ही पढ़ा भी जाता है। प्राचीन हिन्दी की हस्तलिखित प्रतियों में **'धरम'**, **'करम'**, **'बरत'** आदि शब्द लिखे मिलते हैं, जो तत्कालीन शब्दों के उच्चारण के अनुसार ही हैं। इसके विपरीत आधुनिक हिन्दी में वही शब्द क्रम से **'धर्म'**, **'कर्म'**, **'व्रत'** के रूप में लिखे जाते हैं व उनका उच्चारण भी तदनुसार बदला गया है। अतः उच्चारण की दृष्टि से **'रोमन'** और **'उर्दू'** की तुलना में देवनागरी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है।

(२) **स्पष्टता**—देवनागरी लिपि में इतनी अधिक स्पष्टता है कि केवल उच्चरित ध्वनियाँ ही शब्दों के रूपों में लिखी जाती हैं। अतः ध्वनि-व्यवस्था की दृष्टि से भी देवनागरी लिपि अंग्रेजी की **'रोमन'** लिपि के मुकाबले वैज्ञानिक एवं स्पष्ट है। अंग्रेजी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनकी ध्वनियाँ पूर्ण रूप से उच्चरित नहीं की

जातीं। अतः कुछ लिखा जाता है और उसके पढ़ने में कुछ और ही ध्वनियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं।

अंग्रेजी भाषा व 'रोमन' लिपि के उदाहरण—

मूलशब्द	लिपि के अनुसार संभाव्य ध्वनि संकेत	प्रचलित रूप का वास्तविक ध्वनिसंकेत	उल्लेखनीय बात अनुच्चरित अक्षर
Knife	क्नाइफ	नाइफ	k
Knowledge	क्नोलेज	नोलेज	k, d
Palm	पाल्म	पाम	l
Debt	डेब्ट	डेट	b

(३) **सरलता**—नागरी लिपि की वर्णमाला की रचना काफी वैज्ञानिक है। उर्दू और (अंग्रेजी की) रोमन वर्णमाला की अपेक्षा देवनगरी लिपि की वर्णमाला अधिक परिष्कृत व अधिक विकसित है। उदाहरण उर्दू भाषा के निम्न शब्दों को लीजिए—

उर्दू में लिखित शब्द	उच्चारण व अर्थ
पतरियाँ	(१) पतरियाँ = पत्तलें (खाने के लिए पत्तलें)
	(२) पतुरियाँ = नर्तकियाँ (नाचने वाली लड़कियाँ)
भ्रम	(१) भ्रम
	(२) भरम

अतः उर्दू लिपि में एक ही शब्द को दो प्रकार से उच्चरित किया जाता है और प्रत्येक उच्चारण के अनुसार एक ही शब्द के दो भिन्न-भिन्न अर्थ भी निकल सकते हैं। अब अंग्रेजी को लीजिए। रोमन लिपि में तीन-तीन प्रकार की तो वर्णमालाएँ हैं; तदुपरांत व्याकरण के अनुसार प्रत्येक वाक्य का प्रथमाक्षर, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा व प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। (अर्थात् मैं) सदैव बड़ी वर्णमाला (Capital Letter) में लिखे जाते हैं। उसी वाक्य में या वही शब्द में अन्यवर्ण छोटे;छोटे लिखे जाते हैं। अतः प्रत्येक शब्द व वाक्य में दो-दो वर्णमालाओं के अक्षरों के प्रयोग के कारण, यह

लेखन कार्य को दुर्गम व कठिन बना देती है। उर्दू और रोमन लिपि से तो देवनागरी लिपि बहुत कुछ सुधरी है। अतः नागरी लिपि की वर्णमाला अधिक परिष्कृत होने पर भी अत्यन्त सुगम व सीखने में सरल है। भारत की सभी भाषाओं के लिए नागरी वर्णमाला अत्यन्त उपयुक्त है।

(४) **सांकेतिक चिह्न**—देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक ही सांकेतिक चिह्न है, कारण इसमें सभी स्वरों के ह्रस्व और दीर्घ रूप के लिए भी अलग-अलग संकेत चिह्न हैं। इसके अतिरिक्त कई अक्षरों में वर्ण-साम्य होने पर भी प्रत्येक वर्ण की ध्वनि भिन्न है। उदा० श, ष और स तीनों के उच्चारण कुछ तो साम्य है ही; फिर भी तीनों वर्णों की ध्वनि भिन्न है। अतः देवनागरी लिपि में एक सांकेतिक चिह्न से केवल एक ही ध्वनि का बोध होता है।

इसके विपरीत रोमन लिपि में एक ही चिह्न के विभिन्न उदाहरण हैं—

मूल (अंग्रेजी) शब्द	उच्चारण	उल्लेखनीय बातें 'शन' उच्चारण वाले विविध 'हिज्जे'
Attention	एटेंशन	tion
Permission	परमीशन	sion
Suspicion	सस्पीशन	cion
Ocean	ओशन	cean

उसी प्रकार उर्दू लिपि में 'स', 'ज' के अनेक संकेत मिलते हैं। अतः देवनागरी लिपि के सांकेतिक चिह्न अधिक स्पष्ट व बोधगम्य है।

(५) **लिपि में स्वर और व्यंजन में क्रमबद्धता**—इस लिपि में प्रथम असंयुक्त स्वर, बाद में संयुक्त स्वर, फिर व्यंजन और बाद में संयुक्त व्यंजन आदि बिल्कुल वैज्ञानिक क्रम द्वारा नियोजित हैं।

इसके विपरीत रोमन लिपि आदि में स्वर, व्यंजन का कोई नियोजित क्रम नहीं है। इसमें स्वर व्यंजन का अनियमित क्रम है। सारी वर्णमाला का क्रम ही ऐसा है जिसमें व्यंजनों के बीच में कहीं-कहीं स्वर भी आ जाते हैं। उदा० स्वर A, E, I, O, U सारी वर्णमाला में तितर-बितर बिखरे पड़े हैं, जब कि देवनागरी लिपि के स्वर अ, आ, ओ, औ, इ, ई, आदि क्रमानुसार रखे गये हैं।

अतः स्वरों एवं व्यंजनों के निश्चित एवं क्रमबद्ध स्थानों की दृष्टि से भी देवनागरी लिपि में वैज्ञानिकता पाई जाती है।

(६) **पूर्णता व सम्पन्नता**—देवनागरी लिपि में कुल ५२ वर्ण है। इतने अधिक वर्ण संसार की किसी भी अन्य लिपि में नहीं मिलते। रोमन लिपि में इसकी आधी है

संख्या के अर्थात् केवल २६ वर्ण हैं, जिनमें १२ मूल स्वर और १४ व्यंजन हैं। अंग्रेजी भाषा में तो कई स्वर-ध्वनियाँ हैं—मगर केवल २६ वर्णों से इन सभी ध्वनियों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। अतः एक ही ध्वनि की अभिव्यक्ति के लिए एक दो अन्य ध्वनियों को मिलाना पड़ता है। ऐसी अन्य ध्वनि मिलाने की कठिनाई देवनागरी लिपि में नहीं है; कारण उसके स्वर (ह्रस्व और दीर्घ) प्रत्येक ध्वनि को निश्चित रूप में उच्चरित करते हैं। यदि हम अन्य भारतीय भाषाओं को रोमन लिपि में लिखने का प्रयत्न करें, तब सांकेतिक चिह्नों की कमी के कारण उन भाषाओं की उतनी स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं कर सकते जितनी कि देवनागरी लिपि में लिखने से कर सकते हैं।

(७) **वर्ण-विन्यास वर्गीकरण**—देवनागरी लिपि के सभी वर्णों को भिन्न-भिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण—

क—वर्ग में क से घ तक के वर्ण हैं।

च—वर्ग में च से झ तक के वर्ण हैं।

उसी प्रकार ट-वर्ग, त-वर्ग, प-वर्ग आदि के भी वर्ण हैं। वर्णों के इस प्रकार के वर्गीकरण का मूलाधार उच्चारण के स्थान व प्रयत्नों पर है। अतः प्रत्येक शब्द के हिज्जे व उनके ध्वनि-संकेत, उच्चारण आदि सुव्यवस्थित हैं। अतः उत्कृष्ट उच्चारण व वर्ण विन्यास वर्गीकरण भी उसकी वैज्ञानिकता को और भी बढ़ा देते हैं।

(८) **ध्वन्यात्मकता**—रोमन लिपि की अपेक्षा देवनागरी लिपि का ध्वन्यात्मक मूल्य (honetic Value) अधिक है। अपने इस गुण के कारण ही देवनागरी कुछ नये ध्वनि चिह्नों को अपनाकर एक अन्तर्राष्ट्रीय लिपि बनने की क्षमता अर्जित कर सकती है।

[८] देवनागरी लिपि में त्रुटियाँ और सुधार

देवनागरी लिपि में कुछ कठिनाइयाँ देखकर बँगला के भाषाशास्त्री डा० सुनीति-कुमार चटर्जी, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि रोमन लिपि का पक्ष करते थे। उनका कहना था कि वर्णमाला भले ही हमारी रहे, लिपि रोमन हो जिससे मुद्रण, मुद्रालेखन, शीघ्र लेखन, टाइपराइटर आदि में आसानी हो तथा वह सस्ती हो सके। पर काका कालेलकर जैसे विद्वानों का मत है रोमन लिपि अपनाने के बजाय क्यों न अपनी देवनागरी लिपि में ही थोड़ा-सा सुधार कर लिया जाय ताकि वह रोमन लिपि की प्रतिद्वन्द्विता में विजय पा सके। उनका कहना है कि अंग्रेजी लिपि के मुकाबले में देवनागरी लिपि की ध्वनि-व्यवस्था अधिक वैज्ञानिक है; पर नागरी वर्णमाला भारतीय भाषाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः हमें देवनागरी में ही कुछ अक्षर बढ़ाकर और कुछ चिह्न चलाकर देवनागरी को परिपूर्ण करना चाहिए और उसी पूर्ण-विकसित देवनागरी को अखिल भारतीय लिपि बनाना चाहिए। सुप्रसिद्ध भाषा-शास्त्री डा० भोलानाथ तिवारी के अनुसार "यदि हम नागरी लिपि में मराठी लिपि का ळ मिला लें तथा 'ऍ ऑ, ड़, ढ़' ये चार वर्ण और मिला लें तो देवनागरी लिपि सभी भारतीय भाषाओं को लिख सकती है।"

अन्त में प्रचलित नागरी लिपि में निम्न त्रुटियाँ एवं सुधार किये गये हैं :—

(१) किसी भी वैज्ञानिक लिपि में किसी एक ध्वनि के लिए एक ही चिह्न होना चाहिए, परन्तु देवनागरी में निम्न ध्वनि के लिए दो-दो चिह्न हैं :—

अ—अ,

झ—झ

ण—ण

ल—ळ

अतः सुधार के लिए 'अ झ, ण और ळ' को छोड़कर केवल अ, झ, ण और ल को ही अपना लिया जाय ।

(२) लेखन में वैज्ञानिक लिपि-चिह्न उसी क्रम से आने चाहिए जिस क्रम से उनके उच्चारण हों । इस दृष्टि से यदि देखें तो देवनागरी लिपि में भी कमी है ।

उदाहरण उ ऊ, ऋ की मात्राएँ वर्ण के नीचे हैं । पर ए, ऐ की मात्राएँ वर्ण के ऊपर दी जाती हैं जब कि उन मात्राओं को वस्तुतः वर्ण की दाहिनी ओर होना चाहिए ।

रि लिखने में पहले 'इ' व बाद में र है; परन्तु उच्चारण में पहले 'र' आता है और बाद में इ है ।

नागरी लिपि में इन मात्राओं को लगाने की विधि ठीक नहीं है । इसमें समस्या यह है कि किस अक्षर का उच्चारण पहिले है और किसका बाद में है, यह समझ में नहीं आता ।

(३) संयुक्ताक्षर इस प्रकार लिखे जाते हैं कि एक अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर लिखा जाता है जैसे विद्या, शक्ति आदि । इसमें कौन-सा वर्ण पहिले है, कौन-सा बाद में, पता नहीं चलता ।

अतः सरलता की दृष्टि से इन्हें विद्‌या शक्‍ति आदि के रूप में लिखकर इस समस्या को सुलझाया जा सकता है ।

(४) नागरी लिपि के कुछ ध्वनि चिह्न दो ध्वनियों के योग से बने हैं । उदाहरण 'क्ष त्र, ज्ञ श्र' आदि । उच्चारण की दृष्टि से ये वर्ण क्लिष्ट हैं, क्योंकि इन वर्णों से स्पष्ट ध्वनि संकेत नहीं दिये जाते अतः उन वर्णों को मूल ध्वनि रूप में इस प्रकार लिखा जाता है, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र आदि ।

(५) देवनागरी लिपि में कुछ ऐसे वर्ण भी हैं, जो सही रूप से न लिखे जाने पर भ्रम उत्पन्न कर देते हैं । उदाहरण खाना शब्द लिखते समय 'खाना' के बदले 'रवाना' हो जाता है जिसका उच्चारण व अर्थ बदल जाता है ।

इसके लिए सुझाव यह है कि 'र' और 'व' एक में मिलाने से 'ख' और र व की समस्या दूर हो जायेगी ।

उसी प्रकार घ—ध, म—भ आदि वर्णों को देखिए । यहाँ शिरोरेखा न लगाने पर घ और ध या म और भ एक-से बन जाते हैं ।

अतः सुझाव यह है कि ध को घुंडीदार करने से ध और भ को घुंडीदार करने से भ बन सकता है व उक्त वर्ण-भ्रम मिट सकता है ।

(६) देवनागरी लिपि में अनुस्वार वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, जबकि उच्चारण करते समय अनुस्वार का उच्चारण वर्ण के बाद में ही किया जाता है ।

अतः अनुस्वार के बदले दो वर्णों के बीच 'न्' लिख देने से इस त्रुटि को सुधारा जा सकता है ।

जैसे **इंसान—इन्सान और हिंदी—हिन्दी**

(७) इस प्रकार **गर्म, कर्म, धर्म** आदि शब्दों में रेफ का प्रयोग होने से कुछ असुविधा होती है । अतः उन शब्दों को **गरम्, करम्, धरम्** रूप में हम लिख सकते हैं ।

(८) म्ह, ल्ह, र्‍ह, न्ह अब हिंदी में संयुक्त व्यंजन न होकर मूल महाप्राण व्यंजन हैं । इस कारण इनके स्वतंत्र ध्वनि चिह्न बनाने चाहिए । अंग्रेजी के ऑ, ऍ, ऑ आदि के लिए भी नये ध्वनि-चिह्न अपनाने चाहिए ।

उत्त लिखित त्रुटियों को आसानी से सुधारा जा सकता है, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है । कालान्तर से देवनागरी बदलती रही है अर्थात् विकसित होती रही है और वह समय की माँग के साथ-साथ परिवर्तित होने की क्षमता भी रखती है। अपने क्रमिक विकास के कारण एवं विकास के प्रबल सामर्थ्य के कारण देवनागरी अन्तर्राष्ट्रीय लिपि का कार्य करने में पूर्ण समर्थ होगी ।

काव्य-शास्त्र

शब्द-शक्ति

मनुष्य के हृदगत भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती है। संभवतः भाषा ही मनुष्य के लिए आदान-प्रदान का एक विशिष्ट साधन सिद्ध हुआ है। अपने नाना प्रकार के भावों को वह छोटे-मोटे वाक्यों के द्वारा अभिव्यक्त करता रहता है। मनुष्य की इस वागेन्द्रिय की सहायता से उत्पन्न होने वाली भाषा में शब्द और अर्थ दोनों का अत्यधिक महत्त्व है। किसी भी अभिव्यक्ति में शब्द और अर्थ का होना आवश्यक है। शब्द विहीन अर्थ और अर्थ विहीन शब्द की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। तभी तो रघुवंश के प्रारंभ में कालिदास की "वागर्थाविव सम्पृक्तौ, वागर्थ प्रतिपत्तये" कहकर शब्द और अर्थ को समन्वित रखने को कहते हैं।

किसी भी शब्द के पठन या श्रवण मात्र से हमें किसी विशेष पदार्थ, भाव आदि का बोध होता है। वह बोध यदि कोश, व्याकरण आदि द्वारा प्रतीत होनेवाले शब्द के प्रसिद्ध अर्थ पर निर्धारित है, तो उसे हम मुख्यार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। सर्वसाधारण के व्यावहारिक वार्तालाप के समय विशेषतया यही वाच्यार्थ विद्यमान रहता है। परन्तु कई बार बात को विशेष चमत्कारपूर्ण, प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बनाने के लिए ऐसे शब्दों को लिया जाता है जिनसे मुख्यार्थ के अतिरिक्त एक गहन अर्थ का बोध होता है किसी प्रसंग विशेष में कवि तन्मय होकर जब कल्पनात्मक भाव जगत् में विहार करने लगता है तब उसके हृदयोद्‌गार अभिव्यक्ति पाने के लिए मचल उठते हैं। उस समय अर्थ बोधन की गहराई पर विचार करने पर एक ही नहीं, एक के बाद एक सर्वथा नवीन, हृदयस्पर्शी अनुभूति का साक्षात्कार होता है। वह अनुभूति की विशिष्ट ध्वनि ही विभिन्न शब्द-शक्तियों का रूप धारण करती है। सामान्य बातचीत में पशुओं की बात करते-करते हम बैल, गधा, कुत्ता आदि का नाम लेते हैं। पर कभी-कभी मनुष्य स्वभाव की व्याख्या करने के लिए उपर्युक्त पशुओं का नाम लेते हैं। जैसे उल्लू शब्द का स्वतंत्र अर्थ पक्षी विशेष। परन्तु मनुष्य से संबंधित उसका अर्थ है मूर्ख। इस प्रकार हम शब्द-शक्ति की परिभाषा दे सकते हैं जैसे—वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द के अर्थ-बोधक व्यापार के मूल कारण को हम शब्द-शक्ति कहते हैं।

शब्द-शक्ति के प्रायः तीन भेद हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना।

(१) अभिधा शब्द-शक्ति

शब्द की जिस शक्ति से उस शब्द का स्वाभाविक अर्थ ज्ञात होता है उसे अभिधा शब्द-शक्ति कहते हैं। अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात होने वाले अर्थ को वाच्यार्थ तथा उस

शब्द को वाचक कहते हैं। यहाँ स्वाभाविक अर्थ का अभिप्राय है साधारण बोलचाल प्राप्त होने वाले अर्थ। सीधा स्पष्ट कथन अभिधा की खास विशेषता है। अभिधा शक्ति का बोध कराने वाले प्रमुख साधन हैं व्याकरण कोश, व्यवहार, आप्त वाक्य व्यवहार आदि। जैसे—

"चलो चलो इस अमलतास के फूल न तोड़ो।
ठीक नहीं यह, इस रसाल की ममता छोड़ो।।

यहाँ प्रत्येक शब्द का कोश गत अर्थ लेने से अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं अभिधा केवल कोशगत या प्रसिद्धार्थ अर्थ पर ही मर्यादित है। तब वाक्य के अंतर्गत अन्य शब्दों के सान्निध्य, संयोग, वार्तालाप में प्रसंग, स्थल या समय आदि से किसी भी अर्थ का सही अर्थ मान लिया जाता है। अभिधा शक्ति की भी अमुक मर्यादा और निश्चित क्षेत्र है। जैसे—

(१) अभिधा शक्ति मुख्यार्थ तक सीमित है चाहे कोई वाचक शब्द एकार्थ हो या अनेकार्थ। हाँ एकार्थ शब्दों का अर्थ तो सीमित रहता है। अतः उनके विषय में किसी भी प्रकार के संदेह का अवकाश नहीं है।

(२) अनेकार्थ शब्द के विषय में संदेह हो सकता है कि कवि या लेखक को एक अर्थ अभीष्ट है या दोनों। दोनों अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात माने जाते हैं। जैसे—

"करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद ?
महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद ?"

इस पद्य में कवि को मानस और महावीर के दोनों अर्थ अभीष्ट हैं। अश्लिष्ट स्थलों में भी जहाँ अनेकार्थ शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ भी कौन-सा अर्थ अभीष्ट है। इसके नियामक आधार भी विद्वानों ने प्रस्तुत किये हैं।

हिन्दी में कुछ विदेशी शब्द भी सम्मिलित हो गये हैं जो रूप में हिन्दी के अपने शब्दों से मिलते-जुलते होते हुए भी समानार्थक नहीं होते। उनका भी अर्थ वाक्य में प्रसंगानुसार वह ही ग्रहण किया जाता है जो उनकी मूल भाषा में होता है। जैसे—

परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत"

इसका अर्थ प्रसंग के कारण बाग ही होगा। परंतु दूसरा उदाहरण "आजकल काम की अधिकता से हमें बहुत कम आराम मिलता है" जिस शब्द का मूल आधार फारसी के सुख या चैन हो जायेगा।

(२) लक्षणा शब्द-शक्ति

जब किसी शब्द के वाच्यार्थ अथवा मुख्यार्थ को ग्रहण करने से अर्थ प्राप्त करने में बाधा उपस्थित हो जाय और इस कोशगत अर्थ से हमारे कहने का अभिप्राय स्पष्ट प्रतीत न होता हो तब अभिधा शक्ति से दो कदम आगे चलकर एक अन्य शब्द-शक्ति का प्रयोग किया जाता है उनको पारिभाषिक शब्दावली में लक्षण शब्द-शक्ति कहते हैं। इसलिए लक्षणा की परिभाषा ठीक इस प्रकार होगी—"मुख्यार्थ का ज्ञान होने के उपरांत बाधा पड़ने पर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द

व्यापार को लक्षणा शब्द-शक्ति कहते हैं। आचार्य मम्मट ने भी लक्षणा की व्याख्या देते हुए कहा है कि—

"मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितोऽय प्रयोजनात्
अन्य: अर्थ: लक्ष्यते यत् सा लक्षणा आरोपित क्रिया।।

उदाहरणार्थ—"यदि बृहस्पति भी आ जायँ तो ऐसे उल्लुओं को नहीं समझ सकते इस वाक्य में उल्लू शब्द से अत्यंत मूर्ख व्यक्ति अभिप्रेत है। अभिधा शक्ति से अभिप्रेत पक्षी विशेष से नहीं लिया जाता। इस प्रकार के अर्थ लेने में मुख्यार्थ अथवा वाच्यार्थ ग्रहण करने में बाधा पड़ेगी। परन्तु उसका जो अर्थ लिया गया है उसका संबंध वाच्यार्थ से कुछ न कुछ तो लगा हुआ है ही। वाक्य के अंतर्गत इस शब्द का ऐसा अर्थ जिस शक्ति से ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा शब्द-शक्ति कहते हैं। स्मरण रखना होगा कि लक्षणा शब्द-शक्ति से विदित होने वाले अर्थ के लिए तीन बातों का होना आवश्यक है।

(१) मुख्यार्थ से अभिप्रेत अर्थ ग्रहण करने में बाधा पड़ना।

(२) इसलिए उसका और ही अर्थ ग्रहण किया जाय जो मुख्यार्थ से संबंध रखता हो।

(३) इस अन्य अर्थ ग्रहण करने में या तो कोई विशेष प्रयोजन हो या इस अर्थ के अंगीकार करने के पीछे कोई रूढ़ि या परंपरा हो। जैसे—

"उषा सुनहले तीर बरसती
जयलक्ष्मी सी उदित :हुई
उधर पराजित कालरात्रि भी,
जल में अंतर्निहित हुई……

यहाँ तीर का मुख्यार्थ है तीर या माला जो न लेकर लक्ष्यार्थ से किरण ही लिया जायेगा। जैसे तीर बरसते हैं वैसे सुनहले किरणों की वर्षा भी होती है। अत: लक्षणा के द्वारा उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। वैसे ही कभी-कभी मेले में अधिक भीड़ देखकर हम कहते हैं कि "जान पड़ता हैं सारा शहर उमड़ आया है। यहाँ शहर का अर्थ शहर निवासी लोग से अभिप्राय है। क्योंकि शहर निवासियों को संक्षेप में शहर कहने की प्रथा या परंपरा चल पड़ी है। ऐसा होते हुए लक्षणा के प्रधानतया तीन प्रमुख भेद माने गये हैं—

(१) रूढ़ा और प्रयोजनवती
(२) लक्षण और उपादान
(३) गौणी और शुद्धा

(१) रूढ़ा और प्रयोजनवती—

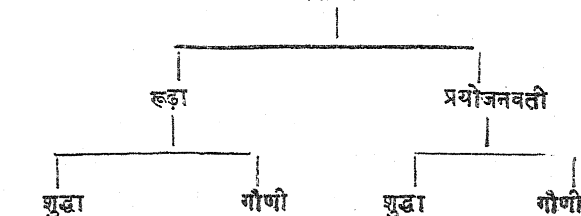
(क) **रूढ़ा**—रूढ़ा लक्षणा वहाँ होती है जहाँ किसी शब्द के नियत या सांकेतिक अर्थ से भिन्न अर्थ या लक्ष्यार्थ बहुत दिनों की रूढ़ि या परंपरा से नियत किया गया हो। रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत सभी भाषाओं के मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आ जाती हैं? जैसे दाँत खट्टे करना, आँखे दिखाना।

उदाहरणार्थ—

"कवि उठे कलम के बल से हैं बड़ा कमाल ही कर देते।
बेचैनी के लिए कलेजे को है कलेजा निकाल धर देते॥

कुशल शब्द का आज जो अर्थ है 'निपुण' वह लक्ष्यार्थ का ही द्योतक है क्योंकि कुशल का वाच्यार्थ तो कुशल लाने वाला ही है। रूढ़ा लक्षणा को कभी-कभी लोग "अभिधापुच्छभूता-लक्षणा" भी कहते हैं।

(ख) **प्रयोजनवती लक्षणा**—जहाँ मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध करायें वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। यहाँ लक्ष्यार्थ किसी विशेष प्रयोजन से लिया जाता है। संस्कृत का एक प्रसिद्ध उदाहरण है "गंगायाम् घोषः" गंगा में आश्चर्य है। यहाँ गंगा शब्द का वाच्यार्थ है गंगा नदी और लक्ष्यार्थ है गंगातट। वक्ता गंगातट पर आश्चर्य न कहकर के गंगा के प्रवाह में आश्रय कह देता है। इसमें वक्ता का प्रयोजन है आश्रय के शैत्य-पावनत्व को द्योतित करना। वैसे ही यदि दूसरा उदाहरण ले तो "उस गाँव में मलेरिया क्यों न फैले!" वह गाँव तो पानी में है। इसके वाच्यार्थ लेने से तो अनर्थ हो जायेगा। परन्तु सिल की अधिकता व्यंजित करने के लिए ऐसा कहा गया है। शीतलावाहन, बछिया के ताऊ, लक्ष्मीवाहन आदि शब्द और हिन्दी के सब मुहावरे लक्ष्यार्थ के उदाहरण हैं। बँधे हुए मुहावरे रूढ़ा कहे जायेंगे। किन्तु अर्थ की व्यंजना और प्रसंग के अनुसार प्रयोजन भी रहेगा।



रूढ़ा और प्रयोजनवती के पुनः दो-दो भेद माने गये हैं जैसे शुद्धा और गौणी लक्षणा।

(१) **शुद्धा रूढ़ि लक्षण**—जहाँ मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में कोई समानता न हो अपितु उनमें सादृश्य से भिन्न सम्बन्ध हो वहाँ शुद्धा रूढ़ लक्षणा होती है। "जैसे वीर पंजाब है जाग उठा" यहाँ पंजाब का मुख्यार्थ है एक भूमि प्रदेश। उसका सोना, जागना या वीर होना असंभव है। लक्षणा द्वारा इसका अभिप्राय है पंजाब में रहने वाले। अतः पंजाब भूमि खंड और पंजाब में रहने वाले लोगों में परस्पर कोई सादृश्य नहीं है। अतः यहाँ शुद्धा रूढ़ि लक्षणा है।

(२) **गौणी रूढ़ि लक्षण**—यदि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में सादृश्य सम्बन्ध हो अर्थात् दोनों के गुणों में समानता हो वहाँ तो गौणी रूढ़ि लक्षणा होती है। जैसे गुरु गोविंद कहते हैं कि—"चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ।" यहाँ "बाज" शब्द वीर सैनिक के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्योंकि वीर सैनिक बाज पक्षियों के समान झपट मारकर

शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं। बाज और सैनिकों में गुण साम्य होने के कारण यहाँ गौणी रूढ़ि लक्षणा है।

(३) **शुद्धा प्रयोजनवती**—जहाँ विशेष प्रयोजन के आधार पर प्रतीत होनेवाले लक्ष्यार्थ का वाच्यार्थ के साथ कोई समानता का सम्बन्ध न हो वहाँ शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे—

"ओ नील आवरण जगती के, दुर्बोध न तू इतना,
अवगुंठन होता आँखों का, आलोक रूप बन जितना।।

नील आवरण तदर्थ सम्बन्ध के कारण आकाश के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः वह शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है।

(४) **गौणी प्रयोजनवती लक्षणा**—जहाँ विशेष प्रयोजन के आधार पर ज्ञात होने वाले लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ में सादृश्य सम्बन्ध हो तो वहाँ गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द-शक्ति होती है। जैसे—"देख-देख शिवा के प्रताप को, उलक वैरी तुरत लुकाने हैं।" यहाँ शिवाजी रूपी सूर्य को उदित होते देखकर शत्रुओं का उल्लुओं के समान छिप जाना अभिप्रेत है। उपर्युक्त उदाहरणों के अतिरिक्त "शुद्धा" एवं "गौणी" लक्षणा के दो-दो अन्य भेद हैं। जैसे—

(१) लक्षण लक्षणा
(२) अजहत् स्वार्था लक्षणा

(१) **लक्षण लक्षणा**—लक्षण लक्षणा वहाँ होती है जहाँ लक्ष्यार्थ के साथ वाच्यार्थ का कोई सम्बन्ध न हो उसे जहत् स्वार्था या लक्षण लक्षणा कहते हैं। जिसने अपना स्व छोड़ दिया हो जहाँ लक्ष्यार्थ बोध का हो जाने पर मुख्यार्थ सर्वथा छूट जाता है। जहत् स्वार्था का अभिप्राय है अपना अर्थ त्याग देने वाली। यथा "उनके घर में ही गंगा बहती है"। यहाँ गंगा का लक्ष्यार्थ पवित्रता और निर्मलता है। इस लक्ष्यार्थ का बोध हो जाने पर गंगा का मुख्यार्थ "एक नदी" सर्वथा छोड़ देना पड़ता है। इसलिए यह जहत् स्वार्था लक्षणा है।

(२) **अजहत् स्वार्था लक्षणा**—जहाँ लक्ष्यार्थ का बोध हो जाने पर भी मुख्यार्थ का भी त्याग नहीं किया जाता वहाँ अजहत् स्वार्था लक्षणा होती है। जैसे "काश्मीर तो काश्मीर ही है।" यहाँ वाक्य में दूसरी बार प्रयुक्त "काश्मीर" शब्द लाक्षणिक है। जिनका लक्ष्यार्थ है अत्यन्त रमणीय। यहाँ मुख्यार्थ "काश्मीर एक भूमि भाग" का भी त्याग नहीं होता है और मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ दोनों का अस्तित्व पूर्ण रूप से बना रहता है। इसलिए यह अजहत् स्वार्था लक्षणा है। उपर्युक्त भेदों के अतिरिक्त शुद्धा और गौणी लक्षणा के दो-दो और अनन्य भेद हैं।

(१) सारोपा (२) साध्यवसाना

(२) **सारोपा**—विषयी (जिस पर आरोप किया जाता है जैसे मुख) विषय (जिसका आरोप किया जाता है जैसे चन्द्र) दोनों का अलग-अलग अस्तित्व निर्देश किया हो उसे सारोपा लक्षणा कहते हैं। आरोप सहित अर्थात् सारोपा। जैसे "महा-

राजा रणजीतसिंह शेर थे'' यहाँ उपमेय और उपमान दोनों का अलग निर्देश किया गया है अतः यहाँ सारोपा लक्षणा है।

(२) **साध्यवसाना**—स+अधि+अवसान, जहाँ उपमेय को उपमान में विलीन करके लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता हो। जैसे ''लातों के भूत बातों से नहीं मानते'' उपमान में ही धृष्ट व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त हुआ है। किन्तु उनका अलग निर्देश नहीं किया गया है अपितु ''लातों के भूत'' उपमान में ही धृष्ट व्यक्ति उपमेय को विलीन कर दिया गया है। अतः यह साध्यवसाना है।

विपरीत लक्षणा—किसी कथन का अर्थ मुख्यार्थ से बिल्कुल विपरीत लिया जाता है। वहाँ विपरीत लक्षणा होती है। जैसे ''तुम सूख-सूखकर हाथी हुए जा रहे हो।'' सूख-सूखकर हाथी नहीं बना जा सकता। तात्पर्य है कि बिल्कुल दुर्बल हो गये हो।

(३) व्यंजना शब्द-शक्ति

जिस उक्ति का अभिप्राय अभिधा द्वारा ज्ञात होने वाले मुख्यार्थ से या उस मुख्यार्थ में बाधा पड़ने पर लक्षणा द्वारा अभिप्रेत लक्ष्यार्थ से भी स्पष्ट नहीं होता, उसके आशय को प्रकट करने के लिए किसी विशेष अर्थ का सहारा लेना पड़ता है। इस छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली शब्द-शक्ति को व्यंजना कहते हैं। जैसे साकेत में दशरथजी कहते हैं कि ''गृह योग्य बने हैं, वन स्पृही, वन योग्य हाय! हम बने गृही'' व्यंग्यार्थ मर्मस्पर्शी है। दशरथ की उक्ति में है ''घर में रहने योग्य अब वन में रहने के इच्छुक हुए हैं और वन में रहने योग्य हम गृहस्थ बने हुए हैं। तात्पर्य है वन में रहने वाले राम लक्ष्मण, सीता जो अभी युवा हैं। उन्होंने तो अभी-अभी गृहस्थ धारण किया है, ये तो उनके राज्य भोग के दिन हैं किन्तु अनाहूत परिस्थिति ने उन्हें वन यात्री बना दिया है। हमें तो गृहत्याग करके वनवासी बनना चाहिए परन्तु हम धृष्ट बनकर घर में ही बने रहे। वैसे ही एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि ''तुम्हारे चेहरे से शठता झलकती है।'' तो दूसरे व्यक्ति ने तुरंत कहा कि ''अच्छा! तो मुझे आज ही मालूम हुआ कि मेरा चेहरा दर्पण है। इस उत्तर का ठीक-ठीक आशय व्यंजना शक्ति से ही समझा जायेगा। बिहारी की नायिका बार-बार व्यंग्यार्थ का आश्रय लेती है। व्यंजना से उपलब्ध अर्थ को व्यंग्यार्थ और उसे प्रकट करने वाले शब्द को व्यंजक शब्द कहा जाता है।

(३) **शाब्दी व्यंजना**—यहाँ व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर हो जाने पर या पर्यायवाची अन्य शब्द प्रयुक्त होने पर व्यंग्यार्थ का प्रभाव जाता रहता है। उसे शाब्दी व्यंजना कहते हैं। जैसे—

''चिर जीवौ जोरी जुरै क्यों न सनेह गंभीर,
को घटि ये वृषभानुजा, ये हलधर के वीर।।''

इसमें वास्तव में सखी राधा और कृष्ण के स्नेह का महत्त्व वर्णन करती हुई गाय और बैल का वर्णन सम्बन्ध बताती है। इसमें सखी का छिपा परिहास व्यंजित है। स्मरण

रखना होगा कि शाब्दी व्यंजना में वाच्यार्थ ही प्रधान रहता है दूसरे अर्थ का तो आभास मात्र होता है ।

(२) **आर्थी व्यंजना**—जहाँ व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द पर निर्भर न होकर अर्थ पर ही निर्भर होता है । वहाँ आर्थी व्यंजना होती है । शब्द का पर्याय रख देने पर भी व्यंग्यार्थ बना रहता है । जैसे—

"अबला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी
आँचल में है दूध और आँखों में पानी ।"

इसका वाच्यार्थ है नारी जीवन की यही कहानी है कि उसके आँचल में दूध है और आँखों में पानी है । परन्तु व्यंग्यार्थ यह है कि नारी के हृदय में ममता, सेवा भाव और बालकों को पालने की पूर्ण क्षमता है किन्तु उसका दुर्भाग्य है कि उसे सदैव कष्ट ही एवं यातनाएँ ही सहन करनी पड़ती हैं । यहाँ दूध के स्थान पर पय, क्षीर और आँख के स्थान पर नेत्र, नयन रख देने पर भी व्यंग्यार्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता । अतः वह आर्थी व्यंजना है ।

(१) **अभिधामूला व्यंजना**—जहाँ मुख्यार्थ के बोध हो जाने पर व्यंग्यार्थ का बोध हो उसे अभिधामूला व्यंजना कहते हैं । जैसे—

"विरह की घड़ियाँ हुई अभी ! मधुर मधु की यामिनी सी" इस पंक्ति में आराधिका का विरह वर्णन है । विरह की स्थिति में एक ऐसी अवस्था आती है । जब प्रिय का नाम रटते प्रिया का उससे तादाम्य हो जाता है । यहाँ "मधुर" शब्द उसी अवस्था का व्यंजक है ।

(२) **लक्षणा मूला व्यंजना**—जहाँ लक्ष्यार्थ के उपरांत व्यंग्यार्थ का बोध होता है वहाँ लक्षणा मूला व्यंजना होती है । जैसे रामचंद्रिका में अंगद रावण में कहता है जैसे—"हम कुलघातक सत्य तुम, कुल पालक दस सीस ।
अंधेउ बधिर न अस कहहिं, नयन कान तव बीस ।।

वह एक प्रकार का व्यंग्य है । तीक्ष्ण शब्दों में अभिप्रेत तो यही है कि हे रावण ! तुम तो हमसे भी गये बीते हो । अंधे और बधिर का लक्षण है न देख सकना, न सुन सकना, रावण तो दस आँखें और कान होने पर भी अज्ञान भरी बातें करता है । व्यंजना के तीन और भेद भी हैं । जैसे—

(१) **वस्तु व्यंजना**—जिस व्यंजना में कोई नष्ट का रूप या बात व्यंजित करने के लिए व्यंजना का प्रयोग होता है उसे वस्तु व्यंजना कहते हैं । जैसे—

"पत्ता भी नहीं हिलता ।" व्यंग्यार्थ है नीरव शांति है ।

(२) **अलंकार व्यंजना**—जिस व्यंजना में व्यंजित तथ्य का रूप अलंकार के रूप में मिलता है उसे अलंकार व्यंजना कहा जाता है । जैसे—"दक्षिण दिशा में जाने से सूर्य का प्रताप भी मंद पड़ जाता है किन्तु उसी दिशा में रघु का प्रताप पांडय देश के राजाओं से नहीं सहा गया ।" यहाँ व्यतिरेक अलंकार है ।

(३) **भाव व्यंजना**—जिस व्यंजना में हृदय के किसी मनोविकार या भाव की व्यंजना हो वहाँ भाव व्यंजना होगी । जैसे—

"जब जब पनघट जाऊँ सखी री, वा जमुना के तीर।
भरि भरि जमुना उमड़ि चलत हैं इन नैनन में नीर ।।

जिस भाव व्यंजना में रस की सिद्धि के उपादान स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव होंगे उसमें रस व्यंजना होगी ।

रस व्यंजना—जिस भाव व्यंजना में रस की सिद्धि के सिद्ध के उपादान स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारीभाव होंगे उसमें रस व्यंजना होगी। जैसे जनक के कहने पर "वीर विहीन मही मैं जानो" तब लक्ष्मण की जो दशा हुई जहाँ जनक आलंब विभाव, वाणी उद्दीपन, लक्ष्मण आश्रय, कुटिल भौंहे, नैन-लाल ये सब अनुभाव, अमर्ष का संचारी भाव, क्रोध स्थायी भाव इन सब के मेल से रौद्र रस का पूर्ण संचार हुआ इसे रस व्यंजना कहते हैं।

शब्द-शक्ति का महत्व—काव्य या साहित्य विशाल जन समुदाय के लिए मनोरंजन का उपयुक्त साधन रहा है। क्योंकि साहित्य रस का आस्वादन सामान्य व्यक्ति से लेकर विद्वान तक हर कोई करता है। इसलिए केवल लक्षणा या व्यंजना से ही व्यवहार करके अभिधा शब्द-शक्ति का तदंतर तिरस्कार नहीं किया जा सकता। अन्यथा साहित्य जनभोग्य न रहकर विद्वत् योग्य ही बन जायेगा। परन्तु काव्य के अंतर्गत सरसता, चमत्कार एवं प्रसविष्णुता की दृष्टि से अभिधा अपेक्षा लक्षणा का प्रयोग श्रेष्ठ समझा जाता है। और लक्षणा से भी अधिक उत्कृष्टता व्यंजना शब्द-शक्ति के प्रयोग से संभव है। सहृदय समाज में सादी व सरल उक्ति को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। सामान्यतया प्रसिद्ध अर्थ को प्रतीत कराने वाली उक्ति जहाँ प्रवाहहीन और फीकी-सी लगती है, वहाँ उसके द्वारा कई बार शिष्टता और व्यावहारिक महत्ता भी स्थिर नहीं रह पाती। उसके विपरीत व्यंजना के प्रयोग से साधारण-सी बात भी बहुत प्रभावशालिनी सिद्ध होती है और किसी कटु अथवा अशिष्ट बात को भी व्यंजना के द्वारा सौम्य और आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। व्यंजना शब्द-शक्ति न अभिधा की भाँति केवल शब्द में रहती है। न ही लक्षणा की भाँति केवल अर्थ में। वह तो वस्तुतः शब्द में भी रहती है, अर्थ में भी। और इन दोनों के क्षेत्र से आगे भी पहुँचती है। इस दृष्टि से व्यंजना का क्षेत्र अन्य दोनों शब्द-शक्तियों की अपेक्षा अधिक व्यापक है। व्यंजना का महत्व इस दृष्टि से भी है कि काव्य का अधिकांश इसी के आधार पर रस-पूर्ण, ग्राह्य एवं मार्मिक बन पाता है। और विद्वानों में व्यंग्य प्रधान काव्य को उत्तम कोटि का काव्य माना जाता है।

अलंकार

अलंकार की परिभाषा—

'अलंकार' शब्द की व्युत्पत्ति 'अलम्' धातु से हुई है। जिसका अर्थ है 'आभूषण'। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर भूषित करने वाले उपादान को 'अलंकार' कह सकते हैं। नारी के आभूषणों की भाँति अलंकार भी काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं। अलंकारों को आचार्य दण्डी ने काव्य के शोभावर्द्धक धर्म के रूप में माना है—

काव्यशोभाकरान्धर्मालंकारान् प्रचक्षते।

वामन ने "सौन्दर्यमलंकार" कहकर सौन्दर्य बढ़ाने वाले उपादान को ही अलंकार माना है—लेकिन इनसे पूर्व आचार्य भामह ने शब्द और अर्थ के वैचित्र्य को ही अलंकार माना है—

वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टावाचामलंकृतिः।

किन्तु यह परिभाषा अलंकार के स्वरूप को ठीक तरह से व्यक्त नहीं कर पाती क्योंकि अलंकारों का धर्म केवल वैचित्र्य पैदा करना ही नहीं है। इसलिए पं० रामचन्द्र शुक्ल अलंकारों को रमणीयता का विधायक मानते हैं, केवल चमत्कार का नहीं। क्योंकि चमत्कार के अन्तर्गत भाव, रूप, गुण, क्रिया का उत्कर्ष ही नहीं, शब्द कौतुक और अलंकार सामग्री की विलक्षणता भी ली जाती है और ऐसा करने से काव्य केवल चमत्कार-मात्र रह जाता है। कविवर सुमित्रानन्दन पंत का इस सम्बन्ध में यह कथन बिल्कुल उपयुक्त ही है। वे अलंकार का स्वरूप प्रकट करते हुए कहते हैं—"अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान हैं, वे वाणी के आचार, व्यवहार, रीति, नीति हैं।" इस प्रकार समझने के उपरान्त हम अलंकार की परिभाषा आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में निम्न प्रकार से कर सकते हैं—"भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव करने में कभी-कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है।"

काव्य में अलंकारों का स्थान—

सामान्यतः अलंकार का अर्थ है 'आभूषण'। अर्थात् जिस प्रकार आभूषण स्त्री के शरीर के सौन्दर्य को बढ़ाते हैं उसी प्रकार कविता की सुन्दरता की वृद्धि अलंकारों द्वारा होती है। उत्कृष्ट काव्य वही माना जाता है जो पाठकों को अधिक से अधिक

प्रभावित कर सकें। अलंकारों के प्रयोग से कवि की उक्ति में वह शक्ति आ जाती है कि उसे पढ़कर या सुनकर फौरन ही पाठक उसकी ओर आकृष्ट होकर उसमें तन्मय हो जाता है। काव्योत्कर्ष के विधायक होने के कारण अलंकारों को काव्य में बहुत महत्त्व दिया गया है। भामह से पूर्व तो अलंकार काव्य के बाह्य और आन्तरिक दोनों रूपों को अलंकृत करने वाले उपादानों के लिए प्रयुक्त किया जाता था अतः पहले अलंकार-शास्त्र साहित्य-शास्त्र का पर्यायवाची माना जाता था। किन्तु बाद में अलंकार काव्य का एक अंग मान लिया गया तथा उसके साथ रस, गुण आदि का भी महत्त्व आँका गया। अतः अलंकार की व्यापकता समाप्त हो गई और वह अपने संकुचित अर्थ में काव्योत्कर्ष के विधायक उपादान के रूप में ही स्वीकृत किया जाने लगा। लेकिन बहुत से संस्कृत के आचार्य (जिनमें भामह भी हैं) अलंकारों के महत्त्व से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने प्रायः अलंकारों को काव्य का सर्वस्व ही मान लिया। बहुत पहले ही महर्षि व्यास ने 'अग्नि पुराण' में अलंकारों के महत्त्व को प्रदर्शित करते हुए अलंकारों से रहित कविता को विधवा के समान बताया था—

"अर्थालंकार रहिता विधवेव भारती।" चन्द्रालोककार जयदेव तो अलंकारों को काव्य में इतना महत्त्वपूर्ण मानते थे कि उनकी समझ में अलंकारों से रहित काव्य की कल्पना हो ही नहीं सकती थी। उन्होंने बड़े दृढ़ शब्दों में निम्न कथन में उन कवियों के प्रति आक्रोश प्रकट किया है जो अलंकारों से विहीन काव्य की सत्ता मानते हैं—

"अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थवनलंकृती।
असो न मन्यते कस्मादनुष्ठामनलंकृती॥"

अर्थात्—जो शब्दार्थ युक्त काव्य को अलंकारों से रहित मानते हैं वे क्यों नहीं अग्नि को ताप से रहित मान लेते हैं?

हिन्दी के आचार्य केशवदास भी इसी मत के पोषक थे। उन्होंने भी अलंकारों से रहित काव्य में काव्यत्व मानने में हिचकिचाहट प्रकट की है—

"जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त।
भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्त॥"

किन्तु इस मत को सर्वांश में सही नहीं माना जा सकता। इसमें इतना ही सत्य निहित है कि अलंकार काव्योत्कर्ष के विधान में बहुत ही आवश्यक तत्त्व के रूप में हैं। लेकिन यहाँ यह ध्यान देना भी आवश्यक है कि वे आवश्यक तत्व के रूप में ही हैं, अनिवार्य तत्त्व के रूप में नहीं। इस कथन से तात्पर्य यह है कि काव्य में काव्यत्व अलंकारों के अभाव में भी हो सकता है अतः अलंकारों को ही काव्य का सर्वस्व समझना निश्चय ही भूल होगी। काव्य की आत्मा 'रस' मानी गई है और इस आत्मा रूप रस के उत्कर्ष में सहायक उपादानों में अलंकार भी एक है। इसीलिए जो महर्षि व्यास अर्थालंकार से रहित कविता को विधवा के समान मानते हैं वही व्यास रस को काव्य का प्राण-तत्व भी मानते हैं। विधवा स्त्री भी निर्जीव स्त्री की लाश से कहीं अच्छी है।

इसी प्रकार आत्मा रूप रस से हीन अलंकारों से लदी कविता-कामिनी भी निर्जीव रमणी के समान है। इसलिए आचार्यों ने अलंकारों को आभूषणों की भाँति वृद्धि के सहायक उपादान के रूप में स्वीकृत किया है अतएव उनकी स्थिति को अनिवार्य एवं स्थायी नहीं माना जा सकता। रस तथा गुण जहाँ काव्य के नित्य धर्म के रूप में स्वीकृत किये गए हैं वहाँ अलंकारों को काव्य का नित्य धर्म कहा गया है। ध्वन्यालोक-लोचनकार ने स्पष्ट ही लिखा है कि निर्जीव लाश में जिस प्रकार कुण्डल आदि भूषण शोभा नहीं देते। उसी प्रकार रस रहित काव्य में अलंकार भी निरर्थक हैं।

तथापि अचेतनं शवशरीरं कुण्डलाद्यु पेतमापिन
भाँति, अलंकार्यस्यिभावात्।

आनन्दवर्द्धन ने भी काव्य में अलंकारों की स्थिति अंग रूप में कटक आदि आभूषणों की भाँति मानी है। यही कारण है कि मम्मट ने अपनी काव्य की परिभाषा में अलंकारों की स्थिति अनिवार्य नहीं मानी है। उन्होंने 'पुनःक्वापि' कहकर अलंकारों से रहित काव्य में भी काव्यत्व माना है।

रस-रहित काव्य में केवल अलंकारों की सजावट कोई मूल्य नहीं रखती। अलंकारों से युक्त कविता तभी प्रभावोत्पादक होगी जबकि वह रससिक्त हो। अतः काव्य में अलंकारों का स्थान रस की भाँति प्रधान रूप में न होकर गौण रूप में है। वे काव्य के अनित्य धर्म हैं, नित्य धर्म नहीं। उनकी स्थिति काव्य में आवश्यक तो है लेकिन अनिवार्य नहीं।

अलंकारों के भेद—

भारतीय काव्य-शास्त्र के सर्वप्रथम आचार्य भरतमुनि ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'नाट्यशास्त्र' में केवल चार अलंकारों—उपमा, रूपक, दीपक और यमक का ही उल्लेख किया है। महर्षि व्यास ने 'अग्निपुराण' में अलंकारों की संख्या सोलह मानी है। जबकि भामहकृत 'काव्यालंकार' में अड़तीस अलंकारों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अलंकारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही। उद्भट, दण्डी, वामन आदि आचार्यों के समय में अलंकारों की संख्या बावन हो गई थी और यही संख्या रुय्यक, रुद्रट, मम्मट, भोज आदि के समय में एक सौ तीन हो गई। पंडितराज जगन्नाथ के समय यह संख्या १६१ तक पहुँच गई थी। आज अलंकारों की संख्या अगणित है।

आचार्य रुय्यक ने अपने 'अलंकार सर्वस्व' ग्रन्थ में निम्न सात कोटियों में इन अलंकारों को विभाजित किया है—

१. **सादृश्य मूलक**—इस वर्ग में उत्प्रेक्षा आदि २८ अलंकार आते हैं।
२. **विरोध मूलक**—विरोध, विभावना, अन्योन्य, असंगति, विषम आदि १२ अलंकार।
३. **शृंखला मूलक**—कारणमाला, एकावली, मालादीपक और सार।
४. **न्याय मूलक**—काव्यलिंग और अनुमान।
५. **काव्य न्यायमूलक**—यथासंख्य, परिसंख्या, समाधि आदि ८ अलंकार।

६. लोक न्याय मूलक—प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित आदि ६ अलंकार।
७. गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक—सूक्ष्म, व्याजोक्ति और वक्रोक्ति।

आचार्य रुय्यक का वर्गीकरण यद्यपि वैज्ञानिकता लिए हुए है किन्तु फिर भी अन्य आचार्यों ने सुविधा की दृष्टि से निम्न तीन कोटियों का विवेचन किया है—

१. शब्दालंकार—जहाँ अलंकारगत रमणीयता शब्द प्रयोग पर आश्रित हो।
२. अर्थालंकार—जहाँ अलंकार का सौन्दर्य अर्थ में निहित हो।
३. उभयालंकार—वहाँ होता है जहाँ शब्दगत तथा अर्थगत दोनों ही कोटि के चमत्कार रहते हैं।

शब्दालंकार

जहाँ अलंकारगत रमणीयता शब्द प्रयोग पर आश्रित हो।

यमक

परिभाषा—जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हों एवं उनका अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार माना जायेगा।

उदाहरण—

।। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय।
वा खाये बौरात जग वा पाये बौराय।।''

—बिहारी लाल

यहाँ 'कनक' दो बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार उनका अर्थ भी भिन्न है। अर्थात् पहले 'कनक' का अर्थ 'धतूरा' है एवं दूसरे 'कनक' का अर्थ 'स्वर्ण' है।

अन्य उदाहरण—

(१) ''तौ पर वारौं उरबसी सुनि राधिके सुजान।
तू मोहन के उर बसी ह्वै उरबसी समान।।''

—रत्नाकर

(२) ''बारन ते.बारन कहूँ, होत जु बारन नाहिं।
लगी बार न बधत रिपु, इन्हें सुबारन नाहिं।।''

(३) ''बर जीते सर मैन के, ऐसे देखे मैंन।
हरिनी के नैनानि तें, हरि नीके ये नैन।।''

जहाँ निरर्थक वर्णों अथवा भिन्न-भिन्न अर्थ वाले सार्थक वर्णों की एक ही क्रम में आवृत्ति हो, वहाँ भी यमक अलंकार होता है। यमक में जिन पदों की क्रम-बद्ध

आवृत्ति होती है, व कहीं तो निरर्थक होते हैं तथा कहीं सार्थक और कहीं सार्थक-निरर्थक दोनों ही। इस अलंकार में एक ही आकार वाले वर्ण-समूह की कम-से-कम दो बार आवृत्ति होनी आवश्यक है, अधिक चाहे जितनी हो।

श्लेष

परिभाषा—किसी शब्द का एक बार प्रयोग होने पर भी उसके अर्थ एक से अधिक हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार माना जायेगा।

उदाहरण—

"रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून।
पानी गये न ऊबरे मोती मानस चून॥"

—रहीम

यहाँ 'पानी' के तीन अर्थ है—कान्ति, आत्मसम्मान और जल।

अन्य उदाहरण—

(१) "चलि न सकैं निज गैर तैं, जे बन तरु अभिराम।
तहाँ आय रस बरसिबौ, उचित तोहि घनश्याम॥"
(२) "चिरजीवो जोरी जुरै, क्यों न सनेह गंभीर।
को घटि ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर॥"
(३) "बहुरि सक्र सम बिनवौं तेही, संतत सुरानीक हित जेही।

श्लेष शब्द श्लिष धातु से बना है। उसका अर्थ होता है—आलिंगन करना, चिपटना, मिलना और मिलाना। जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाय जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलें, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लिष्ट शब्द वे कहे जाते हैं जिनमें एक से अधिक अर्थ मिलते हैं—चिपटे रहते हैं—श्लेष के दो प्रकार हैं। सभंग और अभंग। इस प्रकार जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक अर्थ ग्रहण करे वहाँ श्लेषालंकार होता है।

अनुप्रास

परिभाषा—जहाँ वाक्य में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, चाहे उसमें स्वर समान न हों, वहाँ अनुप्रास होता है।

उदाहरण—

"प्रति भट कटक कटीले कोटि काटि-काटि।
कालिक सी किलकि कलेऊ देति कालि को॥"

—भूषण

प्रस्तुत उदाहरण में 'क' वर्ण की अनेक बार आवृत्ति से एक अपूर्व नादात्मक सौंदर्य की सृष्टि हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है।

अन्य उदाहरण—

(१) 'सठ सुधरहिं सत संगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई ॥''

(२) ''कानन कठिन भयंकर भारी।
घोर घाम हिम बारि बयारी।''

—तुलसी

(३) ''चादनी में आज केवल चाँद की बातें करो।''

—अंचल

(४) ''साथी स्वप्न संसार सा जाता।''

—'अरुण'

अनु+प्र+अस् या आस् मिलकर अनुप्रास बना है, जिसका अर्थ है प्रकर्षता से पास-पास होना या रखना। अर्थात् एक ही वर्ण पास-पास, अनेक बार, आकर पद की शोभा बढ़ावे। अनुप्रास के कई प्रकार हैं जिनमें—छेकानुप्रास, शब्दानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। इस तरह जहाँ पर वर्णों या अक्षरों की आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार होता है।

वक्रोक्ति

परिभाषा—जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ लगाया जाय वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है।

उदाहरण—

''को तुम हो ? इत आये कहाँ ?
घनश्याम हौं, तौ कितहूँ बरसौ।
चितचोर कहावत हैं हमतौ,
तहँ जाहु जहाँ धन है सरसौ ॥''

यहाँ कृष्ण तथा राधा का सुन्दर परिहास है। वृषभानुसुता (राधा) अपने महल में बैठी हुई कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं कि कृष्ण आकर दरवाजा खटखटाते हैं। प्रियागमन की सूचना से उल्लसित राधिका का हृदय कृष्ण से परिहास करना चाहता है। अतः वे चुपचाप उठकर दरवाजा नहीं खोलतीं अपितु प्रश्न करती हैं—''को तुम हो'' ''इत आये कहाँ ?'' कृष्ण उत्तर देते हैं ''घनश्याम हैं।'' इस पर राधिका 'घनश्याम' का अर्थ श्लेष से बादल लगाकर उत्तर देती है, ''घनश्याम हौं तौ कितहूँ बरसौ।'' कृष्ण निरुत्तर होकर अपना दूसरा नाम बताते हैं—''चितचोर कहावत हैं हमतौ।'' किन्तु विदुषी राधिका अब भी पराजित नहीं होती। वे चोर का अर्थ साधारण चोर लगाकर उत्तर देती है ''तहँ जाहु जहाँ धन है सरसौ।'' इस प्रकार यहाँ पर श्लेष के आधार पर भिन्नार्थ की कल्पना करने से श्लेष वक्रोक्ति है।

अन्य उदाहरण—

(१) "मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू,
तुमहिं उचित तप मो कहँ भोगू ।।"

—तुलसी

(२) "गौरवशालिनि ! प्यारी सदा तुमही हमको अति प्रिय हौ ।
हौं न गऊ अवशा न कहूँ अलिनी मोहि काहे बुलावत हौ ।।
है यह रावरि कौशलता अति, पै इत दुर्लभता न कहौ ।
यों हरसों गिरजा-उपहास, हमैं मुदमंगल दायक हौ ।।"

भिन्न अर्थ की कल्पना दो प्रकार से की जाती है—(१) श्लेष द्वारा (२) काकु-द्वारा । इसलिये इसके दो भेद हुए—श्लेष वक्रोक्ति और काकु-वक्रोक्ति । इस तरह जहाँ कहे हुए शब्द का अर्थ दूसरे वक्ता के अभिप्राय से भिन्न कल्पित किया जाय, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है ।

अर्थालंकार

अर्थालंकार में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार नहीं रहता, वरन् उसके स्थान पर यदि समानार्थी दूसरा शब्द रख दिया जाय, तो भी अलंकार बना रहेगा; क्योंकि यह चमत्कार अर्थगत होता है । वस्तुतः अर्थालंकार भावों को अभिव्यक्त करने की भिन्न-भिन्न शैलियाँ मात्र हैं । अंतः अलंकारों की कोई निश्चित संख्या नहीं हो सकती । संस्कृत साहित्य में जितने अलंकार थे, वे विकास पाकर कई गुने हो गए और हो रहे हैं । विभिन्न विद्वानों ने अलंकारों की संख्या अलग-अलग स्वीकार की है । इन अलंकारों के चमत्कार आधार पर इनके कुछ वर्ग बनाए जा सकते हैं ।

(१) **साम्य-मूलक अलंकार**—इनका आधार सादृश्य या साधर्म्य होता है । रूप-गुण या धर्म साम्य से सम्बन्धित अर्थालंकार इस वर्ग में आते हैं । जैसे—उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, भ्रांति, सन्देह, स्मरण, अन्योक्ति, समासोक्ति, निदर्शना एवं द्रष्टान्त आदि ।

(२) **वैषम्य या विरोध-मूलक**—इन अलंकारों का आधार विषमता या विरोध होता है । विरोध का चमत्कारपूर्ण प्रकाशन इन अलंकारों में रहता है । विरोध कई प्रकार का हो सकता है । वस्तु से वस्तु का, गुण से गुण का, क्रिया से क्रिया का, वस्तु से गुण का, गुण से क्रिया का, वस्तु और क्रिया का विरोध हो सकता है । इस वर्ग में विरोधाभास असंगति, विभावना, विशेषोक्ति, विषम, व्याघात, अल्प, अधिक आदि अर्थालंकार आते हैं ।

(३) **क्रम या श्रृंखला-मूलक**—कारणमाला, एकावली, सार, मालादीपक आदि अलंकार इस वर्ग के अन्तर्गत हैं ।

(४) **न्याय-मूलक**—इसके अन्तर्गत परिसंख्या, यथा संख्या समुच्चय, तद्गुण, लोकोक्ति, काव्यलिंग आदि अलंकार हैं।

(५) कारण-कार्य सम्बन्ध मूलक—हेतूत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि।

(६) **निषेध-मूलक**—अपन्हुति, विनोक्ति, व्यतिरेक आदि अलंकार इसी वर्ग के हैं।

(७) **गूढ़ार्थ प्रतीति-मूलक**—पर्यायोक्ति, समासोक्ति, मुद्रा, व्याजनिन्दा, व्याज-स्तुति, सूक्ष्म आदि अलंकार इस कोटि के हैं।

"अलंकार के अंग"

अलंकारों के चार अंग होते हैं—

(१) **उपमेय**—जो वर्णन का विषय हो और जिसको किसी अन्य के समान बताया गया हो; जिसकी किसी अन्य वस्तु से समानता बताई गई हो वह उपमेय कहलाता है। उपमेय को वर्ण्य या प्रस्तुत भी कहते हैं। जैसे—मुख चन्द्रमा के समान सुन्दर है। इसमें मुख, उपमेय है क्योंकि मुख को चन्द्रमा के समान बताया गया है।

(२) **उपमान**—जिस वस्तु से अन्य वस्तु की समता की जाती है, उसे उपमान, अवर्ण्य या अप्रस्तुत कहते हैं। जैसे 'मुख चन्द्रमा के समान सुन्दर है।' इस वाक्य में मुख की समता चन्द्रमा से की गई है। अतः चन्द्रमा उपमान है।

(३) **साधारण-धर्म**—उपमेय और उपमान के समान गुण या दोष को साधारण धर्म कहते हैं। जिसके कारण दोनों में समानता होती है। जैसे मुख चन्द्रमा के समान सुन्दर है। इस वाक्य में 'सुन्दर' उपमेय मुख और उपमान चन्द्रमा दोनों का समान गुण है। अतः यहाँ पर 'सुन्दर' शब्द साधारण धर्म है।

(४) **वाचक-शब्द**—उपमेय और उपमान में समानता दिखाने के लिये जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है' उसे वाचक-शब्द कहते हैं। जैसे 'मुख चन्द्रमा के समान सुन्दर है।', इस वाक्य में मुख और चन्द्रमा की सुन्दरता 'समान' शब्द के द्वारा प्रकट की गई है। अतः यह 'समान' शब्द वाचक-शब्द कहलायेगा। सदृश, सा, समान आदि शब्द वाचक-शब्द हैं।

उपमा

परिभाषा—जब दो वस्तुओं में भिन्नता रहते हुए भी समानता स्थापित की जाएँ, तब उपमा अलंकार होता है।

उदाहरण—

मंजुल मुख शशि के समान है सुन्दर।"

तो यहाँ मंजुल मुख की सुन्दरता (मुख की विशेष गुण) की तुलना शशि की सुन्दरता से की गई है।

अन्य उदाहरण—

(१) "मुनि सुरसरि सम पावन बानी।"
(२) "रति रमणीय मूर्ति राधा की।"
(३) "पड़ी थी बिजली सी विकराल।"

उपमा शब्द की व्युत्पत्ति है—उप = समान + मा—तौलना, नापना अर्थात् समान बतलाना। जहाँ किसी वर्णित (प्रस्तुत) वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के कारण अप्रस्तुत वस्तु से तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के प्रमुख दो भेद होते हैं पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। उपमा के चार अंग भी होते हैं—प्रस्तुत उपमेय, अप्रस्तुत या उपमा, साधारण धर्म, और वाचक शब्द।

रूपक

परिभाषा—जब उपमेय में उपमान का निषेधरहित आरोप किया जाये तो रूपक अलंकार होता है।

उदाहरण—

"अधर-लता के फूल सुनहले,
लाज-अनिल से झर जाते हैं" —**मिश्र**

प्रस्तुत पंक्ति में 'अधर' (उपमेय) में 'लता' (उपमान) का निषेध रहित आरोप किया गया है, इसी प्रकार 'लाज' (उपमेय) में 'अनिल' (उपमान) के आरोप के कारण यहाँ रूपक अलंकार है।

अन्य उदाहरण—

(१) "चरण-कमल बन्दौं हरिराई।"
(२) "महि-नरेश चढ्यौ दल साजि।"
(३) "आशा मेरी हृदय—मरु की मंजु मंदाकिनी है।"

रूपक का मतलब ही रूप ग्रहण करना है, अतः इस अलंकार में प्रस्तुत (उपमेय) अप्रस्तुत (उपमान) का रूप ग्रहण कर लेता है। रूपक के मुख्य दो भेद हैं—तद्रूप और अभेद। इस प्रकार जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप में आरोप किया जाय, वहाँ रूपक अलंकार होता है।

उत्प्रेक्षा

परिभाषा—जहाँ प्रस्तुत (उपमेय) की अप्रस्तुत (उपमान) के रूप में संभावना की जाय, वहाँ **उत्प्रेक्षा अलंकार** होता है।

उदाहरण—

"सोहत ओढ़े पीत-पट स्याम सलौने गात ।
मनहुँ नील मनि सैल पर आतप पर्‌यो प्रभात ।।"

यहाँ श्याम श्रीकृष्ण के श्याम वर्ण पर शोभित पीताम्बर के लिए नील-मणियों पर पड़ने वाले प्रभात के पीत-प्रकाश की सम्भावना कल्पित की गई है। अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है।

अन्य उदाहरण—

(१) "जा डूबा पश्चिम-सागर में सिय मुख से लज्जित हो चन्द।"
(२) "बाजि बली रघुनन्दन के मनौं सूरज के रथ चूमन चाटैं।"
(३) "अरुण भये कोमल चरण। भुवि चलिबें तें भानु।"

उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है—उत्+प्र+ईक्षा अर्थात् प्रकट रूप से देखना। जहाँ पर उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत के रूप में संभावना या कल्पना की जावे, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह सम्भावना वस्तु रूप में, हेतु रूप में और फल में की जा सकती है। एक-एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु की सम्भावना किसी समान धर्म के कारण की जाती है। सम्भावना करने के लिए उत्प्रेक्षा के कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे—मानो, मनो, मनु, मनहुँ, जानौ जनु, सा, आदि। उत्प्रेक्षा के तीन भेद होते हैं—(१) वस्तूप्रेक्षा, (२) हेतूप्रेक्षा, (३) फलौप्रेक्षा।

स्मरण

परिभाषा—किसी समान वस्तु को देखकर पहले देखी हुई वस्तु के चमत्कारपूर्ण स्मरण को **स्मरण अलंकार** कहते हैं।

उदाहरण—

गाते प्रियाओं के सहित
रस राग यक्ष यहाँ वहाँ,
प्रत्यक्ष सी उत्तर दिशा,
की दिखती लक्ष्मी यहाँ।
कहते हुए यों पार्श्व में
सहसा उदासी छा गई।
उत्तर दिशा से याद सहसा,
उत्तरा की आ गई। —गुप्त जी

उत्तर दिशा को देखने से सहसा उत्तरा की याद आ जाना स्मरण अलंकार का लक्षण है।

अन्य उदाहरण—

(१) "प्राची दिसि ससि उगेउ सुहावा।
सिय-मुख सरसि देखि सुख पावा॥"

(२) "बीच बास करि जमुनहिं आए।
निरखि नीर लोचन जल छाए॥"

(३) "छू देती है मृदु पवन जो पास आ गात मेरा।
तो हो जाती परम सुधि है श्याम-प्यारे-करों की॥"

पूर्वानुभव संस्कार रूप से मन में निहित रहता है और वह अवसर पाकर उद्-बुद्ध हो स्मरण का कारण बन जाता है। ऐसा प्रायः तब होता है जब पहले की देखी या सुनी हुई वस्तु के सदृश या विसदृश वस्तु प्रत्यक्ष होती है।

संदेह

परिभाषा—जहाँ किसी वस्तु के सम्बन्ध में सादृश्य-मूलक संदेह हो वहाँ **संदेह अलंकार** होता है।

उदाहरण—

"सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है ?
कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है ?"

द्रौपदी के चीर-हरण समय उसकी साड़ी इतनी लम्बी हो **गई कि** वह नारी साड़ी के बीच छिपी थी या नारी के अन्दर साड़ी छिपी हुई थी अथवा वह नारी साड़ी की ही बनी हुई थी कि वह साड़ी उस एक ही नारी की थी, आदि सन्देह उत्पन्न हो गए। किसी भी उपमान का निश्चय नहीं है। अतः यहाँ सन्देह अलंकार है।

अन्य उदाहरण—

(१) "ये हैं सरस ओस की बूँदें,
या हैं मंजुल मोती।"

(२) "कैधो रितुराज काज अवनि उसाँसें लेत,
किधौं यह ग्रीषम की भीषम लुआर है।"

(३) "की तुम तीन देव महँ कोऊ।
नर नारायन की तुम दोऊ॥
कि तुम राम दीन अनुरागी।
आए मोहिं करन बड़भागी।"

यदि सत्य-असत्य का निश्चय न होने के कारण उपमेय का एक या अनेक उप-मानों के रूप में वर्णन किया जाय, फिर भी यह संसय बना ही रहे कि यह अमुक वस्तु है या अमुक—तो ऐसी अवस्था में संदेह अलंकार समझना चाहिए। संदेह के तीन भेद हैं—शुद्ध, निश्चय गर्भ एवं निश्चयांत।

भ्रांति

परिभाषा—रूप, रंग कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कारपूर्ण भ्रान्ति कल्पित हो जाय, वहाँ भ्रांति अलंकार माना जाता है।

उदाहरण—

"समुझि तुम्हें घनश्याम
हरि नाच उठे बन मोर।"

यहाँ मोरों को श्रीकृष्ण के श्याम रंग से बादलों का भ्रम हो गया है फलतः वे उन्हें बादल समझकर नाच उठे। यहाँ भ्रान्ति कवि-कल्पना की उपज है क्योंकि मोर कभी भी देहधारी श्रीकृष्ण को बादल समझ कर नहीं नाच सकते, यहाँ सिर्फ कवि-कल्पना का चमत्कार है।

अन्य उदाहरण—

(१) "कपि कर हृदय बिचारि, दीन्ह मुद्रिका डारि तब,
जानि असोक अँगार, सीय हरसि उठि कर गह्यौ।"
(२) पाँव महावर दैन कौं, नाइन बैठी आय।
फिरि-फिरि जानि महावरी, ऐंड़ी मीड़त जाय॥"
(३) "वृन्दावन विहरत फिरैं, राधा-नन्दकिसोर।
नीरद-दामिनि जानि संग, डोलैं बोलैं मोर॥"

भ्रान्ति का अर्थ है धोखा—एक वस्तु को भ्रम के कारण दूसरी वस्तु समझ लेना।

अपन्हुति

परिभाषा—जहाँ प्रकृत (उपमेय) का निषेध कर अप्रकृत (उपमान) का आरोप किया जाय, वहाँ अपन्हुति अलंकार होता है।

उदाहरण—

अभी उम्र कुल तेईस की थी,
मनुज नहीं अवतारी थी।
हमको जीवित करने आई,
बन स्वतन्त्रता नारी थी॥"

इसमें झाँसी की रानी के मनुजत्व का निषेध करके देवत्व की स्थापना की गई है। अतः यह अपन्हुति अलंकार है।

अन्य उदाहरण—

(१) "पावन, ग्रीषम-विजय करि आवत सहित निसान,
इन्द्रधनुष नहिं, तासु यह विजय-पताका जानु।"
(२) "ससि में अंक कलंक को समझहु जिन सदभाय,
सुरति-श्रमित निसि-सुन्दरी सोवत उर लपटाय,
(३) "आली आली लखि डरपि, जनि टेरहु नन्दलाल,
फूले सघन पलास ये, नहिं दावानल ज्वाल।"

अपन्हुति का अर्थ है—गोपन, छिपाना, वारणा, निषेध आदि। इसमें सच्ची बात को छिपाकर दूसरी बात कही जाती है। इस अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों उपलक्षण रूप में ही होते हैं; इनके बिना भी अपन्हुति की सत्ता होती है। निषेध का भाव-न, नहीं आदि—कहीं आरोप के प्रथम और कहीं पश्चात् रखा जाता है। जैसे-यह मुख नहीं, चन्द्र है; यहाँ 'नहीं' शब्द से मुख उपमेय का निषेध कर उसमें चन्द्र उपमान का आरोप किया गया है। अपन्हुति के सात भेद हैं—शुद्धापन्हुति, कैतवापन्हुति, भ्रातापन्हुति, पर्यस्तापन्हुति, छेकापन्हुति एवं विशेषापन्हुति।

अतिशयोक्ति

परिभाषा—जहाँ पर किसी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा-बढ़ाकर किया जाये कि लोक सीमा का उल्लंघन हो जाये तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है।

उदाहरण—

"कनकलता पर चन्द्रमा धरे धनुष है बाण।"

यहाँ कनकलता का किसी सुन्दरी नायिका से, चन्द्रमा का मुख से, धनुष का भौंहों से और बाण का नेत्र से तात्पर्य है। यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप करके अतिशयोक्ति-लोक-सीमा से उल्लंघन का कथन किया गया है।

अन्य उदाहरण—

१. "तब सिव तीसर नैन उघारा।
चितवत काम भयउ जरि छारा।"
२. "पाँव के धरत, अति भार के परत।
भयो एकही मिलि सपत पताल को॥"
३. "मैं बरजी कै बार तू, इत कित लेति करोट।
पँखुरी गरे गुलाब की, परिहैं गात खरोट॥"

अतिशयोक्ति एक यौगिक शब्द है—अतिशय + उक्ति = अतिशय बहुत, बढ़ी हुई और उक्ति-कथन, अर्थात् किसी बात को बहुत बढ़ाकर कहना। इसके छः भेद हैं—(१) रूपकातिशयोक्ति, (२) भेदकातिशयोक्ति, (३) संबन्धातिशयोक्ति, (४) अक्रमातिशयोक्ति, (५) चपलातिशयोक्ति और (६) अत्यंतातिशयोक्ति।

निदर्शना

परिभाषा—जहाँ दो वाक्यों के विभिन्न अर्थ होते हुए भी एक-दूसरे का सम्बन्ध इस प्रकार स्थापित किया जाय कि दोनों में समानता लक्षित होने लगे वहाँ **निदर्शना** अलंकार होता है।

उदाहरण—

"जिसे जीत लेना जग में लोहे के चने चबाना है।
उसी मरण पर विजय प्राप्त कर हमें अमर हो जाना है।"

प्रस्तुत उदाहरण में "जीत लेना जग में" तथा "लोहे के चने चबाना" दोनों वाक्य विभिन्न अर्थ वाले हैं किन्तु फिर भी दोनों में पारस्परिक समानता का आरोप करके सम्बन्ध स्थापित किया गया है।

अन्य उदाहरण—

१. "पारस को सुबरन करन, वारिद बरसन बान।
धनद कोष की सरसता, राम-पाणि पहचान॥"
२. "मेचक घन मेचक बरन, गाज गजारि गंभीर।
जग-जीवन-वितरन दिये, अपने गुन रघुवीर॥"
२. "ते सठ महा सिन्धु बिनु तरनी।
पैरि पार चाहत जड़ करनी॥"

निदर्शना के तीन भेद हैं—प्रथम निदर्शना, द्वितीय निदर्शना और तृतीय निदर्शना।

दृष्टान्त

परिभाषा—जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव दर्शित किया जाये तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहाँ **दृष्टांत अलंकार** होता है।

उदाहरण—

"रहिमन असुआ नयन ढरि, जिय दुख प्रकट करेइ।
जाहि निकारो गेह तें, कस न भेद कहि देइ॥"

जिस प्रकार आँखों से आँसू निकल कर मन का भेद बता देते हैं, उसी प्रकार जिस व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है, वह घर का भेद बता देता है।—प्रथम वाक्य उपमेय है, द्वितीय उपमान। दोनों का एक ही साधारण धर्म है, भेद बताना।

अन्य उदाहरण—

१. "पापी मनुज भी आज मुख से राम-नाम निकालते।
देखो भयंकर भेड़िये भी आज आँसू ढालते।।"

२. "कन कन जोरे मन जुरै, खावत निबरै सोच।
बूँद बूँद ते घट भरै, टपकत रीतो होय।।"

३. "सिव औरंगहि जिति सकै, और न दाता राव।
हत्थि मत्थ पै सिंह बिनु, आन न घालै घाव।"

जहाँ एक बात कह कर उसी से समानता रखने वाली दूसरी बात पहली के उदाहरण के रूप में कही जाय, अथवा जहाँ दोनों सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव होता है, वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है।

व्यतिरेक अलंकार

परिभाषा—जब उपमेय को उपमान से बढ़ाकर अथवा उपमान को उपमेय से घटाकर वर्णन किया जाता है तब **व्यतिरेक अलंकार** होता है, अर्थात् व्यतिरेक अलंकार में उपमेय में उपमान की अपेक्षा अधिक उत्कर्ष दिखलाया जाता है।

उदाहरण—

"संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पै कहै न जाना।
निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै सुसंत पुनीता।।"

उपर्युक्त पद्य में पहले 'संत के हृदय' की समता 'नवनीत' (नेनू, मक्खन) से की गयी। फिर उसकी श्रेष्ठता यह कहकर बतलायी गयी कि नवनीत तो स्वयं तपाये जाने पर पिघलता है, परन्तु सन्त-हृदय दूसरों के ताप (वेदना, जलन) से पिघल उठता है।

अन्य उदाहरण--

"सिय मुख सरद-कमल जिमि, किमि कहि जाय?
निसि मलीन वह, निस दिन यह बिगसाय।"

समासोक्ति

परिभाषा—जहाँ पर प्रस्तुत कथन द्वारा किसी अप्रस्तुत बात का आभास ही होता है, वहाँ **समासोक्ति अलंकार** होता है।

उदाहरण—

"कुमुदिन हू प्रफुलित भई, साँझ कलानिधि जोय।"

यहाँ संध्या-कालीन चन्द्रमा को देखकर कुमुदिनी का खिलना प्रस्तुत अर्थ है, किन्तु इसके अप्रस्तुत अर्थ में किसी नायिका की दशा सूचित होती है, जो निकट-भविष्य में अपने नायक से मिलने की आशा से प्रसन्न हो रही है।

अन्य उदाहरण—

(१) "नहिं पराग, नहिं मधुर मधु, नहिं विकास यहि काल ।
अली कली ही सों बंध्यो, आगे कौन हवाल ।।"

(२) "डालेगी वो चपल-सफरी-कञ्ज-कान्ती कटाक्ष ।
होगा तेरे उचित न उन्हें जो करेगा निराश ।।"

(३) "लता नवल तनु अंग, जाति जरी जीवन बिना"
कहाँ सिख्यौ यह ढंग, तरुण-अरुण निरदै निरखु ।।"

समास का अर्थ है—संकोच और उक्ति का अर्थ है—कथन । इस अलंकार में एक के वर्णन से दूसरे का भी बोध होता है—यही संक्षिप्त कथन है । यह बोध तीन प्रकार से होता है ।

(१) कार्य अथवा व्यवहार की समता से ।
(२) विशेषणों की समता से—चाहे श्लिष्ट हों या साधारण ।
(३) समान लिंग से—प्रस्तुत और अप्रस्तुत में लिंग-साम्य हो ।

दीपक

परिभाषा—जहाँ प्रस्तुत (उपमेय) तथा अप्रस्तुत (उपमान) का एक ही धर्म से सम्बन्ध स्थापित किया जाये, वहाँ दीपक अलंकार होता है ।

उदाहरण—

"चंचल निसि उदबस रहै,
करत प्रात बसि राज ।
अरविन्द में इन्दिरा,
सुन्दरि नैनन लाज ।"

यहाँ कमलों में लक्ष्मी का निवास और सुन्दरी के नेत्रों लज्जा का निवास उभयनिष्ठ है । अतः यह दीपक अलंकार है ।

अन्य उदाहरण—

(१) "भूपति सोहत दान सो, फल-फूलन उद्यान ।"

(२) "बता अरी अब क्या करूँ, रुपी रात से रार ।
भय खाऊँ, आँसू पियूँ, मन मारूँ झखमार ।।"

(३) डूंगर केरा वाहला, ओछों केरा नेह ।
बहता बहैउ तावला, छिटक दिखावै छेह ।।"

दीपक एक स्थान पर रहते हुए चारों ओर प्रकाशित करता है । उसी तरह यह दीपक अलंकार भी साधारण धर्म, उपमेय और उपमान से अन्वित होकर दोनों को प्रकाशित करता है ।

प्रतिवस्तूपमा

परिभाषा—जहाँ उपमेय और उपमान संबंधी अलग-अलग वाक्यों में भिन्न-भिन्न शब्दों से एक ही साधारण धर्म से तुलना की जाय तब **प्रतिवस्तूपमा अलंकार** होता है।

वस्तुतः उपमेय और उपमान के पृथक्-पृथक् वाक्यों में एक ही समान धर्म भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाता है। प्रतिवस्तूपमा अलंकार के लिए तीन बातें जरूरी हैं।

(१) उपमेय और उपमान संबंधी दो वाक्य।

(२) दोनों वाक्यों का एक ही साधारण धर्म।

(३) उस साधारण धर्म की सूचना दो भिन्न शब्दों के द्वारा की जाय।

उदाहरण—

"तिनहि सोहाइ न अवध बधावा
चोरहिं चाँदनि राति न भावा।"

उपर्युक्त उदाहरण में (१) पहला वाक्य उपमेय वाक्य (२) उपमान वाक्य (३) अच्छा न लगना—साधारण धर्म—दो भिन्न शब्दों के द्वारा व्यक्त हुए हैं जैसे 'सोहाइ न' 'न भावा' ये दो समानार्थक शब्द साधारण धर्म से वाचक शब्द हैं।

अन्य उदाहरण—

"श्यामल-घटा में है चपला की चमक चारु।
राजती दमक गौर देह की नीलाम्बर में॥"

अप्रस्तुत-प्रशंसा

परिभाषा—जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाय वहाँ **अप्रस्तुत प्रशंसा** अलंकार होता है।

उदाहरण—

कानन लौं अलियाँ हैं तिहारी,
हथेली हमारी कहाँ लगि मूँदि हैं,
राधे जू मानो भलौ के बुरौ,
आँख मीचनों संग तिहारे न खेलि हैं।"

यहाँ पर राधिका जी के नेत्रों की दीर्घता "कार्य" का वर्णन न करके उसका बोध हथेली से न ढकने के 'कारण' द्वारा कराया गया है अतः अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है।

अन्य उदाहरण—

(१) "मातु-पितहिं जनि सोच बस, करसि महीप-किसोर।"

(२) "फरजी साह न ह्वै सके, गति टेढ़ी तासीर।
'रहिमन' सीधी चाल तें, प्यादा होत वजीर॥"

(३) "जिन दिन देखे वै कुसुम, गयी सो बीति बहार,
अब अलि ! रही गुलाब में अपत कँटीली डार ।।

यहाँ प्रशंसा का अर्थ प्रशंसा वाचक नहीं, सामान्य वर्णन या कथन मात्र है। इस अलंकार में वर्णन तो किया जाता है अप्रस्तुत का, किन्तु वह इस प्रकार निबद्ध रहता है कि उससे प्रस्तुत की भी प्रतीत होती है। इसके पाँच भेद हैं—(१) कारण निबंधना (२) कार्य-निबंधना (३) विशेष निबंधना, (४) सामान्य निबंधना एवं (५) सारोप्य निबंधना ।

अर्थान्तरन्यास

परिभाषा—किसी साधर्म्य का अथवा वैधर्म्य का प्रदर्शन करने के लिए **जब** सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाये तब वहाँ **अर्थान्तरन्यास अलंकार** होता है।

उदाहरण—

"बसि कुसंग चाहत कुसल कह रहीम अफसोस ।
महिमा घटी समुद्र की रावण बसे पड़ोस ।"

इस दोहे में विशेष व्यक्ति रावण से सम्बन्धित बात की गई है. प्रथम पंक्ति में एक सामान्य बात कही गई है, जिसका समर्थन दूसरी पंक्ति में किया गया है।

अन्य उदाहरण—

(१) "कौन बड़ाई उदधि मिलि गंग नाम भो धीम ।
केहि की महिमा नहि घटी, पर घर गए रहीम ।"

(२) "कछु कहि न छेड़िए, भलो न वाको संग ।
पाथर डारे कीच में, उछरि बिगारे अंग ।।"

(३) "बड़े न हूजे गुननि बिनु, बिरद बड़ाई पाय ।
कहत धतूरे सों कनक, गहनों गढ़ो न जाय ।।"

अर्थान्तरन्यास (अर्थ + अन्तर + न्यास) का अर्थ है, दूसरे अर्थ का न्यास करना —रखना अर्थात् जहाँ एक बात के समर्थन के लिए दूसरी बात कही जाय। इसके चार भेद हैं—(१) सामान्य का विशेष से साधर्म्य द्वारा समर्थन, (२) सामान्य का विशेष से वैधर्म्य द्वारा समर्थन, (३) विशेष का सामान्य से साधर्म्य द्वारा समर्थन, (४) विशेष का सामान्य से वैधर्म्य द्वारा समर्थन।

काव्यलिंग

परिभाषा—किसी युक्ति से समर्थन की गयी बात को **काव्यलिंग अलंकार** कहते हैं। यहाँ किसी बात के समर्थन में कोई न कोई युक्ति या कारण अवश्य दिया जाता। बिना ऐसा किये वाक्य की बातें अधूरी रह जायेंगी।

उदाहरण—

"कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय ।
उहि खाए बौरात नर, इहि पाए बौराय ।।"

उपर्युक्त उदाहरण में धतूरा खाने से नशा होता है, पर सुवर्ण पाने से भी नशा होता है। यह एक अजीब बात है। यहाँ इसी बात का समर्थन किया गया है कि सुवर्ण में धतूरे से अधिक मादकता है। दोहे के उत्तरार्द्ध में इस कथन की युक्तिपूर्ण पुष्टि हुई है। 'धतूरा खाने से नशा चढ़ता है, किन्तु सुवर्ण पाने से ही मद की वृद्धि होती है' यह कारण देकर पूर्वार्द्ध की समर्थनीय बात की पुष्टि की गयी है।

अन्य उदाहरण—

"श्रीपुर में, बन मध्य हौं, तू मगकर अनीति ।
कहु मुँदरी, अब तियन की को करि है परतीति ।।"

उल्लेख

परिभाषा—जब किसी एक विषय का अनेक रूप में उल्लेख हो, तब वह **उल्लेख अलंकार** कहा जाता है।

उदाहरण—

"तू रूप है किरण में, सौन्दर्य है सुमन में ।
तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में ।।"

यहाँ एक व्यक्ति द्वारा भगवान् के अनेक रूपों का उल्लेख किया गया है।

अन्य उदाहरण—

(१) "यह मेरी गोदी की शोभा,
घनी घटा की उजियाली।
दीप शिखा है अंधकार की,
है पतझड़ की हरियाली ।।"

(२) "जिनके रही भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी
मनहु भयानक मूरति भारी ।।"

उल्लेख अलंकार के दो प्रकार होते हैं—प्रथम और द्वितीय उल्लेख। एक ही व्यक्ति द्वारा एवं अनेक व्यक्तियों द्वारा।

विरोधाभास

परिभाषा—वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास मालूम पड़े वहाँ **विरोधाभास अलंकार** होता है।

उदाहरण—

"या अनुरागी चित्त की,
गति समुझहि नहिं कोय।
ज्यों-ज्यों बूड़े श्याम रंग,
त्यों-त्यों उज्ज्वल होय॥"

यहाँ भी श्याम रंग में डूबने पर उज्ज्वल होना विरोध मालूम पड़ता है लेकिन यह वास्तविक विरोध नहीं है क्योंकि जितना श्याम रंग (कृष्ण के ध्यान) में डूबेगा (मग्न होगा) उतना ही उसका उदय उज्ज्वल (निर्मल) होगा।

अन्य उदाहरण—

(१) "प्रिया! फेरि करि वैसही, करी विलोचन लोल।
मोहिं निपट मीठी लगै, यह तेरी कटु बोल॥"
(२) "शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का।
यह व्यर्थ साँस चल-चल कर, करती है काम अनिल का।"
(३) "तंत्री नाद कवित्त रस, सरस-राग रति रंग,
अनबूड़े बूड़े तिरे, जे बूड़े सब अंग।"

इसमें कार्य, लिंग या विशेषण की समता से प्रस्तुत में अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप किया जाता है। इसमें अप्रस्तुत का शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जाता।

विभावना

परिभाषा—जहाँ पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाय वहाँ **विभावना अलंकार** होता है।

उदाहरण—

"नाचि अचानक ह्वै उठे बिनु पावस बन मोर।
जानति हौं नन्दित करी, यह दिसि नन्द किसोर॥"

मयूर के नाचने (कार्य) का कारण है वर्षा-ऋतु किन्तु यहाँ बिना कारण के ही कार्य हो रहा है अस्तु, विभावना अलंकार है।

अन्य उदाहरण—

(१) "साहि तनै सिवराज की, सहज टेव यह ऐन।
अनरीझे दारिद हर, अनरीझे अरि सैन।"
(२) "भयो सिन्धु ते विधु सुकवि, बरनत बिना विचार।
उपज्यो तो मुख इन्दु ते, प्रेम पयोधि अपार।"
(३) "हँसत बाल के बदन में, यों छवि कछू अतूल।
फूली चंपक-बेलि तें, झरत चमेली फूल॥"

वि + भावना का अर्थ है विशिष्ट कल्पना । विभावना के कई भेद हैं—

(१) बिना कारण के ही, (२) अपूर्ण कारण के होते, (३) प्रतिबंधक होते, (४) अकारण द्वारा होते, (५) विरोधी कारण द्वारा होते हुए कार्य का अथवा, (६) कार्य से कारण के होने का वर्णन करके काव्य को अलंकृत कर देता है या उसमें चमत्कार ला देता है।

विशेषोक्ति

परिभाषा—कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य के न होने से **विशेषोक्ति अलंकार** होता है ।

उदाहरण—

"बरसत रहत अछे हूँ, नैन वारि की धार ।
नेकहु मिटती न है तऊ, तो वियोग की झार ।।"

इसमें नेत्रों से पानी की धार बरसने पर भी वियोग की अग्नि का न बुझना बताया गया है ।

अन्य उदाहरण—

(१) "नीर भरै नित प्रति रहै, तऊ न प्यास बुझाइ ।।"
(२) "फूले फलै न बेत, जदपि सुधा बरसइ जलद ।"
(३) "मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहिं विरंच सम ।
फूलहि फरहि न बेंत, यदपि सुधा बरसहिं जलद ।।"

विशेषोक्ति के दो भेद हैं—

(१) अनुक्त-निमित्ता, (२) उक्त-निमित्ता ।

परिसंख्या

परिभाषा—जब किसी वस्तु या व्यापार का अन्य स्थलों से निषेध करके केवल एक स्थान पर ही कथन किया जाय तो वहाँ **परिसंख्या अलंकार** होता है ।

उदाहरण—

"दण्ड जतिन कर भेद जहँ नर्तक नृत्य समाज ।
जीतहुँ मनहिं सुनीह जहँ रामचन्द्र के राज ।।"

यहाँ पर दण्ड का विधान अन्यत्र कहीं नहीं केवल यतियों के ही हाथ में (डंडा) रहता है, भेद (साम, दाम, दण्ड भेद) केवल नृत्य में ही है, जीत केवल मन की ही होती है, यह कहा गया है अतः यह परिसंख्या अलंकार है ।

अन्य उदाहरण—

(१) "मूलनि ही में अधोगति 'केशव' पाइए ।"
(२) "पावस ही में धनुष अब, नदी तीर ही तीर ।
रोदन में ही लाल द्रग, नवरस में ही वीर ।।"
(३) "केसन ही में कुटिलता, संचारिन में संक ।
लखों राम के राज में, इक ससि माँहि कलंक ।।"

परि का अर्थ है—छोड़कर और संख्या का अर्थ है—वर्णन करना । परिसंख्या में निषेध किया जाता है । जहाँ प्रश्न करते हुए या बिना प्रश्न के कोई बात उसी के सदृश अन्य बातों को व्यंग्य या वाच्य से निषेध करने के अभिप्राय से कही जाय, वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है ।

प्रतीप

परिभाषा—जहाँ उपमेय को उपमान रूप दिया जाय अथवा उपमान का उपमेय द्वारा तिरस्कार किया जाए, वहाँ **प्रतीप अलंकार** होता है ।

उदाहरण—

"दूर-दूर तक विस्तृत था हिम ।
स्तब्ध उसी के हृदय समान ।।"

—(कामायनी) प्रसाद

यहाँ मनु के हृदय (उपमेय) को उपमान बना दिया है । उपमा में यही बात इस तरह कही जाती—उसका हृदय दूर-दूर तक विस्तृत हिम के समान स्वच्छ था ।

अन्य उदाहरण—

(१) करती तू निज रूप का गर्व किन्तु अविवेक ।
रमा, उमा, शचि, शारदा तेरे सदृश्य अनेक ।।"
(२) "सिय मुख समता पाव किमि । चन्द्र बापुरो रंक ।।"
(३) "कोकिल ! तू क्यों गर्व कर रही अपने मन में,
पाई तो सम कूक माधुरी- प्रिया वचन में ।।"

प्रतीप शब्द का अर्थ है उल्टा-विपरीत । इस अलंकार में प्रसिद्ध उपमानों को उपमेय के स्थान पर उलट कर वर्णन किया जाता है । जैसे चन्द्र-सा मुख है—यह उपमा अलंकार है, पर जब इसी को उलट कर मुख-सा चन्द्र कहा जाए तब प्रतीप हो जाता है । इसके पाँच भेद हैं । इन पाँच भेदों में प्रधानतः ये बातें होती हैं—(१) उपमान को उपमेय बनाना, (२) उपमेय का अनादर, (३) उपमान का अनादर, (४) उपमान की अयोग्यता, (५) उपमान की व्यर्थता ।

स्वभावोक्ति

परिभाषा—किसी के जाति, स्वभाव, धर्म, कर्म, दशा आदि के अनुरूप यथा-वत् और प्रकृति वर्णन में **स्वभावोक्ति अलंकार** होता है। स्वभावोक्ति अलंकार में वस्तु का यथातथ्य वर्णन किया जाता है।

उदाहरण—

"चढ़कर गिरकर फिर उठकर कहता तू अमर कहानी
गिरि के अञ्चल में करता कूजित कल्याणी वाणी ॥"

उपर्युक्त उदाहरण में झरने का स्वाभाविक, यथातथ्य वर्णन किया गया है।

अन्य उदाहरण—

"हरि अपने आँगन कछु गावत,
तनक तनक चरनन सौं नाचत, मन ही मनहि रिझावत।
कबहुँक बाबानंद पुकारत, कबहुँक घर मैं आवत,
माखन तनक आपनें कर लै तनक-बदन मैं नावत।
कबहुँ चिते प्रतिबिम्ब खंभ मैं लौनी लिए खवावत।
हरि देखति जसुमति यह लीला, हरष आनंद बढ़ावत।
'सूर' स्याम के बाल-चरित नित नित ही देखत भावत।"

असंगति

परिभाषा—जहाँ पर कारण, कार्य, स्थान, काल आदि की नियम विरुद्ध स्थिति दिखाई जाती है वहाँ **असंगति अलंकार** होता है।

उदाहरण—

"तीर हिय मेरे पै पीर रघुवीर के।"

पीड़ा का कारण है तीर लगना। जिसके तीर लगा है उसी के पीड़ा होनी चाहिए थी, किन्तु लक्ष्मण जी का कथन है कि तीर (शक्ति) तो मेरे हृदय में लगा है किन्तु उसकी वास्तविक पीड़ा का अनुभव रामचन्द्र जी को ही हुआ।

अन्य उदाहरण—

१. "दृग उरझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति।
परत गाँठि दुरजन हिये दई नई यह रीति ॥"
२. "राज देन कहँ सुभ दिन साधा।
कह्यो जान बन कोहि अपराधा ॥"
३. "कोयल मदमाती भई, झूमत अंबा मौर।"

असंगति का अर्थ है—संगति का अभाव, साथ नहीं होना, कारण और कार्य में संगति या सहचर्य का न रहना। इसमें विरोध का कुछ-न-कुछ आभास सर्वत्र रहता है। इसके तीन भेद हैं—प्रथम असंगति, द्वितीय असंगति, तृतीय असंगति।

व्याजस्तुति

परिभाषा—निन्दा के कथन में जहाँ स्तुति का अथवा स्तुति के कथन में जहाँ निन्दा का बोध होता है वहाँ यह अलंकार होता है।

उदाहरण—

"गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो।
क्यों यह बुरा काम करती हो, नरक रिक्त कर दिवि भरती हो॥"

इस उदाहरण में स्थूल दृष्टि से देखने पर गंगा की निन्दा मालूम पड़ती है किन्तु वास्तव में कवि को यहाँ निन्दा के बहाने गंगा को दयालुता की स्तुति करना ही इष्ट है।

अन्य उदाहरण—

१. "आत्म ज्ञान हीन वह मुग्धा वही ज्ञान तुम लाये।
धन्यवाद है बड़ी कृपा की कष्ट उठाकर आये॥"
२. "बाउ कृपा मूरत अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला।"
३. "जाको ऐसो दूत सो साहिब अबै आवनो।"

व्याजस्तुति दो प्रकार की होती है, (१) निन्दा से स्तुति की प्रतीति, (२) स्तुति से निन्दा की प्रतीति।

यथासंख्य

परिभाषा—पहले कुछ वस्तुओं का उल्लेख करके उनके गुण अथवा कार्य का जहाँ उसी क्रम से वर्णन किया जाता है, वहाँ **यथासंख्य अलंकार** होता है।

उदाहरण—

"गिरे अरिन के लखत तुव, रूप रोष विकरार।
तनते, मनते, करन ते, स्वेद, गरब, हथियार॥"

यहाँ भी तन से स्वेद का, मन से गर्व का और हाथों से हथियार का गिरना क्रम से वर्णित हुआ है। अतएव यथासंख्य अलंकार हुआ।

अन्य उदाहरण—

१. "अमी हलाहल मदवरे, स्वेत, स्याम, रतनार।
जियत, मरत, झुकि-झुकि परत, जेहि चितवत इक बार॥"

२. "कहाँ नृपति, पारस कहाँ, कहाँ चन्दन, कहाँ भृंग ।
रंक, लोह, तरु कीर जो परसि न पलटैं अंग ।।"
३. "निसर्ग ने, सौरभ ने; पराग ने ।
दान की थी अति कान्त भाव से ।।
वसुन्धरा को, पिक को, मिलिन्द को ।
मनोज्ञता, मादकता, मदान्धता को ।।"

इसमें एक क्रम से पहले कुछ पदार्थ कहे जाते हैं और फिर उसी क्रम से उनका दूसरे पदार्थों से अन्वय किया जाता है ।

तद्गुण

परिभाषा—कोई वस्तु जब अपना गुण त्याग कर अन्य समीपस्थ वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है तब तद्गुण अलंकार होता है ।

उदाहरण—

"केस मुक्त सखि मरकत मनिमय होय ।"

मोती अपना श्वेत रंग त्यागकर केशों का श्याम रंग ग्रहण कर लेते हैं । अतः **तद्गुण अलंकार** है ।

अन्य उदाहरण—

१. अधर धरत हरि के परत ओठ दीठि पर जोति ।
हरित बाँस की बाँसुरी इन्द्र धनुष रंग होति ।।"
२. "सिय तुव अंग रंग मिलि अधिक उदोत ।
हार बेलि पहिरावौं चम्पक होत ।।"
३. "नाक का मोती अधर का संग पा ।
बन गया मूँगा मनोरम देख लो ।।"

वर्ण्य वस्तु तत्—उसका अर्थात् अन्य का गुण ग्रहण करती है, इसलिए इसे तद्गुण अलंकार कहते हैं । इसमें वर्ण्य वस्तु के पास अन्य वस्तु होनी चाहिए और वह अधिक सबल गुण की होनी चाहिए ।

मीलित

परिभाषा—जहाँ पर दो समान गुण वाली वस्तुएँ एक-दूसरे में इस प्रकार मिल जायें कि वस्तु का दूसरी से भिन्न अस्तित्व न दिखाई पड़े तो वहाँ मीलित अलंकार होता है ।

उदाहरण—

मिलि चन्दन बेंदी रही, गौरे मुख न लखात ।''

चन्दन की बिन्दी का जो रंग है वही गोरे मुख का है अतः वह गोरे मुख में इस प्रकार मिल गई है कि दिखलाई नहीं देती, अतः यहाँ मीलित अलंकार है ।

अन्य उदाहरण—

(१) ''अरुण बरन तिय चरन पर जावक लख्यो न जाय ।''

(२) ''अधर पान, अंजन नयन, लग्यौ महावर पाँय,
सिय तन ये दरसत नहीं, अंगन रहे समाय ।।''

(३) ''बरन बास सुकुमारता, सब विधि रही समाय ।
पँखुरी लगी गुलाब की, अंग न जानी जाय ।।''

मीलित का अर्थ है छिपा लेना । समान धर्म रखने वाली वस्तु का वह धर्म स्वाभाविक या आगंतुक दोनों हो सकता है । इसमें दो वस्तुएँ होती हैं जिनमें एक अधिक प्रबल और दूसरी कम प्रबल ।

मुद्रा

परिभाषा—प्रस्तुत प्रसंग के साथ-साथ प्रयुक्त शब्दों द्वारा किसी अन्य वस्तु या नाम की ओर संकेत हो मुद्रा अलंकार होता है ।

उदाहरण—

''करुणे क्यों रोती है ? 'उत्तर' में और अधिक तू रोई ।
मेरी विभूति है जो, उसकी 'भवभूति' क्यों कहे कोई ।।

कवि करुणा को सम्बोधित करता हुआ करुणा के प्रस्तुत प्रसंग के साथ-साथ कवि 'उत्तर' तथा भवभूति दो पदों के द्वारा यह भी सूचित कर देता है कि 'उत्तर रामचरित' नाटक में, जो भवभूति का लिखा है, करुण रस मेरे साकेत से भी अधिक है । अस्तु, यहाँ मुद्रालंकार है ।

अन्य उदाहरण—

(१) ''बरद ईस 'परमेश' हर, नागनाथ जन-पाल ।
बरस मेह करुना अयन, सकल करहिं सुख-साल ।।''

(२) ''सोई बया जो पिड़ कंठ लवा ।
करै मेराव सोई गरवा ।।''

(३) ''पांडव की प्रतिभा सम लेखौ । अर्जुन भीम महामति देखौ ।।
राजति है वह ज्यों नृप कन्या । धाइ विराजति है सँग धन्या ।।''

———

छन्द

छन्द की परिभाषा—'छन्द का अर्थ होता है 'बाँधना' । इसलिए कोई उक्ति जब एक विशेष लय, मात्रा या वर्ण योजना में बँध जाती है तो उसे 'छन्द' कहते हैं । छन्द स्वयं तो बँधे रहते हैं पर ये रस तथा भाव प्रकट करने और इन्हें एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुँचाने में बड़ी सहायता करते हैं । यही कारण है कि काव्य में छन्दों को इतना महत्त्व दिया जाता है ।

छन्द के भेद—छन्द दो प्रकार के होते हैं—(१) वर्णिक और (२) मात्रिक । वर्णिक छन्दों में वर्णों (अक्षरों) के विशेष क्रम या योजना का महत्त्व होता है, पर मात्रिक छन्दों में मात्राओं की गणना होती है । सवैया, मालिनी, शिखरिणी, मन्दाक्रान्ता इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा तथा द्रुतविलम्बित हैं । वर्णिक छन्द और दोहा, रोला, सोरठा, बरवै, चौपाई; छप्पय तथा कुण्डलिया मात्रिक छन्द ।

गणना की रीति—वर्णिक छन्द में वर्णों के क्रम (लघु-गुरु अर्थात् ह्रस्व-दीर्घ के क्रम) का नाम 'गण' (समूह) दिया गया है । एक गण में निश्चित लघु-गुरु क्रम से तीन वर्ण होते हैं । ये गण आठ हैं—भगण, जगण, सगण, यगण, रगण, तगण, मगण और नगण । इनका रूप इस प्रकार है— मानस

भगण	ऽ । ।	(पहला वर्ण गुरु, शेष दो लघु)	नहान
जगण	। ऽ ।	(पहला और तीसरा वर्ण लघु, दूसरा गुरु)	सुकथा
सगण	। । ऽ	(पहला-दूसरा लघु, तीसरा गुरु)	हमारा
यगण	। ऽ ऽ	(पहला लघु, दूसरा-तीसरा गुरु)	गायिका
रगण	ऽ । ऽ	(पहला-तीसरा गुरु, दूसरा लघु)	पाताल
तगण	ऽ ऽ ।	(पहला-दूसरा गुरु, तीसरा लघु)	राजाज्ञा
मगण	ऽ ऽ ऽ	(तीनों गुरु)	नमन
नगण	। । ।	(तीनों लघु)	

इन्हें अच्छी तरह याद रखने के लिए आप इन सूत्रों की सहायता लें

(क) आदि मध्य अवसान में, भ-ज-स सदा गुरु मान ।
क्रम से होते य-र-त लघु, म-न गुरु-लघु जिय जान ।।
(आदिमध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम् ।
यरता लाघव यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम् ।।)

(ख) य मा ता रा ज भा न सलगं ।

जिस गण की मात्रा (वर्णों) का क्रम देखना हो—उपर्युक्त (ख) सूत्र के अनुसार—उसी गण के प्रथम नामाक्षर से शुरू कर तीन अक्षर ले लें, रूप स्पष्ट हो जायेगा ! जैसे—

यगण के	लिए	यमाता	। ऽ ऽ
मगण के	लिए	मातारा	ऽ ऽ ऽ
तगण के	लिए	ताराज	ऽ ऽ ।
रगण के	लिए	राजभा	ऽ । ऽ
जगण के	लिए	जभान	। ऽ ।
भगण के	लिए	भानस	ऽ । ।
नगण के	लिए	नसल	। । ।
सगण के	लिए	सलगँ	। । ऽ

लघु और गुरु के नियम—छन्दों में ह्रस्व को 'लघु' और दीर्घ को गुरु कहते हैं। ये दोनों वर्ण के भेद हैं। दीर्घाक्षर को 'गुरु' कहते हैं, जिसका चिह्न 'ऽ' है। इसके विपरीत ह्रस्व अक्षर को 'लघु' कहते हैं, जिसका चिह्न '।' है।

लघु-गुरु गणना के नियम—

(१) अ, इ, उ, ऋ (ह्रस्व स्वर) या इनसे युक्त व्यंजन लघु माने जाते हैं।

(२) चन्द्रबिन्दु वाले ह्रस्व स्वर या इनसे युक्त व्यंजन लघु होते हैं; जैसे—'हुँ' (।)।

(३) आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि दीर्घ स्वर और इनसे युक्त व्यंजन गुरु होते हैं; जैसे—काका, दीदी (ऽ ऽ, ऽ ऽ)

(४) जिस वर्ण पर अनुस्वार हो वह गुरु होता है; जैसे—संसार में 'सं' गुरु है।

(५) विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होता है; जैसे—दुःख (ऽ ।)।

(६) संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण गुरु होता है; जैसे—धर्म में 'ध' गुरु है।

(७) हलन्त के पूर्व का लघुवर्ण भी गुरु होता है; जैसे—सत् में 'स' गुरु है।

प्रमुख छंदों का परिचय—

(१) चौपाई

(१) यह सम जाति का मात्रिक छंद है। (२) इसमें चार चरण होते हैं। (३) इसके प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं। (४) इसमें पहले तथा दूसरे और तीसरे तथा चौथे चरणों में तुक होती हैं। (५) प्रत्येक चरण के अन्त में यति होती है; जैसे—

सूत्र—(१) कल सोलह जत तजि चौपाई
(२) सोरह कल जत अंत न दीजै
चौपाई शुभ छंद रचि लीजै

उदाहरण—

S S	S I	I I S I	I I S		
बंदी	संत	असज्जन	चरना		=१६
I I I I	I I I	S I	I I	I I S	
दुखप्रद	उभय	बीच	कछु	धरना	=१६
I I I I	S	S I	S I	S S	
बिछुरत	सों	एक	प्राण	लेहीं	=१६
I I I	S I	S I I	I I	S S	
मिलत	एक	दारुन	दुख	देही	=१६

अन्य उदाहरण—

जगमग जगमग हम जग का मग = १६
ज्योतित प्रति पग करते जगमग = १६
हम ज्योति शलभ हम कोमल प्रभ = १६
हम सहज सुलभ दीयों के नभ = १६

(२) रोला

सूत्र—ग्यारह तेरह यति, कल चौबीस कहुँ रोला।

इस छन्द के प्रत्येक चरण में २४ मात्राएँ होती हैं, ११ तथा १३ मात्रों पर विराम होता है। कभी-कभी अन्त में या तो गुरु या दो लघुवर्ण आते है।

I I S S	I I	I S	S I	I I	S	I I S S	
मदमाता	जग	भला	दीन	दुख	क्या	पहचाने	= २४
S I I S	I I	S I	S I S	I I S	S S		
दीनबंधु	बिन	कौन	दीन के	हिय को	जाने		= २४
S S	S	I	I S I	S I S	S I	I S S	
होता	जो	न	अधार	शोक में	नाथ	तुम्हारा	= २४
I S S	I I	S I	I I I S	I I S	S S		
निराधार	यह	जीव	भटकता	फिरता	मारा		= २४

अन्य उदाहरण—

हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन ?
जब विपण्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन ?
संग सौंध में हो शृंगार मरण का शोभन
नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहें जीवित जन ?

(३) गीतिका

लक्षण—२६ मात्रा, १४-१२ पर यति तथा प्रत्येक चरण के अन्त में लघु-गुरु (I S)।

उदाहरण—

हे प्रभो ! आनन्द दाता, ज्ञान हमको दीजिए।
शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए ॥
लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बनें।
ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रत धारी बनें ॥

अन्य उदाहरण—

१. मातृ भू-सी मातृ भू है, अन्य से तुलना नहीं
२. लै सङ्ग भक्ति मलाह करि, आरूप सो लै आऊ।

[३] हरि गीतिका

सूत्र—षोडष द्वादश अंत लग करी
गाइये हरिगीतिका ॥

यह सम जाति का मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में २८ मात्राएँ होती हैं। इसमें १४-१४ या १६-१२ मात्राओं पर यति होती है। चरण के अन्त में एक लघु तथा एक गुरु वर्ण होता है।

उदाहरण—

।।	ऽ।	।।	ऽ	ऽ	।ऽ	
दुख	शोक	जब	जो	आ	पड़े	
ऽ	ऽ।	ऽ।।	।।	।ऽ		
सो	धैर्य	पूर्वक	सब	सहा ॥		= २८
ऽऽ	।।।ऽ	ऽ		।ऽ		
होगी	सफलता	क्यों		नहीं।		
।ऽऽ	।।	।।	।।	।ऽ		
कर्तव्य	पथ	पर	दृढ़	रहो		= २८

अन्य उदाहरण—

परिणाम को सोचे बिना जो लोग करते काम हैं
वे दुख में पड़कर कभी पाते नहीं विश्राम हैं।

(४) बरवै

सूत्र—विषमै बारह बरवा, सम दिन जान।

यह मात्रिक अर्धसम छंद है इस छंद के विषय चरणों में अर्थात् पहले और तीसरे चरणों में १२ मात्राएँ तथा सम अर्थात् दूसरे और चौथे चरण में ७ मात्राएँ होती हैं। सम चरणों के अन्त में जगण अथवा तगण इस छंद की सुन्दरता बढ़ाते हैं।

उदाहरण—

।।।	।ऽ ऽ	।।	।।	ऽ	।।	ऽ।
अवधि	शिला का	उर	पर,	था	गुरु	भार

।।	।।	ऽ।	।ऽ	ऽ	।।	।।	ऽ।	
तिल	तिल	काट	रही	थी	दृग	जल	धार	= ७

अन्य उदाहरण—

ऽ।	ऽ।	।।	ऽ।।	।ऽ	।ऽ।	
वाम	अंग	शिव	शोभित,	शिव	उदार	= ७
।।।	।ऽ।।	ऽ	।।	।।।	।ऽ।	
सरद	सुवारिद	में	जनु,	तड़ित	बिहार	= ७

(५) दोहा

सूत्र—विषम चरण तेरह कला, सम ग्यारह निर्धार
प्रथम तृतीय वर्जित जगण दोहा विविध प्रकार।

इस छंद के पहले और तीसरे चरण में १३ तथा दूसरे चौथे चरण में ११, ११ मात्राएँ होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण के प्रारम्भ में जगण नहीं होना चाहिए और अंत में लघु होना आवश्यक है।

उदाहरण—

ऽ।	।ऽऽ	।।।	।।	।।	।ऽ।	।।	ऽ।		
नैन	सलोने	अधर	मधु	कहु	रहीम	घटि	कौन	?	= २४
ऽऽ	ऽऽ	ऽ।	।।	।।	ऽऽ	।।	ऽ।		
मीठो	भावै	लोन	पर,	अरु	मीठे	पर	लोन		= २४

अन्य उदाहरण—

२. भूषन भार सँभारही, क्यों यह तन सुकुमार = २४
सूधो पाँय न परत महीं, सोभा ही के भार = २४

(६) सोरठा

सूत्र—तेरह सम विषमेश। दोहा उलटा सोरठा।

दोहे के समान सोरठा भी अर्धसम जाति का मात्रिक छद है। यह दोहे का उलटा होता है। इसलिए इसके पहले तथा तीसरे चरणों में ११-११ मात्राएँ होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरणों में १३-१३ मात्राएँ होती हैं। सोरठा छंद में पहले तथा तीसरे दूसरे तथा चौथे चरण में तुक मिलता है।

उदाहरण—

ऽ।	।।।।	।।	ऽ।	
जिहि	सुमिरत	सिधि	होइ	= ११

I I S I I	I I I I	I I I			
गननायक	करिवर	वदन			=१३
I I I	I I S I	S I			
करहु	अनुग्रह	सोइ			=११
I S	I S	I I	I I	I I	
बुद्धि	रासि	शुभ	गुन	सदन	=१३

अन्य उदाहरण—

निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरन सरोज रज ।
जो दायक फल चारु, बरनौं रघुबर विमल जस ।।

(७) छप्पय

सूत्र—छप्पय षट्पद छंद मिलि
रोला उल्लाला ।।

यह मात्रिक विषम छंद है । छप्पय में कुछ चरण होते हैं । यह छंद रोला के चार चरण तथा उल्लाल के दो चरणों के योग से बनता है । अर्थात् रोला के चार चरण २४ मात्राओं के तथा उल्लाल के दो चरण २६ या २७ मात्राओं के योग से छप्पय छंद बनता है । इस प्रकार यह संयुक्त छंद है ।

उदाहरण—

S S	S	I I	S I	I S	I I	S	S	S S	
चेरी	भी	वह	आज	कहाँ,	कल	थी	जो	रानी	=२४
S S	I I S	I S	I S	S	I I	I I	S S		
दानी	प्रभु ने	दिया	उसे	क्यों	मन	यह	मानी		=२४
I I S	S I I	S I	I S S	I S	I S S				
अबला	जीवन	हाय	तुम्हारी	यही	कहानी				=२४
S I I S S	S I	S I	S S S	S S					
आँचल में है	दूध	और	आँखों में	पानी					=२४
S S I I	S S I I I	S I I S	I I I S S						
मेरा शिशु	संसार यह	दूध पिये	परितुष्ट हो						=२६
S S S S	S I I I	I I I S	S	I S S					
पानी के ही	पात्र तुम	प्रभु रुष्ट	या	तुष्ट हो					=२६

अन्य उदाहरण—

उज्ज्वल हिम का रम्य रूप तजकर गलती है
जन्म भूमि को छोड़ शीघ्रता से चलती है = ११ + १३ = २४

अचल पिता का सभी प्रेम पीछे रहता है =११+१३
करके वह पाषाण हृदय सब कुछ सहता है =११+१३
फलता जो कुछ मार्ग में करती मटिया मेट है =११+१३
किससे करने जा रही तरंगिणी तू भेंट है =१३+१३

(८) कुण्डलिया

सूत्र—दोहा रोला मेलि के, रच कुण्डलिया छंद।

यह मात्रिक विषम छंद है। इसमें छप्पय की तरह छह चरण होते हैं पहले दो दल दोहा के और शेष चार दल रोला के होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चरण में २४ मात्राएँ होती हैं। इसका आरंभ जिस शब्द से होता है उसी से यह समाप्त भी होता है। यह दोहे और रोला के मेल से बनता है। दोहे का चौथा चरण रोला का प्रथम चरण होता है।

उदाहरण—

S S S । । ।।। S । S S । S S ।
लाठी मां गुण बहुत हैं सदा राखिए संग =२४
।। S ।। S S । S । । । S।। S ।
गहरा नद नाला परै तहाँ बचावत अंग =२४
। S । S।। S। ।।। । S। S SS
तहाँ बचावत अंग, झपट कुक्कर को मारै =२४
।।।। S SS। S। ।। S S S S
दुसमन दावागीर, होय तिनहूँ को झारै =२४
।। ।।।। ।।।। ।।। S S। S S S
कह गिरधर कविराय सुनहु हे वेद के पाठी =२४
।। ।। S। । । । S । S SS S S
सब हथियार हि छाँड़ि हाथ माँ राखो लाठी =२४

अन्य उदाहरण—

बगला बैठा ध्यान में, प्रातः जल के तीर =२४
मानो तपसी तप करे, मलकर भस्म शरीर
मलकर भस्म शरीर, तीर जब देखी मछली।
कहै मीर ग्रसि चोंच, समूची फौरन निगली
फिर भी आवें शरण, पैर जो तज के अगला
उनके भी तू प्राण हरे रे छी! छी! बगला।

(९) द्रुतविलंबित

सूत्र—द्रुतविलंबित हो न भ भा र से।

यह सम जाति का वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में १२ वर्ण होते हैं और इसमें क्रमशः नगण, दो भगण, और एक रगण आता है।

उदाहरण—

दिवस का अवसान समीप था
गगन था कुछ लोहित हो चला
तरु शिखा पर थी अब राजती
कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा।

अन्य उदाहरण—

न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ,
सफलता वह पा सकता कहाँ ?

(१०) वंशस्थ

सूत्र—विचार वंशस्थ रचो **ज ता ज रा**

इस छंद के प्रत्येक चरण में १२ वर्ण तथा जगण, तगण, जगण, रगण, हो उसे हम वंशस्थ छंद कहते हैं—

उदाहरण—

दिनांत था थे दिननाथ डूबते।
सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे।
दिगंत में गोरज थी समुत्थिता
विषाण मानो बजते सवेणु थे।

अन्य उदाहरण—

कहीं जलाते जन गेह दीप थे।
कहीं खिलाते पशु को सप्यार थे॥
पिला पिला चंचल वत्स को कहीं॥
पयस्विनी से पय थे निकालते॥

(११) वसंत तिलका

सूत्र—गाओ देखो वसंततिलका **तु भ जो ज गे गा**

इस छंद के प्रत्येक चरण में तगण भगण, दो जगण और अंत में दो गुरु। इस प्रकार प्रत्येक चरण में १४ वर्ण और आठवें वर्ण पर विराम होता है।

उदाहरण —

भू में रमी शरद की कमनीयता थी
नीला अनन्त नभ निर्मल हो गया था
थी छा गई ककुभ में अमिता सिताभा
उत्फुल्ल-सी प्रकृति थी, प्रतिभाति होती।

अन्य उदाहरण—

आया हुआ सुदल देख ब्रजांगना का
माधुर्य भाव पढ़ के लम मग्न दत्तः
श्रीकृष्ण चन्द्र सहसोत्तर पत्र अंकी
भेजा सखा निकट में वृषभानुजा के।

(१२) मालिनी-वर्णवृत्त छंद

सूत्र—न न भ य य जुटा के मालिनी रम्य गाओ।

अर्थात् नगण, नगण, भगण, यगण इस प्रकार एक चरण में १५ वर्ण तथा ८,७, पर यति आने वाले छंद को मालिनी छंद कहते हैं।

उदाहरण—

गृह तिमिर निराशा का समाकीर्ण जो था,
निज मुख द्युति से है, जो उसे ध्वंसकारी।
सुखकर जिससे है, कामिनी जन्म मेरा,
यह रुचिकर चित्रों का चितेरा कहाँ है?

अन्य उदाहरण—

पल-पल जिसके मैं पन्थ को देखती थी,
निशिदिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती।

(१३) उपेन्द्रवज्रा

सूत्र—**ज त जा ग गा है**।

इस छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण; जगण और अन्त में दो गुरु इस तरह प्रत्येक चरण में ११ वर्ण होते हैं।

इन्द्रवज्रा से प्रथम वर्ण को लघु अर्थात् प्रारंभ के तगण के, जगण कर देने से उपेन्द्रवज्रा छंद बनता है।

उदाहरण—

कहीं वहीं भूल न जाइएगा
पधारिए सत्वर आइएगा
बने स्वयं सत्पथ सौख्यकारी
सुकर्म हो विघ्न पियन्तिहारी।

अन्य उदाहरण—

मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहा हूँ।

(१४) इन्द्रवज्रा

सूत्र—ता ता ज गा गा शुभ इन्द्रवज्रा।

यह वर्णवृत्त छंद है और प्रत्येक चरण में ११ वर्ण होते हैं।

उदाहरण—

मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ
भाता मुझे सो नव मित्र सा है

अन्य उदाहरण—

देखूँ उसे मैं नित बार बारी
मानो मिला मित्र मुझे पुराना

जिस छंद के प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण तथा दो गुरु वर्णों के क्रम से ग्यारह वर्ण हो उसे इन्द्रवज्रा छंद कहते हैं।

(१५) शिखरिणी

सूत्र—(१) कवीन्द्रों को मोहे यमनसभलगा शिखरिणी
(२) रस स्थाणु युक्ता यमनसभलगा शिखरिणी

रस अर्थात् छह, स्याणू अर्थात् ग्यारह छः और ग्यारह वर्णों के विराम से क्रमशः यगण, मगण, नगण, भगण, तथा अंत में लघु और गुण के योग से शिखरिणी छंद बनता है। वर्णिक छंदों में यह समवृत्त छंद है।

उदाहरण—

मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या सँभल के ?
बहे आँसू हो के सखी सब उपालंभ गल के।
उन्हें हो आयी जो निरख मुझको नीरव दया।
उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हो रह गया।

अन्य उदाहरण—

मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या सँभल के ?
बहे आँसू ही के सखी सब उपालम्भ गल के।

(१६) मन्दाक्रान्ता

सूत्र—मन्दाक्रान्ता मभनततगागा श्रुति राग बाजो।

इस छंद के प्रत्येक चरण में म, भ, न त त गण और अंत में दो गुरु आते हैं। इस तरह प्रत्येक चरण में १७ वर्ण होते हैं और ४, ६, ७ वर्णों पर यति होता है। छंदवेत्ता उसे मन्दाक्रान्ता छंद कहते हैं।

उदाहरण—

दो वंशों में, प्रकट करके, पावनी लोक लीला
सौ पुत्रों से, अधिक जिनकी पुत्रियाँ पुण्य शीला,
त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही
राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही

अन्य उदाहरण—

तारे डूबे, तम टल गया, छा गई व्योम लाली
पक्षी बोले तमचुर जगे ज्योति फैली दिशा में
शाखा डोली तरुनि चंपे की, कंज फूले सरों में
धीरे-धीरे दिनकर कढ़े, तामसी रात बीती

(१७) शार्दूलविक्रीडित

सूत्र—मो से जो सतते ग्रही जगत में शार्दूलविक्रीडित ।

अर्थात् इस छंद के प्रत्येक चरण में म स ज स त त और अंत में गुरु के क्रम से १८ वर्ण हों, १२ एवं ७ वर्ण पर यति हो तो उसे शार्दूलविक्रीडित छंद कहा जाता है ।

उदाहरण—

आ बैठी उर मोहजन्य जड़ता विद्या विदा हो गई
पाई कायरता मलीन मन को हा वीरता खो गई
जागी दीन दशा दरिद्र जन की; श्री संपदा सो गई
माया शंकर की हँसाय हमको, रुद्रा बनो रो गई ।

अन्य उदाहरण—

रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेन्द बिम्बानना
तन्वंगी कल हासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली
शोभा वारिधि की अमूल्य निधि सी लावण्य लीलामयी
श्रीराधा मृदुभाषिणी मृगदृगी माधुर्य सन्मूर्ति थी.

(१८) स्रग्धरा

सूत्र—मारा भाना ययाथा सत-सत यति से स्रग्धरा माना जाता है ।

स्रग्धरा छंद के प्रत्येक चरण में २१ अक्षर मरभनययय के क्रम से रखे जाते हैं तथा ७, ७, ७ पर यति होता है इसे स्रग्धरा छंद कहते हैं ।

उदाहरण—

नाना फूलों फलों से, अनुपम जग की, वाटिका है विचित्रा
भोक्ता हैं सैकड़ों ही, मधुप शुक तथा, कोकिला गान शीला

कौवे भी हैं अनेकों, पर धन हरने में सदा अग्रगामी।
कोई है एक माली, सुधि इन सबकी जो सदा ले रहा है।

अन्य उदाहरण—

मोरे भौ ने यग्र को, कहहु सुत कहाँ; ते लिये आवते हो
भाका आनन्द आजी, तुम फिरि कै माथ जो नावते हो
बोले-माता विलोक्यो फिरत सह चमू, बाग में स्रग्धरे ज्यों
काठी माला रुमारे, विपुल रिपुबली, अश्व को जीति के त्यों

(१६) सवैया

यह सम जाति का वर्णिक छंद है। इनके प्रत्येक चरण में २२ से लेकर २६ तक वर्ण होते हैं। इसलिए इसके कई प्रकार माने जाते हैं जैसे सुन्दरी, मदिरा, दुर्मिल।

(१६ क) मत्तगयंद

सूत्र—भा गण सात मिला गुरु दो
रच लो तुम मत्तगयंद सवैया

अर्थात् मत्तगयंद सवैया के प्रत्येक चरण में २३ वर्ण हैं। सात भगण और दो गुरु प्रत्येक चरण में होते हैं।

उदाहरण—

सेस, महेस, गनेश, दिनेस, सुरेसहु जाहि निरंतर गावैं
जाहि अनादि, अनंत, अखंड,
अछेद, अभेद, सुवेद बतावैं
नारद से सुक व्यास रटैं, पचि हारे
तऊ पुनि पार न पावैं
ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरि छाछ पै नाच नचावैं

अन्य उदाहरण—

सीस, पगा न झगा तन में प्रभु
जानि को आहि बसै केहि ग्रामा
धोती फटी-सी लटी दुपटी अरु
पाँव उपानहु को नहिं सामा
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखि
रह्यो चकि सों वसुधा अभिरामा
पूछत दीन दयाल को धाम
बतावत आपनो नाम सुदामा

(२०) घनाक्षरी

घनाक्षरी के दो भेद हैं (१) रूप घनाक्षरी (२) देव घनाक्षरी।

(१) रूप घनाक्षरी—

सूत्र—आठ, आठ, आठ, आठ पर यदि दे बत्तीस की
रूप घनाक्षरी, रचो चरण सुधीर।

रूप घनाक्षरी में ८, ८, ८, ८, की यति से प्रति चरण में ३२ वर्ण होते हैं अंत में गुरु-लघु आते हैं।

उदाहरण—

प्रभु रुख पायि कै बोलाइ बाल घरनिहि,
वंदि कै चरन चहूँ दिसि बैठे घेरि घेरि
छोटो-सो कठौता भरि आनि पानी गंगाजू को
धोई पाय पीयत पुनीत बारि फेरि-फेरि।
तुलसी सराहे ताको भाग सानुराग सुर,
बरषै सुमन जय जय कहैं टेरि-टेरि।
बिबुध सनेह सानि-बानी असयानी सुनि,
हँसे राघौ जानकी लखन तन हेरि हेरि।

अन्य उदाहरण—

नगर से दूर कुछ, गाँव की-सी बस्ती एक,
हरे-भरे खेतों के समीप अति अभिराम,
जहाँ पत्रजाल अन्तराल से झलकते हैं,
लाल खपरैल श्वेत, छज्जों के सँवारे धाम॥
बीचो बीच पर वृक्ष, खड़ा है विशाल एक,
झूलते हैं बाल कभी, जिसकी जटायें थाम,
चढ़ी मञ्जु मालती लता है जहाँ छाई हुई,
पत्थर की पट्टियों की चौकियाँ पड़ी हैं श्याम।

(२) देव घनाक्षरी—

सूत्र—तैंतीस वर्ण की देव घनाक्षरी होती मंजु।
आठ, आठ, आठ, नव पर विराम रखकर।

देव घनाक्षरी के प्रत्येक चरण में ८, ८, ८, ९ के विराम से ३३ वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के अंतिम तीन वर्ण लघु होते हैं।

उदाहरण—

झिल्ली झनकारे पिक चातक पुकारैं बन ।
मोरनि गुहारै उठैं जुगनु चमकि चमकि ।
घोर घन कारे भारे घुरवा घुरारे घाम ।
धूमनि मचावैं नावैं दामिनी दमकि-दमकि
झुकनि बयार बहै, लूकनि लगावै अंग
हूकनि भभूकनि की उर में खमकि-खमकि
कैसे करि राखौ प्राण प्यारे जसवन्त बिना
नान्हीं नान्हीं बूँद झरे मेघवा झमकि-झमकि ।

(८, ८, ८, ९ पर यति; ३३ वर्ण) इसमें गणों का क्रम नहीं रहता ।

(२१) अनुष्टुप

यह वर्णिक मुक्त छंद है, जिसमें आठ आठ अक्षरों के चार पद होते हैं । समस्त अष्टकों का पाँचवाँ अक्षर, दूसरे-चौथे अष्टक का सातवां अक्षर लघु होता है और पहले तीसरे अष्टक का सातवाँ अक्षर गुरु होता है । नारायण भट्ट ने पहले-तीसरे अष्टक के आदि में नगण और सगण का निषेध और चार वर्णों के बाद यगण का विधान तथा दूसरे चौथे अष्टक के पहले अक्षर के बाद रगण का निषेध किया है ।

उदाहरण—

भिन्न भी भावभंगी में, भाती है रूप सम्पदा ।
फूल धूल उड़ाके भी, आमोद प्रद हैं सदा ।।

(२२) मनहरण या कवित्त

यह वर्णिक समवृत्त छंद है । इसमें ३१ वर्ण होते हैं । १६–१५ या ८, ८, ८, ७ वर्णों पर यति होती है और अन्तिम वर्ण गुरु होता है । तुक चारों चरणों में होती है ।

उदाहरण—

सहज विलास हास, प्रिय की हुलास तजि, (८+८=१६)
दु:ख के निवास प्रेम, पास पारियत है । (८+७=१५)

अन्य उदाहरण—

अति निकट गोदावरी पाप संहारिणी ।
चल तरंग तुंगावली चारु संचारिणी ।

काव्य की आत्मा

काव्य की परिभाषा—

साहित्य की संज्ञा निरूपित करने की अनेकानेक चेष्टाएँ की गई हैं। साहित्य की सर्वसम्मत एक परिभाषा देना असंभव है क्योंकि साहित्य अजस्र वैचित्र्य का स्रोत है, और किसी परिभाषा में बाँधने का प्रयत्न तो उस वैचित्र्य के कुछ अंश को ही ग्रहण करने की क्षमता रखता है। मानव सतत अन्वेषण करने की ओर विकासशील है अतः अतीत और वर्तमान दोनों ही कालों में साहित्य की अनेक विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएँ दी हैं जिनमें से प्रमुख परिभाषाओं की चर्चा करना अधिक संगत रहेगा।

पं० राजशेखर ने साहित्य की व्याख्या देते हुए कहा कि—

(१) "शब्दार्थयोर्यथावत्सहभावेन, विद्या साहित्य विद्या।"

अर्थात् शब्द और अर्थ के यथायोग्य सहयोग वाली विधा साहित्य विद्या है।

(२) 'रघुवंश' में महाकवि कालिदास ने भी—

"वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये।
जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ॥"

कहकर शब्द और अर्थ के योग को शिव पार्वती के संयोग को उपमा दी है।

(३) महाकवि तुलसीदास जी ने यह कहकर—

"गिरा अर्थ, जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न।
बन्दौं सीता राम पद, जिन्हें सदा प्रिय खिन्न॥"

(बालकाण्ड रामचरितमानस)

शब्द और अर्थ की अभिन्नता को सिद्ध किया है।

(४) कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में 'सहित शब्द से साहित्य के मिलने का एक भाव देखा जाता है। एक भाव से भाव का, भाषा से भाषा का, ग्रन्थ-ग्रन्थ का ही मिलन नहीं है; बल्कि मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का दूर के साथ निकट का अत्यन्त अन्तरंग मिलन भी है, जो कि साहित्य के अतिरिक्त अन्य से सम्भव नहीं है।

"(५) साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति है।"

'हेनरी हडसन'

उपर्युक्त परिभाषाओं को देखने से ज्ञात हो जाता है कि 'साहित्य' संसार के प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रिया अर्थात् विचारों, भावों और संकल्पों की शाब्दिक

अभिव्यक्ति है और वह हमारे किसी न किसी प्रकार के हित का साधन करने के कारण संरक्षणीय हो जाती है। मानव मात्र में संवेदना तत्व है और वह अपने अनुभूत सत्य को व्यक्त करता है, जब वही सत्य तीव्रता से अभिव्यक्ति पाकर स्थायी सर्जन का रूप पाता है तब वह 'साहित्य' कहलाता है।

इस प्रकार साहित्य अपने व्यापक अर्थभार से मुक्त होकर संकुचित अर्थ में गृहीत किया जाता है। और साहित्य काव्य का पर्याय हो जाता है। क्योंकि इसका सम्बन्ध मानव मात्र से होता है तथा इसका उद्देश्य आनन्द और कला साधन के द्वारा मानव जीवन को सरस, सुखी तथा सुन्दर बनाना है—मन को रसमग्न करने का कार्य साहित्य का है और यह कार्य कविता ही अधिक क्षमतापूर्वक संपन्न करती है।

अतः साहित्य शब्द का अर्थ सहित होने का भाव (सहितस्य भावः साहित्यं) तथा ("हितेन सहसहितं") अर्थात हित के साथ होना अपने सम्पूर्ण अर्थ में चरितार्थ हुआ है। इस प्रकार कविता के द्वारा कवि सत्यं, शिवम्, सुन्दरम् की साधना कर अनुभूतसत्य की अभिव्यक्ति के द्वारा पाठक को रस के गहरे सागर में डुबाकर ब्रह्मानंद सहोदर की प्रतीति करवाता है।

साहित्य शब्द के वास्तविक अर्थ का परिचायक काव्य शब्द है। वास्तव में भिन्न-भिन्न काव्य-कृतियों का समष्टि संग्रह ही साहित्य है। मानव ने अपने भावों को अभिव्यक्ति करने और उन्हें स्थिरता देने की भावना से ही साहित्य को जन्म दिया और जिसके लिये सक्षम साधन काव्य प्रतिभा ही बनी।

इस प्रकार संग्रहरूप में जो साहित्य है मूलरूप में वही काव्य है। संस्कृत में काव्य शब्द से गद्य-पद्य, तथा चम्पू का बोध होता है, और आज विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त कर सम्पूर्ण साहित्य का पर्यायवाची मानते हैं।

काव्य : विभिन्न सम्प्रदाय—

शरीर और आत्मा—शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर कहा गया है। ये दोनों ही अभिन्न हैं। गुण शूरता-वीरता के सदृश होते हैं। रीति अवयवों के संस्थान के समान होती है। रस आत्मा तुल्य और अलंकार कटक, कुंडल इत्यादि—शोभा-वर्धक उपकरणों से और वक्रोक्ति चमत्कारपूर्ण स्वरूप में, पाठक को आकृष्ट करने में समर्थ होती है।

यद्यपि शरीर और आत्मा दोनों ही अति आवश्यक अंग हैं तथापि विद्वानों ने काव्य की आत्मा को विशेष रूप से अपनी मनीषा और समीक्षा का विषय बनाया है।

इसी आत्मा-सम्बन्धी प्रश्न के उत्तर पर काव्य की परिभाषा और काव्य का स्वरूप निर्भर है। इस सम्बन्ध में प्रायः पाँच सम्प्रदायों का उल्लेख और उन पर चर्चा होती रही है। वैसे तो काव्य की पूर्णता के लिए प्रत्येक अंग की उपादेयता स्वीकार की गई है किन्तु विभिन्न अंगों में से किसी एक अंग पर बल देने और उसे महत्व प्रदान करने के आधार पर ही 'सम्प्रदाय' अस्तित्व में आए हैं।

अति संक्षेप में हम मान्य संप्रदायों और इनके प्रवर्तकों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे।

संप्रदाय	प्रवर्तक आचार्य	अनुयायी	समय
(१) अलंकार-सम्प्रदाय	भामह, दण्डी, उद्भट		
(२) वक्रोक्ति-संप्रदाय	कुन्तक		
(३) रीति-संप्रदाय	वामन		
(४) ध्वनि-संप्रदाय	ध्वनिकार आनन्द वर्धन		
(५) रस-संप्रदाय	भरतमुनि विश्वनाथ		
(६) औचित्य-संप्रदाय	आचार्य क्षेमेन्द्र		

(१) अलंकार-सम्प्रदाय

यह सम्प्रदाय आचार्यों के उस वर्ण का है जो अलंकार को काव्य का प्रमुख आकर्षण और उसकी आत्मा मानते हैं। संस्कृत में भामह इसके संस्थापक तथा उद्भट, दण्डी, रुद्रट, जयदेव, प्रतिहारेन्दुराज—इस मत के प्रबल समर्थक रहे हैं। हिन्दी में केशव, जसवन्तसिंह, भूषण, दूलह आदि ने अलंकारों को ही महत्व दिया है। भामह अलंकार को काव्य का अनिवार्य प्राणतत्त्व मानते हैं। दण्डी के अनुसार काव्य के सभी पोषक अंग "अलंकार" कहलाते हैं। आरम्भ में अलंकारों की संख्या कम थी परन्तु जैसे-जैसे इनका विवेचन बढ़ता गया संख्या भी बढ़ती गई। भामह ने 'वक्रोक्ति' को सम्पूर्ण अलंकारों का मूल माना। अलंकरण की प्रवृत्ति मनुष्य में स्वाभाविक है। इसके द्वारा उसके आत्मभाव और गौरव की वृद्धि होती है। दण्डी (छठी शताब्दी) ने इन अलंकारों को शोभा का कारण बताया है।

"काव्यशोभाकरान्धर्मानलंकारान्प्रचक्षते।

(काव्यादर्श २/१)

रीतिकाल के प्रसिद्ध अलंकारवादी आचार्य कवि केशवदास जी ने (१७वीं शताब्दी) कहा—

"जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुवरन सरस सुवृत्त।
भूषण बिन न विराजई, कविता बनिता मित्त ॥

—कवि प्रिया (कविता अलंकार वर्णन)

इस प्रकार केशव ने अलंकार शब्द को विस्तृत अर्थ दिया। आचार्य वामन ने (८वीं शताब्दी) अलंकारों को शोभाकारकगुणवर्धक बताया है।

अलंकारवादियों ने अलंकार के मुख्य तीन भेदों की चर्चा की है।

(१) शब्दालंकार (२) अर्थालंकार (३) उभयालंकार

(२) वक्रोक्ति-सम्प्रदाय

इसके प्रधान आचार्य कुन्तक हैं। वक्रोक्ति शब्द दो अर्थों में व्यवहृत होता है, एक अलंकार विशेष के रूप में और दूसरा उक्ति की वक्रता व असाधारणता के रूप में। ''वक्रोक्ति-जीवितम'' नामक ग्रन्थ के रचयिता आचार्य कुन्तक को इस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। मूलरूप से कुन्तक काव्य में शब्द और अर्थ—दोनों को समान महत्त्व देते हुए उसे आनंद देने वाला मानते हैं। काव्य में वस्तु एवं उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम; अर्थात अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों का तादात्म्य होना चाहिए। विषय विशिष्ट होना चाहिए और अभिव्यंजना शैली असाधारण और लोकातीत होनी चाहिए। कुन्तक का काव्य सम्बन्धी दृष्टिकोण कलावादी और सौंदर्यवादी है। इन्होंने रस को विशेष महत्त्व न देकर कवि-कौशल को ही महत्त्व प्रदान किया है। काव्य कथा से अधिक रस और उससे भी अधिक उक्ति वैचित्र्य को महत्ता प्रदान की है। कुन्तक ने वक्रोक्ति का विस्तार के साथ विवेचन करते हुए उसके अनेक भेदोपभेद निश्चित किये हैं—

(१) वर्ण-विन्यास-वक्रता (२) पद-पूर्वार्द्ध-वक्रता (३) पद-परार्द्ध-वक्रता (४) वाक्य-वक्रता (५) प्रकरण-वक्रता (६) प्रबन्ध-वक्रता ।

(३) रीति-सम्प्रदाय

वामन ने रीति को ही काव्य की आत्मा माना है। वामन से पूर्व अनेक आचार्यों ने रीति का विवेचन किया है किन्तु आत्मारूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय आर्य वामन को ही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि ''विशिष्ट-पद-रचना रीतिः'' अर्थात विशेष प्रकार की पद-रचना ही रीति है। पद-रचना में गुणों का होना अनिवार्य है। रीति का आधार गुण है और काव्य का आधार रीति को मानते हैं वामन के उपरांत आचार्य रुद्रट (८वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध) ने भी वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली के साथ लाटी रीति को भी जोड़ दिया।

राजशेखर ने रीति का सम्बन्ध बोलचाल से ही माना और कुन्तक ने रीति को मार्ग कहा—कवि स्वभाव माना।

(१) सुकुमार	(२) विचित्र	(३) मध्यम
|	|	|
वैदर्भी	गौड़ी	पांचाली

इन रीतियों से जोड़ा गया।

११वीं सदी में भोजराज ने अवन्तिका और मागधी नामक रीति के अन्य दो भेदों की कल्पना की—अन्य विद्वानों ने पांचालिका-मैथिली बघेली आदि नाम दिये किन्तु ये नाम पांचाली-वैदर्भी मागधी के ही पर्याय माने गए।

वामन ने रीति के द्वारा अनुभूति से अधिक अभिव्यक्ति को महत्त्व दिया—शैली पर भार दिया—इसे हम कलावादी सम्प्रदाय का पूर्वरूप मान सकते हैं।

(४) ध्वनि-संप्रदाय

ध्वनि-संप्रदाय के आचार्य ध्वनिकार माने गए हैं। ध्वनिकार की व्याख्या करने वाले आनन्दवर्धन (नवीं शताब्दी) को भी उतना ही महत्त्व दिया गया है। इन्होंने सन् ८७५ ई० के आस-पास अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ध्वन्यालोक' द्वारा इस नवीन-काव्य-संप्रदाय की स्थापना कर, ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया। विद्वानों में 'ध्वन्यालोक' के रचयिता के विषय में मतभेद रहा है। ध्वन्यालोक के पूर्व 'ध्वनि-सम्प्रदाय' के अस्तित्व का निश्चित प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। साथ ही 'ध्वन्यालोक' की पहली कारिका में कहा गया है—"काव्य की आत्मा ध्वनि है, जिसे बुद्धिमान लोग पहले से कहते आये हैं।" यह वाक्य इस सम्प्रदाय की पूर्ववर्ती परम्परा का अकाट्य प्रमाण है। विशद विवेचन के साथ ध्वनि-संप्रदाय को पूर्ण प्रतिष्ठा आनन्दवर्धन के द्वारा ही प्राप्त हुई है अतः ये ही इस संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। 'ध्वनि-संप्रदाय' में ध्वनि व्यंग्यार्थ के अर्थ में प्रयुक्त है। इसके मुख्य भेद (५) अविवक्षित वाच्य-ध्वनि तथा विवक्षितान्यपर वाच्य ध्वनि है।

इस प्रकार "जहाँ अर्थ अपने को अथवा शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके उस (प्रतीयमान) को अभिव्यक्त करते हैं, उस काव्य-विशेष को विद्वान् लोग ध्वनि (काव्य) कहते हैं।" काव्य में कथित शब्द और अर्थ अपने को अप्रधान बनाकर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार व्यंजना व्यापार को ही ध्वनि की आधार शिला मान-कर 'ध्वनि संप्रदाय' ने रस ध्वनि, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि को स्थान देते हुए अपने क्रोड़ में सभी संप्रदायों को समा लिया है।

(५) रस-संप्रदाय

रस-संप्रदाय के आदि प्रणेता 'नाट्यशास्त्र' के रचयिता आचार्य भरत-मुनि माने जाते हैं। इनका समय ईसा-पूर्व पहली-शताब्दी के आस-पास माना गया है। इन्होंने ही सबसे पहले रस-सिद्धांत की स्थापना कर 'रस' को काव्य की आत्मा घोषित किया था। भरत-मुनि के उपरान्त अनेक विद्वानों ने रस-सिद्धांत की व्याख्याएँ करने में ऐति-हासिक योगदान दिया है। भट्ट लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, भोजराज, पण्डितराज जगन्नाथ इत्यादि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं।

भरत-मुनि का रस सम्बन्धी मूल-सूत्र निम्नलिखित है—

"विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रसनिष्पत्तिः"।

अर्थात् विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रसनिष्पत्ति होती है।

रसवादी विद्वान् काव्य का लक्ष्य—पाठक को आनन्द प्रदान करना मानते हैं—रस को ही ईश्वर माना गया है। काव्य-जन्य आनन्द का ही दूसरा नाम रस है। रस सिद्धांत भाव को काव्य का प्रधान तत्व स्वीकार करते हुए भावों के विभिन्न रूपों और उनके विभिन्न उपांगों का विस्तृत विवेचन करता है।

रस में भावों की अधिक महत्ता है । ये भाव दो रूप में प्रकट होते हैं । "स्थायी भाव" जिसके अन्तर्गत प्रेम, घृणा, उत्साह इत्यादि तथा 'संचारी भाव' जिसमें हर्ष, भय, रोष से लेकर अन्य ३४ भावों की गणना है । स्थायी भाव की दीर्घ स्थिति हैं जहाँ संचारी भाव थी क्षणिक । इस प्रकार विभाव-अनुभाव-आलम्बन उद्दीपन, आश्रय इत्यादि के सहारे रस सिद्धान्त पूर्ण होता है । नौ रसों का परिचय हमें किसी भी प्रबन्ध के रसास्वादन में सहायक होता है ।

अनेक विद्वानों ने अलंकार, वक्रोक्ति, रीति और ध्वनि को काव्य की आत्मा सिद्ध करने का प्रयत्न किया किन्तु रस सिद्धान्त की सर्व-व्यापकता ने इनके अस्तित्व को स्वीकार करते हुए भी गौण बना दिया ।

रस

रस की परिभाषा—रस क्या है ? इसके उत्तर के लिए पहले रस शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान देना आवश्यक है। 'रस' शब्द रस धातु से बना है जिसका अर्थ है आस्वाद लेना। सामान्य अर्थों में भी रस का यही अर्थ लिया जाता है। रस शब्द का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। साहित्य शास्त्र में 'रस' का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसमें रस का प्रयोग भिन्न अर्थ में किया जाता है। काव्य के पठन, श्रवण अथवा दर्शन से पाठक, श्रोता अथवा दर्शक के हृदय में जो अवर्णनीय, अलौकिक आनंद होता है वही रस है। रसानंद ग्रहण करते समय पाठक, श्रोता या दर्शक आत्म-विस्मृत हो जाता है इसलिए रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। जो आनंद योगियों को समाधि अवस्था में ब्रह्म का साक्षात्कार करने में प्राप्त होता है वही आनंद सामान्य सहृदय व्यक्तियों को काव्य का रसानंद ग्रहण करने से प्राप्त होता है। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में रस की परिभाषा इस प्रकार की है—

विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रसनिष्पत्तिः।

अर्थात् विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है।

काव्य में रस का स्थान—'रस' को भारतीय साहित्यशास्त्रियों ने काव्य का प्राण माना है। आचार्य भरतमुनि ने बहुत पहले ही रस के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि रस के बिना किसी अर्थ की प्रवृत्ति भी नहीं होती। इसलिए रस काव्य का प्रधान अंग माना गया है।

यहाँ भरतमुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, व्यभिचारी आदि पारिभाषिक शब्दों का विवेचन करेंगे।

(१) **स्थायी भाव**—मानव-हृदय में वासना रूप में स्थित मनोविकारों को काव्य में स्थायी भाव की संज्ञा दी गई है। मानव हृदय के ये मूल भाव हैं और इनसे कोई भी सहृदय मानव अछूता नहीं रहता। ये स्थायी भाव स्थायी रूप से चित्त में स्थिर रहते हैं। इसको कोई भी विरोधी भाव छिपा नहीं सकता, इसी कारण इन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। आचार्यों ने स्थायी भावों की संस्था नौ मानी है। जैसे रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद।

विभाव—मानव अपने हृदय में स्थित काम, क्रोध, भय आदि भावों का अनु-

भव विशेष कारण से करता है। जो कारण इन भावों को जाग्रत करते हैं वे विभाव कहलाते हैं।

विभाव के दो भेद किये हैं—

(१) आलंबन विभाव

(२) उद्दीपन विभाव

(१) **आलंबन विभाव**—जिनका आलंबन लेकर हृदय में स्थित भावों की जागृति होती है उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। उदाहरणार्थ—किसी भयानक शेर को देखकर राकेश के हृदय में स्थित भाव 'भय' की जागृति होती है। अतः यहाँ भयानक शेर आलंबन है जिसे देखकर राकेश को भय की प्रतीति होती है। और जिस व्यक्ति के हृदय में भाव की जागृति होती है वह आश्रय कहलाता है। प्रस्तुत उदाहरण में राकेश के हृदय में 'भय' भाव की जागृति हुई है अतः राकेश आश्रय है।

(२) **उद्दीपन विभाव**—वे उपकरण, वस्तुएँ अथवा वातावरण जिनसे उत्पन्न भाव को और भी अधिक उत्कर्ष मिले—उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आयेंगे। उदाहरणार्थ—भयानक शेर को देखकर राकेश के हृदय में उत्पन्न भय का भाव उस समय भी अधिक और भी उद्दीप्त हो जाता है जब वह अपने को सुनसान भयानक जंगल में देखता है। यहाँ सुनसान जंगल उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आयेंगे। इसी प्रकार रति भाव को आलंबन का अनुभव सौंदर्य मादक चाँदनी, नदी का किनारा आदि अधिक उद्दीप्त करते हैं।

प्रत्येक रस के आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव पृथक्-पृथक् होते हैं एवं एक ही वस्तु या व्यक्ति आश्रय के भेद के कारण विभिन्न भावों का आलंबन भी हो सकता है। धनुष यज्ञ में सम्मिलित श्रीराम यदि सीता के लिए रतिभाव के आलंबन हैं तो वही राम श्रीजनक के लिए वात्सल्य के और कुटिल जनों के लिए 'भय' के आलंबन भी हैं। इसी प्रकार एक ही वस्तु या व्यक्ति परिस्थिति भेद से विभिन्न उद्दीपनों का कारण बन सकता है। जैसे नायक का चित्र नायक की अनुपस्थिति में नायिका के हृदय में रतिभाव के उद्दीपन का कारण बनेगा तो यही चित्र नायक की मृत्यु के पश्चात् 'शोक' के उद्दीपन का कारण बनेगा।

अनुभाव—अनुभाव की परिभाषा संस्कृत के एक आचार्य ने इस प्रकार की है—अनुभावयन्ति इति अनुभावा—अर्थात् स्थायी भावों का अनुभव कराने वाले अनुभाव कहलाते हैं। भावोद्रेक होने पर आश्रय कुछ क्रियाएँ करता है क्योंकि भाव जाग्रत् होकर सक्रिय हो जाता है—ये क्रियाएँ ही अनुभाव कहलाती हैं। उदाहरणार्थ—भयानक, अंधकारमय, सुनसान जंगल में भीमकाय डाकू को यदि कोई व्यक्ति देखता है तो उसके हृदय में भय का भाव जाग्रत् होता है। भय के भाव के जाग्रत् होते ही वह काँपने लगता है, उसका मुख सफेद पड़ जाता है और प्राण बचाने के लिए वह शीघ्रता से वहाँ से भाग खड़ा होता है। इस उदाहरण में भयभीत व्यक्ति आश्रय है, डाकू, आलंबन है, सुनसान, निर्जन जंगल उद्दीपन कोटि में आयेगा, हाथ पैर का काँपना, मुख का सफेद हो जाना, भाग जाना आदि अनुभाव की कोटि में आयेंगी। उपर्युक्त

उदाहरण में यदि भयभीत व्यक्ति के हाथ पैर का काँपना, भागना आदि क्रियाएँ न हों तो पाठक या दर्शक किस प्रकार यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसके हृदय में 'भय' नामक भाव का उदय हो रहा है। आश्रय की इस प्रकार की चेष्टाएँ जिनके द्वारा हृदयस्थ भावों का पाठक को अनुभव होता है—अनुभाव कहलाती हैं। दांपत्य रति में पारस्परिक आमोद-प्रमोद, कटाक्ष, चुंबन, आलिंगन इत्यादि। हास में हँसना, मुस्कराना, ठट्ठा मारना, क्रोध में दाँत किटकिटाना, मुट्ठी भींचना, आँखें लाल कर लेना, नथुने फुलाना आदि। इन्हीं चेष्टाओं अथवा क्रियाओं द्वारा हृदय में स्थित भावों का अनुभव होता है तथा इन्हीं के द्वारा रस की व्यंजना भी होती है।

आचार्यों ने अनुभावों के प्रमुख चार भेद माने हैं।

(१) **कायिक**—आश्रय की इच्छा के अधीन, शरीर के अंगों से सम्बन्धित चेष्टाएँ कायिक कहलाती हैं। जैसे दाँत पीसना, मुट्ठी बाँधना, होंठ चबाना आदि।

(२) **मानसिक**—अंतःकरण की वृत्ति से उत्पन्न होने वाले प्रमोद आदि को मानसिक अनुभाव कहा जायेगा। जो अकृत्रिम होते हैं।

(३) **सात्त्विक**—भाव के उत्पन्न होने पर सत्वगुण से उत्पन्न अनुभाव को सात्विक अनुभाव कहते हैं।

(४) **आहार्य**—आरोपित की गई अथवा स्वेच्छा से की गई वेष-रचना को आहार्य अनुभाव कहते हैं।

संचारी भाव—

मानव हृदय में रहने वाले कुछ भाव होते हैं जो सदैव स्थित रहते हैं—इन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। किन्तु कुछ भाव ऐसे भी होते हैं जो अल्प समय में उत्पन्न होकर विलीन हो जाते हैं। ये संचारी भाव कहलाते हैं। ये स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए उत्पन्न होते हैं और जल में बुदबुद की तरह उत्पन्न होकर विलीन हो जाते हैं। उदाहरणार्थ एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करता हुआ हृदय में यह सोचता है कि यदि उसने अपनी प्रेमिका को प्राप्त नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ है (वैराग्य संचारी) किन्तु यह फिर अपने हृदय को मजबूत बनाता है और बाधाओं को जीत लेने की शक्ति अपने में जुटाता है। (उत्साह संचारी)

आचार्यों ने संचारियों की संख्या ३३ मानी है। जैसे निर्वेद, ग्लानि, विषाद, शंका, आवेग, दैन्य, मद, मोह, उग्रता, अमर्ष, श्रम, उन्माद, असूया, चिंता, औत्सुक्य, आलस्य, निद्रा, व्याधि, धृति या धैर्य, हर्ष, गर्व, मति, चापल्य, व्रीड़ा (लज्जा) अवहित्था (लज्जा, भय), स्वप्न, विबोध (जागृति) अपस्मार, स्मृति, त्रास, वितर्क, जड़ता, मरण।

जिन ३३ संचारियों का नाम तथा विवरण ऊपर दिया गया है वे सदैव संचारी नहीं बने रहते। हर्ष, विषाद, आदि भावों का यदि स्वतन्त्र वर्णन किया जायेगा तो उस समय उनको संचारी भाव नहीं कहा जायेगा। किसी भाव को संचारी भाव तभी कहा जाता है जब वह किसी रस की पुष्टि में सहायक होता है अन्यथा यह भाव ही माना जायेगा।

रस की अनुभूति किसको होती है इस विषय में विभिन्न आचार्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं जिनमें भट्ट लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्ताचार्य प्रमुख हैं। आचार्यों ने रस नौ माने हैं। शृङ्गार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, वीभत्स, अद्भुत, शान्त।

रसों का विवेचन एवं उनके उदाहरण

(१) शृङ्गार रस

स्त्री-पुरुष के परस्पर अनुराग का वर्णन शृङ्गार रस के अन्तर्गत होता है।

इसके दो भेद हैं। (१) संयोग (२) वियोग। ये दोनों यद्यपि परस्पर विरोधी भावों की अनुभूति कराते हैं तथापि ये पुष्टि रति की ही करते हैं।

स्थायीभाव—रति या प्रेम।

आलंबन—प्रेमपात्र, नायक या नायिका।

उद्दीपन—नायक या नायिका की वेशभूषा, विभिन्न चेष्टाएँ; मुख सौंदर्य इत्यादि पात्रगत उद्दीपन है, तथा वसंतऋतु, सुंदर, प्राकृतिक दृश्य, चंद्र, चाँदनी, सुरभित पवन, एकांत स्थल, पक्षियों का कलरव, वाटिका भ्रमर, गुंजारण।

अनुभाव—मुख खिलना, मुस्कुराना, एकटक देखना, हावभाव, आश्रय का अनुरागपूर्ण आलाप, भृकुटि भंग, कटाक्ष आदि।

संचारी—प्रायः सभी संचारी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं।

संयोग शृङ्गार—
उदाहरण—

चितवत चकित चहू दिसि सीता। कहँ गए नृप किसोर मन चिंता॥
लता ओट तब सखिन लखाये। स्यामल गौर किसोर सुहाये॥
देखि रूप लोचन ललचाने। हरषे जनु निज निधि पहचाने॥
थके नयन रघुपति छवि देखे। पलकन्हि हू परिहरि निमेषे॥
अधिक सनेह देह भई भोरी। सरद ससिहि जनु चितव चकोरी॥
लोचन मग रामहि उर जानी। दीन्हें पलक कपाट सयानी॥
जब सिय सखिन प्रेम बस जानी। कहि न सकहि कछु मन सकुचानी॥

वियोग शृङ्गार—
उदाहरण—

अति मलीन वृषभानु कुमारी।
अध-मुख रहित उरध नहिं चितवति ज्यों गए हारे थकित जुवारी॥
छूटे चिहुर वदन कुम्भिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी।
हरि संदेश सुनि सहज मृतक भई, इक बिरहिन दूजे अलि जारी।

यहाँ पर स्थायी भाव रति के आश्रय हैं वृषभान कुमारी (राधा) तथा आलंबन हैं श्रीकृष्ण। विरह की स्मृति उद्दीपन, नीचा मुख करना, दृष्टि नहीं फेरना, कुम्हलाया वदन अनुभाव, अति मलीन आदि से व्यंजित दैन्य, ग्लानि, सहज संदेश सुनि सहज मृतक भई से मरण आदि संचारी रति को पुष्ट करते हैं।

(२) हास्य रस

विचित्र रूप, वेश आदि को देखकर हास्य की अभिव्यक्ति होती है।

स्थायी भाव—हास

आलंबन—विचित्र वेशभूषादि।

उद्दीपन—आलंबन की विकृत वेश रचना, बातें, चेष्टाएँ।

आश्रय—पाठक, श्रोता, दर्शक।

अनुभाव—मुख फेरना, व्यंग्य वाक्य कहना, होंठ, नासिका, कपोल आदि का फड़कना आदि।

संचारी—अश्रु, रोमांच, कंप, हर्ष, स्वेद, चांचल्य, निद्रा आदि।

उदाहरण—

विन्ध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महा बिनु नारि दुखारे।
गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनिवृन्द सुखारे।।
ह्वै हैं सिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे।
कीन्हीं भली रघुनायक जू करुना करि कानन को पगधारे।।

उपर्युक्त उदाहरण में स्थायी भाव हास है। आलम्बन रामचंद्र, गौतम। नारी के उद्धार का स्मरण उद्दीपन तथा मुक्ति की कथा सुनकर खुश होना, चंद्रमुखी हो जाने के बारे में सोचना अनुभाव है। हर्ष, रोमांच आदि संचारी भावों से इसकी पुष्टि होती है।

(३) करुण रस

प्रिय वस्तु अथवा इष्ट वस्तु के विनष्ट हो जाने से हृदय में उत्पन्न विषाद का भाव करुण रस की व्यंजना कराता है।

स्थायी भाव—शोक।

संचारी भाव—मोह, विषाद, जड़ता, उन्माद, ग्लानि, व्याधि, निर्वेद।

आलंबन—प्रिय वस्तु या व्यक्ति का नाश, मृत्यु या क्लेश।

उद्दीपन—मृत शरीर, प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् होनेवाली दाहक्रिया, उसके गुणों का स्मरण।

अनुभाव—छाती पीटना, पछाड़ खाना, मूर्च्छा, रुदन, विलाप, निःश्वास, दैव-निन्दा, इत्यादि।

उदाहरण—

सुत वित नारि भवन परिवारा। होंहि जाहिं जग बारहिं बारा ॥
अस बिचारि जिय जागहु ताता। मिलइ न जगत सहोदर भ्राता ॥

उपर्युक्त उदाहरण में लक्ष्मण जी के शक्ति लगने पर श्रीरामचन्द्र जी के शोक करने में करुण रस की व्यंजना है। शोक इसका स्थायीभाव है। शोक स्थायीभाव के आश्रय हैं राम तथा आलंबन हैं लक्ष्मण। वातावरण की निस्तब्धता उद्दीपन, रुदन, प्रलाप इसके अनुभाव हैं। विषाद, निर्वेद इत्यादि संचारी भाव हैं। इस प्रकार विभावादि से पुष्ट शोक स्थायीभाव की यहाँ करुण रस में अभिव्यंजना हुई है।

(४) वीर रस

स्वत्व, महानकार्य करनेवाली दृढ़ प्रतिज्ञा आदि विभावों से उत्साह स्थायीभाव का वीर रस में परिपाक होता है।

स्थायीभाव—उत्साह।

आलंबन—शत्रु या विपक्षी, जिसे जीतना हो वह।

उद्दीपन—शत्रु का उत्कर्ष, उसकी ललकार, बाजा, वीरों की हुङ्कार।

अनुभाव—बाँहें फड़कना, अस्त्र-शस्त्र का प्रहार करना, अपने पराक्रम का कथन, आक्रमण, भिड़ंत, इत्यादि।

संचारी भाव—आवेग, उन्माद, मद, कंप।

उदाहरण—

सौमित्रि को घननाद का रव अल्प भी न सहा गया;
निज शत्रु को देखे बिना उनसे तनिक न रहा गया।
रघुवीर से आदेश ले युद्धार्थ वे सजने लगे।
रणवाद्य भी निर्घोष करके धूम से बजने लगे।
सानंद लड़ने के लिए तैयार जल्दी हो गये,
उठने लगे उनके हृदय में युद्ध-भाव नये नये।

इसमें घननाद आलंबन है, उसका रव, रणवाद्य का धूमधाम से निर्घोष-उद्दीपन है, लक्ष्मण के लिए तैयार होना अनुभाव है। घननाद अल्प भी न सहा गया—में अमर्ष, युद्धार्थ सजना और जल्द तैयार होना—ये औत्सुक्य तथा सानंद लड़ने के लिए तैयार होना—में हर्ष संचारी है। इस, प्रकार विभाव और संचारी के संयोग से 'उत्साह' स्थायी भाव से वीर रस की व्यंजना होती है।

(५) रौद्र रस

शत्रुपक्षवाले या किसी अविनीत की चेष्टाएँ, अपना अपमान, अपकार अथवा गुरुजनों की निंदा आदि के कारण उत्पन्न क्रोध से रौद्र रस का संचार होता है।

स्थायी भाव—क्रोध।

संचारी भाव—गर्व, चपलता, उग्रता, आवेग, अमर्ष, मद ।

आलंबन—शत्रु, विपक्षी, देशद्रोही, दुराचारी, कपटी ।

उद्दीपन—उनके किये गये अपराध, उनकी गर्वोक्तियाँ, चालबाजियाँ ।

अनुभाव—नेत्रों का लाल होना, भौंहों की टेढ़ी होना, दाँत और होंठों का चबाना, कठोर भाषण, अपने पुरुषार्थ का वर्णन, शस्त्रों को उठाना, क्रूर दृष्टि, गर्जन-तर्जन, रोमांच आदि ।

उदाहरण—

जो राउर अनुसासन पावौं । कंदुक इव ब्रह्मांड उठावौं ।
काँचे घट जिमि डारौं फोरी । सकउँ मेरु मूलक जिमि तोरी ।।

सीता स्वयंवर प्रसंग 'जनक की वीर विहीन मही मैं जानी' उक्ति को सुनकर लक्ष्मण के हृदय में रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है । क्रोध इसका स्थायी भाव है । लक्ष्मण इसका आश्रय है और आलंबन है जनक । जनक की उक्ति—उद्दीपन है । गर्व, मद, उग्रता आदि संचारी भाव हैं । काँपना, नेत्रों का लाल हो जाना आदि अनुभाव हैं । इस प्रकार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयाग से रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है ।

(६) भयानक रस

किसी भयप्रद वस्तु का वर्णन, उससे भयभीत व्यक्ति की चेष्टा, वाणी आदि का उल्लेख, जिसमें भय की स्थिरता होती है, भयानक रस को उत्पन्न करता है ।

स्थायीभाव—भय ।

आलंबन—भीषण दृश्य, बढ़ी हुई नदी, किसी जंगल या गाँव में लगी हुई आग, चोर, डाकू, बलवान शत्रु इत्यादि ।

उद्दीपन—आलंबन की भयंकरता, अंधकार, एकांत वातावरण, जनशून्यता, भयप्रद लपटें, ऊँची उठनेवाली लहरें, जीव जन्तुओं की चेष्टाएँ ।

अनुभाव—कंप, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, पलायन, मूर्च्छा, भौंचक्का हो जाना ।

संचारी भाव—संभ्रम, आवेग, शंका, चिंता, मृत्यु, इत्यादि ।

उदाहरण—

प्रवाहिता उद्धत तीव्र वायु से, विघूर्णिता हो लपटें दवाग्नि की ।
नितान्त ही थीं बनती भयंकरी, प्रचंड दावा प्रलयंकरी समा ।

उपर्युक्त दृष्टांत में आश्रय के मन में प्रचंड आग को देख कर भयानक रस की निष्पत्ति होती है । भय इसका स्थायीभाव है । आगे का भीषण दृश्य आलंबन है । उद्धत तीव्र वायु उद्दीपन का काम करती है । आवेग संभ्रम, चिन्ता आदि संचारी भाव हैं । कंप, स्वेद पलायन इत्यादि अनुभाव हैं । इस प्रकार विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से भयानक रस की निष्पत्ति होती है ।

(७) वीभत्स रस

घृणा उत्पन्न करनेवाली वस्तुओं—यथा हड्डी, मांस, चर्बी इत्यादि के सड़ने से उत्पन्न दुर्गंध आदि के वर्णन से हृदय में जो ग्लानि होती है उसी से वीभत्स रस का जन्म होता है।

स्थायी भाव—घृणा, जुगुप्सा।

आलंबन—रक्त, मांस, अस्थि, घृणित चीजें, दुर्गंधयुक्त मुर्दा।

उद्दीपन—दुर्गंध, मांस में कीड़ों का पड़ना, मक्खियों का भिनभिनाना।

अनुभाव—नाक सिकोड़ना, थूकना, मुँह फेरना, आँखें मींचना, रोमांच।

संचारी भाव—मूर्च्छा, आवेग, व्याधि, इत्यादि।

उदाहरण—

सिर पर बैठो काग, आँख दोऊ खात निकारत।
खींचत जीभ ही स्यार अतिहि आनन्द उर धारत।
गिद्ध जाँघ को खोदि खोदि कै मांस उदारत।
स्वान आँगुरिन काटि काटि कै खात विदारत।

उपर्युक्त दृष्टांत में मृत शरीर आलंबन है। कौए के द्वारा आँख निकाल कर खाना उद्दीपन विभाव हैं। इस घृणास्पद दृश्य को देखकर पाठक के मन में वीभत्स रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव है घृणा। रोमांच, मुँह फेरना आश्रयगत चेष्टाएँ अनुभाव के अंतर्गत आयेगी। इस प्रकार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के योग से वीभत्स रस की निष्पत्ति होती है।

(८) अद्‌भुत रस

किसी असाधारण वस्तु को देख कर हमारे हृदय में जो आश्चर्य का भाव पैदा होता है, उसी से अद्‌भुत रस का संचार होता है।

स्थायी भाव—विस्मय, आश्चर्य।

आलंबन—अलौकिक वस्तु, असंभवित, व्यापार, लोकोतर कार्यकलाप।

उद्दीपन—आलंबन की महिमा का निरूपण, वर्णन, कथन।

अनुभाव—मुँह खोलकर रह जाना, दाँतों तले अँगुली दबाना, देखते रह जाना, स्वर भंग, स्तंभ।

संचारी भाव—वितर्क, भ्रांति, हर्ष, आवेग।

उदाहरण—

भये प्रकट कृपाला दीन दयाला। कौसल्या हितकारी।
हर्षित महतारी, मुनिमनहारी। अद्‌भुत रूप निहारी॥

उपर्युक्त पद्य में राम का अद्‌भुत रूप देखकर कौसल्या के हृदय में आश्चर्य स्थायी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ राम आलंबन हैं तथा कौसल्या आश्रय

है। कौशल्या का हर्ष अनुभाव है। उनका अद्भुत रूप उद्दीपन है। माता का आश्चर्य में देखते रह जाना संचारी भाव है। इस प्रकार आश्रय, आलंबन और उद्दीपन का वर्णन अद्भुत रस का संचार करने में समर्थ है।

(६) शांत रस

संसार की क्षणभंगुरता तथा परमात्मा के रूप का ज्ञान होने से चित्त को शांति मिलती है। इस शांति का वर्णन पाठक या श्रोता के हृदय में शांत रस की उद्भावना करता है।

स्थायी भाव—निर्वेद अथवा शम।

आलंबन—सत्संगति, पवित्र-आश्रम, तीर्थ, मृतक।

उद्दीपन—उपदेश, कथा श्रवण, पवित्र वातावरण।

अनुभाव—रोमांच, पश्चाताप, आदि।

संचारी भाव—हर्ष, धृति, यति, स्मृति, निर्वेद।

उदाहरण—

मानुष हौं तो वही 'रसखान' गोकुल बसौ ब्रज गाँव के ग्वारन।
जो पसु हौं तो कहा बसु मेरो, चरौ नित नंद के धेनु मँझारन।
पाहन हौं तो वही गिरि को जो, भयो ब्रज छत्र पुरन्दर धारन।
जो खग हौं तो बसेरो करौं मिलि, कालिन्दि कूल कदम्ब की डारन।

इस उदाहरण में भगवान् श्रीकृष्ण की अद्भुत महिमा का ज्ञान होने पर भक्त रसखान के हृदय में शांत रस की व्यंजना होती है। अतः यहाँ आलंबन है श्रीकृष्ण, आश्रय है भक्त हृदय। उनकी महिमा का ज्ञान उद्दीपन है। रोमांच इसका अनुभाव है। अतः विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से शांत रस की निष्पत्ति होती है।

———